लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

तेहरवां सत्र

Thirteenth Session

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated 28-8-9
Parliament Library

खंड 48 म अंक 1 से 10 तक हैं।

Vol. XLVIII contains Nos. 1 to 10

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 9—बृहस्पतिवार, 27 फरवरी, 1975/8 फाल्गुन, 1896 (शक)

No. 9—Thursday February, 27, 1975/Phalguna 8, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
मंगोलियाई संसदीय प्रतिनिधी मण्डल का स्व गति	Welcome to the Mangolian Parliamentary Delegation	

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या
*S. Q. Nos.

141 दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	Durgapur Steel Plant .	1–5
143 प्राइवेट पार्टियों द्वारा लौह अयस्क का दोषपूर्ण खनन	Faulty Mining of Iron Ore by Private Parties . . .	5–7
144 माना कैम्प में पुलिस दवारा शरणार्थियों का दमन	Police Repression on Refugees in Mana Camp . . .	7–10
145 मध्य-पश्चिम नेपाल में मौजूद चिनियों की संख्या में वृद्धि	Increase in Chinese presence in mid-western Nepal .	10
146 स्पंज लौहे पर आधारित छोटे इस्पात संयंत्र	Sponge Iron-Based Mini-Steel Plants	10–12
147 बच्चों मे अंधेपन के मामले की वृद्धि	Incidence of blindness among children	12–15

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या
*S. Q. Nos.

148 नई दिल्ली स्थिति विलिंगडन और सफदरजंग अस्पतालों में स्टाफ की कमी	Shortage of staff in Willingdon and Safdarjang Hospitals, New Delhi . . .	15
149 औद्योगिक सम्बन्ध आयोग	Industrial Relations Commission	16
150 महिलाओं और बच्चों को रोजगार	Employment of Women and Children	16

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—10 LSS(ND)75

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
151	मालवाहक स्टीमर 'विश्व आनन्द' का चलना बन्द किया जाना	Discontinuance of Cargo Steamer "Vishwa Anand"	16
152	बोकारो इस्पात संयंत्र को कोक कर कोयले की सप्लाई	Supply of Coking to Bokaro Steel Plant	17
154	कानपुर में की गई जबरन छुट्टी के लिए मुआवजा	Compensation for Lay-off in Kanpur	17
155	श्रमिक असन्तोष	Labour Unrest	17–18
156	घाटे में चल रही भारत गोल्ड माइन्स	Bharat Gold Mines running at a Loss	18
157	कर्नाटक में हरिजनों में रहस्यमय रोग	'Mystery Disease' among Harijans in Karnataka	18–19
158	राइफल एण्ड मैटल एण्ड स्टील फैक्ट्री कैन्टीन वर्कर्स युनियन के जनरल सेक्रेट्री से कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने के बारे में ज्ञापन	Memorandum from General Secretary Rifle and Metal and Steel Factory Canteen Workers Union	19
159	श्रमिक सलाहकार बोर्ड, पश्चिम बंगाल	Labour Advisory Board, West Bengal	19–20
160	इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन उपक्रमों के प्रबन्ध में कर्मचारियों को शामिल करना	Workers' Participation in Undertakings under Ministry of Steel and Mines	20
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1401	ग्वालियर-भिंड मार्ग	Gwalior Bhind Road	21
1402	ईरान सरकार के लिये भारतीय इंजीनियरों का चयन	Selection of Indian Engineers for Iranian Government	21
1403	पश्चिम बंगाल की योजनाओं को केन्द्रीय क्षेत्र में शामिल करना	Inclusion of West Bengal Schemes in Central Sector	21
1404	कोचीन में दक्षिणी नौसेना कमान की स्थापना	Setting up Southern Naval Command at Cochin	21
1405	आंध्र प्रदेश में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of East Pak Refugee in Andhra Pradesh	22
1406	अशोक चक्र विजेताओं के नाम, पते तथा उनको दी गयी सुविधायें	Names, Addresses of and Facilities to Ashok Chakra Winners	22–24
1407	बंगलादेश सीमा पर तस्करों की गतिविधियां	Activities of Smugglers on Bangladesh Border	24

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1408	कारगिल में लेह से श्रीनगर की यात्रा करने वाले मुसाफिरों के लिए ठहरने का प्रबन्ध	Stay of Passengers Travelling from Leh to Srinagar at Kargil	24
1409	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का रोजगार और विकास कार्यक्रम	Employment and Development programme of I.L.O. . .	24–25
1410	"मिनरल्स डाटा बैंक"	Minerals Data Bank . .	25
1411	दिसम्बर, जनवरी तथा फरवरी में विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा भारत की यात्रा	Visit by Foreign Dignitaries during December, January and February . . .	25
1412	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के अधिकारियों की विदेश यात्रा	Officers of Hindustan Zinc Ltd., on Foreign Tour .	26
1413	औषध कम्पनियों के कर्मचारियों को श्रम कानूनों का लाभ	Benefit of Labour Laws to Employees of Drug Companies	26
1414	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Employees of Safdarjang Hospital, New Delhi .	27
1415	दिल्ली तथा अन्य नगरों में बिना लाइसेंस के दवाई बेचने वाले व्यक्ति (कैमिस्ट तथा ड्रगिस्ट)	Unlicenced Chemists and Druggists in Delhi and other Cities	27
1416	ईरान द्वारा पाकिस्तान को टैंकों की सप्लाई की संभावना	Probability of Supply of Tanks by Iran to Pakistan . .	27
1417	विदेशों द्वारा भारत के परमाणु विस्फोट के विरुद्ध प्रचार	Propaganda by Foreign Countries against India's Nuclear Test	28
1418	लौह अयस्क का ईरान को निर्यात	Export of Iron Ore to Iran .	28
1419	सतलुज का भूकम्प से प्रभावित जलग्रहण (कैचमेंट) क्षेत्र	Tremor Hit Catchment Area of Sutlej	28–29
1420	संयुक्त व्यापार परिषद	Joint Business Council . .	29
1421	भारत के प्रधान मंत्री द्वारा इराक की यात्रा	Visit to Iaraq by Prime Minister of India	26
1422	बम्बई में उद्योगों द्वारा बिजली के उपयोग में कटौती का प्रभाव	Effect of cut in power Utilisation by Industries in Bombay .	30
1423	जहाज निर्माण कारखानों के लिए तीसरा विशेषज्ञ दल	Third Expert Team for Ship Building Yards . . .	30
1424	पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों के दर्शन की अनुमति	Permission to visit Gurdwaras in Pakistan	30–31

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1425	इस्पात निर्माण में कतरनों और बिजली की बचत करने वाली विद्युत आर्क भट्टी	Electric Arc Furnaces Capable of Saving Scrap and Power in Manufacture of Steel .	31
1426	वर्ष 1974 में खोले गये परिवार नियोजन केन्द्र	Family Planning Centres opened in 1974	31
1427	भारत, बंगलादेश और बर्मा के बीच साझी सीमाओं को निर्धारित करने के लिए सम्मेलन	Conference amongst India, Bangladesh and Buima for Demarcation of Common borders	32
1428	गुजरात में 1974 के दौरान खोले गये औषधालय, अस्पताल और स्वास्थ्य परिवार नियोजन केन्द्र	Dispensaries, Hospitals and Health and Family Planning Centres opened in Gujarat in 1974	32
1429	कोयले और नमक की तटीय ढुलाई दरों में वृद्धि	Coastal freight charges for Coal and Salt . . .	33
1430	कतिपय उद्योगों में आधारभूत न्यूनतम मजूरी	Basic minimum wage in certain industries . . .	33–34
1431	ईरान में संयुक्त जहाजरानी कंपनी की स्थापना	Setting up of Joint Shipping Company in Iıan . .	35
1432	शिक्षित बेरोजगार	Educated Unemployed .	35–38
1433	भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा अर्जित लाभ	Profits made by Shipping Corporation of I ndia . .	38–39
1434	हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा एवरो 748 विमान का निर्माण बंद किया जाना	Production of AVRO 748 by H.A.L.	39
1435	अमरीका द्वारा पाकिस्तान में सैनिक अड्डा बनाने का प्रयास	U.S. Bid to have War-base in Pakistan	39
1436	भारत-अमरीका संयुक्त आयोग के अन्तर्गत उप समितियो की स्थापना	Setting up of Sub-Committees under Indo-US Joint Commission	39–40
1437	त्रिनगर, दिल्ली 35 के निवासियों से ज्ञापन	Memorandum from residents of Tri Nagar, Delhi-35 .	40
1438	क्योंझर जिला, उड़ीसा में 'केपटिव' तथा 'नान-केपटिव' लोहे की खाने	Captive and non-captive Iıon Mines in Keonjhar District, Orissa	49–41
1439	पीकिंग द्वारा भारतीय सीमा पर एक नए राज्य के निर्माण के लिये षड़यंत्र	Peking plot for New State on Indian Border . . .	41
1440	बेरोजगारी	Unemployment .	41–44

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1441	महंगाई भत्ते को जीवन निर्वाह सूचकांक से सम्बद्ध किया जाना	Linking of Dearness allowance with cost of Living Index .	44-45
1442	इस्पात विकास नीति	Steel Development Policy .	45
1443	राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों के रखरखाव करने के लिए बिहार को सहायता	Assistance to Bihar for Maintenance of National Highways and Bridges . . .	45
1444	कर्नाटक में पाये गये खनिज	Minerals found in Karnataka .	45-46
1445	कोचीन पत्तन श्रमिक यूनियन	Cochin Port Labour Union .	46-47
1446	औद्योगिक परिषद् की बैठक का रद्द किया जाना	Cancellation of Meeting of Industrial Council . .	47
1447	भारत-ब्रिटिश सम्मेलन द्वारा लेवी का लगाया जाना	Imposition of Levy by India-U. K. Conference . .	48
1448	दोनमलाई लौह अयस्क निक्षेपों में ईराक द्वारा रुचि दिखाया जाना	Iraqi interest in Donamalai Iron Ore Deposits . .	48
1449	कुद्रेमुख लौह अयस्क की खुदाई के लिये ईरानी पूंजी निवेश	Iranian Investment in Exploitation of Kundremukh Iron Ore	49
1450	इस्पात की सप्लाई का बन्द किया जाना	Suspension of Steel Supplies .	49
1451	भारतीय सेनाओं के लिये रुसी सलाहकार के बारे में कथित वक्तव्य	Reported Statement re. Russian Advisers for Indian Armed Forces	50
1452	नौवहन उद्योग के लिये विकास छूट का समाप्त किया जाना	Scrapping of Development Rebate for Shipping Industry .	50
1453	कलकत्ता के लोगों द्वारा भोजन के लिये उपयोग में लाई जाने वाली मछली के बारे में सेन्ट्रल मेडिकल एजेन्सी द्वारा किया गया सर्वेक्षण	Survey conducted by Central Medical Agencies re. Quality of Fish Consumed by people of Calcutta . . .	50
1454	पश्चिम बंगाल में पुनर्वास के लिये केन्द्रीय सहायता का बन्द करना	Stoppage of Central Assistance for Rehabilitation in West Bengal	50-51
1455	रेलवे कर्मचारियों की बहाली के लिये की गई कार्यवाही और सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान	Steps taken for reinstatement of Railway Employees and payment of D. A. to Government Employees . . .	51
1456	दिल्ली तथा नई दिल्ली में एक औषधालय से दूसरे औषधालय में डाक्टरों, स्टोरकीपरों तथा कम्पाउन्डरों का स्थानान्तरण	Transfer of Doctors, Storekeepers and Compounders from one Dispensary to another Dispensary in Delhi and New Delhi	51-52

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1458	जहाजों की खरीद	Purchase of ships . . .	52
1459	वर्ष 1974 के दौरान पता चली नकली औषधियां	Spurious Drugs detected during 1974	53
1460	बिहार में चेचक के कारण	Causes of Small Pox in Bihar .	53
1461	मार्ग बदलने पर लगाये गये अधिभार को स्वेज नहर के दोबारा खुल जाने पर हटाया जाना	Withdrawal of deviation surcharge on reopening of Suez Canal	53–54
1462	कर्नाटक के समुद्र तटवर्ती इलाकों पर बन्दरगाहों का विकास	Development of Harbours on Coastal Lines of Karnataka .	54
1463	परिवार नियोजन कार्यक्रम का राज्य-वार क्रियान्वयन	State-Wise implementation of family Planning Programme .	54
1464	मध्य प्रदेश की फर्मों द्वारा इस्पात की खरीद	Purchase of steel by M.P. firms	54–55
1465	बंगला देश के साथ शत्रु सम्पत्ति के मामले का निपटारा	Settlement of Issue of Enemy Property with Bangladesh .	55
1466	विभिन्न स्रोतों से पाकिस्तान द्वारा हाथियारों की प्राप्ति	Procurement of Arms by Pakistan from Various Sources .	55–56
1467	त्रिपुरा में बंगलादेश से भारी संख्या में आप्रवासी	Influx of Migrants from Bangladesh in Tripura . . .	56
1468	भारतीय परिवार नियोजन कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र के परामर्शदाताओं को सेवाओं का उपयोग	Utilisation of U. N. consultants in Indian Family Planning Programme . . .	56
1469	ढाका स्थित भारतीय हाई कमीशन को सशस्त्र संरक्षण	Armed Protection to Indian High Commission at Dacca .	56–57
1470	औषधि और प्रसाधन अधिनियम को यूनानी औषधियों पर लागू किया जाना	Application of the Drugs and Cosmetics Act to Unani Medicines	57
1471	भिण्ड-इटावा सड़क पर चम्बल पुल पर व्यय	Expenditure on Chambal Bridge on Bhind-Etawah Road .	57–58
1472	कोचीन में नौसेना गोदी के निर्माण के लिय प्रस्ताव	Proposal for construction of Naval Dockyard at Cochin .	58
1473	जन्म दर तथा पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य	Birth rate *is-a-vis* Five Year Plan targets . . .	58–59

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1474	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का विस्तार	Expansion of IISCO . .	59
1475	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा भारत में एक एशियाई संस्थान की स्थापना	Setting up of an Asian Institute in India by I.L.O. . .	59
1476	पिछले दो महीनों के दौरान विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा भारत की यात्रा	Visit to India by Foreign Dignitaries during last two months	60
1477	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के कर्मचारियों के स्थानान्तरण	Transfers effected among workers of Bharat Gold Mines Ltd.	60–61
1478	हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, लाहौल और स्पीति जिलों में थल और वायुसेना द्वारा राहत कार्य	Relief operations by Army and Air force in Kinnaur, Lahul and Spiti Districts of Himachal Pradesh . . .	61
1479	सीमा सड़क संगठन के सिविल कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	Service conditions of civilian employees of Border Roads Organisation . . .	61–62
1480	स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीयकरण का सुझाव	Suggestion for Nationalization of Health Services . .	62
1481	पोलैण्ड द्वारा जहाजों की पेशकश	Offers of Ships by Poland .	63
1482	फरक्का, पश्चिम बंगाल में लूप फैक्टरी	Loop factory at Farakka, West Bengal	63
1483	बंगलादेश से होकर जाने वाली बंगाल-असम नदी सेवा	Bengal-Assam river service through Bangladesh . .	63
1484	पश्चिम बंगाल के औद्योगिक टाउनों में लागू की गई कर्मचारी राज्य बीमा योजना	Industrial Towns in West Bengal covered under E.S. I Scheme	63–64
1485	देहातों में स्वास्थ्य केन्द्र खोलना	Opening of Health Centres in Villages	64–65
1486	लौह अयस्क का जापान को निर्यात	Export of Iron Ore to Japan .	69–66
1487	शहरी अस्पतालों में पैथेडो और मारफीन इंजेक्शनों की कमी	Shortage of Pethedene and Morphine Injection in City Hospitals . . .	66
1488	युवकों को देहातों में रोजगार	Employment to Youth in Rural Areas	67
1489	फ्री प्रेस ग्रुप आफ न्यूजपेपर्स में हड़ताल के बारे में समझौता	Settlement of Strike in Free Press Group of Newspapers .	67
1490	चालू लौह अयस्क खानें	Iron Ore Mines under operation	67

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1491	गत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों पर व्यय	Expenditure on National Highways in Madhya Pradesh during last three years .	68
1492	अन्दमान में नौवहन-माल की क्षति	Loss of Shipping Cargo at Andaman	68–69
1493	सिगरेट निर्माताओं द्वारा सिगरेट के प्रत्येक पैकेट पर 'स्मोकिंग इज ए हैल्थ हजार्ड' का छापा जाना	Cigarettee Manufacturers to print "smoking is a health hazard" on each packet .	69
1494	ईराक को भारतीय विशेषज्ञ	Indian experts to Iraq. .	69–70
1495	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन/वितरण	Production/distribution of picture tubes by Bharat Electronics Limited . . .	70
1496	कानपुर के रक्षा वैज्ञानिकों द्वारा साधारण ग्रेफाइट को हीरे में बदलने की तकनीक का विकास	Techniques developed by Defence Scientists of Kanpur for turning Ordinary Graphite into Diamond . . .	71
1497	भारत में अस्पतालों की शोचनीय दशा	Appalling conditions of Hospitals in India . . .	71
1498	मध्य प्रदेश में औषधियों की अनुपलब्धता	Non-availability of Medicines in M.P.	71
1499	रक्त दान करने वालों द्वारा रक्त के वाणिज्यिक विक्रय पर प्रतिबन्ध	Ban on Commercial Sale of Blood by "Donors" . .	72
1500	महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में शिपयार्ड में उत्पादन	Production of Shipyard in Ratnagiri District of Maharashtra	72
1501	रोजगार, आय और वितरण के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रधान से बातचीत	Talk with I. L. O. Chief Re. Employment, Income and distribution . . .	72–73
1502	पाकिस्तान द्वारा चीन से अधिक सैनिक सहायता प्राप्त करने की धमकी	Pak threat to seek more Military help from Chiana .	73
1503	'पोलियो' का उन्मूलन	Eradication of Polio	73–74
1504	काश्मीर में हड़ताल के बारे में श्री भुट्टो का कथित वक्तव्य	Reported statement by Mr. Bhutto regarding Hartal in Kashmir	74
1505	उपदान अधिनियम (ग्रेच्युटी एक्ट) का लागू किया जाना	Enforcement of Gratuity Act	74
1506	वर्ष 1974-75 में जम्मु और काश्मीर को पुनर्वास सहायता	Rehabilitation Assistance to Jammu & Kashmir during 1974-75	75

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1507	महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराने के लिये विधेयक	Bill for providing equal pay for equal work for Women .	75
1508	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में परिवहन का विकास	Development of Transport in Andaman and Nicobar Islands	75
1509	लघु उद्योगों को स्पर्धात्मक मूल्य पर इस्पात	Steel at Competitive Rates to Small Scale Industries . .	75–76
1510	इस्पात के उत्पादन में कमी	Shortfall in production of Steel .	76
1511	नई दिल्ली में पेलिस्टीन लिबरेशन अर्गनाइजेशन का कार्यालय खोला जाना	Opening of PLO Office in New Delhi	76–77
1512	सेन्टर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज की सदस्यता का सत्यापन करना	Verification of membership of C.I.T.U.	77
1513	कोलार की सोने की खानों में काम करने वाले श्रमिकों की मांगें	Colar Gold Mines workers' demands	77
1514	इस्पात का आयात	Import of Steel .	77–78
1515	इस्पात का निर्यात	Export of Steel	78
1516	पान्डु, कानपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अस्पताल	ESIC Hospital at Pandu, Kanpur	78–79
1517	आयुध कारखानों में काम कर रहे भूतपूर्व सैनिकों के वेतन निर्धारण के बारे में इच्छापुर आर्डनेंस फैक्टरी मजदूर यूनियन से प्राप्त ज्ञापन	Memorandum from Ichapore Ordnance Factory Mazdoor Union Re: pay fixation of Ex-Military persons employed in Ordnance Factories	79
1518	सिंध (पाकिस्तान) से आये विस्थापित लोगों के दावों का निबटारा	Settlement of claims of displaced persons from Sindh (Pakistan)	79–80
1519	भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिकों का आदान-प्रदान	Exchange of Diplomats between India and Pakistan . .	80
1520	मेडीकल शिक्षा की वर्तमान पद्धति में परिवर्तन	Change in a present system of Medical Education . .	80
1521	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के माध्यम से इस्पात आयात करना	Steel imports through SAIL .	80–81
1522	औद्योगिक क्षेत्र में हड़तालों के कारण नष्ट हुए जन दिवस	Man-days lost due to strikes in Industrial Sector . . .	81

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1523	भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Bhilai Steel Plant	81
1524	ग्रामीण स्वास्थ्य सहायकों (हैल्थ असिस्टैन्ट) की नियुक्ति	Appointment of Rural Health Assistants	81
1525	भारत के मैडीकल कालेजों और अस्पतालों में विदेशी औषधि गृहों की घुसपैठ	Infiltration of Foreign Drug Houses in Indian Medical Colleges and Hospitals. .	82
1526	फार्मोसिस्टों के लिए वेतनमान	Pay Scales for Pharmacists .	82
1527	भारतीय राजदूत द्वारा आयोजित भोज में डा० किसींजर का वक्तव्य	Statement by Dr. Kissinger at Banquent hosted by Indian Envoy	82–83
1528	भारतीय वायु सेना के लिए माल वाहक विमान का निर्माण	Manufacture of Freighter Aircraft for Indian Air Force .	83
1529	राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई में उत्पादन की स्थापित क्षमता	Installed capacity of Production in Rourkela, Durgapur and Bhilai	83–85
1530	दुबाई में स्पन्ज आयरन स्टील प्लांट	Sponge Iron Steel Plant at Dubai	85–86
1531	भारत-भूटान संबंधों को बिगाड़ने के बारे में अफवाहें	Rumours to spoil India-Bhutan Ties . . .	86
1532	कोचीन बंदरगाह में बंदरगाह यातायात का लक्ष्य	Target of Port Traffic in Cochin Port . . .	86–87
1533	शिप बिल्डिंग यार्डों की स्थापना	Setting up of Ship-Building Yards	87
1534	मैसर्स एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	M/s. Aluminium Corporation of India Limited . .	87
1535	उड़ीसा में लघु इस्पात संयंत्र	Mini Steel Plants in Orissa .	88
1536	उड़ीसा में कैंसर रोग संस्थान की स्थापना	Setting up Cancer Institute in Orissa	88
1537	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा 1973-74 के दौरान इस्पात कारखानों का दौरा	SAIL Officers' Visit to Steel Factories during 1973-74 .	88–89
1538	गुजरात में श्रमिक अशान्ति	Labour Unrest in Gujarat .	89
1539	पत्तन तथा गोदी श्रमिकों की हड़ताल के पश्चात् सामान्य कार्यकरण आरंभ किया जाना	Restoration of Normal functioning after Port and Dock Workers' Strike . . .	89

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1540	राष्ट्रीय मजूरी आयोग	National Wage Commission	89–90
1541	लदाख में इनफ्लूंजा, खसरा और चेचक के कारण हुई मौतें	Deaths due to Influenza, Measles and Small Pox in Ladakh	90
1542	नेपाली पुलिस द्वारा लद्दाख से आने वाले तीर्थयात्रियों तथा तिब्बती शरणार्थियों को नेपाल में प्रवेश करने की अनुमति न देना	Denial of Entry to Pilgrims from Ladakh and Tibetan Refugees by Nepalese Police	90–91
1543	स्टील अथारिटी आफ़ इंडिया लिमिटेड के स्थापित होने के बाद से इस्पात संयंत्रों के कार्य में सुधार	Improvement in Working of Steel Plants after SAIL came into existence . .	91–94
1544	भारतीय वायुसेना के एक विमान का हरियाणा में राई नामक स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाना	Crash of an Indian Air Force Plane at Rai in Haryana .	95
1545	सड़क परिवहन और रेल परिवहन के बीच तालमेल	Co-ordination between Road and Rail	95
1546	गोदी कर्मचारियों की ऋणग्रस्तता.	Indebtness of Dock Workers .	95–96
1547	वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप आयुध कारखानों के उजरती कारीगरों को बकाया राशि का भुगतान	Payment of arrears to Piece Workers of Ordnance Factories arising out of Pay Commission's Recommendations .	96
1548	भारतीय नौवहन निगम की टन-भार क्षमता	Tonnage of Shipping Corporation of India . . .	96
1549	वर्ष 1975 के दौरान चालू होने वाली बोकारो की यूनिटें	Bokaro Units scheduled to be Commissioned during 1975 .	96–97
1550	हिन्द महासागर के बारे में भारत के दौरे पर आने वाले विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों से बातचीत	Discussions with Visiting Foreign Dignitaries re. Indian Ocean	97
1551	भारतीय सेना में राज्यों के नाम पर रेजीमेन्टें	Regiments in Indian Army after the Names of States	97
1552	नये मंगलौर बन्दरगाह को गहरा करने के लिये सर्वेक्षण	Survey to deepen New Mangalore Harbour . . .	98

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1553	नये मंगलौर बन्दरगाह पर व्यय की गई राशि	Amount spent on New Mangalore Harbour . . .	98–99
1554	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में जहाज	Ships in Andaman and Nicobar Islands	99
1555	ग्रेट निकोबार द्वीप में भूतपूर्व सैनिकों का बसाया जाना	Settlement of Ex-Servicemen in Great Nicobar Island .	99-100
1556	चीनी सैनिक अड्डों का नेपाल के साथ सम्पर्क स्थापित करने वाली सड़कों का निर्माण	Construction of roads connecting Chinese Military bases with Nepal	101
1557	पोलैण्ड से जहाजों की खरीद	Purchase of ships from Poland .	101
1558	ईरान में इस्पात कारखाना स्थापित करने में भारतीय सहायता	Indian help in setting up Steel Plant in Iran . . .	101
1559	राज्य सड़क परिवहन उपक्रम, केरल के लिये पूंजी	Capital for State road transport undertakings, Kerala . .	102
1560	स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस्पात वितरण की नई प्रणाली तैयार करना	SAIL working out new steel distribution system . .	102-103
1561	गणराज्य दिवस समारोह पर खर्च में कमी	Economy on Republic Day Celebrations . . .	103
1562	कोचीन और उद्योग मण्डल के बीच जल परिवहन	Water transport between Cochin and Udyogamandal	103-104
1563	वैलिंगडन द्वीप, कोचीन के चारों ओर जाने वाली लिंक रोड	Link Road Skirting Wellingdon Island, Cochin . . .	104
1564	अखिल भारतीय निर्माता एसोसियेशन का नौवहन के बारे में ज्ञापन	All India Manufacturer Association paper on shipping .	104
1565	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा फार्मों की छपाई	Printing of forms by R.P.F.C., Bihar, Patna . . .	105
1566	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत मैसर्स कांटीनेंटल कैमिकल कम्पनी, पटना को शामिल करना	Coverage of M/s. Continental Chemical Company, Patna under E.P.C. Act . .	105

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1567	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत देशी शराब की दुकान को शामिल करना	Coverage of indigenous wine shop under E.P. F. Act .	105–106
1568	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत बिहार में ठेकेदारों के कर्मचारियों को शामिल करना	Coverage of contractors' employees in Bihar under E.P.F. Act	106
1569	कलकत्ता में सामान्य स्वास्थ्य स्थिति का बिगड़ना	Deterioration of General Health conditions in Calcutta . .	106
1570	भारत की प्रधान मंत्री द्वारा रूस का प्रस्तावित दौरा	Proposed visit to USSR by Prime Minister of India . .	106
1572	विदेशों में भारतीय भाषाओं के पढ़ाये जाने की व्यवस्था	Arrangement for teaching Indian Languages Abroad . .	107
1573	विदेशी सहयोग से जहाजों का निर्माण	Construction of ships with Foreign Collaboration . . .	107–108
1574	वर्ष 1974 के दौरान बिहार राज्य में परिवार नियोजन के लिए नियत राशि	Amount allocated for Bihar Family Planning during 1974	108
1575	कर्नाटक में बन्दरगाहों का विकास.	Development of Harbours in Karnataka	108–109
1576	रेयन टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीज, उज्जैन, (मध्य प्रदेश)	Rayon Textile industries, Ujjain (M.P.)	109
1577	रामलाल जवाहरलाल फर्म, उज्जैन से भविष्य निधि की राशि को वसूल करना	Realisation of Provident Fund deposits from Ramlal Jawaharlal Firm, Ujjain . .	109
1579	चम्बल नदी पर पाली पुल का निर्माण	Construction of Pali Bridge over Chambal River . .	109–110
1580	बर्मा सरकार द्वारा अधिगृहीत भारतीय सम्पत्तियों के लिये क्षतिपूर्ति	Compensation for Indian properties taken over by Burmese Government . .	110
1581	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान के विस्थापितों का पुनर्वास	Rehabilitation of former East Pakistan refugees in Andaman and Nicobar Islands .	110
1582	अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या	Uneducated unemployed. .	111–112

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1583	बरौनी-गरहार के रेलवे श्रमिकों के साथ करार	Agreement with Railway workers of Barauni-Garahara area .	112
1584	औद्योगिक विवाद	Industrial disputes . .	112–113
1585	पंजीकरण समाप्त किये गए औदयोगिक एकक	Industrial units deregistered .	113
1586	चीन द्वारा पाकिस्तान को बमवर्षक विमानों की सप्लाई	Supply of Bombers to Pakistan by China	113
1587	रोजगार की तलाश वाले इंजीनियरों और डाक्टरों की संख्या	Number of Engineers and Doctors Seeking Jobs . .	113–115
1588	दिल्ली में मिनी बसें खरीदने के लिये लाइसेंस	Licences for purchase of Mini Buses in Delhi . . .	116
1589	कच्छ में एक प्रकाशस्तम्भ (लाइट हाउस) की स्थापना के लिए लशिंगटन शोल्ज में खुदाई	Drilling on Lushington Shoals for establishment of a Lighthouse at Kutch . . .	116
1590	अखिल भारतीय निर्माता संघ का जहाज निर्माण उद्योग के लिये प्रस्ताव	Proposal of All India Manufacturers Association for Ship Building Industry . .	116–117
	विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में (प्रश्न)	Re: Question of Privilege (Query)	117
	सभापटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	118–120
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयकी ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance—	
	भारतीय रिजर्व बैंक में खराब नोटों के बदलने में घोटाले का पता लगाने के समाचार—	Reported unearthing of racket in soiled notes conversion in Reserve Bank of India—	
	श्री आर० के० सिन्हा	Shri R. K. Sinha .	120, 121–122
	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee	120–121, व 122–123
	कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
	52 वां प्रतिवेदन	Fifty-second Report . .	124
	राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जारी—	Motion of Thanks on the President's Address—*Contd.*	
	श्री के० मनोहरन्	Shri K. Manoharan . .	124–126
	श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi .	126–130

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
गुजरात के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प—	Statutory Resolution Re: Continuance of Proclamation issued in Respect of Gujarat—	
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy	133, 134–135, व 144–145
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai . .	136
डा० महिपतराय मेहता	Dr. Mahipatray Mehta .	136–137
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder	138–139
श्री नटवरलाल पटेल	Shri Natwarlal Patel . .	139–140
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody . .	140
श्री डी० डी० देसाई	Shri D.D. Desai . . .	141
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee . .	141
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh . .	141–142
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi .	142
डा० कैलास	Dr. Kailas	142–143
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar . .	143–144

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरूवार, 27 फरवरी, 1975/8 फाल्गुन, 1896 (शक)
Thursday, February 27, 1975/ Phalguna 8, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

मंगोलियाई संसदीय प्रतिनिधि मण्डल का स्वागत

WELCOME TO MONGOLIAN PARLIAMENTARY DELIGATION

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों सर्व प्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे अपनी तथा माननीय सदस्यों को ओर से मंगोलिया जनतंत्र के प्रेजेडियम आफ दी ग्रेट पीपल्स रुरल के सचिव, श्री सेदनदम्बया गोटोव एम० पी० तथा मंगोलियाई संसदीय प्रतिनिधि-मंडल के अन्य सदस्यों का स्वागत करते हुए प्रसन्नता हो रही है जो कि विशिष्ट अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आये हुये हैं। प्रतिनिधिमण्डल के अन्य सदस्य है :—

1. श्री डेंडेवीन उड्डाव—संसद-सदस्य
2. श्रीमती गोलूगीन हुल्मा—संसद-सदस्य
3. श्री शेखडोरजीन जदम्बा—संसद-सदस्य
4. श्री लुवसान डिचिन } अधिकारी
5. श्री ओटागाम }

प्रतिनिधि मण्डल के नेता कल शाम यहां पहुंच गये थे और अन्य सदस्य गण आज प्रातः ही यहां पहुंचे हैं। यह लोग 5 मार्च तक भारत में रहेंगे। इस समय वे विशिष्ट कक्ष में बैठे हुए हैं। हम कामना करते हैं कि उनकी हमारे देश की यह यात्रा लाभदायक तथा प्रसन्नता दायक हो। उनके माध्यम से हम मंगोलिया की संसद्, सरकार तथा जनता को अपनी शुभकामनायें अर्पित करते है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दुर्गापूर इस्पात संयंत्र

*141. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में उसके क्षमता से कम उत्पादन हो रहा है

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या उपाय किये गये हैं ?

2--10 LSS (ND))/75

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) मुख्य कारण निम्नलिखित है :—

(1) मालिक मजदूर संबंध अच्छे न होना।

(2) कोक ओवन बैटरियों को हाल खराब होना।

(3) भूत में विभिन्न उपस्करों का रख रखाव का कार्य पर्याप्त ढंग से नहीं हुआ है ; और

(4) वर्ष 1973—74 तथा 1974—75 के पहिले कुछ महीनों में बिजली का पर्याप्त माता में उपलब्ध न होना।

(ग) बिजली की अधिकतम सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय तथा दामोदर घाटी निगम के प्राधिकारियों से निकट तथा सतत सम्पर्क रखा जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रेल द्वारा ढुलाई की कठिनाइयों के कारण उत्पादन में किसी प्रकार की रुकावट न आए, रेलवे मंत्रालय से तथा इस्पात कारखाने को कोककर कोयले की पर्याप्त तथा मासिक सामायिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोयला विभाग से इसी प्रकार का सम्पर्क रखा जा रहा है। इस्पात कारखाने में रक्षित विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है उत्पादन में सुधार लाने के लिए कई दीर्घकालिक उपाय पहले ही आरम्भ कर दिए गए हैं इनमें उत्पादन सुविधाओं में वर्तमान असन्तुलन को ठीक करने के लिए अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था करना, पूंजीगत कार्यक्रम जिनमें नये उपकरण लगाना, पुराने उपस्करों को बदलना आदि शामिल है, बेहतर रख-रखाव जिससे उपस्करो की बेहतर उपलब्धि हो सकें, फालतु पुर्जों, तापसह ईंटों तथा अन्य आवश्यक सामग्री की योजना बद्ध ढंग से प्राप्ति शामिल है। एक नई आधी कोक ओवन बैटरी निर्माणाधीन है और कोक ओवन बैटरियो के पुर्ननिर्माण के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है। उत्पादन बढ़ाने में श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करने तथा मालिक मजदूर संबंधों को सुधारने के लिए भी सतत प्रयत्न जारी है।

Shri M. S. Purty : Sir, I want to know the extent to which the actual production n Durgapur Steel Plant during 1973-74 full short of its installed capacity ?

It has been stated by the Minister that due to adverse industrial relations, deterioration in conditions of coke oven batteries, lack of adequate maintenance of various items of equipment and inadequate availability of power, the productions in Durgapur Steel plant has gone down. I want to know for how long all these reasons are prevalent in Durgapur Steel Plant and the time by which these will be removed and production will be increased?

The Minister of Steel and Mines (Shri Chandrajit Yadev) : In 1973-74 the Durgapur Steel Plant produced 7,75,849 tonnes ingot steel and 3,76,753 tone salable Steel. According to this figures, for the 10 months *i.e.* upto January, the plant has produced 6,64,000 ton steel and 4,31,300 ton Salabi Steel. Regarding the reasons, it has been clearly stated in the reply that it is due to three four reason specially for the last 5,6 years. The first reason is that in last 6, 7 years there were adverse industrial relations and there were a number of strikes which hit the steel plant badly. Even a day's strike hardly hits the steel plant equipment and specially oven batteries and then it takes a number of days to bring back the productions to that standard. In 1967-68, 10,80,540 man hours were lost and in 1968-69, 5,15,809 man hours were lost. Similarly if we look at the figures of last 5,6 years

there we constant strikes which addresely affected the productions. But this is not the sole reason, through it may be an important reason. Besides this several other reasons come to light which are being looked into. The machines were not properly maintained. There were some other short comirgs also for which steps have been taken. At the moment I want ensure the hon. Members that we have taken some immediate steps and a long terms plan has also been chalked out. Effective steps are being taken to over come these short comings.

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि सी० आई० टी० यू० से संबंध हिन्दुस्तान इस्पात कर्मचारी संघ तथा आफिसर्स एसोसिएशन डी० एस० पी० ने विस्तार योजना उत्पादन में सुधार के लिए कुछ स्वनात्मक सुझाव दिए हैं जिन्हें प्राधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया ? क्या यह सच नहीं है कि माननीय मंत्री श्री चन्द्रजीत यादव द्वारा गत सत्र में लोक सभा में स्पष्ट आश्वासन देने के पश्चात् भी 700 संविद श्रमिकों को वापस नहीं किया गया है ? प्रबंध ने यह आश्वासन पूरा नहीं किया। क्या यह सही नहीं है कि संयंत्र स्तर तथा कारखाना स्तर आदि पर पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री, डा० गोपालदास नाग ने जो तीन हायर समिति स्थापित की वह आई० एन० टी० यू० सी० संघ के विरोध तथा असहयोग के कारण अपना कार्य नहीं कर सकी ? मंत्री महोदय द्वारा मुख्य तथा अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कही गई बातो के अतिरिक्त मैंने इन बातों का उल्लेख किया है। क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के निराशाजनक कार्यकरण के लिए ये कारण जिम्मेदार नहीं हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग अर्थात् सी० आई० टी० यू० संघ तथा आफिसर्स संघ द्वारा उत्पादन तथा औद्योगिक संबंधों में सुधार करने के लिए पेश किए गए ज्ञापन का संबंध है, वे सुझाव प्राप्त कर लिये गए हैं और अब विचाराधीन है। यह भी सही है कि गत दो वर्षों में औद्योगिक संबंधों में सुधार करने के लिए ठोस प्रयास किये गये हैं। मैं बता दूं कि दुर्गापुर में कार्य कर रहे सभी संघों ने उस समय पूरा सहयोग दिया और दुर्गापुर संयंत्र के प्रबन्ध तथा कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों तथा पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री की एक बैठक हुई थी। 19 मई, 1972 को एक समझौता हुआ कि त्रिपक्षीय समितियां फ्लोर स्तर, संयंत्र स्तर तथा राज्य स्तर पर बनाई जानी चाहिए। ये समितियां बनाई गई और वहां कार्य कर रहे सभी संघ चाहे वे सी० आई० टी० यू० संघ या ए० आई० टी० यू० सी० अथवा आई० एन० टी० यू० सी० से संबंध हो, इस बात पर सहमत हो गए है। एक संयंत्र समिति भी बनायी गई और इसने अपना कार्य सुचारु रूप से करना आरम्भ कर दिया। फ्लोर स्तर समितियों किस रूप में भाग लेंगी, इस बारे में कोई समझौता नहीं हुआ। फ्लोर स्तरीय समितियां अभी तक नहीं बनाई जा सकी हैं। राज्य स्तर पर कुछ बैठक बलाई गई और कुछ समझौते भी किए गए किन्तु अर्न्तसंघीय स्पर्धा के कारण बाद में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गई। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि वहां स्थानीय समस्यायें हैं और हम सबसे सहयोग लेना चाहते हैं कि परस्पर बैठाकर इन समस्याओं का समाधान निकाला जाये।

जहां तक 700 संविद श्रमिकों का संबंध है, इनकी समस्या लगभग सभी संयंत्रों में है। इस बात के लिए कुछ प्रक्रियाएं तैयार करनी पडेगी कि किस तरह अधिकतम संविद श्रमिकों को वापस काम पर लिया जाय। एक नियम यह निर्धारित किया गया है कि स्थायी रूप के कार्य को करने वाले श्रमिकों को स्थायी कर दिया जाये। किन्तु ऐसा सभी संघों के प्रतिनिधियों की अनुमति पर ही किया जायगा। दुर्भाग्य से संघों के प्रतिनिधि ही स्वयं स्थायी रूप वाले कुछ कार्यों के बारे में सहमत नहीं है और यही एकमात्र कठिनाई है।

जहां तक 700 श्रमिकों का संबंध है, मैंने स्पष्ट रूप से प्रबन्धकों कहा तथा अनुदेश जारी किए कि जो श्रमिक काम पर वापस आना चाहते हैं उन्हें काम पर आने दिया जाये। किन्तु जिनके विरुद्ध हिंसात्मक गतिविधियों के आरोप है उन्हें काम पर वापस नहीं लिया जाएगा। केवल 20 ऐसे श्रमिक हैं जिनके विरुद्ध पुलिस के मामले दर्ज हैं। किन्तु सी० आई० टी० यु० संघ ने

स्वयं जोर दिया कि उन 20 श्रमिकों को काम पर वापस लिया जाये और संघ इस बात पर अडा रहा कि जबतक इन 20 श्रमिकों को वापस नहीं लिया जायेगा तब तक वे कार्य पर नहो आयेंगे। इसके बावजूद भी 50 प्रतिशत से अधिक श्रमिक काम पर वापस आ गए है और आगे भी प्रयास किए जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को पुनः आश्वासन देना चाहता हूं कि वे 20 श्रमिकों को काम पर वापस बुलाने पर जोर न दें क्योंकि उनके विरुद्ध हिंसा के आरोप हैं। हम उनके मामले पर बाद में विचार करेंगे। दूसरों को काम पर आने की अनुमति है सी० आई० टी० यू० संघ ही उनको काम पर आने से रोक रहा है।

श्री समर मुखर्जी : हमने कुछ दिन पूर्व 700 श्रमिकों के बारे में मंत्री महोदय से बात की थी। उन्होंने कहा था कि वह यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि सभी श्रमिक काम पर वापस आ जायें।

श्री चन्द्रजीत यादव : मुझे खेद है। मैंने आपसे जो कुछ कहा था उसे पुनः मैं सभा में दोहरा रहा हूं।

श्री समर मुखर्जी : आपने कहा था कि मैंने यहां प्रबन्धक को दिल्ली आने तथा बात करने के लिए कहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : हमे इस पर आधे घंटे की चर्चा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम ऐसा कर सकते हैं।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : भाग (ख) के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा अतीत में उपकरणों की विभिन्न मदों के अपर्याप्त अनुरक्षण...

मैं जानना चाहता हूं कि (क) कि उपकरणों के समुचित अनुरक्षण न करने के लिए कौन जिम्मेदार है तथा संयंत्र में उपकरणो की कौन–कौन सी मदें हैं। (ख) क्या ब्रिटिश कन्जोरटियम द्वारा 1958 के प्रारम्भ में सप्लाई किए गए कोक ओवन की क्षमता आरम्भ में उल्लिखित क्षमता के बराबर नहीं है और क्या यह स्थापित किए जाने के बाद ही इसमें खराबी आनी आरम्भ हो गई थी; (ग) क्या कोक ओवन की आधी बैटरी उसी फर्म द्वारा बनाई जा रही है; (घ) वर्तमान कोक ओवन बैटरियों का पुनर्निर्माण कब से आरम्भ होगा और यह काम कब परा होगा?

श्री चन्द्रजीत यादव : जब हमने देखा कि उत्पादन गिर रहा है और काफी सुधार नहीं हो पा रहा है तो विस्तृत कारणों को जानने के लिए दो समितियों की स्थापना की गई। इस समितियोंको उत्पादन कम होने के कारणों का पता लगाने तथा आपर्याप्त अनुरक्षण के बारे में पता लगाने का कार्य सौंपा गया। एक व्यक्ति श्री आर० क० चटर्जी पहल सहायक महा अधीक्षक के रूप तथा बाद में महा अधीक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। हमन उन्हीं पर जिम्मेदारी डाली है। उनके पद को हटा दिया गया है। बाद में, उन्होंने इसके विरोध में अभ्यावेदन पेश किया किन्तु अन्ततः उन्हें संयंत्र छोड़ना पड़ा। महा अधीक्षक श्री सी० एस० एन० राजू के विरुद्ध भी कार्यवाही की गई। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि संयंत्र के समुचित अनुरक्षण के लिए सभी संभव उपाय काम में लाय जा रहे हैं। हमें प्रबंधकीय या विभागीय कमजोरी का पूरा पता है और जब ये कमजोरियां हमारी दृष्टि में आयेंगी तो हम प्रभावशाली कदम उठायेंगे। इसके लिए कुछ अल्पावधी तथा कुछ दीर्घावधि याचिकाएं तैयार की गई है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या कोक भट्टी को पुनः बनाने का कार्य उसी कम्पनी को दिया गया है।

डा० रानेन सेन : विवरण में कहा गया है :—

"संयंत्र में विद्युत प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ... एक नई आधी कोक भट्टी निर्माणाधीन है...।"

विद्युत का संकट पांच या 6 वर्षों से चल रहा है और 4 साल पहले एक नए संयंत्र की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि चार या पांच साल बीत जाने पर भी यह मामला अभी विचाराधीन है ? इस विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : वास्तव में संयंत्र की निर्धारित क्षमता 20 मेगावाट है। फर्म प्रजनन क्षमता 15 मेगावाट है। इस्पात संयंत्र की कुल वर्तमान निर्धारित क्षमता 60 मेगावाट है। 1973–74 के दौरान तथा 1974 के शुरु के महीनों में गंभीर रूप से बिजली फेल होती रही। किन्तु गत चार पांच महीनों के दौरान इसमें काफी सुधार हुआ है। हमारा दामोदर घाटी निगम से निकट सम्पर्क है और दामोदर घाटी निगम संयंत्र की सभी जरुरत पूरी कर रहा है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कैपटिव संयंत्र , जिसकी क्षमता 20 मेगावाट है, अधिकतम उत्पादन करे। अतः कपटिव संयंत्र के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए कुछ कदम उठाये गए है। स्थिति में काफी सुधार हुआ है। यह सही है कि गत चार या पांच महीनों से बिजली की कोई कमी नहीं हुई है। अब निरंतर स्थिति ठीक रहेगी। जहां तक आधी कोक भट्टी बैटरी का संबंध है, यह बिलकुल तैयार है। कोक भट्टी बैटरी के पुननिर्माण को यथा संभव शीघ्र पूरा करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

प्राइवेट पार्टियों द्वारा लौह अयस्क का दोषपूर्ण खनन

*143. **डा० रानेन सेन :** क्या **इस्पात और खान** खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क बोर्ड को प्राइवेट पार्टियों द्वारा लौह अयस्क के दोषपूर्ण खनन के बारे में पता चला है और;

(ख) यदि हाँ, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रहीं है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) लौह अयस्क बोर्ड ने उपलब्ध डेटा के आधार पर किये गये कुछ अध्ययनों से इस बात का पता लगाया था कि गैर सरकारी क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों की कुछ खानों में खनन कार्य वैज्ञानिक ढंग से नही किया जा रहा है।

(ख) अतः लौह अयस्क बोर्ड ने बडाजमदा क्षेत्र तथा बेलारी हास्टपेट क्षेत्र में लौह आयस्क निक्षेपों के समेकित विकास के बारे में अध्ययन करने और सिफारिशें करने के लिए दो समितियाँ बनाई थी। बाडाजमदा समिति को रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और इसकी सिफारिशों को कार्य-रूप देने के लिए कारवाई की जा रही है। बेलारी हास्पेट समिति की रिपोर्ट सभी प्राप्त नहीं हुई है।

डा० रानेन सेन : गतवर्ष नवम्बर 1974 में श्री पी०एम०सयीद के एक प्रश्न के उत्तर में दों समितियों को स्थापित करने का उल्लेख किया गया था। बाद में हमें पता चला कि लौह-अयस्क बोर्ड की एक समिति ने गैर-सरकारी पक्षों द्वारा लौह अयस्क पट्टेदारो का दूरुपयोग किये जाने पर गंभीर चिंता वक्त की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बोर्ड इस निश्कर्ष पर पहुंचा है कि गैर-सरकारी क्षेत्र जो लौह-अयस्क का काफी भाग देता था, अब केवल, चिन्ता का विषय बनकर रह गया है। चूंकि लौह-अयस्क इस्पात उत्पादन और निर्यात उद्देश्यों के लिए नितान्त आवश्यक है, अतः मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार गैर–सरकारी क्षेत्र पर जो लोह अयस्क का दुरुपयोग कर रहा है, नियंत्रण पाने के लिए क्या कारवाही कर रही है ; या करने जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : मुख्य उत्तर में कहां गया है कि इन खानों के खनन में पाई गई कुछ त्रुटियां हमारे ध्यान में लाई गई थो और हमने यह महसूस किया कि लौह–अयस्क खानों में सुधार करने के लिए कुछ कदम उठाने आवश्यक है। इसलिए लौह अयस्क बोर्ड की स्थापना की गई है जो कि इन समस्याओं का अध्ययन कर रहा है। इसने दो समितियों की नियुक्ति की है। एक समिति का प्रतिवेदन मिल चुका है। उस समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं।

एक सुझाव को कार्यान्वित करने के लिए कुछ निवेश की आवश्यकता है। वराजम्दा क्षेत्र में विकास कार्य के लिए लगभग 12 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी और केन्द्रीय प्रशिक्षण तथा क्रशिग संयंत्र के लिए 5 करोड रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। गैर–सरकारी खान मालिक भी निवेश के लिए सहमत हो गए हैं। किन्तु वे यह आश्वासन चाहते हैं कि वे जितना भी लोह अयस्क निकालेंग उसका निर्यात किया जायगा और उसका निर्यात एम० एम० टी० सी० करेगा। यह खानों के समीप ही नहीं पडा रहेगा। इन प्रश्नों पर बड़ी सावधानी से विचार किया जा रहा है।

गैर–सरकारी खान मालिकों को पट्टा देते हुए, सरकार यह सुनिश्चित करने में सदैव सावधान रहती है कि गैर सरकारी खान मालिको को केवल वे ही खाने दी जायें जो कि निर्यात प्रधान है। उदाहरण के लिए गोवा का अपना ही इतिहास है। गोवा में गैर सरकारी खान मालिक सर्वाधिक हैं। इसका भी इतिहास है। वे कुछ ही दिनों से यह कार्य कर रहे हैं। हम इस समय गैर सरकारी खानों को अपने अधिकार में लेने की आवश्यकता नहीं समझते। जब हमें दूसरा प्रतिवेदन मिल जायेगा तो हम प्रभावी कदम उठायेंगे और और खनन कार्य को अधिक सुधरे तथा वैज्ञानिक ढंग से करेंगे ताकि लोह अयस्क जो देश का एक महत्वपूर्ण खनिज है बेकार न जाये।

डा० रानेन सेन : यह सर्वमान्य है तथा समाचार पत्रों में भी समाचार प्रकाशित हुआ है जो कि काफी विस्तृत है और इतनी लम्बी रिपोर्ट होने के कारण मैं इसे यहां नहीं पढना चाहता। 4 फरवरी को प्रकाशित इस समाचार पत्र में यह लिखा है कि बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि केवल दुरुपयोग ही नहीं है वरन् गैर–सरकारी खान मालिकों द्वारा गंभीर शरारतें की जा रही हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि इन गैर–सरकारी खानों को अपने हाथ में लेने से सरकार को कौन रोकता है। विशेषकर ऐसी स्थिति में जब यह स्वीकार कर लिया गया है कि यह देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है और इससे अधिक विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है। मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या इस पर विचार हो चुका है या होना है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैंने इस प्रश्न का जबाब दे दिया है। ये बातें हमारे ध्यान में लाई गई हैं। सरकार लौह अयस्क खानों के विकास पर गंभीरता से विचार कर रही है गैर–सरकारी खान मालिकों को गैर–वैज्ञानिक ढंग से खनन कार्य नहीं करने दिया जायेगा। वे केवल उन्हीं क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं जहां वैज्ञानिक ढंग से कार्य नहीं हो सकता। हमने लोह अयस्क बोर्ड से कह दिया है कि वह लोह अयस्क के सभी खनिज संसाधनों का पता लगायें। यह देखना होगा कि खानों के खनन कार्य में सुधार के लिए क्या कदम उठाने चाहिएं और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में इन खानों का दुरुपयोग न हो।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : गोवा में बड़े–बड़े खान मालिकों तथा छोटे छोटे खान मालिक है। मेरा विचार है कि छोट छोटे खान मालिकों के लिए गोवा में एम० एम० टी० सी० का कार्यालिय स्थापित किया गया था। किन्तु मुझे पता चला है कि ये छोटे खान मालिक अभी निर्यात करने की स्थिति में नहीं है। और लोह–अयस्क एकत्रित हो रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या किसी दोष के कारण वे लोह अयस्क निर्यात करने के स्थिति में नहीं हुए हैं और क्या 14, एम० एम० टी० से छोटे खान मालिकों के लोह–अयस्क को निर्यात करने का काम अपने हाथ में नहीं लिया है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं इस पर विचार करुंगा। माननीय सदस्य मुझे कोई ऐसा उदाहरण दे जहां छोटे खान मालिकों का लोहे अयस्क निहित नहीं किया गया है और उनका ध्यान नहीं रखा गया है।

श्री नवल किशोर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि बोर्ड ने खनन कार्य में कौन-कौन से दोष पाये हैं जिनका कि प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है ? दूसरे क्या यह बात सरकार के ध्यान में

आई है कि गैर–सरकारी खान मालिक गहरी खुदाई नहीं करते जिससे राष्ट्रीय सम्पत्ति नष्ट हो रही है और बेकार जा रही है ? तीसरे क्या सरकार उन क्षत्रों में लाभप्रद संयंत्र स्थापित करना चाहती है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : इन खानों की मुख्य समस्यायें ये हैं कि कुछ क्षेत्रों में यातायात की समस्याएं हैं। हम यातायात पर निवश नहीं कर पाये हैं और इसलिये वहां यातायात की समस्यायें हैं। कुछ खान क्षेत्र दुर्गम हैं और वहां यातायात लागत बहुत अधिक है। कुछ खानों में पर्याप्त निवेश नहीं किया गया है। अतः समुचित निवेश की कमी है। समुचित निवेश के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ताकि वैज्ञानिक तरीके से खनन हो और उनका समुचित विकास हो। जैसा कि मैंने पहले कहा है बोर्ड को पता चला है कि एक केन्द्रीय स्क्रीनिंग और क्रशिंग संयंत्र होना चाहिए को कि उत्पादन में तेजी लाने में सहायक होगा। साथ लोहे अयस्क बढ़िया किस्म का होगा यह प्रस्ताव विचाराधीन है। ये ही वहां की मुख्य समस्याएं हैं। यह सही है कि कुछ छोटे खान मालिक समुचित खनन करने की स्थिति में नहीं हैं। दोषहीन खनन कार्य नहीं किया गया है और लोह अयस्क की बरबादी हुई है। इस संबंध में प्रभावशाली कदम उठाये जा रहे हैं ताकि भविष्य में लोह अयस्क बेकार न जाये।

माना कैम्प में पुलिस द्वारा शरणार्थियों का दमन

***144. श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको उदवस्तु उन्नयनशील समिति, माना कैम्प के अध्यक्ष की ओर से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा शरणार्थियों का दमन किये जाने के बारे में कोई पत्र मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा दमन को रोकने तथा कर्मकारों की शिकायत को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) उद्वास्तु उन्नयनशील समिति, माना के अध्यक्ष से दिनांक 9–1–1975 को एक तार प्राप्त हुआ था जिसका मजमून इस प्रकार है :—

> "राहत सुविधा बन्द सोहागपुर नवगांव शरणार्थि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस घेराबन्दी में(.)भूखे शरणार्थियों पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा अमानवीय अत्याचार(.)मिशनरी राहत की अस्वीकृति मानवता का अपमान(.)भूख से मृत्यु गंभीर स्थिति(.)अत्याचार को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप ध्यान दें( )"

(ग) इस क्षेत्र में केन्द्रीय आरक्षण पुलिस तैनात नहीं की गई है अतः केन्द्रीय आरक्षण पुलिस द्वारा दमन का प्रश्न नहीं उठता। यह भी सूचना मिली है कि न तो पुलिस द्वारा किसी प्रकार का अमानवीय दुःख दिया गया और न ही प्रवाक्षियों को किसी मिशनरी राहत की पेशकश की गई थी।

वास्तविक स्थिति यह है कि सिंचाई परियोजना में नहर कार्य पर रोजगार दिलाने के लिए लगभग 3,000 प्रवासियों को ताबा के कार्य स्थल शिविरों में भेजा गया था लेकिन उन्होंने दिए

गए काम को करने से इन्कार कर दिया। उन्हें राजी करने के हमारे सभी प्रयत्न विफल रहे। इस विषय में सरकार की हिदायतों के अनुसार, यदि किसी परिवार का कोई कुशल पुरुष सदस्य काम करने से इन्कार करते हैं तो उनकी राहत सुविधाएं बन्द कर दी जाती है और परिवार को शिबिर से बाहर निकाल दिया जाता है। अतः तावा के इन परिवारों को नोटिस जारी किए गए थे जिनमें यह स्पष्ट किया गया था कि काम करने से इन्कार करने के क्या परिणाम होंगे जिन्होंने नोटिसों के बावजूद काम करना शुरु नहीं किया, उनकी राहत सुविधाएं 21—12—1974 से बंद कर दी गई थीं। इन में से अधिकांश परिवारों ने जनवरी, 1975 के प्रथम सप्ताह से काम शुरु करना स्वीकार कर लिया है और इन परिवारों को जिस तारीख से उन्होंने काम करना प्रारंभ किया है, उस तारीख से फिर से मानवीय आधार पर राहत सुविधाएं देनी चालू कर दी गयी हैं। इस बीच कानून तथा व्यवस्था संबंधी उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पुलिस व्यवस्था भी की गयी थी।

तावा शिबिर के कुछ प्रवासी प्रतिनिधियों को पूर्ति और पुनर्वास मंत्री जी से मिलने के लिए 15—2—1975 को दिल्ली बुलाया गया था। उनकी मांगों पर चर्चा की गई और उन्हें बताया गया कि ऐसे व्यक्ति जो राहत शिविरों/पुनर्वास स्थलों को छोड़ गए थे और जो पुनर्वास सहायता के हकदार नहीं थे, हिदायतों में रियायत करके उन्हें भी उनकी बारी पर सरकार ने पुनर्वास सहायता देने का निश्चय किया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि माना कैम्प में वास्तव में शरणार्थियों की संख्या कितनी है जो उचित पुनर्वास भी प्रतीक्षा में हैं ?

श्री आर० क० खाडिलकर : हमारे सभी कैम्पों में लगभग 25,000 परिवार है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कुल शरणार्थी कितने हैं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : औसतन प्रति परिवार में पांच सदस्य गिने जाते हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : उत्तर से लगता है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस उन शरणार्थियों के विरुद्ध नहीं लगाई गई थी जो छोड़कर चले गए थे और जो बाद में वापस आ गए परन्तु उन्हें नकद सहायता बन्द कर दी गई और पुलिस तथा गुंडों ने उनका दमन आरंभ कर दिया। क्या इसकी सूचना मंत्री महोदय को अनेक बार दी गई और यदि हां, तो क्या प्रभावी कार्यवाही की गई क्योंकि उत्तर से नहीं लगता कि कोई कार्यवाही की गई है ताकि पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे उन शरणार्थियों को आंदोलन करने का अवसर न मिले ?

श्री आर० के० खाडिलकर : तावा के शरणार्थियों को "कार्मिक गिर" कहा जाता है और उन्हें काम करना होता है परन्तु इन्होंने काम करने से इन्कार कर दिया और कुछ ने मिलकर गुंडागर्दी करनी चाही। अतः राज्य सरकार ने कदम उठाए। सी० आर० पी० का तो प्रश्न ही नहीं है। मैं सदस्य महोदय के सूचनार्थ स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ ही दिन पहले कुछ शरणार्थी मुझे मिले थे और अपनी शिकायतें रखी थीं। उनकी सभी उचित शिकायतें दूर कर दी गई हैं। उन्हें स्थानीय श्रमिकों से अधिक मजूरी दी जाती है। उन्हें रियोयती दरों पर राशन और पैसा भी दिया जाता है परन्तु वे काम नहीं करना चाहते। हम यह हन नहीं कर सकते कि वे काम भी न करें और मजूरी 3.50 रुपये की दर से चाहें।

श्री नोतिराज सिंह चौधरी : क्या सैकडों परिवारों को माना कैम्प से तावा कैम्प में काम करने के लिए भेज दिया गया है जिन्हें तिमानी, ढोलकियां, सोहारपुर आदि स्थानों पर ठहराया गया है, और यद्यपि उन्हें 57 पैसे किलो की दर से चावल दिया जा रहा है, उन्होंने काम करने से इन्कार कर दिया है और व गड़बड़ी फैला रहे हैं।

श्री आर० के० खाडिलकर : सदस्य महोदय का कथन पूर्णतया सही हैं। उन्हें 110–150 रुपये प्रति परिवार की दर से धन के आलावा अनक सुविधाएं प्रदान की जाती है फिर भी वे काम नहीं चाहते और यही हमारी समस्या है। यह सामाजिक समस्या है और इसका उल्लेख मैसूर जैसे कुछ राज्यों ने सम्मेलन में भी किया था।

श्री कृष्ण चंद्र हालदार : वे महनती लोग हैं। मैं मंत्री महोदय को वहां जा कर दिखा सकता हूं।

श्री बी० के० दासचौधरी : मैं ने मंत्री महोदय का उत्तर सुना है और उनसे स्पष्टतः यह जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रश्न वास्तव में उद्‌वस्तु उन्नयनशील समिति से संबंधित है जिनसे उन्हें अध्यावेदन मिला है और क्या उक्त समिति माना के और यहां के उच्च अधिकारियो के सक्रिय सहयोग से बनाई गई थी?

दूसरे क्या इस समिति के कार्यकारी सदस्य माना कैम्प और दूसरे आसपास के व्यापारियों के अधिवक्ता हैं?

तिसरे, क्या माना कर्मचारी संघ ने बारबार सरकार से इस समिति के विरुद्ध कार्यवाही करने को कहा है जो बिचारे शरणार्थियों को ठीक से काम न करने को गुमराह कर रही है? क्या मंत्री महोदय वहां काम कर रहे शरणार्थियों / विस्थापितों के पुनर्वास पर विचार करेंगे जो वहां 2–3 वर्ष तक काम करते रहेंगे? उन्हें पुनर्वास की क्या गारंटी दी गई है?

श्री आर० के० खाडिलकर : उन्होंने समिति के बारे में ठीक ही कहा है। इससे शरणार्थीयों की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। इसमें शरणार्थि व्यापारी हैं जो धन कमा रहे हैं।

तावा समस्या के बारे में उनका कहना सही नहीं है। यदि वे काम करेंगे तो अपनी बारी पर उनका पुनर्वास हो जाएगा उसका मैं आश्वासन देता हूं।

श्री बी० के० दासचौधरी : समिति के विरुद्ध कार्यवाही में कोई उल्लेख नहीं किया गया?

श्री आर० के० खाडिलकर : कुछ दल इसमें राजनीति ला रहे है। एक संयुक्त केन्द्रीय शरणार्थी परिषद, वहां है और यह समिति उसका समर्थन प्राप्त कर रही है। सरकार को नहीं, उन्हें शरणार्थियों की देखभाल करनी होती है।

श्री समर मुखर्जी : वास्तव में उप-मंत्री महोदय ने इन श्रम-केन्द्रों को भेजे गए शरणार्थियों को आश्वासन दिया था कि उन्हें 3.50 रुपये दैनिक मजूरी दी जाएगी परन्तु बाद में वास्तव में उन्हें बहुत कम राशिका भुगतान किया गया। इसलिए उन्होंने विरोध किया और काम से इन्कार किया। मंत्री महोदय द्वारा यहां दिया गया उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है। शायद उसका उन्हें पता न हो परन्तु शिकायत सही है और स्वयं मैंने कई बार उन्हें अभ्यावेदन भेजे हैं। शरणार्थियों के सी० आई० द्वारा दमन के बारे में माना कैंप की उद्‌वस्तु उन्ननशील समिति के अध्यक्ष से उन्हें मिले किसी संदेश के बारे में श्री भट्टाचार्य के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने केवल सोहागपुर नव-गांव के मामले का ही उल्लेख किया है जबकि ऐसी अनेक अनक घटनाए हुई है और मंत्री महोदय ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा है। इस समय बहुत से लोग बन्दी हैं और बहुत से वारंट निकले हुए हैं। उनकी निर्दयतापूर्वक पिटाई हुई है, उनपर गोली चलाई गई है और अनेक लोग मारे गए परन्तु वह बिलकुल चुप है और अब यह बताया जा रहा है जैसे अब अभ्यावदन करने वाले वाले शरणार्थी बहुत थोडे हैं और उनके सगठन का नेतृत्व मुट्ठीभर व्यापारी करते हैं। यह गलत है। इसलिए मैं उनसे स्पष्ट और ठोस उत्तर चाहता हूं कि क्या उन्हें मेरे सहित अनेक अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें दमन और जूल्म के ठोस मामलों का

उल्लेख है? क्या शरणार्थी अभी जेल में हैं और क्या उन्होने यह आश्वासन नहीं दिया है कि आतंक की स्थिति समाप्त कर दी जाय और शरणार्थियों को अपनी इच्छानुसार आचरण करने की स्वतंत्रता हो? क्या ये शर्तें पूरी की गई हैं?

श्री आर० के० खाडिलकर : जहां तक कार्यालय के लिये समाचार का सबध है मैं ने मिले तार संदेश में से ठीक–ठीक पढकर सुना दिया है। जहां तक कम मजूरी का आरोप है यह सही नहीं है क्योंकि उन्हें प्रतिव्यक्ति मजूरी प्रणाली के अन्तर्गत मजूरी दी जाती है जिस पर वे काम नहीं करना चाहते। दूसरे प्रश्न के उत्तर में केवल कुछ व्यक्ति ही जेल में हैं और उनके मामलों पर राज्य के प्रधिकारी कार्यवाही कर रहे हैं।

मध्य-पश्चिम नेपाल में मौजूद चिनियों की संख्या में वृद्धि

***145. श्री राम प्रकाश :**
श्री पी० के० देव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि मध्य पश्चिम नेपाल में, जहां से बहुत बड़ी संख्या में गोरखे लोग भारतीय सेना में भर्ती होने के लिये आते हैं, चीनीयों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि होने की आशा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) 2 फरवरी, 1975 को काठमांडु में यह घोषणा की गई थी कि चीन मध्य–पश्चिमी नेपाल में पोखरा सुरखेत सड़क के निर्माण में नेपाल की सहायता करेगा। स्वाभाविक रूप से सरकार भारत के हित संबंधी मामलो से संबद्ध सभी घटनाओं के प्रभावों की समीक्षा करती रहती है।

Shri Ram Prakash : I want to know the number of Gurkhas in our armed forces at present and the annual recruitment thereof during the last three years?

श्री बिपिनपाल दास : यह जानकारी तो रक्षा मंत्री ही दे सकते है।

श्री विश्वनाथ राय : क्या नेपाल के उक्त भाग मे रहने वाले चीनी आम तौर पर छोटी-छोटी चीनी वस्तुओं की भारत मे तस्करी करने का काम करते है और इसे हमने बन्द नहीं किया है?

श्री बिपिन पाल दास : यह तो नेपाल सरकार से संबंधित है। मुझे इसका पता नहीं है।

श्री जे० माता गौडर : चीनी उपमंत्री ने कल कहा है कि यदि भारत चीनके साथ बातचीत आरंभ करे तो चीन इसका स्वागत करेगा। इसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

एक माननीय सदस्य : यह संगत नहीं है।

स्पंज लोहे पर आधारित छोटे इस्पात संयंत्र

***146. श्री बसंत साठे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल मेट्टालर्जिकल लेबोरेट्री जमशेदपुर के डा० बी० ए० आल्टेकर ने बिहार, उडीसा और पश्चिम बंगाल राज्यो में 30,000 से 50,000 टन उत्पादन क्षमता वाले स्पंज लोहे पर आधारित छोटे इस्पात संयंत्र स्थापित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) दिसम्बर 1974 के अन्तिम सप्ताह में भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्र में खनिज आधारित उद्योगों पर आयोजित हुई गोष्ठी में डा० आल्टेकर द्वारा प्रस्तुत पपर में क्या मुख्य सुझाव दिये गए थे; और

(घ) डा० आल्टेकर द्वारा दिये गये सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस पर क्य ाकार्यवाही की गई है?

इस्पात और खान मंत्रालयमें उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

दिसम्बर, 1974 के अन्तिम सप्ताई में भुवनेश्वर में "पूर्वी क्षेत्र में खनिज–आधारित उदयोगों पर आयोजित की गई विचार गोष्ठी में राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर के निदेशक डा० अल्टेकर ने अपने पेपर में मुख्य रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि पूर्वी क्षेत्र में स्पंज लोहे के कारखाने लगाने की गुंजाइश है जो अपचायक के रूप में अकोककर कोयले का इस्तेमाल करें। इस बात की सिफारिश इस क्षेत्र से प्राप्त किये गये कच्चे माल के नमूनों का राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर के प्रायोगिक संयंत्र में किये गये परीक्षणों से प्राप्त हुए परिणामों के आधार पर की गई है।

राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला ने अपने द्वारा विकसित की गई प्रोद्योगिकी के आधार पर 30,000 टन वार्षिक क्षमता के स्पंज लोहे के कारखानों के लिए शक्यता प्रतिवेदन तैयार किये हैं। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला द्वारा प्रायोगिक संयंत्र स्तर पर विकसित प्रौद्योगिक के आधार पर स्पंज लोहे के उत्पादन के लिए कारखानों की स्थापना को प्रोत्साहन देने का विचार है।

श्री वसंत साठे : मुझे खुशी है कि उत्तर में हमारे वैज्ञानिको को गैरकोककर कोयले और लोह अयस्क से स्पंज इस्पात बनाने की विधि की खोज के लिए बधाई दी गई है। इस बात को देखते हुए कि इस प्रकार कोककर कोयले और लौह–अयस्क की काफी बचत होगी जिसका निर्यात करके देश का शोषण हो रहा था, मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र में इस विधि पर आधारित संयंत्र लगाने में सरकार को क्या कठिनाई है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : जैसा कि सदस्य महोदय ने कहा है सरकार स्वयं इस ओर ध्यान दे रही है और एन० एम० एल० के कार्ड की हमने प्रशंसा की है। हमें देश में इस प्रकार का इस्पात बनाने की वैकल्पिक विधि की बहुत खुशी है। हमारे देश में कोककर कोयला काफी नहीं है जिसका परम्परागत तरीके से इस्पात बनाने में प्रयोग किया जाता है, अतः ऐसा कोई भी नया तरीका स्वागत योग्य होगा। स्पंज इस्पात बनाने का नया तरीका सफलतापूर्वक प्रयोग में लाया गया है। एक देश में गैर–कोककर कोयले का भंडार है परन्तु इस तरीके पर अभी प्रयोग जारी हैं। एक देश के अलावा विश्वभर में प्रयास जारी हैं परन्तु ब्राजील में एक संयंत्र के अलावा अन्य सभी संयंत्रों में काफी कठिनाई अनुभव की जा रही है। हम अपने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन तो देना चाहते हैं परन्तु कठिनाई से भी बचना चाहते हैं। हमारी सरकार तो सभी प्रकार की सहायता दे रही है। हमारा निर्णय है कि एन० एम० एल० को एक प्रोद्योगिक संयंत्र दिया जाये जिसकी क्षमता 100 टन प्रतिदिन की हो। इसके लिए 3 करोड रुपये की आवश्यकता होगी। इस संयंत्र के लिए हम धन की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो सरकार चाहेगी कि उत्पादन हो। स्पेज इस्पात बनाने के लिए हमने विभिन्न राज्य निगमो को छः लाइसेंस दिए हैं परन्तु खेद है कि किसी राज्य सरकार ने कोई प्रभावी कदम इस दिशा मे नहीं उठाया है, सिवाय गुजरात में जहां कुछ कदम उठाए गए हैं। जहां स्पंज इस्पात बनाने

का प्रयास किया जा रहा है। स्पंज लोहे के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण वस्तु प्राकृतिक गैस है न कि गैर–कोकिंग कोयला। आन्ध्र प्रदेश सरकार भी इस बारे में कुछ कार्यवाही कर रही है और हम आन्ध्र प्रदेश को तकनीकी जानकारी तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करके उनकी सहायता कर रहे हैं।

श्री वसंत साठे : राष्ट्रीय हित की परियोजना के प्रति मंत्री महोदय के सहानुभूतिपूर्वक रवैये के लिए मैं इनका आभारी हूं। यह परियोजना पूर्वी क्षेत्र और विशेषकर विहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्पंज लोहे के लिए लघु इस्पात संयंत्र से रोजगार सम्भाव्यता बढ़ेगी।

मंत्री महोदय ने कहा है कि इस प्रक्रिया का परीक्षण किया जा चुका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार प्रस्तावित प्रायोगिक संयंत्र की स्थापना करेगी। मंत्री महोदय ने आपने वक्तव्य में कहा है कि जमशेदपुर के प्रायोगिक संयंत्र में इस क्षेत्र के कच्चे माल के नमूने के परीक्षण से प्राप्त परिशद्ध परिणामों के आधार पर इसकी सिफारिश की गई थी। सरकार अन्य प्रायोगिक परियोजना की प्रतीक्षा क्यों कर रही हैं? सरकार इस प्रक्रिया पर आधारित लघु संयंत्र क्यों नहीं स्थापित करती?

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, बल्कि हम इसका स्वागत करेंगे। यह ठीक नहीं है कि वी क्षेत्र में ही सम्भाव्यताएं हैं। सम्भावव्यताएं समग्र देश में हो सकती है और इसलिए हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। हम छः राज्य सरकारों के औद्योगिक निगमों को पहले ही लाइसेंस जारी कर चुके हैं। एन० एम० एल० के वैज्ञानिक डा० आल्टेकर ने बताया है कि वह इस प्रक्रिया को पूर्ण बनाना चाहते हैं। वे यह भी चाहते कि एक प्रायोगिक संयंत्र बनाया जाए। हम सिद्धान्ततः यह मान गए हैं कि 100 टन प्रति दिन की क्षमता वाला एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यदि इसके परिणाम अच्छे निकले तो हमें स्पंज लोहे के उत्पादन के मामले में राज्य सरकार को सहायता करने में प्रसन्नता होगी।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मंत्री महोदय इस्पात प्रोद्योगिकी में अपनी व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रकट कर रहे हैं। मेरा सीधा प्रश्न यह है कि क्या बेलाडिला में लौह चूर्ण इकट्ठा हो रहा है या नहीं और जो बेकार जा रहा है। सरकार इसको किस प्रकार रोकेगी? लौह चूर्ण छोटी पहाडियों में जमा हो रहा है। इसकी मात्रा लौह अयस्क की एक तिहाई है। यह काफी मात्रा में जमा हो रही है। क्या मंत्री महोदय स्पंज लोहे के लघु इस्पात संयंत्र के बारे में सोचने के साथ-साथ बेलाडिला में भी ऐसे संयंत्र की स्थापना पर विचार करेंगी ताकि हम बेकार जा रहे बहुमूल्य लौह चूर्ण का उपयोग कर सकें?

श्री चन्द्रजीत यादव : यह सच है कि बेलाडिला क्षेत्र में काफी मात्रा में बढ़िया किस्म का लौह चूर्ण पड़ा है जो कि चिन्ता का विषय बना हुआ है। इस मामले की जांच की जा रही है। स्पंज लोहे पर आधारित लघु इस्पात संयंत्र इसका हल नहीं है। वास्तविक हल यह है कि देश गुटिका सयंत्र होना चाहिए। हम इसकी स्थापना के लिए गम्भीरता से विचार कर रहे हैं।

बच्चों में अंधेपन के मामले की वृद्धि

*147. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिक बच्चे अंधेपन का शिकार हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके कारणो का पता लगाया है;

(ग) क्या विटामिन ए की अत्यधिक मात्रा देकर बच्चो को अन्धे होने से बचाया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1972–73 में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने देश में अंधेपन का प्रकोप जानने के लिए एक मिला जुला अध्ययन किया। यह अध्ययन सात स्थानो अर्थात् अहमदाबाद, कटक, इन्दौर, मदुराई, नई दिल्ली, श्रीनगर और वाराणसी में किया गया। इसके दौरान जो आंकड़े आदि एकत्र हुए थे उनका विश्लेषण किया जा रहा है। वैसे, मोटे मोटे आंकड़े यह बतलाते हैं कि आठ से चौदह वर्ष तक की आयुवाले बालको में से लगभग हजार के पीछे एक बालक अंधा है। बच्चों में इस अंधपन के मुख्य कारण हैं : (1) ट्रकोमा, आखो को श्लेष्मला का शोध आदि जैसी आंख की बीमारियां, (2) चचक आदि जैसे संक्रामक रोग, (3) आहार में विटामिन 'ए' की कमी, (4) जन्मजात तथा अन्य बातें। विटामिन 'ए' की कमी देश में खासकर 5–7 वर्ष से छोटे बच्चों में काफी मात्रा में पाई जाती है। हाल ही में जो अध्ययन किए गए हैं उनसे यह पता चला कि हर छह महीने के बाद काफी मात्रा में विटामिन 'ए' खाने के लिए देने से बच्चों को स्वच्छ पटल मृदुता (करेटोमलेशिया) से रक्षा की जा सकती है। चौथी पंचवर्षीय योजना में विटामिन 'ए' की कमी के कारण होने वाले अंधेपन से बच्चों की रक्षा करने की एक योजना शुरु की गई थी। शुरु शुरु में यह योजना आन्ध्र प्रदेश , केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, उडीसा और पश्चिम बंगाल में चलाई गई थी जहां विटामिन 'ए' की कमी का प्रकोप सर्वाधिक बतलाया गया था। तदनन्तर, 1973–74 में इसे गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान में और 1974–75 में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी शुरु कर दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत 1 से 5 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को उनके छह साल का होने तक हर छह महीने के बाद विटामिन 'ए' को 2 लाख यूनिटें खाने के लिए दी जाती हैं।

श्री पी० गंगादेव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समाज के निम्न वर्ग के अधिकांश भारतीय बच्चे नेत्र रोग से पीड़ित रहते हैं और कई अंधेपन का शिकार हो जाते हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार 7 वर्ष से कम उम्र वाले स्कूली छात्रों को मध्यान्ह भोजन के साथ विटामिन 'ए' देने के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं शुरु करने का है ?

डा० कर्ण सिंह : वस्तुतः हम जिला स्तर के नीचे कार्य कर रहे हैं। 4 राज्यो के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बच्चों को विटामिन 'ए' देने का कार्यक्रम शुरु किया गया है और इस वर्ष इस आयवर्ग के लगभग 90 लाख बच्चे इससे लाभान्वित होंगे जो कुल बच्चों का 10 प्रतिशत है। हमें आशा है कि पांचवी योजना के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो के माध्यम से अधिक अनुपात में बच्चे लाभान्वित होंगे।

श्री पी० गंगादेव : क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि–सहायता के अन्तर्गत दक्षिण क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में विटामिन ए की सप्लाई की जा रही है और यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि भारत के अन्य भाग भी इससे लाभान्वित हो सकें? क्या सरकार द्वारा वनस्पति घी निर्माताओं को विटामिन 'ए' और डी को मिश्रित करने के बारे में अपने निदेशो को क्रियान्वित करने के बारे में भी निर्णय किया गया है क्योंकि ये निर्माता विनिर्देशों के अनुरुप विटामिन ए और डी का मिश्रण नहीं कर रहे?

डा० कर्ण सिंह : जहां तक संयुक्त राष्ट्र अन्तरराष्ट्रीय आपात बाल निधि सहायता का प्रश्न है इसके अंतर्गत मूल अर्हताएं पूरा करने वाले सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आ जाते है। मेरे विचार में यह योजना केवल दक्षिण तक सीमित नहीं है। जहां भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किसी विशिष्ट स्तर पर पहुंच जाते है, हमें संयुक्त राष्ट्र आपात बाल निधि सहायता प्राप्त होती है। वनस्पति घी निर्माताओं के मामले में हम कृषि मंत्रालय से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

डा० कैलास : मंत्री महोदय ने अभी अभी बताया है कि उन्होंने काफी बच्चो को कार्यक्रम में शामिल किया है और आगामी कुछ वर्षों में लगभग 9 करोड बच्चों को शामिल किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि किस संस्था के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। बच्चों को अस्पतालो के माध्यम से अथवा विद्यालयो के माध्यम से विटामिन ए सप्लाई किया जाता है?

डा० कर्ण सिंह : दोनों सस्थाएं यह कार्य करती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो और उप-केन्द्रो के माध्यम से यह कार्य किया जाता है। समाज कल्याण विभाग के अधीन बाल वाडी संस्थाए भी ये कार्य करती हैं। अधिकांश बच्चे एक से 5 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं।

Shri Ramavatar Shastri : Deficiency of Vitamin is found among most of the children of the poor people and Jhuggi dwellers. Keeping this in view whether Government will set up special health units in such areas? He has stated in the statement that two lakh units of vitamin A will be supplied. May I know whether arrangements would be made to cover such children also.?

My second question is whether it is a fact that use of Dalda causes blindness and if so, the steps proposed to be taken to check the same?

Dr. Karan Singh : It has been rightly said that deficiency of vitamin A is found among a most of the children of lower strata of society. We are making efforts to cover children of rural areas through Primary Health Centres. So far as question of slums and Jhuggi dwellers is concerned, it is a complicated question and I feel that special attention is to be paid in this direction. Two to four months ago a meeting was held in this connections and within two months members from all states are going to meet for joint council. We are placing this question before them and request them to pay special attention towards these classes.

So far as question of blindness due to use of Dalda is concerned. there is no such scientific revelation.

Shri Ram Sahai Pandey : It lacks vitamin. content.

Dr. Karan Singh : That is another question. It can be increased We have no such information that use of Dalda causes blindness.

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने अपने विवरण मे दूर्भाग्यपूर्ण स्थिति के कारणों तथा उपचारात्मक उपायों का व्यापक बनाने के लिए की जा रही कार्यवाही का उल्लेख किया है। क्या यह सच है कि गुजरात जहां गम्भीर सूखा पडा है जैसे राज्य में उपचारात्मक कार्यवाही किए जानेके बावजूद इस प्रकार न केवल बच्चे बल्कि वयस्क भी अंधेपन का शिकार होते जा रहे हैं? स्थिति का उपचार करने और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों एवं पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों के बारे में सरकार क्या विशेष कार्यवाही कर रही है?

डा० कर्ण सिंह : जहां तक सूखा सहायता का प्रश्न है, सहायता कार्यक्रम तैयार कर लिए जाने पर विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। वैदिक उक्ति है सर्वेंद्रियाणाम् नयनम् प्रधानम्। नेत्र ईश्वर का दिया हुआ बहुमूल्य तोहफा है और यह बडी दुःख

की बात है कि हर वर्ष विटामिन ए की कमी के परिणामस्वरुप 14–15,000 बच्चे अंधे हो जाते हैं। सरकार अंधेपन को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरु करना चाहती है और इस मामले में सरकार राज्यों से सहयोग चाहती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बच्चों को कुल कितनी खुराक दी जाती है? दूसरे, क्या अस्पतालों में बच्चों के इलाज की व्यवस्था के लिए सरकार के पास कोई द्रुत कार्यक्रम है? प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नेत्र चिकित्सक नहीं है। ये केन्द्र उनकी सहायता नहीं करते।

डा० कर्ण सिंह : इसके दो पहलू हैं। हाल की वैज्ञानिक उन्नति के परिणामस्वरुप हम वर्ष में दो बार 2 लाख 'आई० यू०' प्रोत्साहन खुराक देते हैं। पहले पांच वर्षों में बच्चों को वर्ष में दो बार विटामिन ए का दिया गया एक चम्मच काफी हद तक अंधेपन को रोक सकता है। वह एक रोचक उन्नति है और हम इसको विकसित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए दूसरे प्रश्न का संबध है, यह सच है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में यदा-कदा नेत्र चिकित्सक होते हैं। उन्हें या तो जिला अस्पतालों में जाना पड़ता है अथवा फिर महानगरीय अस्पतालों में मेरे विचार में कोई शीघ्र आरंभ की जाने वाली योजना नहीं है लेकिन विशेष नेत्र अस्पताल हैं और हम उपलब्ध राशि से उनकी सहायता करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बच्चों को दिए जाने वाले युनिटों के बारे में आपका क्या विचार है?

Shri Jagannath Mishri : A number of reasons have been given for blindness among children of weaker sections. I would like to know whether smoking, which is common among poor children, is not the reason for blindness and if so, whether Anti-Smoking legislation will be implemented in a proper way?

Dr. Karan Singh : So far as my knowledge goes, children below 5 years of age do not smoke.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Shortage of Staff in Willingdon and Safdarjang Hospitals, New Delhi

***148. Shri M. C. Daga :** Will the **Minister of Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether C. G. H. S. beneficiaries cannot get benefit due to shortage of staff in Willingdon and Safdarjang Hosptials, New Delhi and they have to go to these hospitals time and again for days together and also wait there for hours; and

(b) if so, the steps proposed to be taken to improve this situation?

The Minister of Health and Family Piannig (Dr. Karan Singh) : (a) & (b) No such complaints appear to have been received recently. Marginal shortage of staff, if any, are made up by General Duty Medical Officers with post-graduate qualifications.

औद्योगिक संबंध आयोग

***149. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विवादों पर न्याय–निर्णय करने के लिए एक राष्ट्रीय औद्योगिक संबंध आयोग स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) प्रस्तावित औद्योगिक संबंध विधेयक के संदर्भ में यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

महिलाओं और बच्चों को रोजगार

***150. श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं और बच्चोंके रोजगार की समस्या का गहराई से निरन्तर अध्ययन करने के लिए सरकार का विचार एक एकक स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

मालवाहक स्टीमर "विश्व आनन्द" का चलना बन्द किया जाना

***151. श्री मधु दण्डवते** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966, 1968 और 1973 में सरकार द्वारा नियुक्त उच्च अधिकार प्राप्त समितियों की सिफारिशों की अवहेलना पर कलकत्ता, मद्रास और विशाखापट्नम से अन्दमान और निकोबार द्वीप समूहों को टिम्बर और खाद्य सामग्री ले जाने वाले मालवाहक स्टीमर "विश्व आनन्द" का चलना बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मालवाहक–सेवा को बन्द किये जाने से द्वीपसमूह की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पडा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) नौवहन उप समिति और अंतर्विभागीय समिति ने जिनका गठन भारत सरकार ने क्रमश : 1966 और 1968 में किया एम० वी० "विश्व आनन्द" के बारे में कोई सिफारिश नहीं की। केवल सितम्बर 1973 में हुई अन्तर्विभागीय बैठक में इस बात पर सहमति हुई कि 1973 के अन्त तक एम० वी० "निकोबार" के स्थान पर निगम क अपने बेडे से एम० वी० "विश्व आनन्द" रखा जाए। यह जहाज बाद में दिसम्बर 1974 में मुख्य भूमि अंदमान सेवाओं से हटा लिया गया।

(ख) और (ग) निगम ने जहाज को अंदमान सेवाओं से हटा लिया क्योंकि यह पाया गया कि अन्य तीन जहाज अर्थात् एम० वी० "अंदमान", एम० वी० "स्टेट आफ हरियाणा" और एम० वी० "शोमपेन" जो इस क्षेत्र में पहले ही चल रहे हैं, इन जहाजों में उपलब्ध स्थान के सदुपयोग से वर्तमान यातायात की पर्याप्त सेवा कर सकते हैं। अतः एम० वी० "विश्व आनन्द" को हटाने से द्वीप की अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पडेगा।

बोकारो इस्पात संयंत्र को कोक कर कोयले की सप्लाई

*152. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री हरी सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र की दूसरी धमन भट्टी के लिए कोक कर कोयला अपेक्षित मात्रा में सप्लाई करने के सम्बन्ध में ऊर्जा मंत्रालय तथा भारत कोकिंग कोल लि० ने अपनी असमर्थता व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में किन उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर में की गई जबरन छुट्टी के लिए मुआवजा

*154. **श्री रोबिन सेन :** क्या **श्रम** मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कानपुर के मिल मालिकों के इस निर्णय की ओर दिलाया गया है कि विद्युत की अनुपलब्धता के कारण की गई जबरन छुट्टी के लिए वे कोई मुआवजा नहीं देंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) अनुमानत : संकेत उत्तरी भारत के नियोजकों की एसोसिएशन द्वारा नवम्बर, 1974 में दिए गए उस निदेश की ओर है जिसके अनुसरण में, बताया जाता है, उत्तर प्रदेश की कुछ कपडा मिलों के प्राधिकारियों ने कडाई से उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार जबरी छुट्टी के प्रतिकर का भुगतान करने का निर्णय किया। अधिनियम में अन्य बातों के साथ साथ यह व्यवस्था है कि पहले 45 दिनों के बीत जाने पर जबरी छुट्टी प्रतिकर देय होगा; यदि जबरी छुट्टी की अवधि पहले 45 दिनों के बाद लगातार एक सप्ताह या इससे अधिक हो। उत्तर प्रदेश सरकार, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत इस मामले में समुचित सरकार है; की रिपोर्ट तारीख 7 दिसम्बर, 1974 के अनुसार जबरी छुट्टी से प्रभावित हुए श्रमिकों को कानून के अन्तर्गत स्वीकार्य प्रतिकर दिया जा रहा है और यह कि यदि कानूनी उपबन्धों के उल्लंघन के बारे में विशिष्ट शिकायतों को यदि कोई हों, राज्य सरकार के ध्यान में लाई गई तो राज्य औद्योगिक संबंध तन्त्र चूककर्ता निषोजक/नियोजकों के विरुद्ध कानून के अन्तर्गत देय राशियों को वसूल करने के लिए कानूनी कार्यवाही करेगा।

श्रमिक असन्तोष

*155. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान श्रमिक असन्तोष में वृद्धि या कमी हुई है ;

(ख) तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और वे प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, जिनमें परिवर्तन दखा गया है ; और

(ग) इससे उत्पादन और अर्थ-व्यवस्था पर सामान्यतः क्या प्रभाव पडा है ?

3—10 LSS (ND)/75

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : उपलब्ध सूचनानुसार, 1974 के दौरान हड़तालों और तालबंदियों के कारण हानि हुए श्रम दिनों की संख्या 312.7 लाख (अनंतिम) थी, इसकी तुलना में, 1973 के दौरान यह संख्या 206.3 लाख थी। 1974 के दौरान जिन राज्यों में हानि हुए श्रम दिनों में खास वृद्धि हुई वे थे, महाराष्ट्र जहां 1974 के दौरान हड़तालों और तालाबंदियों के कारण हानि हुए श्रम दिनों की संख्या 1973 की तुलना में लगभग 3 गुना थी (लगभग 36 लाख) और पश्चिम बंगाल, जहां वर्ष 1974 के दौरान हानि हुए श्रम दिनों की संख्या 1973 के आंकडों से लगभग दुगनी थी (लगभग 59 लाख)। जहां तक उत्पादन में हुई हानि का संबंध है, उपलब्ध सूचनानुसार, 1227 (2,514 में से) मामलों के संबंध में, जिनके संबंध में सूचना तत्काल श्रम ब्यूरो, शिमला के पास उपलब्ध है, उत्पादन की हानि का मूल्य 72.18 करोड़ रुपये था।

घाटे में चल रही भारत गोल्ड माइन्स

*156. **श्री सरजू पांडे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गोल्ड माइन्स घाटे में चल रही है।

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या रही ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) :(क) और (ख) सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दायित्वों के कारण कोलार स्वर्ण क्षेत्र से पैदा कुल सोने को, जिसके उत्पादन का काम 1-4-1972 से भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को सौंपा गया है, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के स्वर्ण-मूल्य पर, इस तथ्य के बावजूद कि सोने का देशी और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य काफी अधिक है, भारत सरकार को बेचना होता है। मुख्यत: इसी कारण, पिछले वर्ष (1971-72) में भी, जबकि ये खानें विभाग द्वारा चलाई जा रही थीं, 4.89 करोड़ रुपए का राजस्व -घाटा हुआ। इन खानों को भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को सौंपते समय, तदनुसार, सरकार ने उत्पादन लागत को ध्यान में रख कर अंतर की क्षतिपूर्ति के लिए भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को अलग से सहायता देने की सहमति व्यक्त की थी। विगत पूरे दो वर्षों के परिणाम क्रमशः 58 लाख रुपये तथा 162 लाख रुपए के घाटे के रूप में रहे, जो क्रमशः 4.25 करोड़ रुपए तथा 4 करोड़ रुपए की सहायता के बाद था।

(ग) वित्तीय परिणामों में सुधार की दृष्टि से कम्पनी ने खानों के आधुनिकीकरण विस्तार विविधिकरण तथा नए अयस्क स्रोतों की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए हैं ताकि उत्पादन में वृद्धि लागत में कटौती और घाटे में कमी की जा सके।

कर्नाटक में हरिजनों में रहस्यमय रोग

*157. **श्री जी० वाई० कृष्णन्**
श्री के० मालन्ना

क्या **स्वास्थ्य और परिवार** नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जनवरी, 1975 के "डेली ऐक्शन' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि डाक्टर एक ऐसे 'रहस्यमय रोग' का पता नहीं लगा सके हैं जिससे कर्नाटक में शिमोगा जिले के सागर तालुक में लगभग 150 व्यक्तियों को, अधिकांशतः महिलाओं को, कमर से नीचे के अंग में लकुआ हो गया है

(ख) यदि हां, तो क्या इस रोग से ग्रस्त सभी व्यक्ति हरिजन हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में अपना सहयोग दिया है और यदि हां, तो उसका स्वरुप क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एक ऐसे रोग के बारे में रिपोर्ट मिली हैं जिसका निदान नहीं हो सका है।

(ख) जी नहीं।

(ग) केन्द्रीय सरकार इस रोग को पूरी तरह जांच करने के लिए वाइरस अनुसंधान केन्द्र पूना के माध्यम से हर संभव सहायता दे रही है।

राइफल एण्ड मैटल एण्ड स्टील फैक्टरी कैन्टीन वर्कर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी से कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने के बारे में ज्ञापन

*158. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को राइफल एंड मैटल एण्ड स्टील फैक्ट्री कैनटीन वर्कर्स यूनियन के जनरल सैक्रेटरी से कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग करनेवाला कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां श्रीमान्।

(ख) रक्षा प्रतिष्ठानों में केन्टिन कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध कतिपय लाभ मंजूर करने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्रमिक सलाहकार बोर्ड, पश्चिम बंगाल

*159. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या कारखानों से निकाले गये श्रमिकों, कब्जा किए गए यूनियन कार्यालयों को वापस करने और मजदूर संघ कार्यकर्ताओं पर आक्रमण रोके जाने के बारे में पश्चिम बंगाल श्रमिक सलाहकार बोर्ड के सर्वसम्मत निर्णयों को विशेष रूप से टैक्समैको कार्टर पूलर में, जिनका प्रबंध अभी हाल में सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, क्रियान्वित नहो किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) एक विवरण सदन की मेज पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ग) अनुमानतः संकेत राज्य श्रम मंत्री के साथ ट्रेड यनियन नेताओं, जिन्हें राज्य श्रम सलाहकार बोर्ड में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, कि 19 अक्तूबर, 1974 को हुई बैठक में हुए

मतैक्य की ओर है। यह मामला राज्य क्षेत्राधिकार में आता है। कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल की सरकार से प्राप्त रिपोर्ट नीचे उद्धृत की जाती है :—

"19 अक्तूबर, 1974 को ट्रेड यूनियन नेताओं, जिन्हें राज्य श्रम सलाहकार बोर्ड में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, के साथ श्रम मंत्री की हुई बैठक का मतैक्य नीचे उद्धृत किया गया है :—

1. यह बैठक सर्व सम्मति से, श्रमिकों और ट्रेड यूनियन नेताओं पर हुए हमलों और बल प्रयोग द्वारा ट्रेड यूनियनों पर किए गए कब्जे की निंदा करती है।

2. जिन श्रमिकों को, उनके नियंत्रण से परे कारणों की वजह से जबरी अनुपस्थिति के लिए उनके नियोजकों द्वारा बर्खास्तगी या सेवा समाप्ति के नोटिस दिए गए हैं, उनका अपनी सेवाओं में अपना लियन बना रहना चाहिए और उन्हें अपने पदों पर बहाल किया जाना चाहिए और सेवा समाप्ति या बर्खास्तगी के आदेश, यदि कोई हों तो, रद्द किए जाने चाहिए।

3. यूनियनों के ऐसे कार्यालयों को, जिन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, तत्काल खाली कर दिया जाना चाहिए और पहले की यूनियनों के प्रतिनिधियों को उन यूनियन कार्यालयों से काम करने देना चाहिए।

4. श्रमिकों और ट्रेड् यूनियन नेताओं पर शारीरिक आक्रमण तत्काल बन्द किया जाना चाहिए और श्रमिकों को अपने अपने काम के स्थान पर कार्य के लिए उपस्थित होने से रोका नहीं जाना चाहिए। सभी संबंधित पक्षों के ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों की पूर्ण हिफाजत और सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

ऊपर मद संख्या 4 पर उद्धृत किए गए मतैक्य की कार्यान्विति मुख्यत: ट्रेड यूनियन कार्य कर्ताओं की स्वयम् अपनी जिम्मेवारी है। राज्य सरकार के विधि और व्यवस्था संबंधी प्राधिकारी, ट्रेड यूनियन नेताओं और कर्मकारों की हिफाजत और सुरक्षा के लिए हमेशा उसी प्रकार उचित कदम उठाते हैं जैसे कि वे राज्य के अन्य सभी निवासियों के संबंध में उठाते हैं।"

इस संबंध में शिकायते, यदि कोई हों, संबंधित राज्य प्राधिकारियों को भेजी जा सकती हैं। श्रम मंत्रालय ने भी इस मामले को राज्य सरकार के ध्यान में ला दिया है।

इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन उपक्रमों के प्रबन्ध में कर्मचारियों को शामिल करना

*160. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालयो के अधीन विभिन्न उपक्रमों के प्रबंध में सभी स्तरों पर कर्मचारियों को अधिक संख्या में शामिल करने के बारे में कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) और (ख) ऐसा विचार है कि इस्पात कारखानों तथा दूसरे उपक्रमों म विभिन्न स्तरों पर मजदूरों को भागीदारी में वृद्धि की जाए। इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

Gwalior Bhind Road

1401. Shrimati V. R. Scindia : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) the scheme of Government to widen the Gwalior-Bhind Road in view of increase in traffic on Gwalior-Kanpur Road following the construction of the Chambal Bridge; and

(b) the steps being taken to ensure that the widening work is completed before the monsoons set in ?

The Minister of State in the Ministry of Shpping and Transport (Shri H. M. Trivedi) : (a) and (b) The Gwalior-Bhind road is a State road. All mattors pertaining to its development including its widening, where necessary fall, therefore, within the sphere of State activities. The issues raised in the questions have therefore, to be taken up with the State Government.

ईरान सरकार के लिये भारतीय इंजीनियरों का चयन

1402. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण और आवास मंत्रालय के पास ईरान सरकार के लिये 500 भारतीय इंजीनियरों की मांग आई हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा ईरान सरकार को दिये जा रहे इंजीनियरों के चयन का तरीका क्या है?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) जी नहीं। लेकिन ईरान में लगभग एक सौ सडक निर्माण इंजीनियरों की आवश्यकता का संकेत दिया है। विशेषज्ञों की सूचियां तैयार करने के लिए उनके काम की आवश्यकता को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही है ताकि ईरान सरकार विशेषज्ञों को चुन सके।

पश्चिम बंगाल की योजनाओं को केन्द्रीय क्षेत्रमें शामिल करना

1403. **श्री टुना उरांव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी० एम० डी० ए० और दार्जिलिंग विकास योजना के अन्तर्गत दूसरे हावड़ा पूल की योजना को केन्द्रीय क्षेत्र में शामिल किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी-9032/75**]

कोचीन में दक्षिणी नौसेना कमान की स्थापना

1404. **श्री वयालार रवि** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर क्षेत्र के बढ़ते हुए सामाहिक महत्व को देखते हुए कोचोन में दक्षिणी नौसेना कमान का प्रधान कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) फ्लैग अफसर कमांडिग, दक्षिणी नौसना क्षेत्र पहले ही कार्य करता है जिसका मुख्यालय कोचीन में है।

आन्ध्र प्रदेश में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास

1405. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास करने हेतू किसी योजना को अन्तिम रूप दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनको किस प्रकार को सहायता दी जायेगी ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजनावधि तक ईसागांव, आदि में किए गए पुनर्वास के अतिरिक्त, पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य में पूर्वी पाकिस्तान के लगभग 1,000 प्रवासी परिवारों को बसाने का प्रस्ताव है। जब और जैसे राज्य सरकार द्वारा भूमि दी जाएगी उन्हें कृषि में बसाने के लिए उपर्युक्त योजनाएं तैयार की जाएंगी। परिवारों को गैर–कृषक व्यवसायों में बसाने के लिए राज्य सरकार से विशिष्ट योजनाएं तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) प्रवासी परिवारों को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित सामान्य पद्धति के अनुसार पुनर्वास सहायता प्रदान की जाएगी।

अशोक चक्र विजेताओं के नाम, पते तथा उनको दी गई सुविधायें

1406. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक चक्र पुरस्कार संस्थापित करने के पश्चात्, अशोक चक्र विजेताओं के नाम और घर के पते क्या हैं, और

(ख) इस पुरस्कार के पाने वालों को सरकार द्वारा क्या सुविधायें दी गयी हैं।

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) अशोक चक्र संस्थापित किए जाने के पश्चात् इस पुरस्कार को पाने वालों के नाम और घर के पते निम्नलिखित हैं :—

नाम	घर के पते
1. 13730 हवलदार बचित्तर सिंह 2 सिख (मरणोपरांत)	ग्राम तथा डा० मोगा, जिला फिरोजपूर, पंजाब
2. 10341 नायक नरबहादुर थापा, 5 जी आर	ग्राम खेरबारी, थम बागन्स, तहसील तथा जिला मलपा, नेपाल
3. फ्लाइट लेफि० सुहास विसवास, (2883) एफ पी (जो अब जीवित नहीं है)	11, क्रेक रो, अपर फ्लेट, कलकत्ता–14 पश्चिमी बंगाल
4. कैप्टन डो० के० जथार, कमांडर ऐ आई० आई०सी० सी० 'कश्मिरप्रिंसिस' (मरणोपरांत)	उमा निवास, प्लाट नं० 134/3–4, नजदीक महाराष्ट्र इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड कालोनी, पुना–7
5. 15103 लां/नायक सुन्दर सिंह 4 जे एण्ड इन्फेंट्री	चौकी हंडन, डा० नौशहरा, जि० पूंछ, जम्मू तथा कश्मीर

नाम	घर के पत्ते
6. ले० कर्नल जे० आर० चिटनीस, (आई० सी०– (आई० सी० 3472),1/3 जो आर (मरणोपरांत)	250 तलंग रोड, बम्बई –19
7. 2/लेफि० पी० एम० रमन(7415) सिख लाइट इन्फेंट्री (मरणोपरांत)	द्वारा श्रीमती मुथुस्वामी, (माता) मायलापुर, मद्रास–4
8. 18576 हलवदार जोगिन्दर सिंह 2 सिख (मरणोपरान्त)	ग्राम दातेवस, डा० डुडलाडा, जिला भटिंडा (पंजाब)
9. कैप्टन इरिक जेम्स टक्कर, (आई० सी० –5034), मराठा लाईट इन्फेंन्ट्री (मरणोपरांत)	142. छगन निवास सेंट पाल स्ट्रीट दादर, बम्बई 400014
10. कैप्टन मन बहादुर राय(आई० सी० 5261), (एम०सी०) आई०डी०एस०एम०,11जी०आर०	डोहिल, हिल रोड, पुलिस स्टेशन कुरोओंग जिला दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)
11. 30305 सुबेदार मेजर के० बो०लिम्बु, असम राइफिल्स (मरणोपरांत)	मन्त्री पुखरी, इम्फाल, मणिपुर
12. श्री तेज सिंह (मरणोपरांत)	ग्राम चरहला, जिला मोरेना (मध्य प्रदेश)
13. श्री चमनलाल (मरणोपरांत)	द्वारा श्रीमती आशा रानी (विधवा) हस्पताल आग्रा, रेलवे हस्पताल, 'बी' ब्लाक अमृतसर,
14. श्री लाजाराम (मरणोपरांत)	ग्राम छुरेला, जिला मोरेना (मध्य प्रदेश)
15. श्री पुरुषोत्तम (मरणोपरांत)	,,
16. श्री शंकरलाल (मरणोपरांत)	ग्राम मुदेरी, मध्य प्रदेश
17. श्री हुकुम सिंह	ग्राम गोअर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश
18. श्री लखन सिंह	
19. श्री गोविंद सिंह	
20. श्री तखत सिंह (मरणोपरांत)	
21. श्री धनपत सिंह	ग्राम खरहटा, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश
22. कैप्टन जस राम सिंह (ई० सी० 53763), 6 राजपूत	ग्राम भवोकरा, डा० थोरा, जिला बुलन्द शहर (उत्तर प्रदेश)
23. श्री बेजनाथ सिंह (मरणोपरांत)	ग्राम चाचोपुरा, जिला भिन्ड, मध्य प्रदेश
24. कैप्टन यू० एस० माहरा (आई० सी० 17696) राज राइफल्स (मरणोपरांत)	ग्राम जनकांडे, डा० खेतोखाँ तहसील चम्पावर्त जिला अलमोडा (उत्तर प्रदेश)
25. श्री भोरे लाल	ग्राम बजरंग गढ़ जिला गुना (मध्य प्रदेश)
26. श्री मुन्नी लाल (मरणोपरांत)	ग्राम विनायकी, जिला सागर, मध्य प्रदेश
27. जे० सी० 47692 नायब सुबेदार गुरनाम सिंह इंजिनिअर्स (मरणोपरांत)	ग्राम तथा डा० भुलर तहसील अजनाला, जिला अमृतसर पंजाब

(ख) पहलो जनवरी, 1972 से पूर्व अशोक चक्र पाने वाले सामान्यत: कोई आर्थिक भत्ता पाने के पात्र नहीं थे अशोक चक्र पाने वाले केवल उन्हीं व्यक्तियों को 40 रुपए प्रति मास आर्थिक भत्ता दिया जाता था जो गरीबी की परिस्थिति में होते थे, अर्थात जिनकी, सभी स्रोतों से वार्षीक आय 5000 रुपए से अधिक नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त सशस्त्र सेनाओं में उन जूनिअर कमीशन अफसर/अन्य रैंक और समकक्ष को भी 50 रुपये प्रतिमास को दर पर आर्थिक भत्ता दिया गया था जिन्होंने नागा पहाडियों को संक्रियाओं में युद्ध की स्थिति में वोरता के कार्यों के लिए अशोक चक्र अलंकरण प्राप्त किया था। पहलो जनवरो 1972 से अशोक चक्र पाने वाले सभो व्यक्तियों को उनके रैंक और आय का विचार किए बिना 90 रुपए प्रति मास की दर पर आर्थिक भत्ता ग्राह्य कर दिया गया है। यह भत्ता अशोक चक्र पाने वाले को और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी विधवा को ग्राह्य है। जब पुरस्कार किसी अविवाहित को मरणोपरान्त दिया जात है तो आर्थिक भत्ता उसके माता पिता को दिया जाता है। पुरस्कार किसी विधुर को मरणोपरांत दिए जाने के मामले में यह भत्ता 18 वर्ष से कम आयु वाले उसके लडके को अथवा अविवाहित लडकी को जैसा भी मामला हो दिया जाता है।

Activities of Smugglers on Bangladesh Border

1407 Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the matter relating to the activities of smugglers was raised during his last visit to Bangladesh; and

(b) if so, the reaction of Government of Bangladesh in regard thereto ?

The Deputy Minister In The Ministry of External Affair (Shri Bipinpal Das) : (a) Yes, Sir. Bangladesh was apprised of the measures taken by the Government of India to prevent smuggling on the Indo-Bangladesh border.

(b) Bangladesh Government expressed appreciation of the measures taken by the Government of India. Both sides agreed to consider further measures, as necessary, independently or jointly to check the common menace of smuggling.

Stay of Passengers Travelling from Leh to Srinagar at Kargail

1408. Shri. Kushok Bakula : Will be Minister of **Shipping And Transport** be pleased to state:

(a) whether there is no satisfactory arrangement at Kargil for the stay of passengers travelling from Leh to Srinagar; and

(b) the time by which such arrangements will be made and the outlines thereof?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H. M. Trivedi) : (a) & (b) The information required is being collected from the Government of Jammu and Kashmir and will be laid on the table of the Sabha when it is received.

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का रोजगार और विकास कार्यक्रम

1409. श्री धामनकर : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन रोजगार और विकास कार्यक्रम की सार्वजनिक निर्माण कार्यों की योजना और प्रशासन संबंधो अन्तर्क्षेत्रिय परियोजनाओं में भाग लेना सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ; जिन क्षेत्रों में कार्यक्रम लागू किया जाएगा उनके नाम क्या हैं तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत किस प्रकार की विदेशी सहायता उपलब्ध होने की सम्भावना है ; और

(ग) प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) यह प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है। इस मामले में संबंधित मंत्रालयों / विभागों से परामर्श किया जा रहा है। इस समय योजना का अन्तिम रूप बताना संभव नहीं है ।

"मिनरल्स डाटा बैंक"

1410. श्री सी० जनार्दनन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक 'मिनरल्स डाटा बैंक' स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा उद्देश्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित राष्ट्रीय अर्थ–साइंस डाटा सेंटर, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो, राज्यों के भूतत्व तथा खनन विभागों, विश्वविद्यालयों. सरकारी प्रतिष्ठानों आदि से सूचनाएं एकत्र करेगा तथा सामान्यत: भूमिविज्ञानों के संबंध में और विशेषतया खनिज संसाधनों के संबंध में सूचनाओं के संचय सुधार और प्रसार का काम करेगा।

दिसम्बर, जनवरी तथा फरवरी में विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा भारत की यात्रा

1411. श्री अनन्तराव पाटिल : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1974, जनवरी, तथा फरवरी 1975 के पहल दो सप्ताहों के दौरान कितने विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों ने भारत की यात्रा की तथा सरकार के साथ बातचीत की और कितने संयुक्त वक्तव्य किन देशों के साथ जारी किये गये और किस प्रकार के करारों पर हस्ताक्षर किये गये ; और

(ख) जहां तक हमारे पडोसी देशों का संबंध है, तथा पाकिस्तान, बंगलादेश, बर्मा नेपाल तथा चीन इनके साथ अधिक घनिष्ठ तथा मैत्रिपूर्ण संबंध स्थापित करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं तथा हमें कहा तक सफलता मिली है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है 20 विदेशी विशिष्ट व्यक्ति भारत आए और उन्होंने विभिन्न स्तरों पर वार्ताएं कीं। इनमें से कुछ यात्राओं की समाप्ति पर संयुक्त वक्तव्य या विज्ञप्ति जारी की गई थीं जो समय समय पर अखबारों में प्रकाशित हुई। जिन करारों पर हस्ताक्षर हुए उनमें आर्थिक, सांस्कृतिक, संचार, यात्रा आदि से संबद्ध करार भी शामिल हैं।

(ख) पडोसी देशों के साथ विद्यमान मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी संभव प्रयत्न किये गए हैं जिनमें उच्च स्तर के अधिकारियों का आना–जाना, विज्ञान और प्रोद्योगिकी में सहयोग तकनीकी सहायता, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग आदि भी शामिल हैं। जुलै 1972 के सिमला समझौते के क्रियान्वयन की दिशा में दोनों देशों के संबंध सामान्य एवं अच्छे बनाने के लिए हमने पाकिस्तान के साथ अनेक करारों पर हस्ताक्षर किये इनमें डाक तथा दूर संचार सम्पर्क यात्रा, व्यापार, जहाजरानी और बैंकिंग से संबद्ध करार भी शामिल हैं ।

Officers of Hindustan Zinc Limited on Foreign Tour

1412. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Steel And Mines** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 3299 on the 5th December, 1974 regarding alleged inquiry by CBI against Manager, Hindustan Zinc Limited, Rajasthan and state:

(a) the period for which the three officers of the Hindustan Zinc Limited, Rajasthan stayed in each country during their foreign tour; and

(b) the total expenditure incurred thereon ?

The Deputy Minister in The Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) The period for which the three officers stayed in each country is indicated below:

	Shri A.N. Banerjee, Chairman-cum-Managing Director	Shri J. L. Tandon, Planning Engineer.	Shri K.S. Nalwaya, Planning Engineer.
		(in days)	
Switzerland	4	..	..
West Germany	8	7	3
France	14	10	13
Belgium	..	3	..
Holland	..	3	2
England	..	2	2
Italy	..	..	5
	26	25	25

(b) The total expenditure incurred is Rs. 61,265. This includes refund on unutilised tickets expected from Air India.

Benefit of Labour Laws to Emplyees of Drug Companies

1413. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the **Minister Of Labour** be pleased to state:

(a) whether medical representatives working in various drug companies have demanded that the benefits of labour laws should be extended to them also; and

(b) if so, Government's reaction therto?

The Deputy Minister in The Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b) The Associations of Medical Representatives have represented to Government from time to time, demanding coverage under the Industrial Disputes Act 1947. The matter is under active consideration of the Government.

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों की मांगें

1414. **श्री एम० एम० जोजफ : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफरदरजंग अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने 24 घंटे की बारी-बारी से (रिले) भूख हड़ताल की थी ;

(ख) क्या उनकी मांगों में धुलाई भत्ता, रिहायशी स्थान, जोखिम भत्ता तथा प्रत्येक श्रेणी के लिए सलैक्शन ग्रेड भी शामिल हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए।

(ग) इन कर्मचारियों के कुछ प्रतिनिधि 14-2-75 को स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप-मंत्री को मिले। उनकी मांगों की स्थिति उनको समझा दी गई थी। बैठक का सन्तोषजनक निष्कर्ष निकल जाने पर कर्मचारियों ने अपनी भूख हड़ताल की नोटिस वापस ले लिया।

Unlicenced Chemists and Druggists in Delhi and Other Cities

1415. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Health and family Planning** be pleased to state:

(a) the number of unlicenced chemists and druggists detected in Delhi and other big cities of the country during the last two-three months;

(b) whether this matter has been investigated; and

(c) if so, the results thereof?

The Deputy Minister in The Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha, when received.

ईरान द्वारा पाकिस्तान को टैंकों की सप्लाई की संभावना

1416. **श्री बरके जार्ज : क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी प्रेस के समाचार के अनुसार इस बात की आशा है कि ईरान अन्ततः पाकिस्तान को टैंके सप्लाई कर सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) :(क) और (ख) सरकार ने इस आशय की अखबारी खबरें देखी हैं। पाकिस्तान में किसी भी स्रोत से हथियार पहुंचने के बारे में, जिससे भारत के सुरक्षा हितों का अतिक्रमण होगा, सूचना प्राप्त करने के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठाती है।

विदेशों द्वारा भारत के परमाणु विस्फोट के विरुद्ध प्रचार

1417. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान तथा अन्य देश गत वर्ष भारत द्वारा राजस्थान में किये गये परमाणु विस्फोट का अभी भी विरोध कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त प्रचार का खण्डन करने के लिए क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) उक्त विरोध तथा पाकिस्तान और अन्य देशों द्वारा किए जा रहे प्रचार के प्रति हमारे देश की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) एक पाकिस्तान को छोड़कर, जिसकी घोषणाएं परस्पर विरोधी रही है, बाकी उन सभी देशों में, जहां शुरू-शुरू में कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां की गई थी, हमारे परमाणु विस्फोट परीक्षण के शान्तिपूर्ण स्वरूप को ज्यादा अच्छी तरह समझा जा रहा है ।

(ख) और (ग) परमाणु ऊर्जा का प्रयोग केवल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही करने की अपनी नीति सरकार ने दोहराई है और वह देश के तीव्रतर आर्थिक विकास के लिए अपनी इस नीति पर अग्रसर होने के लिए कृतसंकल्प है ।

लौह अयस्क का ईरान को निर्यात

1418. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 75 लाख मीटरी टन लौह अयस्क ईरान को निर्यात करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) ईरान को दीर्घकालीन आधार पर कर्नाटक राज्य में कुद्रेमुख के स्थान पर विकसित की जा रही एक नई खान से प्रतिवर्ष 75 लाख टन लौह-अयस्क कन्सट्रेट्स का निर्यात करने का प्रस्ताव है । इस प्रस्ताव के ब्यौरे पर अभी ईरान के साथ बातचीत चल रही है ।

सतलुज का भूकम्प से प्रभावित जलग्रहण (कैचमेंट) क्षेत्र

1419. **श्री राम सहाय पांडे** :
श्री हरी सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1975 में हिमाचल प्रदेश में भूकम्प आये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सतलुज के जलग्रहण क्षेत्र के भूवैज्ञानिक विरूपण पर उनका क्या प्रभाव पड़ा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) सतलुज जलग्रहण क्षेत्र में सर्वेक्षण से अब तक किसी प्रकार का क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक विरूपण देखने में नहीं आया है ; हां एक भूस्खलन बांध अवश्य देखने में आया है जो लगभग एक सप्ताह से सुमदो

के ऊपरी करने से 4 कीलोमीटर की दूरी पर स्पीती नदी की सहायक नदी परीछू के आर-पार है। सतलज जलग्रहण के समूचे प्रभावीत क्षेत्र का अभी तक पूरी तरह सवक्षण नहीं हो पाया है और काम जारी है।

संयुक्त व्यापार परिषद्

1420. श्री राज सिंह देव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अमरीका संयुक्त आयोग के आर्थिक तथा वाणिज्यिक उप आयोग कीद्वि-दिवसीय बैठक हाल में वाशिंगटन में हुई थी ;

(ख) क्या उच्च प्राथमिकता वाली औद्योगिक तथा वाणिज्यिक परियोजनाओं में भारत में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों सहित, अपने व्यापार क्षेत्रों के बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क बढ़ाने हेतु एक संयुक्त व्यापार परिषद् स्थापित करने के लिए श्रम आयोग द्वारा कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो संयुक्त व्यापार परिषद् की रचना का ब्यौरा क्या है, उसके निर्देश पद क्या होंगे और वह अब कब से कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी, हां।

(ख) आर्थिक एवं वाणिज्जिके उपाय-आयोग ने संयुक्त व्यापार परिषद् की स्थापना की सिफारिश की है कि उनके व्यापार क्षेत्रों के बीच सीधे सम्पर्क को बढ़ावा दिया जाए जिसमें भारत में उच्च प्राथमिकता वाले औद्योगिक तथा वाणिज्यिक परियोजनाओं में सरकारी क्षेत्र के उद्यम शामिल हैं।

(ग) दोनों सरकारे इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है और भारत अमरीकी संयुक्त आयोग की पहली बैठक में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

भारत की प्रधान मंत्री द्वारा ईराक की यात्रा

1421. श्री एस० ए० मुरुगन्तम : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने ईराक का हाल ही में दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन विषयों पर चर्चा की और क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हाँ। प्रधानमंत्री ने 18 से 21 जनवरी, तक 1975 तक ईराक की राजकीय यात्रा की थी।

(ख) प्रधानमंत्री ने ईराक की क्रांतिकारी कमान परिषद के उपाध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय हित तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया था। इन विशिष्ट विषयों का उल्लेख उस संयुक्त विज्ञप्ति में किया गया है जो इस यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई थी। इस संयुक्त विज्ञप्ति की प्रतिया सूचना के लिए संसद के पुस्तकालय में रखी जा रही है।

प्रधान मंत्री की यात्रा के परिणामस्वरुप, भारत और ईराक के बीच परम्परागत मैत्री संबंद्ध सुदृढ हुए, तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षत्रों में सहयोग और अधिक सुदृढ़ तथा विस्तृत करने के लिए कदम उठाए गए विशेष रूप से आर्थिक तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में।

बम्बई में उद्योगों द्वारा बिजली के उपयोग में कटौती का प्रभाव

1422. **श्री निम्बालकर :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में उद्योगों द्वारा बिजली के उपयोग में की गई 30 प्रतिशत कटौती का प्रभाव श्रमिकों की मजूरी पर भी पड़ेगा ;

(ख) क्या श्रमिकों ने पूरे मुआवजे की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो श्रमिकों की शोचनीय दशा को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) बताया गया है कि राज्य में बिजली की कटौती के परिणाम स्वरुप कुछ कर्मचारियों को भिन्न भिन्न अवधियों के लिए जबरी छुट्टी पर भेजा गया। ऐसे मामलोंमें प्रभावित श्रमिकों को कानून के अन्तर्गत स्वीकार्य जबरी छुट्टी प्रतिकर मिलता है । हाल ही के महीनों में श्रमिकों की ओर से इस आशय के अभ्यावेदन किए गए है कि प्रतिकर की दर को बढ़ा दिया जाना चाहिए। इस मामले पर हाल ही में श्रम मंत्रीयों के सम्मेलन के 24 वें अधिवशन में विचार विमर्श किया गया था और उपर्युक्त सम्मेलन मे हुए विचार विमर्श को ध्यान में रखते हुए इस मामले की और आगे जांच की जा रही है।

जहाज निर्माण कारखानों के लिए तीसरा विशेषज्ञ दल

1423. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि में जहाज निर्माण कारखाने स्थापित करने के प्रश्नों पर विचार करने के लिए सरकार तीसरा विशेषज्ञ दल नियुक्त करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो पहले दो विशेषज्ञ दलों द्वारा दी गई रिपोर्टों का सारांश क्या है, और

(ग) पहले दलों की शिफारिशें न करने के क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग) अधिकारियों के पहले दो कार्य दलों ने विभिन्न तकनीकी तथा आर्थिक पहलुओं की जांच की थी और उनके निष्कर्ष शिफारिशों के रूप में नहीं है जिन्हें एकदम स्वीकार या अस्वीकार किया जा सके। तकनीकी आर्थिक कार्य दल द्वारा उपयुक्त समझे गये वैकल्पिक स्थलों का मामला प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सक्षम विदेशी परामर्श को भेज दिया है ताकि चार वैकल्पिक स्थलों में से दो स्थलों का चयन करना सम्भव हो सके ।

पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों के दर्शन की अनुमति

1424. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिख ब्रदरहुड इन्टरनेशनल के प्रेजीडेंट ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह गुरू नानक भक्त हिन्दुओं को पाकिस्तान स्थित पंजा साहब तथा अन्य गुरूद्वारों के दर्शन की अनुमति के प्रश्न पर पाकिस्तान सरकार से बातचीत करें ;

(ख) क्या उन्होंने 'पासपोर्ट' व्यवस्था को उनके अनुसार अधिक जटिल है, के स्थान पर 'परमिट व्यवस्था' की भी मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सिख तीर्थ यात्री दलों को पाकिस्तान भेजने से सम्बद्ध कुछ अन्य संगठनों ने सुझाव दिया था कि पाकिस्तान जाने वाले तीर्थयात्रियों को यात्रा परमिट के आधार पर होनी चाहिए न कि पासपोर्ट के आधार पर। इस सम्बन्ध में पिछले साल नवम्बर में ननकाना साहिब की यात्रा के बारे में औपचारिक अनुरोध पाकिस्तान सरकार से किया गया था। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान की यात्रा के लिए भारतीय तीर्थयात्रियों के पास वैध-अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट होने चाहिए।

इस्पात निर्माण में कतरनों और बिजली की बचत करने वाली विद्युत आर्क भट्टी

1425. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलाय स्टील प्लान्ट दुर्गापुर ने यह पता लगाया है कि इस्पात निर्माण में विद्युत आर्क भट्टियों से कतरनों और बीजली की बचत की जा सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) मिश्रित इस्पात कारखाने ने आंशिक रूप से इस्पात स्क्रेप के स्थाम पर दुर्गापुर इस्पात कारखाने के डिसिलिकोनाइज्ड तरल कच्चे लोहे के उपयोग के परीक्षण किए हैं। इन प्रयोगों से यह पता चला है कि टनेज इस्पात कारखानों के निकट स्थित चाप-भट्टियों में स्क्रेप और बिजली की खपत में मितव्ययिता की सम्भावना है बशर्ते कि कुछ अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था पर अतिरिक्त पूंजी निवेश किया जाये।

(ख) तीन परीक्षण किए गए थे जिनके मुख्य मुख्य परिणाम नीचे दिए गये हैं :—

(1)	किए गए परीक्षण	3
(2)	स्क्रेप के स्थान पर प्रयुक्त गर्म धातु का प्रतिशत . .	40–45%
(3)	पिघलाई गई धातुएं लो कार्बन, मिडियम कार्बन और बाल बियरिंग स्टील .	
(4)	प्राप्त क्वालिटी	स्टेण्डर्ड
(5)	बिजली की बचत	15–20%

वर्ष 1974 में खोले गये परिवार नियोजन केन्द्र

1426. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष 1974 में भारत में राज्यवार कितने नये परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : सूचना एकत्र की जा रही है।

भारत, बंगला देश और बर्मा के बीच साझी सीमाओं को निर्धारित करने के लिए सम्मेलन

1427. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री हरि किशोर सिंह :
श्री के० मालन्ना :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, बंगला देश और बर्मा के बीच इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर भाग में तीनों देशों की पारस्परिक सीमाओं को निर्धारित करने के लिए कोई सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) भारत, बर्मा और बंगला देश के प्रतिनिधियों की बैठक 5 से 7 फरवरी 1975 तक ढ़ाका में हुई थी और उनमें तीनों देशों के संगम स्थल पर एक स्तम्भ निर्मित करने पर सहमति हुई थी ।

गुजरात में 1974 के दौरान खोले गये औषधालय, अस्पताल और स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन केन्द्र

1428. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री बेंकारिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात राज्य में वर्ष 1974 के दौरान, जिलावार कितने **औषधालय**, अस्पताल और **स्वास्थ्य** तथा परिवार नियोजन केन्द्र खोले गए थे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : भारी थिआक बोझों के कारण सभी राज्य सरकारों को ये हिदायतें दे दी गई हैं कि वे 1974 में कोई नया परिवार नियोजन केन्द्र न खोलें । परिवार नियोजन केन्द्रों के बदले के गुजरात में 1974 में निम्नलिखित प्रसवोत्तर केन्द्र खोले गए हैं :—

(1) जनरल अस्पताल, विस नगर ।

(2) जी० के० अस्पताल, भुज ।

(3) जनरल और सी० एम० जेड़ अस्पताल, जूनागढ़ ।

(4) सर टी० अस्पताल और जी० एम० होम भावनगर ।

(5) सिविल अस्पताल, मेहसाना ।

(6) सिविल अस्पताल गोध्रा (जिला पूष महल) ।

(7) सिविल अस्पताल, पलनपुर (बनस्कांठा)

(8) के० के० अस्पताल, सेवर कुण्डला ।

(9) जनरल अस्पताल, पाटन ।

(10) सिविल अस्पताल, अमरेली ।

(11) एम० सी० जी० अस्पताल, नवासारी (जिला बुलसर)

(12) जिला अस्पताल, अहवा ।

(13) जिला अस्पताल, कैरा ।

गुजरात में 1974 में, खोले गये औषधालयों, अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही उसे दे दिया जायेगा ।

कोयले और नमक की तटीय ढुलाई दरों में वृद्धि

1429. श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले और नमक के लिए तटीय ढुलाई दरों में वृद्धि करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गई है और इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) जहाजों के व्यवहार्य और आर्थिक परिचालन के आधार पर तटीय नौवहन परिचालनों में सुधार करने हेतु दूसरी बातों के साथ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक और लचीली भाड़ा दरों और परिचालन टनभार की व्यवस्था के लिए उचित प्रबंध करने के प्रयोजन से सरकार सारे मामले पर विचार कर रही है ।

कतिपय उद्योगों में आधारभूत न्यूनतम मजूरी

1430. श्री एस० एल० सक्सेना : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न महत्वपूर्ण नगरों में 1 फरवरी, 1975 को इस्पात, कोयला, पटसन, सूतीवस्त्र, सीमेंट तथा चीनी उद्योगों में आधारभूत मजूरी और कुल समस्त मजूरी कितनी थी ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी जाती हैं ।

विवरण

	(पहली नवम्बर, 1974 की स्थिति के अनुसार) रु०
1. सूती कपड़ा	
1. अहमदाबाद	432.27 (अ)
2. बंगलोर	308.00
3. बड़ोदा	406.73
4. बम्बई	404.20
5. कोयम्बेतोर और मद्रास	416.60
6. दिल्ली	413.52
7. इन्दौर	398.80
8. कानपुर	429.68
9. नागपुर	303.62
10. शोलापुर	321.56
11. पश्चिम बंगाल	344.25

(अ)=अनन्तिम

2. जूट

1. उत्तर प्रदेश . . .	1—9—74 से रु० 373.55
2. पश्चिम बंगाल . . .	1—8—74 से रु० 317.25
3. मध्य प्रदेश .	1—8—74 से रु० 297.25
4. बिहार	1—8—74 से रु० 317.25 से रु० 327.25 तक
	18—2—74 से रु० 215.00 (एक जूट मिल में)
5. आन्ध्र प्रदेश . . .	1—1—74 से रु० 72.12 से रु० 235.50 तक
3. **सीमेंट**	रु० 430.30 @ 1-3-1975 से। श्रम मंत्री जी के तारीख 15 अक्टूबर, 1973 के पंचाट के अनुसार देय)।

@मकान किराया भत्ता छोड़ कर।

4. **इस्पात**	रु० 432.40 1-3-1975 से।
	संयुक्त मजदूरी वार्ता समिति द्वारा तैयार किए गए समझौते के अनुसार।
5. **कोयला खानें** . . .	रु० 435 .50 1-3-1975 से।
	11 दिसम्बर, 1974 के समझौते के अनुसार।

6. **चीनी (केन्द्रीय अंचल)** . (गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा)	रु० 212.28	दूसरे चीनी मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार पहली जुलाई, 1974 से देय।
उत्तरी अंचल . . पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम)	रु० 222.28	
दक्षिणी अंचल . . (तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, केरल और मसूर)	रु० 227.28	
महाराष्ट्र .	रु० 236.28	

टिप्पणी : उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा 28 अक्टूबर, 1974 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 301 रुपये प्रति माह की दर से मजदूरी देय है। कुछ अन्य राज्यों में हाल ही में किए गए संशोधन के बारे में ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

ईरान में संयुक्त जहाजरानी कंपनी की स्थापना

1431. **श्री भान सिंह भौरा :**
श्री एस० एन० मिश्र :
श्री पी० वेंकटासुब्बया :
श्री के० लकप्पा :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ईरान के बीच ईरान में संयुक्त रूप से एक जहाजरानी कंपनी स्थापित करने के बारे में समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां।

(ख) इस संयुक्त उद्यम का नाम ईरान-हिन्द नौवहन कम्पनी होगा और इसका प्रधान कार्यालय ईरान में होगा। कम्पनी ईरानी नियमों के अन्तर्गत कार्य करेगी और उसके पहले चरण में 500,000 डी०डब्ल्यू०टी० तक के जहाज प्राप्त करने की सम्भावना है और भारत तथा ईरान के बीच और सुदुर पूर्व के पत्तनों तथा अन्य मार्गों पर, जिन पर दोनों पक्ष निर्णय लेंगे, नौवहन सेवायें चलायेगी। उक्त कम्पनी, जिसमें शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के 49 प्रतिशत और आर्य नेशनल शिपिंग लाइन्स, ईरान के शेष 51 प्रतिशत शेयर होंगे। 500,000 डी० डब्ल्यू० टी० के प्रस्तावित टनभार को प्राप्त करने हेतु ईरान सरकार से सुलभ ऋण प्राप्त करेगी।

इस संयुक्त उद्यम में एक निदेशक बोर्ड होगा, जिसमें छः सदस्य होंगे और जिनमें से तीन का नामंकन प्रत्येक पक्ष करेगा। 2 वर्ष की पहली अवधि के लिए इसका पहला अध्यक्ष एक ईरानी और पहला प्रबन्ध निदेशक एक भारतीय होगा।

कम्पनी के निर्माण की अनुवर्ती कार्रवाई प्रगति में है।

शिक्षित बेरोजगार

1432. **श्री सेजियान :**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डय :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के नवीनतम आंकड़े क्या है ; और

(ख) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में 30-6-74 को दर्ज शिक्षित (मैट्रिक पास और इससे अधिक शिक्षा प्राप्त) नौकरी चाहने वालों की संख्या ।

(हजारों में)

राज्य/संघशासित क्षेत्र	30-6-1974 को संख्या
राज्य	
1. आन्ध्र प्रदेश	251.3
2. असम	45.4
3. बिहार	558.7
4. गुजरात	127.9
5. हरियाणा	82.3
6. हिमाचल प्रदेश	26.7
7. जम्मू-कश्मीर	8.7
8. कर्नाटक	180.4
9. केरल	296.5
10. मध्य प्रदेश	170.1
11. महाराष्ट्र	359.5
12. मणिपुर	11.0
13. मेघालय	3.2
14. नागालण्ड*	..
15. उड़ीसा	99.1
16. पंजाब	106.6
17. राजस्थान	90.9
18. तमिलनाडु	306.0
19. त्रिपुरा	21.9
20. उत्तर प्रदेश	374.2
21. पश्चिम बंगाल	762.6

(हजारों में)

राज्य/संघशासित क्षेत्र	30-6-1974 को संख्या
संघशासित क्षेत्र	
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह* . . .	..
2. अरुणाचल प्रदेश* . . .	.
3. चंडीगढ़ . . .	13.9
4. दादर व नागर हवेली* . . .	..
5. दिल्ली	116.3
6. गोवा, दमन व दीउ . .	10.9
7. लक्षद्वीप	0.6
8. मिजोराम	0.1
9. पांडिचेरी	7.7
अखिल भारतीय योग .	4032.3

नोट :

1. रोज़गार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वाले सभी व्यक्ति अनिवार्यतः बेरोजगार नहीं हैं।
2. दिल्ली में स्थित दो केन्द्रों को छोड़कर विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना और मार्गदर्शन केन्द्रों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

*3. इन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में कोई भी रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

4. पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का जोड़ शायद योग के बराबर न हो।
5. चालू रजिस्टर की शैक्षिक रचना सम्बन्धी सूचना प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर के अन्त में अर्धवार्षिक अन्तरालों पर एकत्र की जाती है। दिसम्बर, 1974 के सम्बन्ध में आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) सरकार विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों द्वारा शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए अधिकाधिक संख्या में रोजगार अवसर जुटाने के हर प्रयास करती आ रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने हाल के वर्षों में शिक्षितों सहित नौकरी चाहने वालों के सभी वर्गों के लिए रोजगार अवसर सृजित करने वाली अनेक विशिष्ट स्कीमें भी कार्यान्वित की हैं।

1971–72 के दौरान शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लाभ के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित एक विशेष योजना भी शुरू की गई। 1972–73 में एक अन्य कार्यक्रम अर्थात् राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम बनाया गया, जिसके लिए इस आशा से 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई कि राज्य भी समान राशि के अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था करेंगे। इनके अलावा, 1973–74 में सरकार ने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार और स्व-रोजगार अवसरों का सृजन करने की दृष्टि से पांच-लाख रोजगार कार्यक्रम तैयार किया।

पांचवीं योजना में क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के साथ उपयुक्त रूप से समेकित एवं संगत रोजगार गहन स्कीमों को बनाते समय यह ध्यान दिया गया है कि समग्र नीति के अनुरूप अधिक सुव्यवस्थित तथा लगातार कार्य किया जा सके ।

1974-75 में स्व-रोजगार पर बल देने वाला रोजगार वर्धन कार्यक्रम चलाया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण पर और सीड पूंजी/सीमान्त धन आदि के लिए सरकार द्वारा कम से कम निवेश के साथ उत्पादक एवं स्व-सृजित रोजगारों का सृजन करना है । जनवरी, 1975 के अन्त तक 40 करोड़ रुपये के कुल विनिधान में से 1,499.57 लाख रुपये की औपचारिक स्वीकृतियां जारी की गई हैं, जिनमें 68,159 रोजगार की क्षमता है ।

अत: इससे प्रतीत होगा कि सरकार शिक्षितों सहित नौकरी चाहने वालों के विभिन्न वर्गों के लिए रोजगार/स्व-रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध स्रोतों के अनुरूप हर सम्भव कार्यवाही कर रही है ।

भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा अर्जित लाभ

1433. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाजरानी निगम को गत वर्ष 80.8 मिलीयन रुपये की तुलना में 1974 में 139.1 मिलीयन रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है ; और

(ख) इस शुद्ध लाभ का अनुपात जहाजों की संख्या तथा उनके टनभार तथा अन्य भारतीय जहाजरानी कम्पनियों द्वारा अपने जहाजों के टन भार के सम्बन्ध में अर्जित लाभ कितना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां। शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया ने 1973-74 में 1391 लाख रुपये का निवल लाभ प्राप्त किया, जब कि पिछले वर्ष अर्थात् 1972-73 में 808 लाख रुपये का लाभ रहा था ।

(ख) निजी क्षेत्र में कुछ बड़ी नौवहन कम्पनियों द्वारा स्वामित्व प्राप्त और अर्जित प्रति जहाज और प्रति जी आर टी निवल लाभ जिसके साथ निगम द्वारा अर्जित लाभ और जी आर टी की तुलना में 1973-74 में तुलनीय शिपिंग कारपोरेशन के परिचालनों को दिखाने वाला एक विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

	निवल लाभ (दस लाख रुपयों में)	अपने स्वामित्व में जहाजों की संख्या	स्वामित्व में जहाजों का जी०आर०टी० (लाखों में)	निवल लाभ प्रति जहाज
शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया .	139.05	105	14.39	1.324
ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग का० . .	35.93	18	2.74	1.996
शिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी .	82.14	46	5.00	1.785
इण्डिया स्टीमशिप कम्पनी . .	32.93	17	1.54	1.937

उपर्युक्त निवल लाभ के आंकड़ें प्रकाशित तुलन पत्रों से प्राप्त किये गये हैं। यह देखा जायेगा कि तुलन पत्र के अनुसार निवल लाभ की आयकर अधिनियम और कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अनुमात प्राप्त विभिन्न व्यवस्थाओं के बाद ही निवल लाभ तुलन पत्र के अनुसार दिखाया जाता है। शिपिंग कारपोरेशन ने टन भार में काफी वृद्धि प्राप्त की है और इसका यह परिणाम हुआ है कि निगम के टनभार की औसत लागत, जो कि अधिक अद्यतन है, उपर्युक्त अन्य तीन शिपिंग कम्पनियों की औसत लागत से काफी अधिक है। अपने प्रति जहाज सम्बन्धी शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया का औसत लाभ, अधिक मूल्य ह्रास/ब्याज के कारण कम हो रहा है। निगम को राष्ट्रीय हित के लिये अपने जहाजों की कुछ यात्री और तटीय सेवाओं में भी लगाना पड़ता है, जोकि लाभप्रद नहीं है। निगम ने अधिक राष्ट्रीय हितार्थ कई संवर्द्धनात्मक सेवायें भी चालू की हैं।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा एवरो 748 विमान का निर्माण बंद किया जाना

1434. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री विरेंद्र सिंह राव :
श्री एच० के० एल० भगत :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में एवरो 748 विमान का निर्माण बन्द करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :(क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान में सैनिक अड्डा बनाने का प्रयास

1435. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका डिएगो गार्शिया और ओमान में सैनिक अड्डे बनाने के अतिरिक्त, पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में एक सैनिक अड्डा बनाने और उसके बदले में पाकिस्तान को अत्यन्त आधुनिक शस्त्र सप्लाई करने के प्रयास कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सामान्य रूप से हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों और विशेष रूप से भारत तथा भारतीय उपमहाद्वीप की शान्ति एवं सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले नये सैनिक अड्डे बनाने की इस चाल को असफल बनाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) पाकिस्तान के मकरान तट पर अमरीका द्वारा एक अड्डा प्राप्त कर लेने की सम्भावनाओं के बारे में अखबारों की खबरें सरकार ने देखी हैं।

(ख) भारत सरकार हिन्द महासागर में विदेशी सैनिक अड्डों के विरुद्ध है और उसने इस विषय में अपनी स्थिति विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर तथा राजनयिक सूत्रों के माध्यम से भी स्पष्ट कर दी है।

भारत-अमरीका संयुक्त आयोग के अंतर्गत उपसमितियों की स्थापना

1436. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष अमरीका के विदेश मंत्री डा० किसींजर की यात्रा के दौरान भारत और अमरीका ने भारत-अमरीका संयुक्त आयोग के अन्तर्गत तीन उपसमितियों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत वर्ष के दौरान इन तीन उप समितियों की अभी तक बैठक नहीं हुई है ;

(ग) क्या शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी भारत-अमरीका उपसमिति की 3 फरवरी, 1975 को नई दिल्ली में बैठक हुई थी तथा उन्होंने अपनी अपनी सरकारों को कुछ निर्णयों की सिफारिश की थीं ;

(घ) यदि हां, तो क्या इन निर्णयों पर दोनों सरकारें सहमत हो गई हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा सम्बन्धों को सुधारने में कितनी प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) अमरीकी विदेश मंत्री, डा० हेनरी किसींजर की अक्तूबर, 1974 में नई दिल्ली की यात्रा के दौरान, भारत-अमरीकी संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त आयोग के अन्तर्गत तीन उप आयोग बनाए गए हैं।

(ख) आर्थिक और वाणिज्यिक उप आयोग की बैठक 20-21 जनवरी 1975 को वाशिंगटन में हुई थी और विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान उप आयोग की बैठक 27–29 जनवरी, 1975 को वाशिंगटन में हुई।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) दोनों सरकारें शिक्षा एवं संस्कृति आयोग की सिफारिशों पर विचार कर रही है और भारत-अमरीकी संयुक्त आयोग की पहली बैठक में उनके बारे में अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

Memorandum from Residents of Tri Nagar, Delhi-35

1437. **Shri Mohammad Ismail** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether a memorandum has been received from the residents of Tri Nagar, Delhi-35 for improvement of bus service and running new buses; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H. M. Trivedi) : (a) and (b) At present, Tri Nagar is connected to various localities of the city by services on routes No. 50C, 59 & 301. Representations were received by the Delhi Transport Corporation from Welfare Associations in Tri Nagar for improvement of bus services to and from that area. The main demand was for some trips to Central Secretariat on the combined routes 301 & 88, restructuring of route No. 59 to follow route No. 90 from Delhi Cloth Mills and stepping up of the frequency of services on route No. 301. A programme for the introduction of services on the new pattern (*i.e.* direction oriented) is being worked out and this would also cover services to and from Tri Nagar.

क्योंझर जिला, उड़ीसा में 'केपटिव' तथा 'नान-केपटिव' लोहे की खानें

1438. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या इस्पात और खान मंत्री बांसपानी क्षेत्र-उड़ीसा में 'नान-केपटीव' लोह अयस्क खानों को उत्पादन क्षमता का मूल्यांकन के बारे में 30 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5002 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्योंझर जिले में 'नान-केपटिव' और 'केपटिव' लोहे के खानों के नाम क्या हैं तथा वे कहां कहां स्थित हैं ;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और गैर सरकारी पार्टियों द्वारा खोजे गए ऐसी खानों के नाम क्या है ;

(ग) क्या बालासोर जिले में कोई 'नान-केपटिव' अथवा 'केपटिव' खाने हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या है तथा वे कहां कहां स्थित हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–9033/75**]

(ख) इस बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रखें दी जाएगी ।

(ग) बालासोर जिले में लोहू अयस्क की कोई ऐसी खान नहीं हैं जिसमें खनन कार्य चल राह है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पैकिंग द्वारा भारतीय सीमा पर एक नए राज्य के निर्माण के लिये षड़यंत्र

1439 **श्री एन० ई० होरो** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 दिसम्बर, 1974 के एक स्थानीय दैनिक अंग्रेजी समाचारपत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि मास्को के समाचारपत्र 'सोविएत स्कावा रशिया' ने यह रहस्योद्घाटन किया है कि चीन एक पृथक राज्य का निर्माण करने का षड्यंत्र रच रहा है जो चीनी सीमा के निकट भारत तथा बर्मा के भागों को मिलाकर बनाया जायेगा;

(ख) क्या इस समाचार पत्र में यह भी कहा है कि बर्मा और भारत के माओवादी दंगाईयों के समूहों ने पेंकिंग के उकसाने पर अपनी गतिविधियों को समन्वित करने के लिये समझौता किया **था** ताकि वे भारत और बर्मा के भागों को मिलाकर चीनी क्षेत्र में प्रस्तावित एक नए राज्य के निर्माण का प्रयास कर सकें; और

(ग) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस प्रकार की अटकल बाजी की प्रेस रिपोर्टों पर सरकार की ओर से किसी प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं होती । निरंतर सतर्क हमारे सुरक्षा बल द्वारा हमारी सीमाएं बराबर पूर्ण तथा सुरक्षित हैं ।

बेरोजगारी

1440. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़े क्या हैं, शैक्षणिक अर्हताओं के आधार पर पृथक-पृथक आंकड़े क्या हैं, और स्त्री पुरुषों के बारे में अलग अलग आंकड़े क्या हैं : और

(ख) बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) उपलब्ध सूचना रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में, दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या के संबध में, जो कि विवरण-I (संलग्न) में दी गई है ।

(ख) सूचना विवरण-II (संलग्न) में दी गई है ।

विवरण I

(क) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में 30-6-1974 को दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या :—

क्रमांक	राज्य/संघशासित क्षेत्र	30-6-74 को संख्या		
		योग (सभी वर्ग)	शिक्षित* (स्तम्भ-3 में सम्मिलित)	महिलायें (स्तम्भ-3 में सम्मिलित)
1	2	3	4	5
			(हजारों में)	
1	आन्ध्र प्रदेश	536.9	251.3	53.4
2	असम . . .	111.9	45..4	7.6
3	बिहार	1177.5	558.7	41.0
4	गुजरात	264.8	127.9	34.7
5	हरियाणा	130.5	82.3	17.6
6	हिमाचल प्रदेश . . .	67.3	26.7	6.9
7	जम्मू व काश्मीर . . .	24.5	8.7	1.9
8	कर्नाटक	309.7	180.4	47.3
9	केरल . . .	559.1	296.5	183.1
10	मध्य प्रदेश . . .	405.3	170.1	36.7
11	महाराष्ट्र . . .	692.2	359.5	86.2
12	मणिपुर . . .	20.0	11.0	2.4
13	मेघालय . . .	6.6	3.2	1.1
14	नागालैंड** . . .	..	..	..
15	उड़ीसा	349.8	99.1	17.3
16	पंजाब . . .	223.8	106.6	32.2
17	राजस्थान	176.2	90.9	14.7

क्रमांक	राज्य/संघशासित क्षेत्र	30-6-74 को संख्या		
		योग (सभी वर्ग)	शिक्षित* (स्तम्भ-3 में सम्मिलित)	महिलाएं (स्तम्भ-3 में सम्मिलित)
1	2	3	4	5
			(हजारों में)	
18	तमिलनाडु	601.6	306.0	123.3
19	त्रिपुरा	44.3	21.9	9.5
20	उत्तर प्रदेश	793.8	374.2	45.8
21	पश्चिम बंगाल	1602.7	762.6	139.5
संघशासित क्षेत्र :				
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह**	..	..	..
2	अरुणाचल प्रदेश** . . .	..	..	..
3	चण्डीगढ़	25.2	13.9	3.3
4	दादर व नागर हवेली** . .	..	..	..
5	दिल्ली	165.3	116.3	36.1
6	गोवा, दमन व दीउ . . .	21.8	10.9	3.9
7	लक्षद्वीप	1.9	0.6	0.2
8	मिजोराम	1.2	0.1	***
9	पांडिचेरी	19.9	7.7	3.0
	अखिल भारतीय योग .	8353.8	4032.3	948.8

*मैट्रिक पास और इससे अधिक शिक्षा प्राप्त।

***60 से कम।

टिप्पणी

1. चालू रजिस्टर की शैक्षिक रचना संबंधी सूचना प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर के अन्त में अर्ध-वार्षिक अन्तरालों पर एकत्र की जाती है। दिसम्बर, 1974 के संबंध में आंकड़ें अभी उपलब्ध नहीं हैं।

2. दिल्ली में स्थित दो केन्द्रों को छोड़कर विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्ग दर्शन केन्द्रों के आंकड़ें सम्मिलित नहीं हैं।

**3. इन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में कोई भी रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

4. पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का जोड़ शायद योग के बराबर न हो।

5. रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वाले सभी व्यक्ति अनिवार्यतः बेरोजगार नहीं है।

विवरण—II

(ख) सरकार विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों द्वारा बेरोजगार व्यक्तियों के लिए अधिकाधिक संख्या में रोजगार अवसर जुटाने के हर प्रयास करती आ रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने हाल के वर्षों में सभी वर्गों के नौकरी चाहनेवालों के लिए रोज़गार अवसर सृजित करनेवाली अनेक विशिष्ट स्कीमें भी कार्यान्वित की हैं।

1971–722 के दौरान प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 1000 व्यक्तियों को काम दिलाने के लिए ग्रामीण रोजगार संबधी त्वरित स्कीम आरम्भ की गई। उसी वर्ष के दौरान शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों के लाभ के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित एक विशेष योजना भी शुरू की गई। 1972–73 में एक अन्य कार्यक्रम अर्थात राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों के लिए विशेष रोज़गार कार्यक्रम बनाया गया, जिसके लिए इस आशा से 27 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई कि राज्य भी समान राशि के अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था करेंगे। इनके अलावा, 1973–74 में सरकार ने शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों के लिए रोज़गार और स्व-रोज़गार अवसरों का सृजन करने की दृष्टि से पांच लाख रोज़गार कार्यक्रम तैयार किया।

पाँचवी योजना में क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के साथ उपयुक्त रूप से समेकित एवं संगत रोजगार गहन स्कीमों को बनाते समय यह ध्यान दिया गया है कि समग्र नीति के अनुरूप अधिक सुव्यवस्थित तथा लगातार कार्य किया जा सके।

1974–75 में स्व-रोज़गार पर बल देने वाला रोजगार वर्धन कार्यक्रम चलाया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण पर और सीड पूंजी/सीमान्त धन आदि के लिए सरकार द्वारा कम से कम निवेश के साथ उत्पादक एवं स्व-सृजित रोज़गारों का सृजन करना है। जनवरी, 1975 के अंत तक 40 करोड़ रुपए के कुल विनिधान में से 1,499.57 लाख रुपए की औपचारिक स्वीकृतियां जारी की हैं, जिनमें 68,159 रोज़गार की क्षमता है।

अत: इससे प्रतीत होगा कि सरकार नोकरी चाहने वालों के विभिन्न वर्गों के लिए रोज़गार/स्व-रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध स्रोतों के अनुरूप हर सम्भव कार्यवाही कर रही है।

Linking of Dearness Allowance with Cost of Living Index

1441. **Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Hemendra Singh Banera :
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the **Minister of Labour** be pleased to state:

(a) whether the Labour Ministers of States in a meeting held in New Delhi in September last had decided that dearness allowance must be linked with the cost of living index and that equal pay for equal work should be paid to the male as well as female employees;

(b) if so, the progress so far made in this regard in different States; and

(c) whether the Central Government have issued any directions or suggestions to the State Governments in this regard, and if so, the facts thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) While no decision was taken by the Conference for compulsory linkage of Dearness Allowance with the consumer price index, it was recommended that the States which had not so far implemented fully I. L. O. Convention No. 100 concerning equal remuneration for men and women workers for work of equal value should do so both in letter and spirit, by taking appropriate measures to fix wages according to occupations.

(b) and (c) : The decision of the Labour Mnisters' Conference referred to in reply to part (a) above, has been brought to the notice of the State Governments for appropriate action. A proposal is also under Government's consideration to bring forward a Bill in Parliament to provide equal pay for equal work.

इस्पात विकास नीति

1442. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या में स्पंज लोहे पर आधारित लघु इस्पात संयंत्रों के विकास के लिए नई अिस्पात विकास नीति के मसौदे को सरकार ने अन्तिम रुप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या क्या है ; और

(ग) इस कार्य के लिए कितनी धानराशि नियत की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों के रखरखाव करने के लिए बिहार को सहायता

1443. **श्री हरिकिशोर सिंह:** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने वर्ष 1975-76 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव तथा पुलों के निर्माण तथा रखरखाव के लिए राज्य की आवश्यकता पूरी करने के सम्बन्ध में सहायता देने हेतु केन्द्रीय सरकार को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बिहार को सहायता दी है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) (क) और (ख) सवैधानिक रुप से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, विकास, अनुरक्षण और मरम्मत, केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए इस पर आने वाला सारा खर्च भारत सरकार वहन करती है और इसके लिए किसी वित्तीय सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता । 1975-76 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, विकास रखरखाव और मरम्मत तथा उन पर पुलों के निर्माण के लिए, धन के नियतन सम्बन्धी प्रस्ताव बिहार सहित सभी राज्यों से प्राप्त हुए हैं। परन्तु साधनों, विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं और उन आवश्यकताओं की स्वीकार्यता को ध्यान में रखकर और धन के आबन्टन पर संसद द्वारा बजट पर मत दिय जाने के वाद विचार किया जा सकता है ।

कर्नाटक में पाये गये खनिज

1444. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूगर्भीय सर्वेक्षण द्वारा कर्नाटक राज्य में कौनसे खनिजों का पता लगा है ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किस सीमा तक इन खनिजों का उपयोग तथा विकास किया गया ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने पांचवीं योजना के लिये राज्य के खनिज निक्षेपों पर आधारित कोई योजना बनाई है ; और

(घ) इस उद्देश्य के लिये कितनी धन राशि का नियतन किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा कर्नाटक में खोजे गए खनिजों में से कुछ महत्वपूर्ण खनिज भंडार है—लौह अयस्क, बाक्साइड, तांबा अयस्क, मैंगनीज अयस्क फ्लक्स का चूना पत्थर तथा सीमेंट ग्रेड, डोलोमाइट, जिप्सम, चीनी मिट्टी, क्रोमाइट, मगनेसाइट स्वर्ण आदि ।

(ख) चौथी योजना के दौरान कर्नाटक में जिन महत्वपूर्ण खनिजों की खुदाई की गई उनमें ये हैं—एसबेस्टस, बाक्साइट, क्रोमाइट, तांबा अयस्क, स्वर्ण, लौह-अयस्क, केवोलिन, चूना पत्थर, मैगनेसाइट, मैंगनीज अयस्क, गैरू तथा ग्रेनाइट । चौथी योजना के शुरू (1969) में कर्नाटक में 13 करोड़ रुपय मूल्य का खनिज उत्पादन हुआ जो चौथी योजना (1974) के अन्त तक बढ़कर 16 करोड़ रुपये हो गया ।

(ग) मुख्य योजनाओं में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम दोनीमलाई लौह अयस्क भण्डार का विकास कर रहा है तथा कुद्रेमुख लौह भण्डार के विकास करने की योजना है । एम आई एस एल के विस्तार के अलावा, विजयनगर में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें कुमारास्वामी या रमनदुर्ग के लौह—अयस्क भण्डार का उपयोग किया जाएगा । भारत गोल्ड माइन्स लिमिटड ने खुदाई और अपनी खानों के विकास की एक योजना शुरू की है ताकि नये अयस्क-पिंडों और मौजूदा अयस्क पिंडों का विकास किया जा सके ।

(घ) अभी तक पांचवीं योजना में विभिन्न परियोजनाओं के लिए आबन्टन का अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में कितनी ही परियोजनाओं के लिए जैसे विजयनगर और बिशाखापत्तनम इस्पात सयंत्र तथा लौह अयस्क परियोजनाएं जिसमें राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की कुमारास्वामी और दौनामलाई परियोजनाएं शामिल हैं, के लिए एक मुश्त प्रावधान, किया गया है ।

कोचीन पत्तन श्रमिक यूनियन

1445. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन श्रमिक यूनियन से उनके मंत्रालय को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां । अध्यक्ष कोचीन पत्तन न्यास की कोचीन पत्तन श्रमिक संघ ने एक ज्ञापन 8-7-1974 को दिया ।

(ख) और (ग), ज्ञापन में 20 मांगों की सूची थीं, जिनमें से कुछ अखिल भारत स्तर की थी, जब कि शेष स्थानीय थीं । सभी पत्तन से सम्बन्धित मांगों की स्थिति नीचे दी जा रही है :—

(1) **वेतन संशोधन मशीनरी की स्थापना** :

11-12-74 को एक वतन संशोधन समिति पहले ही स्थापित की जा चुकी है ।

(2) आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वतन का निर्धारण :

(3) विभिन्न वर्गों का वैज्ञानिक वर्गीकरण :

वेतन संशोधन समिति को इन पर विचार करना होगा।

(4) पिछले वेतन बोर्ड द्वारा दी गयी अंतरिम सहायता को तुरंत तय करना :

अखिल भारत पत्तन और गोदी कर्मचारी संघ द्वारा पहले की गई मांग के आधार पर इसे मध्यस्थ निर्णय के लिए दे दिया गया। मध्यस्थ का पंचाट श्रम मंत्रालय ने पहले ही प्रकाशित कर दिया है।

(5) 1974-75 के लिए 20 प्रतिशत पर बोनस का भुगतान :

पत्तन और गोदी कर्मचारी बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत नहीं आते। परन्तु उन्हें बोनस के बदले 8–1/3 प्रतिशत दर पर अनुग्रहपूर्वक अदायगी की जाती है। 20 प्रतिशत की दर पर बोनस के भुगतान की मांग, स्वीकार नहीं की जा सकती।

(6) पत्तन न्यास और गोदी श्रमिक बोर्डों के श्रमिक प्रतिनिधियों का चुनाव :

विभिन्न संघों के प्रतिनिधि स्वरुप के सत्यापन की विधि का निर्णय सामान्य नीति प्रश्न के तौर पर श्रम मंत्रालय द्वारा किया जाना है और किसी विशेष उद्योग के लिए इस पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता।

स्थानीय मांगों का संबंध एक युक्तियुक्त पदोन्नति नीति को निर्माण, विभिन्न समितियों के पुनर्गठन, माल बोट श्रम का डीकेजुलाइजशन, नैमित्तिक श्रमिकों की सेवा शर्तों में सुधार, कर्मचारियों के लिए रिहायशी सुविधाओं की व्यवस्था, अस्थायी कर्मचारियों की स्थायीकरण, सेवा-निवृत्ति लाभों का शीघ्र दिया जाना, रात्रि-शिफ्ट में काम करने वालों के लिये कैंटिन सुविधाओं, बहतर चिकित्सा सुविधाओं और रिक्त स्थानो की पूर्ति से था। अध्यक्ष, कोचीन पत्तन न्यास ने इन मांगों के बारे में यूनियन के नेताओं से अनौपचारिक रुप से बात की और यथासम्भव कार्रवाई की है। हालांकि यह यूनियन एक अल्पसंख्यक यूनियन है जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है और उसकी सदस्यता नगण्य है। परन्तु मालबोट श्रमिकों के डोकेजुलाइजेशन को मांग पर तब तक फैसला नही किया जा सकता, जब तक कि मौजुदा डोकेजुलाईजेशन को योजनाओं और संबंधित मामलों का प्रस्तावित विस्तृत अध्ययन नहीं कर लिया जाता।

औद्योगिक परिषद की बैठक का रद्द किया जाना

1446. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मितव्ययता के आधार पर औद्योगिक परिषद की बैठक रद्द कर दी गई है, और

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारी संगठनो ने ऐसी बैठक के लिए एकमत होकर अपील की है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्यमंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) औद्योगिक परिषद की 1974 के लिए बैठक मितव्यता के आधार पर स्थगित कर दी गई थी।

(ख) आर्डनेंस फैक्टरी कर्मचारी युनियन कानपूर से इस विषय पर एक पत्र प्राप्त हुआ था। यदि परिस्थिति ठीक हुई तो औद्योगिक परिषद की 1975 में बैठक करने के औचित्य पर विचार किया जाएगा।

भारत-ब्रिटिश सम्मेलन द्वारा लेवी का लगाया जाना

1447. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पत्तनों पर आने वाली सेवाओं पर भारत-ब्रिटिश सम्मेलन ने अधिभार लेवी लगाई है,

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या भारतीय नौवहन फर्मों ने इस लेवी के लगाये जाने का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) जी, हां। भारत-यू० के० कान्फ्रेंस ने बम्बई पत्तन पर हुए घाटीय विलम्ब और अधिक समय तक रहने के कारण 2-12-74 से 15% का संकुलन अधिभार लगाया। संकुलन स्थिति में सुधार हो जाने के कारण 23 जनवरी, 1975 से संकुलन अधिभार घटाकर 10% कर दिया।

(ग) और (घ) : जी, हां। भारत में सभी बड़े पत्तन अधिकरणों का यह निरन्तर प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके विराम काल दिया जाये। सरकार तुरन्त निपटान माल की उतार दरों में सुधार, अतिरिक्त पारियों की व्यवस्था आदि जैसे उचित उपाय खोज निकालने के लिए पत्तन अधिकरणों के परामर्श से स्थिति की निरन्तर समीक्षा कर रही है।

बोधीमलाई लौह अयस्क निक्षेपों में ईराक द्वारा रुचि दिखाया जाना

1448. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कुद्रेमुख की तरह प्रतिबद्ध परियोजना की तरह दोनीमलाई लौह अयस्क निक्षेपों का विकास करने में ईराक ने गहरी रूचि दिखाई हैं; और

(ख) क्या हमारे प्रधान मंत्री की उस देश की अभी हाल की भाषा के दौरान और उसके बाद इस बारे में समझौते को अन्तिम रूप देने के लिए बातचीत की गई थी और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) ईराक सरकार ने ईराक में लगाए जाने वाले स्पंज आयरन के कारखाने के लिए भारत से दीर्घकालीन आधार पर लोहखनिज के पैलेट प्राप्त करने में अभिरुचि दिखाई है। पैलेट की विशिष्टियों, सुपुर्दगी अनुसूचि आदि के रूप में ईराक की आवश्यकताओं को देखते हुए दोनीमलाई की लोह खनिज खानों से ऐसी सप्लाई के लिए एक पेशकश की गई है। यह पेशकश इस शर्त पर की गई है कि दोनीमलाई के पैलेट संयत्र के निर्माण के लिए ईराक वित्तीय सहायता देगा।

(ख) इस प्रस्ताव पर प्रधान मंत्री के दौरे के कुछ ही समय पूर्व जनवरी 1975 में बगदाद में भारत-ईराक संयुक्त आयोग की पहली बैठक में विचार विमर्श किया गया था। इस बैठक के निष्कर्षों पर प्रधान मंत्री के दौरे के पश्चात् जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में मोटे तौर पर उल्लेख किया गया था। इस परियोजना के बारे में ईराकी प्राधिकारियों के साथ आगे लिखापढ़ी अभी चल रही है।

कुद्रेमुख लोह अयस्क की खुदाई के लिये ईरानी पूंजी निवेश

1449. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख लौह अयस्क को खुदाई के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या ईरान सरकार परियोजना में पूंजीनिवेश करने के लिये सहमत हो गई है और यदि हां, तो उनके द्वारा कितना पूंजीनिवेश किये जाने की आशा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) कुद्रेमुख लौह अयस्क निक्षेपों की खोदाई के बारे में अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस मामले पर बात-चीत अभी चल रही है।

(ख) इस प्रायोजना की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :—

(1) 187.5 लाख टन अपरिष्कृत खनिज निकाला जायेगा जिसमें लोहे की मात्रा 39% होगी;

(2) अपरिष्कृत खनिज से चुम्बकीय विधि से 75 लाख टन कनसेन्ट्रेट का उत्पादन किया जाएगा जिसमें लोहे की मात्रा 66 से 68% होगी।

(ग) अभी इस मामले में बात-चीत चल रही है।

इस्पात की सप्लाई का बन्द किया जाना

1450. **श्री पी० ए० सामिनाथन्** :
श्री एच० क० एल० भगत :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात नियंत्रक ने समूचे देश में मारे गए छापों के पश्चात् 1430 एककों को इस्पात की सप्लाई बन्द कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौपे गये थे और ऐसे मामले में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या ऐसे छापे जनवरी में फिर मारे गए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) लोहा और इस्पात नियंत्रक के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना अर्थात् वर्ष 1971 के मध्यसे नवम्बर, 1974 तक लोहव और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 के उपबन्धों के अनुसार 1430 इकाइयों को इस्पात सामग्री की सप्लाई निलम्बित की गई थी।

(ख) नवम्बर, 1974 के अन्त तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/राज्य पुलिस प्राधिकारियों के पास भेजे गये 192 मामलों में से अब तक 20 मामलों में सजाये हुई हैं। 15 मामले विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं। कई मामलों की इस समय जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) समय समय पर लोहा और अिस्पात नियंत्रक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निरीक्षण किये जाते हैं। जनवरी, 1975 से सम्बन्धित निरीक्षण के ब्यौरे प्राप्त किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जाएगे।

5—10 LSS(ND)/75

Reported Statement Re : Russain Advisers for Indian Armed Forces

1451. **Shri Phool Chand Varma :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to that part of the statement of the C. P. I. General Secretary, published in an Indore daily dated the 15th January, 1975 wherein he is reported to have stated that the Indian armed forces have Russian advisres, and

(b) if so, Government of India's reaction threto?

The Minister of Defence. (Shri Swaran Singh) : (a) No, Sir, Governmen have of seen the Press report referred to in the question. However the Indian armed orces have no U. S. S. R. advisers.

(b) Does not arise.

नौवहन उद्योग के लिये विकास छूट का समाप्त किया जाना

1452. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी ऐसे नए सूत्र पर विचार कर रही है जिसमें नौवहन उद्योग के लिए विकास छूट प्राप्त कर देने की व्यवस्था है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी): (क) और (ख) नौवहन की विकास घटौती 31-5-75 के बाद उपलब्ध नहीं रहेगी। इसके स्थान पर 20% की दर से प्रारम्भिक मूल्यह्रास भत्ते की योजना नौवहन पर भी लागू होगी।

कलकत्ता के लोगों द्वारा भोजन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मछली के बारे में सैन्ट्रल मैडिकल एजेन्सी द्वारा किया गया सर्वेक्षण

1453. **डा० सरदीश राय :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान सैन्ट्रल मैडिकल एजेन्सीज द्वारा किए गए इस आशय के सर्वेक्षण पर दिलाया गया है कि कलकत्ता के लोगों द्वारा भोजन के उपयोग में लायी जाने वाली 27 प्रतिशत मछली में विषेले कीटाणु होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही इसे भेज दिया जायेगा।

पश्चिम बंगाल में पुनर्वास के लिये केन्द्रीय सहायता का बन्द करना

1454. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व पूर्वी बंगाल से आये व्यक्तियों के पुनर्वास का दायित्व निभाने से अन्तिम रुप से इन्कार कर दिया है ;

(ख) क्या केन्द्र ने इस उद्देश्य के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को सहायता देना बन्द कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या केन्द्र ने पाकिस्तान से आये इस समय राजस्थान में रह रहे व्यक्तियों के प्रति भी ऐसा ही मापदण्ड अपनाया है और यदि नहीं, तो इस प्रकार के भेदभाव के क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

1971 के संघर्ष के दौरान जो व्यक्ति पाकिस्तान से राजस्थान आये थे उन्हें, उनके पाकिस्तान वापस जाने तक, अस्थायी रहात सहायता प्रदान की जा रही है ।

रेलवे कर्मचारियों की बहाली के लिए की गई कार्यवाही और सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान

1455. **श्री मधु लिमये :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों सरकारो तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में हमारी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में श्रम कल्याण को बढ़ावा देने के बारे में मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो मई, 1974 की हड़ताल में शामिल होने वाले परेशान किए गए रेलवे कर्मचारियों, जिन पर हिंसा तथा तोड़-फोड़ की गतिविधियों का आरोप नहीं अथवा जिन्हें इस आरोप में सजा नहीं दी गई, की बहाली के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) महंगाई भत्ते के भुगतान के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए और इस प्रकार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अब तक देय महंगाई भत्ते की सभी किश्तों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या पहल की गई है ; और

(घ) यदि ऐसी कार्यवाही और पहल नहीं की गई है तो मंत्रालय की अकर्मण्यता के कारण क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्दवर्मा): (क) श्रम मंत्रालय, औद्योगिक विवाद अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों के अधीन आने वाले औद्योगिक श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामान्यत: उत्तरदायी है ।

(ख) यह मामला रेल मंत्रालय के साथ उठाया गया है ।

(ग) और (घ) इस से वित्त मंत्रालय सम्बन्धित है ।

दिल्ली तथा नई दिल्ली में एक औषधालय से दूसरे औषधालय में डाक्टरों, स्टोरकीपरों तथा कम्पाउन्डरों का स्थानान्तरण

1456. **श्री शशि भूषण :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य और योजना के अन्तर्गत दिल्ली तथा नई दिल्ली के एक औषधालय से दूसरे औषधालय में डाक्टरों, स्टोरकीपरों तथा कम्पाऊण्डरों के स्थानान्तरण सम्बन्धी नियम क्या है ;

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत दिल्ली तथा नई दिल्ली के प्रत्येक औषधालय में इस समय कार्य कर रहे डाक्टरों, स्टोरकीपरों तथा कम्पाऊण्डरों के नाम क्या है और इन औषधालयों में ये कब से कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) जिन डाक्टरों, कम्पाऊण्डरों तथा स्टोरकीपरों को एक ही औषधालय में कार्य करते 5 वर्ष से अधिक समय हो गया है उनके दूसरे औषधालय में कब तक स्थानान्तरण किये जाने की आशा है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली में डाक्टरों की एक सी० जी० एच० एस० डिस्पेन्सरी से दूसरी सी० जी० एच० एस० डिस्पेन्सरी में बारी-बारी से बदली करने के लिए डिस्पेन्सरियों को तीन वर्गों में बांटा गया है–(क) केन्द्र स्थान पर स्थित डिस्पेन्सरीयां, (ख) कुछ दूर स्थित डिस्पेन्सरियां, और (ग) नगर सीमा पर स्थित डिस्पेन्सरियां बदली के लिए दूसरा मानदण्ड यह रखा गया है कि प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक डाक्टर एक डिस्पेन्सरी में कम से कम तीन वर्ष और अधिक से अधिक पांच वर्ष तक रहेगा ।

जहां तक स्टोरकीपरों और फार्मासिस्टों को एक डिस्पेन्सरी से दूसरी डिस्पेन्सरी में बदलने का सवाल है, सामान्यत: किसी डिस्पेन्सरी में काम कर रहे कर्मचारी को तीन से पांच साल तक की अवधि से पहले तब तक बदलने के लिए विचार नहीं किया जाता जब तक उसकी बदली जन हित अथवा प्रशासनिक कारणों से जरूरी न समझी जाय ।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दे दी गयी है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०–9034/75**] ।

(ग) पांच साल से अधिक एक ही डिस्पेन्सरी में काम कर रहे डाक्टरों की बदली के सवाल पर तब विचार किया जायेगा जब वे नये डाक्टर उपलब्ध हो जाएंगे जिन की शीघ्र ही ड्यूटी ज्वाइन करने की सम्भावना है । पांच साल से अधिक किसी एक डिस्पेन्सरी में काम कर रहे स्टोरकीपरों और फार्मासिस्टों की बदली के सवाल पर तब विचार किया जायेगा जब ऐसा करना आवश्यक और जन सेवा के हित में समझा जायेगा । सामान्यतया कर्मचारियों से मिलने वाले अभ्यावेदनों और परिवहन की समस्या को देखते हुए डाक्टरों और दूसरे कर्मचारियों को यथा सम्भव उनके निवास स्थान के नजदीक की डिस्पेन्सरियां प्राथमिक चिकित्सा चौकियों/अस्पतालों में नियुक्त किया जाता है ।

जहाजों की खरीद

1458. **श्री बनमाली बाबू :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाज खरीदने के लिए सरकार विश्व के बहुत से देशों से सम्पर्क बनाये हुए है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों ने जहाज देने का प्रस्ताव किया है तथा इसका देशवार तथ्य क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी : (क) यह शिपिंग कम्पनियों का काम है कि शिपयार्डों/विक्रेताओं से पोत क्रय करने की सम्भावनाओं का पता लगायें । परन्तु टन भार के विस्तार को सुगम बनाने के लिए सरकार भी इस बारे में दूसरे देशों से सम्पर्क बनाये रखती है ।

(ख) पोलैण्ड तथा जी० डी० आर० ही दो ऐसे देश हैं जिन्हों ने भारत वर्ष द्वारा अपेक्षित जहाजों की उपलब्धता का संकेत दिया है । जी० डी० आर० ने 4–5 माल वाहक पोत और पोलैण्ड ने 2 उत्पादक वाहक, दो खनिज तथा दो तेल वाहक देने का प्रस्ताव किया है । इन जहाजों की पूर्ति, वाणिज्यिक पहलुओं को सम्बन्धित शिपिंग कम्पनियों तथा विक्रेताओं द्वारा अभी तय किया जाना है ।

वर्ष 1974 के दौरान पता चली नकली औषधियां

1459. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 में देश के विभिन्न भागों में कितनी संख्या में नकली औषधियां पकड़ी गयी;

(ख) उन उत्पादों के ब्राण्ड-नाम क्या हैं जिनकी नकली औषधि निर्माताओं द्वारा नकल की गयी;

(ग) क्या उक्त नकली औषधि निर्माताओं का इस बीच पता चल गया है और उन्हें पकड़ लिया गया है ; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक):(क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने की सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Causes of Small Pox in Bihar

1460. **Shri G.P. Yadav** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether in 1974 the State of Bihar had been most affected by the smallpox epidemic in comparison to other parts of the country;

(b) if so, the number of persons who died of it in Bihar last year; and

(c) whether the World Health Organisation has thrown some light upon the causes of this epidemic and if so, the outlines thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) :

(a) Yes,

(b) 21,817 deaths were reported due to smallpox in Bihar during 1974,

(c) Yes, the high incidence was mainly due to the following reasons :-

(i) Intensive case search carried out to unearth undetected cases ;

(ii) Accumulated backlog of primary vaccinations;

(iii) Lingering superstitions and old beliefs among the people not to get vaccinated; and

(iv) Characteristic periodic cyclicity of smallpox incidence which shows a peak after every four to five years.

मार्ग बदलने पर लगाये गये अधिभार को स्वेज नहर के दोबारा खुल जाने पर हटाया जाना

1461. **श्री निंबालकर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न नौवहन कम्पनियों के साथ दृढ़ रुख अपना रही है कि स्वेज नहर के बन्द होने की स्थिति में इन कम्पनियों द्वारा मार्ग बदलने पर लगाये गये अधिभार को यातायात के लिये स्वेज नहर के दो बारा खुल जाने पर, तत्काल हटा दिया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयास से कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां। सरकार तथा अखिल भारतीय पोत वाणिक परिषद् ने पहले ही यह पक्का निश्चय किया है कि जैसे ही स्वेज नहर यातायात के लिए खुलती है और कान्फ्रेन्स के जहाज इसे प्रयोग करना शुरू कर देते हैं उन्हें स्वेज अधिभार/मोड़ अधिभार हटा लेना चाहिए।

(ख) अभी निश्चय रुप से कुछ कहना समय पूर्व होगा। एक कान्फ्रेन्स ने अखिल भारतीय पोत वाणिक परिषद के साथ विचार विमर्श के दौरान यह संकेत दिया है कि स्वेज नहर को फिर से खुलने से दर पर तुरन्त पुर्नविचार करना होगा।

कर्नाटक के समुद्र तटवर्ती इलाकों पर बन्दरगाहों का विकास

1462. **श्री के० लकप्पा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कर्नाटक के समुद्र तट वर्ती इलाकों पर बड़े और छोटे बन्दरगाहों के विकास के बारे में कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) कर्नाटक तट पर नव मंगलोर पत्तन का विकास केन्द्रीय सरकार ने बड़े पत्तन के रुप में किया है पत्तन के लिए जिन सुविधाओं का विचार किया गया है उनमें खनिज की धरा उठाज के लिए 30 चुवाव के 3 समवर्ती घाट, सामान्य माल तथा कच्चा माल, नेप्लाथा तथा पेट्रोल पदार्थों की धरा उठाई के लिए एक तेल जेट्टी और तटीय नौवहन के लिए एक उथला घाट शामिल है।

बड़े पत्तनों के अलावा अन्य पत्तन संविधान की समवर्ती सूची में आते हैं और उनके विकास की कार्यवाही जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की होती है। परन्तु ,केन्द्र आवश्यकतानुसार छोटे पत्तनों के विकास के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता देता है। इसके अलावा चौथी योजना में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले किसी विनिर्दिष्ट छोटे पत्तन के विकास के लिए ऋण सहायता भी दि गई। कर्नाटक में कारवाड का छोटा पत्तन ऐसी सहायता के लिए चुना गया। योजना, जिसे तकनीकी रुप से स्वीकृत कर दिया गया है, पत्तन पर तीव्र गति से खनिज लदान सुविधाएं प्रदान करने के लिए है, परन्तु इसे केन्द्रीय सरकार ने अन्तिम रुप स्वीकृत नहीं किया है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम का राज्यवार क्रियान्वयन

1463. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में, राज्यवार, वर्ष 1974-75 में कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9035/75]**

मध्य-प्रदेश की फर्मों द्वारा इस्पात की खरीद

1464. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के छोटे उद्यमकर्ताओं तथा व्यापारियों के स्वामित्व में कितनी ऐसी फर्मे है जिन्होंने 1972-73 और 1973-74 के वर्षों में इस्पात और लोहे की खरीद के लिए केन्द्रीय सरकार के पास धनराशि जमा कराई है ;

(ख) इसमें से वे फर्मे कोन-कोन सी हैं जिन्हें इस्पात सप्लाई कर दिया गया है और वे फर्मे कौन-कौन सी हैं जिन्हें अभी तक इस्पात सप्लाई किया जाना है ;

(ग) उपरोक्त अवधि में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास कुल कितनी धनराशि जमा कराई है ;

(घ) अब तक कितने व्यक्तियों को धनराशि लौटा दी गई है और कितने व्यक्तियों को जमा-राशि अभी भी वापस करनी है और अब तक इन व्यक्तियों की जमाराशि वापस न करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) धनराशि को वापस करने सम्बन्धी नियम कौन से है और क्या नियमों का पालन किया जा रहा है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (घ) संभवतः अभिप्राय सेल आर्डर बुक कराते समय इस्पात उत्पादकों के पास जमा कराये जाने वाले बयाने से है । सरकार इस प्रकार का कोई बयाना नहीं लेती है। उत्पादकों के पास बयाने के रुप में पड़ी धनराशि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ङ) जहां तक बयाने की राशि को वापिस करने का सम्बन्ध है यह राशि केवल उस समय वापिस की जाएगी जब उत्पादकों को दिये गये सेल आर्डरों की अवधि समाप्त हो जाएगी और उन पर कोई सप्लाई नहीं होगी। जिन सेल आर्डरों पर माल सप्लाई कर दिया जाता है उनकी बयानों की राशि माल सप्लाई करते समय माल की लागत में से घटा दी जाती है फिर भी वितरण की वर्तमान नीति के अनुसार, जो अक्तूबर, 1974 से लागू है, बयाना जमा कराने की शर्त हटा दी गई है। ऐसे सभी मामलों में जिन बयाने की राशि वापिस की जाती है ऐसी राशि को शीघ्र वापिस करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

बंगलादेश के साथ शत्रु सम्पत्ति के मामले का निपटारा

1465. **श्री समर गुह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शत्रु सम्पत्तियों के मामले पर बंगलादेश सरकार के साथ बातचीत की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में तथ्य क्या है और इस वार्ता के क्या परिणाम रहे ;

(ग) यदि नहीं, तो बंगला देश सरकार के साथ इन मामलों पर बातचीत करने में विलम्ब के क्या कारण है ; और

(घ) लम्बे अर्से से चल रही इन समस्याओं के समाधान के लिये बंगलादेश के साथ सरकार इन मामलों पर कब बात-चीत करेगी ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) जी, हां। इस मामले पर आगे कार्यवाही करने के लिए आवश्यक सूचना और स्पष्टीकरण मांगे गए हैं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

विभिन्न स्त्रोतों से पाकिस्तान द्वारा हथियारों की प्राप्ति

1466. **श्री भगतराम मनहर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान अमरीका के अतिरिक्त अनेक स्रोतों से हथियार प्राप्त कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) सरकार को जानकारी है कि अमरीका के अतिरिक्त चीन, फ्रान्स, और कुछ मध्य-पूर्वी एशियाई देश पाकिस्तान को अस्त्र दे रहे हैं। इनमें टैंक, विमान भेदी

तोपें, तोपखाना, गनबोटों, टोरपोड बोटे, पनडुबियां, हैलिकाप्टर और विभिन्न प्रकार के हवाई जहाज शामिल हैं। ऐसी गतिविधियों से जो प्रभाव हमारे सुरक्षा प्रबन्धों पर पड़ता है उन पर हम अपनी सुरक्षा-योजनाएं बनाते समय पूरा विचार करते हैं।

त्रिपुरा में बंगलादेश से भारी संख्या में आप्रवासी

1467. श्री दशरथ देव : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि त्रिपुरा में प्रतिदिन भारी संख्या में बंगला हिन्दू आप्रवासी आ रहे हैं और आदिवासी क्षेत्रों में घुस रहे हैं।

(ख) स्वतन्त्रता प्राप्ति के 27 वर्ष पश्चात (भारत के विभाजन के) और विशेष रूप से बंगाल देश एक स्वतन्त्र सार्वभौम राज्य बन जाने पर भी इन बंगाली हिन्दूओं को त्रिपुरा में जाने तथा वहां बसने की अनुमति किस प्रकार दी गई है और वह भी उस अवधि में जबकि बंगलादेश में कोई सामुदायिक संकट नहीं है ;

(ग) क्या अकेले त्रिपुरा में ही बंगलादेश के 75 लाख बंगाली हिन्दू नागरिकों को, यदि किसी समय भी वे त्रिपुरा में आना चाहे मूल आदिवासी लोगों के हितों की अपेक्षा करते हुए भी स्वीकार कर लेने की सरकार की नीति है ; और

(घ) यदि नहीं, तो त्रिपुरा बंगलादेश सीमा को बन्द करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) सरकार की यह नीति नहीं है कि वह बंगला देश से शरणार्थियों को भारत में बसने के लिए आने दे। तदनुसार, बंगलादेश से त्रिपुरा में अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए कदम उठाये गए है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सीमा सुरक्षा बल को, बंगला देश से अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए अनुदेश पहले ही दे दिये गये हैं।

भारतीय परिवार नियोजन कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र परामर्शदाताओं की सेवाओं का उपयोग

1468. डा० कर्णी सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री भारत में परिवार नियोजन परियोजनाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा धनराशि देने के बारे में 1 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1259 के उत्तर के सबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से उनका मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र के परामर्शदाताओं की, जिन्हें एशियायी स्थितियों की गहरी जानकारी है तथा जिनके पास आवश्यक तकनीकी पृष्ठ-भूमि है, सेवाओं का उपयोग करने के खिलाफ है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : यह मंत्रालय उन संयुक्त राष्ट्र के सलाहकारों की राय लेने के खिलाफ नहीं है जिन्हें एशियाई स्थिति का यथेष्ठ ज्ञान है और जो तकनीकी पृष्ठ-भूमि से परिचित है।

ढाका स्थित भारतीय हाई कमीशन को सशस्त्र संरक्षण

1469. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से ढाका स्थित भारतीय हाई कमिशन को सशस्त्र संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : विदेशी राजनयिक मिशनों की सुरक्षा के मामले में अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए, बंगलादेश सरकार ने ढाका में भारतीय हाई कमीशन के लिए हथियार बन्द गार्डों की व्यवस्था कर दी है ।

औषधि और प्रसाधन अधिनियम को यूनानी औषधियों पर लागू किया जाना

1470. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेष रूप से राजधानी में युनानी औषधियों पर औषधि और प्रसाधन अधिनियम लागू नहीं होता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) देश में नकली औषधि निर्माण को रोकने के लिए यूनानी औषधि प्रणाली पर उक्त अधिनियम को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) यूनानी दवायियां औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत आ जाती हैं । आयुर्वेदिक (सिद्ध सहित) और यूनानी दवायियों के लिए बिक्री के निर्माण पर नियंत्रण रखने के नियम औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1970 में निर्धारित कर दिये गए हैं । ये नियम सभी राज्यों पर लागू होते हैं जिनमें केन्द्र शासित दिल्ली भी आ जाती है किन्तु जम्मू व कश्मीर नहीं आता ।

(ग) औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली के अधीन आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां के नियंत्रण के नियमों को लागू करना राज्य सरकारों और केन्द्र शासित सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है। इन नियमों को लागू करने से पूर्व राज्य सरकारों/केन्द्र शासित सरकारों को निम्नलिखित औपचारिकतायें पूरी करनी होती है :—

(1) नियम 152 के उपबन्धों के अधीन लाइसेन्सिग अथारिटी नियुक्त करना ।

(2) आयुर्वेद (सिद्ध सहित) और यूनानी पद्धति का एक-एक विशेष नियुक्त करना जिससे लाइसेन्सिग अथारिटी को नियम 154(2) के उपबन्धों के अनुसार लाइसेन्स मंजूर करने से पहले परामर्श करना होता है ।

(3) नियम 165 के उपबन्धों के अधीन सरकारी विश्लेषक नियुक्त करना ।

(4) नियम 167 के उपबन्धों के अधीन निरीक्षक नियुक्त करना ; और

(5) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 33 (घ) और 33(ङ) के उपबन्धों के अनुसार राज पत्र में एक तिथि अधिसूचित करना जिस तिथि से बिना लाइन्सेस के आयुर्वेदिक (सिद्ध सहित) और यूनानी औषधियों के बिक्री हेतु निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा ।

आयुर्वेदिक और यूनानी दवायियों से सम्बन्धित औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबन्ध पहले से ही आठ राज्यों अर्थात महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, केरल, मैसूर और उड़ीसा में लागू हैं ।

Expenditure on Chambal Bridge on Bhind-Etawah Road

1471. **Shrimati V. R. Scindia :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be plesed to state:

(a) the total expenditure incurred on the newly constructed bridge on the Chambal on Bhind-Etawah road;

(b) the time by which the aforesaid bridge was scheduled to be completed and the date on which it was actually completed; and

(c) the reasons for delay in the completion of the bridge and the action taken against the persons responsible for it?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H. M. Trivedi) : (a) to (c) The Bhind-Etawah road on which the Chambal bridge has been competed is a State road lying partly in U. P. and partly in Madhya Pradesh, The States concerned are, therefore, responsible for the construction of this bridge. In order, however, to assist the State Governments of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh financially in the construction of this bridge, the Govt. of India had offered in 1965 grant-in-aid amounting to Rs, 38.06 lakhs from the Central Road Fund (Ordinary and Special Reserves), the balance being met by the State Government concerned equally from their allocation account in Central Road Fund, An expenditure of Rs, 1,25,84,954.36 paise has been incurred on this bridge as reported by the Govt. of U. P. who were in charge of the execution of the work. The bridge was scheduled to be completed by January 1969 but it was actually completed on the 31st December 1974. The main reasons for delay in the completion of the bridge were stated by the U.P. Govt. to be (i) poor financial condition of the contractor due to which funds could not be managed by him for collecting labour and material to ensure necessary progress, (ii) hard strata met withdrawing the sinking of the wells, (iii) reduction in the working seasons due to frequent fluctuations in water levels during non-flooding periods and larger period of floodings, (iv) practical difficulties in the execution of the work due to abnormal height of piers and hammer head, (v) escalation in the cost of labour and material and (vi) shortage of skilled labour due to dacoit-in fecsted area and they had to be brought from outside. No particular person was considered by the State Govt. to be responsible for the delay in the completion of the bridge.

कोचीन में नौसेना गोदी के निर्माण के लिये प्रस्ताव

1472. **श्री वयालार रवि** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में नौसेना गोदी बनाने के प्रस्ताव में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) कोचीन नौसेनिक केन्द्र में सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाये गये अन्य कदमों के ब्यौरे के साथ साथ उक्त प्रस्ताव की संक्षिप्त रुपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) कोचीन में नौसेना गोदी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) कोचीन में नौसेना पोतों के लिए बंगरगाह सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए 1200 फुट नौसेना जहाजघाट के निर्माण पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

जन्म दर तथा पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य

1473. **श्री वयालार रवि** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में जन्म दर क्या है तथा पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में इसकी स्थिति क्या है ;

(ख) वर्तमान जन्म दर का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में प्रत्येक राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के साथ उसकी क्रमशः तुलनात्मक स्थिति क्या है ; और

(ग) इस परिवार नियोजन अभियान की जोरों से क्रियान्विति के लिए तथा योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) भारत के महा पंजीयक की नमूना पंजीयन योजना के अनुसार वर्ष 1972 में देश की अनुमानित जन्म दर 36.6 प्रति हजार थी, तथापि अनुमान है कि विभिन्न वर्षों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत रोके गये जन्मों की संख्या के फलस्वरुप चौथी योजना के अन्त तक अर्थात् 1973-74 तक राष्ट्रीय जन्म-दर घट कर 35.4 प्रतिहजार जनसंख्या हो गई है जबकि जन्म-दर का लक्ष्य 32 प्रति हजार जनसंख्या रखा गया था।

(ख) नमूना पंजीयन योजना के अनुमानानुसार वर्ष 1972 की राज्यवार जन्म दर (नवीनतम उपलब्ध सूचनानुसार) परिशिष्ट 1 में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 9036/75] चूंकि जन्म-दरों के बारे में राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते, इसलिए तुलना का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) एक विवरण संलग्न है [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 9036/75]

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का विस्तार

1474. **श्री कुमार मांझी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) इस बात को देखते हुए कि कई वर्षों से इस इस्पात कारखाने में रख-रखाव के कार्य की उपेक्षा के कारण विभिन्न संयंत्रों तथा उपस्करों की हालत खराब हो गई है केन्द्रीय सरकार द्वारा कारखाने का प्रबंध संभालने के पश्चात् तात्कालिक आवश्यकता इस बात की थी कि पुराने उपस्करों को बदलने/मरम्मत करने का एक कायक्रम बनाया जाए जिससे यह कारखाना अपनी निर्धारित क्षमता पर उत्पादन करने लगे। यह कार्यक्रम बना लिया गया है और इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। संयंत्र प्रतिस्थापित योजना के पूरा हो जाने के पश्चात् ही उस कारखाने के विस्तार के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा भारत में एक एशियाई संस्थान की स्थापना

1475. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भारत में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक एशियाई संस्थान स्थापित करने के बारे में विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कहां स्थापित किया जायेगा?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) बम्बई में 1 फरवरी 1975 को द्वितीय औद्योगिक संबंध सम्मेलन में दिए गए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक श्री फ्रांसिस ब्लेंचड के अभिभाषण के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इस समय औद्योगिक प्रजातंत्र संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एशियाई संस्थान स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि यह संस्थान कहां स्थापित किया जाएगा।

पिछले दो महीनों के दौरान विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा भारत की यात्रा

1476. **श्री चौधरी राम प्रकाश** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो महिनों के दौरान कितने विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों ने भारत की यात्रा की ;

(ख) क्या हिन्द महासागर को शांति–क्षेत्र बनाये रखने के लिए तथा पश्चिमी एशिया में आणविक हथियार–युक्त क्षेत्र की स्थापना के लिए उनकी हाल की यात्रा के दौरान कोई नीति तैयार की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) सोलह।

(ख) और (ग) हिन्द महासागर को बड़े देशों की स्पर्धा से तथा विदेशी सैनिक अड्डों से मुक्त और शांति क्षेत्र के रूप में बनाए रखने के विषय पर विशिष्ट व्यक्तियों से बातचीत हुई थी। आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों ने हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाए रखने के सिद्धांत का समर्थन किया और दिएगों गार्शिया जैसे पुराने अड्डों के विस्तार का दृढ़ता से विरोध किया। इस सिद्धांत का समर्थन आगे की दिशा में हमारी कोशिश पहले की तरह तेजी के साथ चलती रहेंगी। पश्चिम एशिया को परमाणु अस्त्र रहित क्षेत्र बनाने के प्रश्न पर कोई विचार–विमर्श नहीं हुआ।

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के कर्मचारियों के स्थानान्तरण

1477. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के कितनी कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये और उनमें से कितने कर्मचारी भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड कार्मिक संघों के पदाधारी और सक्रिय सदस्य हैं ;

(ख) क्या सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्र) द्वारा वार्ता/समझौते का प्रयास किया गया था ;

(ग) क्या भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड कामगार संघ ने प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई विरोध प्रगट किया है कि उक्त स्थानान्तरण संघ के सक्रिय सदस्य कों, परेशान करने, दण्ड देने और सताने के उद्देश्य से किये गये थे ;

(घ) क्या भारत गोल्ड माइन्स कार्मिक संघ के पदधारियों और सक्रिय सदस्यों के स्थानान्तरण का प्रश्न समझौता अधिकारियों के विचाराधीन है और क्या उक्त स्थानान्तरण कोलार स्वर्ण क्षेत्र के अन्तगत किये गये हैं अथवा इससे बाहर किये गये हैं ; और

(ङ) क्या कोलार स्वर्ण खान कार्मिक संघ के उप-प्रधान को कोलार स्वर्ण क्षेत्र (कर्नाटक) से रायगिरी स्वर्ण खान चिन्ना भारी खान (आन्ध्र प्रदेश) स्थानान्तरित कर दिया गया था और उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध मुन्सिफ न्यायालय से निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली गई थी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) कोलार स्वर्ण क्षेत्रों के अंदर 585 कामगारों को स्थानान्तरित किया गया था जिनमें से 4 भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड कामगार यूनियनों के पदाधिकारी थे। 34 कामगारों को कोलार स्वर्ण क्षेत्रों के बाहर स्थानान्तरित किया गया, जिनमें से दो भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड कामगार यूनियनों के पदाधिकारी थे। यूनियनों द्वारा कम्पनी को सक्रिय कार्य कर्ताओं के नाम नहीं भेजे गए हैं।

(ख) मैसूर खान कामगार यूनियन के पदधिकारी के स्थानान्तरण का मामला समझोते के अनुसार, सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) बंगलौर के सामने पेश हुआ था। परन्तु उन्होंने मामले पर कारवाई नहीं की क्योंकि उक्त व्यक्ति ने मुनसिफ न्यायालय में अपने स्थानान्तरण के संबंध में मुकदमा दायर किया हुआ था।

(ग) जी, हां। भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड कामगार यूनियन द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का प्रबंधकों द्वारा समुचित उत्तर भेजा जा चुका है। कंपनी के हित में जब कभी आवश्यक हुआ है स्थानान्तरण हुए हैं और यह एक सामान्य प्रक्रिया है, किन्तु वे यूनियन के पदाधिकारीयों/सक्रिय कार्यकर्ताओं को परेशान करने अथवा सताने के उद्देश्य से नहीं किए गए।

(घ) जब भारत गोल्ड माइन्स कामगार यूनियन के पदाधिकारी का स्थानान्तरण संबंधी मामला समझौता अधिकारी के सामने विचाराधीन था, उस समय भारत गोल्ड माइन्स कामगार यूनियन के किसी पदाधिकारी के स्थानान्तरण नहीं किया गया था। यूनियन ने सक्रिय सदस्योंके नाम कम्पनी को नहीं भेजे हैं।

(ङ) भारत गोल्ड माइन्स कामगार यूनियन के उप-प्रधान का कोलार स्वर्ण क्षेत्र से रामगिरी स्वर्ण खानो को स्थानान्तरण किया गया था। उसने मुंसिफ न्यायालय में एक मुकदमा तथा हलफनामा दाखिल किया, जिसमें मुकदमे का निपटारा होने तक प्रबंधकों द्वारा उसे रामगिरी स्थानान्तरित करने से रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का अनुरोध किया गया था। परन्तु न्यायालय ने अस्थायी निषाधाज्ञा आवेदन पत्र को रद्द कर दिया है।

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, लाहौल और स्पीति जिलों में थल और वायुसेना द्वारा राहत कार्य

1478. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थल और वायु सेना के जवानों द्वारा हिमाचल प्रदेश के भूकंप प्रभावित किन्नोर, लाहौल और स्पीति जिलों में किये गये प्रशंसनीय राहत कार्य की ओर सरकार का ध्यान गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनमें से उन जवानों को सेवाओं की प्रसंशा की जायेगी तथा उन्हें उचित पुरस्कार दिया जायेगा, जिन्होंने अवश्य साहस का परिचय दिया है?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां श्रीमन्।

(ख) ऐसे सुयोग्य मामलों पर उचित विचार किया जायेगा, क्योंकि सेना कार्मिकों द्वारा किए गए ऐसे कार्यों के लिए सरहना व्यक्त करने की व्यवस्था है।

सीमा सड़क संगठन के सिविल कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

1479. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमा सडक संगठन के अधीन काम कर रहे सिविल कर्मचारियों के सेवा की शर्तों की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए तथा उनके लिए समुचित उत्साह और पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्। सीमा सडक संगठन के असैनिक कर्मचारियों की सेवा शर्तों का आवश्यक सीमा तक समय-समय पर पुनरीक्षण एवं संशोधन किया जाता है।

(ख) उनकी शिकायत को दूर करने के लिए अलग से कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया है परन्तु कर्मचारियों की कठिनाइयों और शिकायतों पर शीघ्रता से विचार किया जाता है। इन्जीनियरी संवर्ग में जनरल रिजर्व इंजीनियर कोर्स के कर्मचारियों की पदोन्नति की सम्भावनाओं में सुधार के लिए वर्तमान भरती एवं पदोन्नति नियमों को संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि पदोन्नति के अवसरों में सुधार हो सके।

स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीयकरण का सुझाव

1480. **श्री धामनकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में 50 वें अखिल भारतीय चिकित्सा सम्मेलन की अध्यक्षता करते समय भारतीय चिकित्सा संघ के अध्यक्ष ने यह सुनिश्चित करने हेतु स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीयकरण के लिये अनुरोध किया था कि देश में प्रत्येक को चिकित्सा सहायता तथा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त हो सके;

(ख) यदि हां, तो भारतीय चिकित्सा संघ के अध्यक्ष द्वारा दिये गये सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा संघ ने स्वास्थ्य सेवाओं के सबंध में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार लाने के लिये सरकार को एक ज्ञापन पेश किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) दिसम्बर, 1974 में कलकत्ता में हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान के 50 वें सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण पर और उसमें पारित प्रस्तावों पर विचार हो रहा है।

(ग) और (घ) जी हां। देहाती क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को पर्याप्त व्यवस्था करने की दृष्टि से वहां पर स्वास्थ्य कार्यक्रम को चलाने का जो परिवर्तित ढंग सुझाया गया है उसमें शहरी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं का प्राथमिक अस्पतालों और/या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से देहाती क्षेत्रों तक विस्तार करने की बात निहित है। इन सुझावों में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित बातें भी सम्मिलित हैं : 50 लाख जनसंख्या के पीछे एक मेडिकल कालेज की स्थापना जिसमें 600 से 700 पलंगों वाले अस्पताल की सुविधा भी हो, 10 लाख जनसंख्या के पीछे 150 से 250 पलंगों वाले जिला/तालुका अस्पताल, 2.5 लाख जनसंख्या के पीछे 30 पलंगों वाला एक प्राथमिक/परिसीमीय अस्पताल, 40,000 जनसंख्या के पीछे 2 निरीक्षण पलंगों वाला एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो और 20,000 जनसंख्या के पीछे बिना पलंगों वाले एक प्राथमिक स्वास्थ्य एकक की स्थापना।

स्वास्थ्य सहायकों के काडर के प्रशिक्षण के लिए एक उपयुक्त पाठ्यचर्या बनाने के लिए चिकित्सा शिक्षा और सहायक जनशक्ति के एक ग्रुप का गठन किया गया है ताकि वे चिकित्सकों और बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के बीच एक कड़ी का काम कर सकें और इस प्रकार एक ऐसा कारगर दल बन जाए जो लोगों को स्वास्थ्य परिवार कल्याण और पोषण संबंधी सेवाएं प्रदान कर सके। भारतीय चिकित्सा संघ की योजना का प्रारुप इस ग्रुप के सदस्यों में परिचालित कर दिया गया है। इस ग्रुप ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

पोलैण्ड द्वारा जहाजों की पेशकश

1481. **श्री धामनकर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने लाइनरों और बल्क कैरियरस के लिए हल (खोल) बनाने के लिए भारतीय शिपयार्डों में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए पोलैण्ड ने 3,00,000 डी० डब्ल्यू० टी० वाले जहाजों को पेशकश को है;

(ख) यदि हां, तो उस पेशकश की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी): (क) से (ग) जी, नहीं। पौलैण्ड ने सुझाव दिया है कि भारतीय शिपयार्डों में पोलैण्ड की ओर से और पोलैण्ड के डिजायनों, 16000 डी० डब्ल्यू० टी० के जहाजों के लिये हलों और/या भारी माल वाहकों के निर्माण करने की संभावनाओं पर विचार किया जाए। पोलैण्ड को यह बताया गया है कि हमारी प्रतिक्रिया अप्रैल, 1975 के अंत से पहले सूचित की जायेगी।

फरक्का, पश्चिम बंगाल में लूप फैक्टरी

1482. **श्री टुना उरांव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में फरक्का स्थान पर एक "लूप फैक्टरी" स्थापित करने के बारे में सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलादेश से होकर जाने वाली बंगाल-असम नदी सेवा

1483. **श्री टुना उरांव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगला देश से होकर जाने वाली बंगाल-असम नदी सेवा को पुनः आरंभ करने के कार्य को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां।

(ख) कलकत्ता और धुबरी के बीच सेवायें पहले ही शुरू कर दी गई है और कलकत्ता और करीमगंज के बीच सेवाओं को यातायात के उपलब्ध होने पर शुरू होने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल के औद्योगिक टाउनों में लागू की गई कर्मचारी राज्य बीमा योजना

1484. **श्री टुना उरांव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में वर्ष 1972, 1973 और 1974 के दौरान कितने औद्योगिक टाउनों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को सुविधाएं उपलब्ध कराई गई;

(ख) पांचवी योजना के दौरान कितने औद्योगिक टाउनों में उक्त योजना लागू किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस राज्य में इस योजना के अन्तर्गत कितने औषधालय/यूनिट कार्य कर रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्न सूचना भेजी है :—

(क) प्रश्नगत वर्षों के दौरान, कर्मचारी राज्य बीमा योजना को 2-4-72 से एक कस्बे, अर्थात कल्याण तक विस्तृत किया गया।

(ख) योजना के कार्यान्वियन संबंधी कार्य-क्रम राज्य सरकारों से सलाह करके, वर्षप्रति वर्ष के आधार पर बनाया जाता है। 1975-76 संबंधी कार्यक्रम में इस योजना को राज्य में चार नए केन्द्रों तक विस्तृत करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) योजना के अधीन चल रहे औषधालयों एककों की संख्या नीचे दी जाती है:

बीमा चिकित्सकों के क्लिनिक	1601
नियोजकों द्वारा चलाए जाने वाले ऐसे औषधालय, जिन का उपयोग श्रमिक करते हैं .	5
कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की संख्या	9
विशेषज्ञों के केन्द्रों की संख्या	27

Opening of Health Centres in Villages

1485. **Shri Lalji Bhai :** Will the **Minister of Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government propose to open a health centre in every village of India; and

(b) if so, the salient features of the scheme?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) & (b) It is intended to provide atleast one Primary Health Centre for each Community Development Block and one sub-centre each serving a population of 10,000 by the end of 5th Five Year Plan under the Minimum Needs Programme.

A Primary Health Centre provides a package of integrated health-both preventive and curative, family planning and nutrition services to the community in the area covered by the Community Development Block.

The main services provided from a sub-centre are:—

(a) Maternal & Child health care including family planning;

(b) treatment of minor ailments;

(c) recording of births and deaths.

Export of Iron ore to Japan

1486. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the quantity of iron ore exported to Japan and other countries during the year 1973-74 and up to the end of 1974; and

(b) the quantity of steel and iron imported from abroad?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) The quantity of iron ore exported during 1973-74 and April-September, 1974 is given below:

(in million tonnes)

Year	To Japan	To other countries
1973-74	19.235	4.513
Upto September, 1974	6.130	1.508

(b) The quantity of iron and steel materials imported during 1973-74 and April-September, 1974, is indicated below:

(Quantity in tonnes)

Category	1973-74	1974-75 (April-September)
1. Pig Iron Sponge Iron etc.	697	433
2. Perro Alloys	366	728
3. Cast Iron	2,091	1,535
4. Mild Steel	8,48,381	4,30,919
5. High Carbon Steel	93,655	71,066
6. Alloy Steel	79,515	30,105
7. Steel Castings & Forgings	6,539	3,180
8. Iron and Steel Scrap	24,710	3,631
TOTAL	10,55,954	5,41,597

शहरी अस्पतालों में पैथेडीन और मारफीन इंजेक्शनों की कमी

1487. श्री एम० एम० जोजफ : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश शहरी अस्पतालों में कुछ इंजेक्शनों की भारी कमी है;

(ख) क्या कभी कभी अस्पतालों को गम्भीर हृदय रोगों वाले मरीजों के इलाज के लिये पैथेडीन या मारफीन के इंजेक्शनों के बिना काम चलाना पड़ता है तथा दर्द बन्द करने के लिये कम प्रभावकारी औषधियों का उपयोग करना पड़ता है;

(ग) क्या अस्पतालों को उनकी आवश्यकता की केवल एक चौथाई औषधियां मिल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो बेशकीमती मानव जीवन की रक्षा के लिये सरकार का इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एम० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं।

(ख) कभी कभी एक या दो अस्पतालों में पैथेडीन इन्जेक्शनों की कमी हुई थी। किन्तु उपयोग के लिये या तो इन्जेक्शन-पैथेडीन या इन्जेक्शन मारफीन सदा उपलब्ध रहता था।

(ग) दिल्ली नगर निगम के कुछेक अस्पतालों में इन्जेक्शन पैथेडीन की सप्लाई कम रही दूसरे अस्पतालों में इसकी सप्लाई कमेविश उनकी आवश्यकता के अनुसार ही रही।

(घ) जब रोगियों के इलाज के लिए या तो इन्जेक्शन पैथेडीन या इन्जेक्शन मारफीन सदा मौजूद रहता ही था तो इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Employment to Youth in Rural Areas

1488. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration any scheme to provide employment to youth in rural areas; and

(b) if so, the salient features thereof and the time by which it will be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) & (b) In addition to the various Plan programmes in the fields of agriculture, Irrigation, Industry, Transport etc. which have created fresh employment avenues for the unemployed persons both educated and uneducated in urban and rural areas, the Government have during the recent years implemented a number of special schemes designed to create employment opportunities for all categories of job-seekers particularly in the rural areas. These included: (i) Small Farmers Development Agencies, (ii) Marginal Farmers and Agricultural Labour Projects, (iii) Drought Prone Area Programme, (iv) Development of Dry Farming, (v) Area Development Schemes, (vi) Scheme for Agro-Service Centres and (vii) Crash Scheme for Rural Employment.

During 1971-72 a special centrally sponsored scheme for the benefit of educated unemployed persons was also started including schemes relating to expansion and improvement in the quality of primary education, financial assistance to small entrepreneurs for self-employment ventures, rural engineering surveys, agro-service centres, expansion of consumer co-operative stores, investigation of road projects, design units for rural water supply etc. During 1972-73, another programme, namely Special Employment Programme for States and Union Territories was formulated with a provision of Rs. 27 crores on the understanding that the States would mobilise additional resources to an equal extent. In 1973-74, the Government formulated the Half-a-Million Jobs Programme with a view to generating employment and selfemployment opportunities for the educated unemployed persons.

During the current year 1974-75, another programme known as Employment Promotion Programme has been initiated with a thrust on self-employment schemes, with an overall provision of Rs. 40 crores in the Central Budget.

Presently a scheme entitled "Pilot Intensive Rural Employment Project" is also being implemented, which seeks to ascertain the nature and dimension of the problem of unemployment and under-employment in rural areas and to meet the problem with the implementation of selected rural works programmes.

It is expected that considerable job opportunities will be created during the Fifth Plan through the implementation of various schemes of development such as medium irrigation, soil conservation, industry, etc., in the corporate sector, the unorganised sectors and in the tertiary and allied services, trade and commerce, social services, etc.

It will thus be seen that all possible steps are being taken by the Government to promote employment self-employment opportunities in the country for various categories of job-seekers including the educated as well as the uneducated in both urban and rural areas consistent with the availability of resources.

फ्री प्रैसग्रुप आफ न्यूजपेपर्स में हड़ताल के बारे में समझौता

1489. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार-पत्रों, समाचार एजेंसियों और कर्मचारी संघों ने "फ्री प्रैस ग्रुप आफ न्यूजपेपर्स" में हड़ताल का कोई सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए सरकर द्वारा कारगर हस्तक्षेप किए जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) और (ख) आनुमानिक रूप से यह संकेत फ्री प्रैस ग्रुप व पब्लिकेशन्स बम्बई के कर्मचारियों द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों के भारतीय संगठन के अध्यक्ष श्री एस० वी० कोल्पे की मुअत्तली पर 23 दिसम्बर, 1974 से हड़ताल की ओर है। उपलब्ध सूचनानुसार, राज्य औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र के हस्तक्षेप पर पक्षों के बीच एक समझौते का पालन करते हुए हड़ताल वापस ली गई थी और कर्मचारियों ने 23 जनवरी, 1975 से कार्य पुनः संभाला।

चालू लौह अयस्क खानें

1490. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने लौह अयस्क खानों में काम हो रहा है;

(ख) वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में, राज्यवार, और परियोजनावार, अयस्क खानों की संख्या कितनी थी; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या है जहां लौह-अयस्क निक्षेपों का पता लगाया गया है और उन को निकालने का क्या प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) वर्ष 1974 में जिन लोह अयस्क खानों में काम हो रहा था उनकी संख्या 377 थी।

(ख) वर्ष 1972, 1973 और 1974 के दौरान लौह अयस्क की चालू खानों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	राज्य	1972	1973	1974
1	आंध्र प्रदेश	9	6	7
2	बिहार	35	32	32
3	गोआ	169	177	166
4	कर्नाटक	120	116	105
5	मध्य प्रदेश	12	11	10
6	महाराष्ट्र	4	4	4
7	उड़ीसा	53	53	52
8	राजस्थान	1	3	1
	कुल .	403	402	377

यह जानकारी कैलण्डर वर्ष के आधार पर रखी जाती है।

(ग) वर्ष 1974 के दौरान लौह-अयस्क के नए बड़े निक्षेपों का पता नहीं लगा है।

Expenditure on national highways in Madhya Pradesh during Last Three years

1491. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) the amount of expenditure incurred by the Central Government on various highways in Madhya Pradesh during the years 1971-72, 1972-73 and 1973-74;

(b) whether the expenditure incurred in Madhya Pradesh during the aforesaid years was much smaller as compared to other States; and

(c) if so, the reasons therefor?

Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H. M. Trivedi) : (a) Presumably the Member is having in mind the expenditure on National Highways. The required information in this regard is given below:—

Year	Expenditure (Rs. in lakhs)
1971-72	244.11
1972-73	434.19
1973-74	450.47

(b) & (c) The Position differed from State to State and from year to year. While in several cases, the expenditure in Madhya Pradesh was more than certain States, in other cases it was less in varying degrees as compared to some states. It is not possible to give any comparative reasons for this veriation as factors governing expenditure (*e.g.* length of N. Hs in each State, cost of sanctioned schemes, their stage of preparedness for starting the work like finalisation of tenders, progress of work, etc.) differ from State to State and from time to time.

अन्दमान में नौवहन-माल की क्षति

1492. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य जहाजरानी सेवाओं की तुलना में अन्दमान और शेष देश बीच नौवहन-माल की आवा-जाही और उतारने-चढ़ाने में भारी हानि होती है ;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत हानि होती है और वर्ष 1974 में सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी है;

(ग) इतनी अधिक हानि होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) हानि को कम करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी): (क) से (ग) मुख्य भूमि और अंडमान द्वीपों के बीच माल परिवहन में कुछ घाटा होने की सूचना मिली है । 1974 के दौरान कलकत्ता, मद्रास और पोर्ट ब्लेयर में शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा दिये गए माल दावों का मूल्य लगभग 18,000 रुपए था । लगभग कुल 70,000 रुपये के दावे इन पत्तनों पर जांच के लिए अनिर्णीत पड़े है । चूंकि ऐसी देयतायें बीमे के अन्तर्गत आ जाती है, जिनके संबंध में नौवहन कम्पनी, बचाव और क्षतिपूर्ति क्लबों से बीमा कराती है अत: इन दावों के निपटान के बाद, बचाव और क्षतिपूर्ति क्लब शिपिंग कम्पनी को कटौती के अनुसार प्रतिपूर्ति करती हैं ।

माल परिवहनों में घाटा होने का मुख्य कारण निम्न प्रकार से है :—

(1) श्रमिकों की कमी के कारण माल की कम धरा उठाई ।

(2) तटीय श्रमिकों द्वारा निकासी के बाद लदानवार स्टैकिंग बिल का अभाव ।

(3) निकासी के तुरन्त बाद माल के निपटान में देरी ।

(4) असंतोषजनक तुलन पद्धति।

(5) घाटों/गोदामों में पड़े माल की सुरक्षा के अपर्याप्त प्रबंध ।

(घ) माल परिवहनों में होने वाली घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/ करने का प्रस्ताव है :—

(1) पोर्ट ब्लेयर में श्रमिकों की मौजूदा संख्या को बढ़ाने के लिए अंडमान प्रशासन से अनुरोध किया गया है ।

(2) पोर्ट ब्लेयर में ढोये गए/निकाले गए माल का हिसाब किताब रखने के लिए शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया ने अपने लेखा लिपिक नियुक्त करने का फैसला किया ।

(3) पोर्ट ब्लेयर के सुरक्षा संबंधी प्रबन्धों सहित निकासी और मालगोदाम में रखने के मौजूदा प्रबन्धों की विस्तृत अध्ययन शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा किया जा रहा है और इस संबंध में उचित प्रस्ताव, अंडमान प्रशासन को उनके विचार कार्यान्वियन के लिए भेज दिये जायेंगे ।

सिगरेट निर्माताओं द्वारा सिगरेट के प्रत्येक पैकट पर "स्मोकिंग इज ए हल्थ हजार्ड" का छापा जाना

1493. **श्री वरक जार्ज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब से सरकार का विचार सिगरेट निर्माताओं को सिगरेट के प्रत्येक डिब्बे पर "स्मोकिंग इज ए हैल्थ हजार्ड" शब्द छापने के लिये कहने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अनुदेश हिन्दी में भी प्रदर्शित किये जायेंगे ताकि जो व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानते वे भी उन में छपे अनुदेशों का पालन कर लाभान्वित हो सकें ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां । सिगरेट के प्रत्येक पैकट पर सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर इस आशय की चेतावनी छापने के लिये कानून बनाने का विचार है ।

(ख) विचार यह है कि यह चेतावनी उसी भाषा में हो जो भाषा उस पैकिट या लेबल पर प्रयुक्त हुई हो ।

ईराक को भारतीय विशेषज्ञ

1494. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ईराक को विशेषज्ञ भेजती रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में भेजे गये विशेषज्ञों की संख्या तथा अन्य ब्यौरा क्या है ; तथा विशेषज्ञों के चयन की क्या कसौटी है ;

(ग) क्या इन विशेषज्ञों को किन्हीं शर्तों पर भेजा जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) हम भारतीय विशेषज्ञों की सेवा सुलभ कराने में ईराक के साथ सहयोग कर रहे हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में ईराक की सरकार ने इंजीनियरी, औषधि, शिक्षण, खेती-बाड़ी के लगभग 500 विशषज्ञों को चुना है। इनका चुनाव विशेषज्ञों की उन सूचियों में से किया गया है जो भारत सरकार ने ईराकी प्राधिकारियों द्वारा बताई गई कार्य सबंधी आवश्यकताओं के अनुसार तैयार की थी।

(ग) और (घ) चुने हुए कर्मचारी, उस मानक संविदा के अधीन काम करेंगे जिसमें काम की अवधि, वेतनमान, रहन-सहन का खर्च, मकान भत्ता और निःशुल्क चिकित्सा सेवा का उल्लेख होगा।

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन/वितरण

1495. श्री वसन्त साठे :
श्री धामनकर :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड में पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन मई, 1974 से दिसम्बर, 1974 तक प्रभावित रहा है और खराब पिक्चर ट्युबें लघु एककों को जून, 1974 में सप्लाई की गई ;

(ख) यदि हां, तो पिक्चर ट्यूबों के उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं और पिक्चर ट्यूबों का सामान्य उत्पादन और समान वितरण सुनिश्चित करने तथा 2500 सैट प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता वाले छोटे एककों की ओर विशष ध्यान दिये जाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायगी ; और

(ग) क्या भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड छोटे एककों को खराब ट्यूबों के लिए, बिक्री कर, ढुलाई प्रभार और राशि के ब्याज सहित क्रेडिट देगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड में पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन मई, 1974 से दिसम्बर, 1974 के दौरान विभिन्न कारणों से प्रभावित हुआ जिसका मुख्य कारण राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लगाई गई बिजली में भारी कटौती थी। उत्पादन प्रभावित न होने देने के लिए उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया जिसके परिणामस्वरूप जून, 1974 में कुछ खराब पिक्चर ट्यूबें बनी। यद्यपि, भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड फैक्टरी से प्रेषण के समय य पिक्चर ट्यूबें सामान्य विशिष्टियों के अनुरूप थीं परन्तु उपभोक्ता के यहां उपयोग करते समय इन में कुछ खराबी उत्पन्न हो गई थी। जब खराबी को भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के ध्यान में लाया गया तो उन्होंने प्रभावी एककों की कठिनाइयों को कम करने के लिए इन पिक्चर ट्यूबों को वापस ले लिया, उन्होंने इन खराब पिक्चर ट्यूबों की कीमत भी वापिस कर दी है जिसमें बिक्री कर एवं भाड़ा भी सम्मिलित है परन्तु कोई ब्याज नहीं दिया।

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के लिए बिजली की कटौती को अब काफी सीमा तक समाप्त कर दिया गया है। कम्पनी ने प्रक्रिया खराबी को दूर करने के लिए भी कदम उठाए हैं। इन कदमों के परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि भारत इलैक्ट्रोनिक्स 1974-75 के दौरान कुल मिला कर लगभग 60,000 पिक्चर ट्यूबें बनाने में समर्थ होगी। पिक्चर ट्यूबों के "समान वितरण" के बारे में भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, भारत इलैक्ट्रोनिक्स में पिक्चर ट्यूबों के उत्पादन, वर्ष 1973 और 1974 के दौरान लघु उद्योगों और संगठित सैक्टरों दोनों में ही टी०वी० रिसीवर निर्माताओं के वास्तविक निष्पादन और नए एककों को न्यूनतम समान सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रोनिक्स विभाग द्वारा इस बारे में कम्पनी को बताए गए मार्गदर्शी निदेशों का अनुकरण कर रहा है।

कानपुर के रक्षा वैज्ञानिकों द्वारा साधारण ग्रेफाइट को हीरे में बदलने की तकनीक का विकास

1496. **श्री सी० एम० सिन्हा :**
डा० कर्णी सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में अत्यधिक विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग करने वाले रक्षा वैज्ञानिकों ने एक तकनीक का विकास किया है जिस से साधारण ग्रेफाइट को हीरे में तुरन्त बदला जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस तकनीक के और विकास को प्राथमिकता देने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में अस्पतालों की शोचनीय दशा

1497. **श्री एम० एस० पुरती :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :
श्री हरी सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिकांश सरकारी अस्पतालों की दशा खराब है और वहां पर रोगियों की भीड़-भाड़, कर्मचारियों की कमी और धन की कमी की समस्याएं हैं ;

(ख) क्या बिहार जैसे राज्यों में गांवों और छोटे नगरों के अस्पतालों की दशा शोचनीय है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही भेज दी जायेगी ।

Non-Availability of Medicines In M. P.

1498. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Health & Family Planning** be pleased to state:

(a) whether medicines are not available in district headquarters and divisional/block headquarter level hospitals in Madhya Pradesh; and

(b) if so, whether Government propose to give some special grant to Madhya Pradesh for medicines?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) & (b) The information is being collected and will be furnished as soon as it becomes available.

रक्तदान करने वालों द्वारा रक्त के वाणिज्यिक विक्रय पर प्रतिबन्ध

1499. श्री वसन्त साठे :
श्री अरविन्द एम० पटेल :
श्री वेकारिया :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन सोसाइटी आफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अध्यक्ष ने सरकार से अनुरोध किया है कि रक्तदान करने वालों द्वारा रक्त के वाणिज्यिक विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु कानूनी और प्रशासनिक उपाय किय जायें और रक्त-आधान कार्यक्रम को ऐच्छिक आधार पर रखा जाये ;

(ख) इंडियन सोसाइटी आफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने अन्य क्या सुझाव दिये हैं ; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) रक्त दाताओं द्वारा व्यापार के तौर पर रक्त बेचने पर प्रतिबन्ध लगाने और रक्ताधान कार्यक्रम को ऐच्छिक आधार पर चलाने के बारे में इंडियन सोसाइटी आफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अध्यक्ष से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में शिपयार्ड में उत्पादन

1500. श्री वसन्त साठे : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के अर्ध-विकसित जिले रत्नागिरि में इटेलियन, पोलिस और मैक्सिकन डिजाइनों पर आधारित बजरे बनाने और तटवर्ती व्यापार के लिये जहाज बनाने के लिए 3 करोड़ रुपये के मूल्य के जहाज बनाने हेतु कारखाना शीघ्र चालू हो जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं और उसको कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) सरकार को कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रोजगार, आय और वितरण के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रधान से बातचीत

1501. श्री वसन्त साठे : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रधान ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान सरकार के प्रतिनिधियों से रोजगार, आय और वितरण की समस्याओं पर चर्चा की थी और यह संकेत दिया था कि विश्व संगठन किन क्षेत्रों में भारत की सहायता कर सकता है ;

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या अनवर्ती कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा : (क) से (ग) 25 जनवरी, 1975 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक और श्रम मंत्री में जो विचार-विमर्श हुआ, वह सामान्य प्रकार का था, जिसके दौरान महानिदेशक ने, आय वितरण संबंधी समुचित राष्ट्रीय नीतियां बनाकर बेरोज़गारी और अपूर्ण बेरोजगारी को कम करने संबंधी राष्ट्रीय लक्ष्यों को निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस सिलसिले में उन्होंने रोजगार, आय-वितरण, सामाजिक प्रगति और श्रमिकों के अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाग के बारे में 1976 में किसी समय एक तृतीय विश्व सम्मेलन बुलाने संबंधी प्रस्ताव का जिक्र किया, जिसकी केन्द्रीय विषय वस्तु, विकासशील देशों की रोजगार पैदा करने वाली और आय वितरण के उद्देश्य वाली युक्तियों को सुदृढ़ बनाने के लिए सम्भव उपायों की पुनरीक्षा हो सकती है।

पाकिस्तान द्वारा चीन से अधिक सैनिक सहायता प्राप्त करने की धमकी

1502. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक समाचारपत्र के 22 दिसम्बर, 1974 के अंक में "भूट्टो द्वारा चीन से और अधिक सैनिक सहायता प्राप्त करने की धमकी" के बारे में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में समाचारपत्रों में इस प्रकार के समाचार भी देखें हैं कि यदि अन्य देशों ने पाकिस्तान को परम्परागत शस्त्र सप्लाई करने से इन्कार किया तो बाध्य होकर पाकिस्तान को आणविक शस्त्रों का विकास करना पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) भारत सरकार का यह पक्का विश्वास है कि दोनों देशों के लोगों के यह व्यापक हित में है कि दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य हों ताकि शिमला करार में लिखित बातों के अनुसार उपमहाद्वीप में स्थायी शांति स्थापित हो सके। आधुनिक हथियारों को अपनी आवश्यकता से अधिक पाने के पाकिस्तान के निरंतर प्रयास से सामान्यीकरण की प्रक्रिया में रुकावट आएगी और हो सकता है कि उससे इस क्षेत्र में स्थायी शांति की प्राप्ति में बाधा पड़े।

"पोलियो" का उन्मूलन

1503. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में 'पोलियो' के उन्मूलन को भी सम्मिलित करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) जी नहीं, परन्तु देश के अधिकांश अस्पतालों / औषधालयों में, जहां बच्चों के इलाज की सुविधायें उपलब्ध हैं, पोलियो से बचाव की सुविधाए मौजूद हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

Reported Statement by Mr. Bhutto Regarding Hartal in Kashmir

1504. **Shri M. C. Daga :**
Shri Bhogendra Jha :
Shri H. K. L. Bhagat :
Shri Narayan Chand Parashar :
Shri Ramsahai Pandey :
Shri Hari Singh :
Shri G. P. Yadav :
Shri M. M. Joseph :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the reaction of Government to the recent statements reported to have been made by Mr. Bhutto regarding Hartal in Kashmir;

(b) whether his statements were not against the spirit of Simla Agreement; and

(c) whether Government are in agreement with the statement made by Sheikh Abdullah in reply to those of Mr. Bhutto on Kashmir?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) & (b) Prime Minister Bhutto's call for hartal in Jammu & Kashmir amounts to direct interference in the internal affairs of India and is thus in violation of the Simla Agreement. Pakistan Government has been informed accordingly.

(c) Sheikh Mohammad Abdullah has generally expressed the view that if the Prime Minister of Pakistan had the good of the people of J &K at heart, he should have welcome the developments taking place in the state of J & K. Government endorses these sentiments.

Enforcement of Gratuity Act

1505. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether Government have passed the Gratuity Act;

(b) if so, the names of the States which have framed rules thererunder;

(c) the names of the States in which labourers have so far received benefit of this Act, indicating the number of such labourers in each State; and

(d) whether Government have found it difficult to enforce this Act after it was passed and if so, the nature of difficulty experienced by Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri [Balgovind Verma) : (a) Yes.

(b) According to information available, State Governments of Bihar, Maharashtra, West Bengal, Punjab, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Orissa, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Rajasthan, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh and Union Territory Administrations of Andaman & Nicobar Island, Delhi, Pondicherry, and Chandigarh, have framed Rules under the Payment of Gratuity Act, 1972.

(c) The Act extends to the whole of India. Statistics about the number of persons who have received benefits under the Act are not available.

(d) No special difficulties have been experienced in the enforcement of the Act.

वर्ष 1974–75 में जम्मू और काश्मीर को पुनर्वास सहायता

1506. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू और काश्मीर राज्य में इस समय शिविरों में रह रहे शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु वर्ष 1974–75 में केन्द्र द्वारा राज्य को दी गई सहायता का राज्य सरकार द्वारा कहां तक उपयोग किया गया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : 1–4–1974 की स्थिति के अनुसार छम्ब से विस्थापित हुए लगभग 17,400 व्यक्ति जम्मू और काश्मीर में राहत शिविरों में रह रहे थे। पुनर्वास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन, उनके राहत और पुनर्वास से संबंधित कार्य की देख-रेख छम्ब विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास प्राधिकरण द्वारा की जा रही है। विस्थापित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए 1974–75 के दौरान प्राधिकरण को 240 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। उपर्युक्त की गई व्यवस्था में से प्राधिकरण ने जनवरी 1975 तक 112.91 लाख रुपए का खर्च किया है। अब तक, 383 परिवारों को पुनर्वास स्थलों को भेजा गया है और उन्हें मंजर की गई पुनर्वास सहायता दी जा रही है।

महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध करने के लिए विधेयक

1507. **श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का उपबन्ध करने वाला विधेयक संसद् में लाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : जी हां।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में परिवहन का विकास

1508. **श्री मधु दंडवते** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में विभिन्न प्रकार के परिवहन साधनों के विकास हेतु चार पंचवर्षीय योजनाओं में कितनी राशि रखी गई है ; और

(ख) प्रत्येक योजना अवधि में कितना विकास हुआ और कितना व्यय हुआ ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०एम०त्रिवेदी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

लघु उद्योगों को स्पर्धात्मक मूल्य पर इस्पात

1509. **श्री मधु दंडवते** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों को इस्पात का कोटा नियत करने की प्रक्रिया क्या है ;

(ख) क्या लघु उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में इस्पात स्पर्धात्मक मूल्यों पर ही मिलता है ; और

(ग) यदि हाँ, तो लघु उद्योग को उसी प्रकार का उत्पादन करने वाले बड़े उद्योगों की तुलना में हानि न हो, यह सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) देश के समस्त लघु उद्योगों को इस्पात की सप्लाई अधिकतर सम्बन्धित राज्य लघु उद्योग निगमों की मार्फत की जाती है। ये कारपोरेशन अपने-अपने राज्यों की ईकाईयों की आवश्यकताओं का स्वयं अनुमान लगाती हैं और संयुक्त संयंत्र समिति को समेकित मांग भेजती है। जो माल प्राप्त होता है उसका वितरण ये कारपोरेशन अपने-अपने डिपुओं की मार्फत करते हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने सिद्धान्तः यह बात मान ली है कि राज्य लघु उद्योग निगमों की मार्फत दिया जाने वाला लोहा और इस्पात लघु उद्योग इकाइयों को लगभग उन्हीं मूल्यों पर मिलना चाहिए

जिन पर मुख्य इस्पात कारखानों से सीधे माल लेने वालों को मिलता है। अभी इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इस निर्णय को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाए।

इस्पात के उत्पादन में कमी

1510. श्री मधु दंडवते : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के उत्पादन के लक्ष्यों की तुलना में गत तीन वर्षों में उत्पादन में कमी रही और ये लक्ष्य भी निर्धारित क्षमता से बहुत कम रखे गये थे ; और

(ख) निर्धारित क्षमता से बहुत कम उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने के क्या कारण थे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) संलग्न विवरण में पांच सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों (भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, टिस्को तथा ईस्को) की विक्रेय इस्पात की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता तथा वर्ष 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 के उत्पादन लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन दिखाया गया है।

(ख) सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग कई आन्तरिक तथा बाह्य कारणों पर निर्भर है। इसलिए वार्षिक उत्पादन लक्ष्य सभी सम्बन्धित कारणों तथा सीमाओं, यथा संयंत्र तथा उपस्करों की स्थिति, निकट भूत में इन कारखानों के कार्यकरण बिजली की सम्भावित उपलब्धि, परिवहन तथा अन्य आवश्यक आदान जिसमें कोयला भी शामिल है, मालिक-मजदूर संबंधों की स्थिति, बाजार की मांग आदि को ध्यान में रख कर निर्धारित किए जाते हैं।

विवरण

सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों की वार्षिक क्षमता तथा वर्ष 1971-72 से 1973-74 तक का विक्रय, इस्पात का उत्पादन लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन

(हजार टन)

कारखाना	वार्षिक निर्धारित क्षमता	1971–72		1972–73		1973–74	
		लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन
भिलाई . . .	1965	1720	1568	1790	1746	1790	1682
दुर्गापुर . .	1239	877	432	729	477	773	377
राउरकेला .	1225	999	597	889	765	875	736
टिस्को . . .	1500	1400	1387	1425	1458	1500	1200
इस्को . . .	800	623	493	640	347	503	358
कुल .	6729	5619	4477	5473	4793	5441	4353

नई दिल्ली में पैलिस्टीन लिबरेशन आर्गेनाइजेशन का कार्यालय खोला जाना

1511. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेलिस्टीन लिबरेशन आर्गेनाइजेशन को नई दिल्ली में अपना कार्यालय खोलने की अनुमति देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का औचित्य क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने फिलस्तोनी मुक्ति संगठन के नेतृत्व में फिलस्तोनी लोगों के पक्ष का बराबर समर्थन करती रही है क्योंकि इसी संगठन को फिलस्तोनी लोगों का मात्र प्रतिनिधि संगठन व्यापक रूप से माना गया है। सरकार को यह जानकर संतोष हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र में फिलस्तोनी मुक्ति संगठन को मान्यता मिली है। भारत सरकार ने इसीलिए फिलस्तोनी मुक्ति संगठन के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है कि दिल्ली में उनका कार्यालय स्थापित हो।

सेन्टर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स की सदस्यता का सत्यापन करना

1512. श्री रोबिन सेन :
श्री मोहम्मद इस्माइल :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में सेन्टर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज की सदस्यता का सत्यापन कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे मान्यता देने के बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोलार की सोने की खानों में काम करने वाले श्रमिकों की मांगें

1513. श्री रोबिन सेन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कोलार की सोने की खानों (मैसूर) के श्रमिकों की इस मांग को ओर दिलाया गया है कि उन को मजूरी बढ़ाकर अन्य खान श्रमिकों के बराबर की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां। भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के कामगारों ने विभिन्न मांगें उठाई थी, जिनमें से मुख्य मांग निकटवर्ती इंजीनियरी उद्योग के सरकारी प्रतिष्ठापनों के समान मजदूरी वृद्धि की थी। हाल के प्रतिवेदनों में उन्होंने कोयला खानों के कामगारों के समान मजदूरी वृद्धि की मांग की है।

(ख) कामगारों ने अपनी मांगें सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के सामने औद्योगिक विवाद के रूप में उठाई थी, जिसमें निकटवर्ती इंजीनियरी उद्योग के सरकारी प्रतिष्ठानों के समान मजदूरी वृद्धि की मांग शामिल थी। उसने सरकार को विफल रिपोर्ट भेजी है, क्योंकि वह निकटवर्ती इंजीनियरी उद्योग के सरकारी प्रतिष्ठानों के समान मजदूरी वृद्धि की मुख्य मांग पर कोई समझौता नहीं करा सके। सरकार के विचार से कामगारों की इंजीनियरी उद्योग के सरकारी प्रतिष्ठानों के समान मजदूरी ढांचे में संशोधन की मांग उचित नहीं है। भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के कामगारों के सम्पूर्ण मजदूरी-ढांचे के पुनः निर्धारण हेतु पहले एक सदस्यीय समिति की नियुक्ति की गई थी। उक्त समिति ने मजदूरी वृद्धि के बारे में अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत कर दी हैं और उन पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

इस्पात का आयात

1514. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बता की कृपाने करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कितने मूल्य का कितना इस्पात आयात किया जायेगा और 31 मार्च, 1975 तक कितने मूल्य का कितना इस्पात आयात किया जायेगा और आयात किन देशों से किया गया ;

(ख) ऐसा विशिष्ट प्रकार का इस्पात कितना और कितने मूल्य का जो देश में नहीं बनाया जा सकता और जो स्थानीय मांग पूरा करने के लिए नितान्त आवश्यक है ; और

(ग) ऐसे इस्पात के देश में उत्पादन के लिए क्या उपाय किये गये है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) इस्पात का वास्तविक आयात उसकी मात्रा में तथा उतने मूल्य का किया गया जिसका देश में उत्पादन नहीं किया जा सकता था। अप्रैल-सितम्बर, 1974 की अवधि में आयात किये गये इस्पात की मात्रा और मूल्य निम्न-लिखित है :—

	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रुपये)
साधारण इस्पात	4,30,219	11,855
हाई कार्बन इस्पात	71,066	1,882
मिश्रित इस्पात	30,105	2,339
	(स्त्रोत डी० जी० सी० आई० एस०)	

आशा है वर्ष के उत्तरार्ध में देशीय उपलब्धि में सुधार होने से आयात कम रहेगा।

आयात मुख्यत: जापान, यू० के०, रुस, बेलजियम, जर्मन संघ-गणराज्य, बलगारिया, हंगेरी और चेकोस्लोवाकिया से किया जाता है।

देशीय उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्तमान क्षमताओं का विस्तार किया जा रहा है और नई क्षमताओं का सृजन किया जा रहा है।

इस्पात का निर्यात

1515. **श्री एस० आर दामाणी : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में 31 दिसम्बर, 1974 तक कितने मूल्य के कितने इस्पात का निर्यात किया गया और 31 मार्च, 1975 तक कितना इस्पात निर्यात करने की वचनबद्धता है ;

(ख) किन देशों को निर्यात किया गया ;

(ग) प्रतिवस्तु निर्यात मूल्य कितना लिया गया और यह मुख्य उसी प्रकार की वर्ग के आयात मूल्य से कम है या अधिक; और

(घ) दोनों मूल्यों में अन्तर के क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) चालू वित्त वर्ष में 31-12-1974 तक सभी स्रोतों से कुल मिला कर लगभग 90,000 टन लोहा और इस्पात निर्यात किया गया। निर्यात किये गये इस माल का मूल्य लगभग 9 करोड़ रुपये हैं, 31, मार्च, 1975 तक 14.40 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग 123,000 टन के निर्यात की आशा है।

(ख) जिन देशों को निर्यात किया जाता है उनमें ईरान, दुबाई, मसकट, आबूदाबी, कुवैत, बहरीन, दोहा, कीनिया, श्री लंका और बंगला देश सम्मिलित है।

(ग) और (घ) इस समय जिन मदों का निर्यात किया जा रहा है उनका आयात नहीं किया जा रहा है।

पान्डु, कानपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अस्पताल

1516. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान पान्डु, कानपुर स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल के दोषपूर्ण कार्यकरण की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उक्त अस्पताल के कार्यकरण को सुधारने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्न लिखित सूचना भेजी है :—

(क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, पान्डुनगर, कानपुर के दोषपूर्ण कार्यकरण के संबंध में दिसम्बर, 1974 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सीय देख रेख की व्यवस्था राज्य सरकारों का सांविधिक दायित्व होने के कारण, उत्तर प्रदेश की सरकार को मामले की जांच करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कर्मचारी राज्य बिमा अस्पताल, पान्डुनगर, कानपुर के कार्यकरण में पहले की तुलना में काफी हद तक सुधार हुआ है और अस्पताल के कार्यकरण में और सुधार लाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

आयुध कारखानों में काम कर रहें भूत पूर्व सैनिकों के वेतन निर्धारण के बारे मे इच्छापूर आर्डनेंस फैक्टरी यूनियन से प्राप्त ज्ञापन

1517. श्री कृष्ण चन्द हल्दर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को आयुध कारखानों में काम कर रहे भूतपूर्व सैनिकों के वेतन के निर्धारण के बारे में इच्छापुर आर्डनेंस फैक्ट्रीज मजदूर यूनियन से कोई ज्ञापन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) यूनियन ने बताया है कि स्थानीय गोला बारुद कारखानों में पुनियुक्त पेंशन पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों का वेतन नियतन रक्षा सेवाओं में सिविलियन (परिशोधित वेतन) नियम 1973 के अनुसार नहीं किया गया है जिसके फलस्वरुप प्रत्येक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 50 रुपए से 100 रुपए के मध्य हानि हुई है। यूनियन ने आग अनुरोध किया है कि स्थानीय गोला बारुद कारखानों में पुर्ननियुक्त पेंशन पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों का परिशोधित वेतन नियम 1973 के अनुसार शीघ्र वेतन नियत किया जाना चाहिए।

(ग) रक्षा सेवा अनुमानों से वेतन प्राप्त करने वाले और 1-1-1973 को सिविल पदों पर पुर्ननियोजित भूतपूर्व सैनिकों के रक्षा सेवाओं में सिविलियन (परिशोधित वेतन) नियमावली, 1973 के अधीन वेतन नियतन के संबंध में सरकारी आदेश 20-3-1974 को जारी किए गए थे। सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि उपर्युक्त आदेशों के अन्तर्गत न आने वाले व्यक्ति विशेष के प्रत्येक मामले पर उसके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

सिंध (पाकिस्तान) से आये विस्थापित लोगों के दावों का निबटारा

1518. श्री धामनकर : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंध (पाकिस्तान) से आये विस्थापित लोगों, जो अब सामान्यत: देश के विभिन्न भागों में और विशेषत: थाना जिले की उल्हासनगर और कोपरी कालोनी में बसे हैं, के दावों के निबटारे के लिए कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) क्या सरकार इन अनिर्णीत मामलों के शीघ्र निपटान हेतु उल्हासनगर में एक अस्थायी निबटान कार्यालय और एक स्थानीय सलाहकार समिति स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी; और

(ग) अनिर्णीत पड़े मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) विस्थापित व्यक्तियों की किसी विशिष्ट श्रेणी या वैयक्तिक कालोनियों के सबध में अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं ।

(ख) और ( ) उल्हासनगर में अनिर्णीत दावों के निपटान तथा मुआवजे के कार्य को पूरा करने की दृष्टी से सटिलमेंट विंग के अधिकारी समय-समय पर कालनियों का दौरा करते हैं। उन्हें राज्य सरकार के स्थानीय अधिकारियों की सहायता से शेष मामलों को शीघ्र निपटाने का अनुरोध किया गया है ।

भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिकों का आदान-प्रदान

1519. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान के बीज राजनियिकों के आदान-प्रदान के लिय कोई पूर्व शर्तें रखी हैं ;

(ख) क्या उक्त शर्तें कश्मीर के मामले से संबंधित हैं ; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मेडिकल शिक्षा की वर्तमान पद्धति में परिवर्तन

1520. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन असोसियशन फार एडवांसमेन्ट आफ मेडिकल एज्युकेशन के वार्षिक सम्मेलन ने सुझाव दिया है कि मेडिकल शिक्षा की वर्तमान पद्धति में परिवर्तन किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) हाल ही में जनवरी, 1975 में इडियन एसोसियशन फार एडवांसमेन्ट आफ मड़िकल एजुकेशन के जोधपूर में हुए वार्षिक सम्मेलन में चिकित्सा शिक्षा की वर्तमान पद्धति में कुछ ऐसे परिवर्तन लाने के सुझाव दिए गये, जिससे यह पद्धति समाज के अनुकूल बन सके और ऐसे बेसिक डाक्टर तैयार हो सकें जिन्हें आम लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का ज्ञान हो और जो वर्तमान आधारिक ढांचे में काम करने के लिये तैयार हों। इन सुझावों को भारत सरकार द्वारा नवम्बर 1974 में गठित किये गये चिकित्सा शिक्षा तथा सहायक जन शक्ति संबंधी ग्रुप के पास भेज दिया है ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के माध्यम से इस्पात आयात करना

1521. **श्री राम सहाय पांडे :**
श्री हरी सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस्पात का सारा आयात हिन्दुस्तान स्टील लि० के स्थान पर भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के माध्यम से करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :(क) और (ख) 1 जनवरी 1975 से इस्पात तथा इस्पात सामग्री का आयात सेल इन्टरनेशनल लि० की मार्फत किया जा रहा है। इस कम्पनी को इस्पात सामग्री के निर्यात के लिए माध्यम अभिकरण 23 जलाई, 1974

से बनाया गया था। निर्यात को अधिकाधिक करने की आवश्यकता तथा आयात के लिए सभी प्रयत्नों को समन्वित करने के विचार से यह आवश्यक समझा गया कि इस उद्देश्य के लिए केवल एक ही अभिकरण होना चाहिए। "सेल" इन्टरनेशनल जिसे अब एक निर्यात-गृह के रुप से मान्यता मिल गई है, की स्थापना का मुख्य कारण यही था।

औद्योगिक क्षेत्र में हडतालों के कारण नष्ट हुए जन दिवस

1522. **श्री इरा सेझियान :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974 में हड़तालों के कारण औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितने जन दिवसों की हानि हुई ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : उपलब्ध अनंतिम सूचनानुसार, वर्ष 1974 के दौरान औद्योगिक (हड़तालों और तालाबन्दियों) के कारण हानि हुए श्रम दिनों की संख्या 312.7 लाख थी।

भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार

1523. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेटालर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा भिलाई इस्पात संयत्र के विस्तार सम्बन्धी व्यवहार्यता प्रतिवेदन पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय म उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) सम्भवत: अभिप्राय कारखाने की इस्पात पिण्ड की क्षमता का 25 लाख टन से 50 लाख तक विस्तार करने से हैं। मेटालर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स (इंडिया) लि० ने इस विस्तार के लिए एक विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० इसकी जांच कर रही है।

प्रायोजना प्रतिवेदन में एल०डी०कन्वर्टरों की स्थापना, निरन्तर ढलाई की सुविधाओं और एक प्लेट मिल लगाने की परिकल्पना की गई है। विस्तार कार्य के पूर्ण हो जाने पर उत्पादित पिण्डों की अतिरिक्त मात्रा से बिक्री के लिए 250,000 टन बिलेट तथा 900,000 टन प्लेट उपलब्ध होगी।

ग्रामीण स्वास्थ्य सहायकों (हेल्थ असिस्टेंट) की नियुक्ति

1524. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण स्वास्थ्य सहायकों के लिए एक संस्थान आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है जो कि ग्रामीण चिकित्सकों (रूरल प्रैक्टीशनरों) उस योजना के समान है जिस पर कुछ समय पूर्व विचार किया गया था परन्तु त्याग दिया गया था ;

(ख) यदि हां तो ग्रामीण स्वास्थ्य सहायकों के पदों पर नियुक्ति के लिए क्या अर्हताए अपेक्षित हैं तथा इसके उम्मीदवार कहां से लिए जायेंगे ; और

(ग) ग्रामीण चिकित्सक योजना को त्यागते समय तथा अन्य अवसरों पर फार्मासिस्टों को दिये गये आश्वासनों को देखते हुए फार्मासिस्टों की ग्रामीण स्वास्थ्य सहायकों की तुलना में क्या स्थिति है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) से (ग) चिकित्सा और स्वास्थ्य सहायकों का एक काडर बनाने के प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा गठित एक ग्रुप विचार कर रहा है। फार्मासिस्टों को कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

भारत के मेडिकल कालेजों और अस्पतालों में विदेशी औषधि गृहों की घुसपेठ

1525. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में दिल्ली में औषधि और स्वास्थ्य के बारे में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसका केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उद्घाटन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्वान चिकित्सकों और मेडिकल वैज्ञानिकों ने विदेशी औषधिगृहों के विरुद्ध भाषण दिए थे, जिन्होंने मेडिकल कालेजों की निष्ठा बदलने के लिए उनमें घुसपेठ की है और सन्देहास्पद महत्व की तथा नकली औषधियों को खरीदने के लिए देश के अस्पताल के अधिकारियों पर जोर डाला जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की स्थिति को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

फार्मासिस्टों के लिए वेतनमान

1526. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्मासिस्टों के सम्बन्ध में वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किये गए वेतनमानों को लागू किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वे वेतनमान क्या हैं और प्रत्येक वेतनमान कितने वर्षों तक चलता है ?

(ग) कितने फार्मासिस्ट अधिकतम वेतनमान पर रूके पड़े हैं तथा आगामी दो वर्षों में कितने फार्मासिस्ट अधिकतम वेतनमान पर रुक जायेंगे ; और

(घ) कितने फार्मासिस्टों ने 10 से 20 वर्षों तक की सेवावधि पूरी कर ली है और कितने फार्मासिस्टों ने 5 से 10 वर्षों तक की सेवावधि पूरी की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय राजदूत द्वारा आयोजित भोज में डा० किसींजर का वक्तव्य

1527. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के लिए मनोनीत अमरीकी राजदूत का स्वागत करने के लिए श्री टी० एन० कौल द्वारा आयोजित भोज में अमरीकी विदेश मंत्री डा० हैनरी किसींजर ने इस बात की पुष्टि की है कि अमरीका ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे शिमला समझौता द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में शान्ति स्थापित करने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हो ;

(ख) क्या डॉ० किसींजर ने इस बात की भी पुष्टि की है कि अमरीका न तो इस क्षेत्र में प्रतिद्‌बन्दिता बढ़ाने का इच्छुक हैं और न सत्ता की राजनीति खेलना चाहता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के वक्तव्य केवल दुनिया को दिखाने के लिये थे अथवा इस देश के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने की वास्तविक इच्छा पर आधारित थे ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने इस आशय क एक रिपोर्ट देखी है ।

(ग) जायजा लेते समय, सरकार अमरीकी सरकार की घोषणाओं को और स्थिति विशेष में उसकी कार्यवाहियों को ध्यान में रखेगी ही ।

भारतीय वायु सेना के लिए माल वाहक विमान का निर्माण

1528. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री एच० के० एल० भगत :

क्या **रक्षा** मंत्री हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड कानपुर में मालवाहक विमान बनाने के निर्णय के 20 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 506 उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मालवाहक विमान के निर्माण में अनुमानित लागत कितनी आयेगी तथा आयातित मालवाहक विमान की लागत की तुलना में इसकी स्थिति क्या है ; और

(ख) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का विचार कितने मालवाहक विमानों का निर्माण करने का है तथा पहला मालवाहक विमान का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) विमान बनाने के लिए सामग्रीयों के सप्लाई आर्डरों और अन्य लागत निवेश को अन्तिम रूप दे दिए जाने तक मालवाही विमान की उत्पादन लागत का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड इस समय इन अनुमानों के संकलन में लगा हुआ है ।

(ख) कितने मालवाही विमानों के उत्पादन की योजना बनाई गई है उसकी संख्या बताना लोकहित में नहीं होगा । पहले मालवाही विमान के 1977-78 के दौरान दे दिए जाने की आशा है ।

राउरकला, दुर्गापुर और भिलाई में उत्पादन की स्थापित क्षमता

1529. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई इस्पात संयंत्रों की उत्पादन की स्थापित क्षमता क्या है ;

(ख) तीनों इस्पात संयंत्रों में अलग अलग गत दो वर्षों में, वर्ष-वार वास्तव में इस्पात का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ ;

(ग) यदि स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन में अन्तर है तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) तीनों इस्पात संयंत्रों द्‌वारा उत्पादन की शत प्रतिशत स्थापित क्षमता के कब तक प्राप्त कर लेने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला इस्पात कारखानों को इस्पात पिण्ड तथा बिक्रेय इस्पात की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता इस प्रकार है :

कारखाना	वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता हजार टन	
	इस्पात पिण्ड	बिक्रेय इस्पात
भिलाई	2500	1965
दुर्गापुर	1600	1239
राउरकेला	1800	1225

(ख) इन कारखानों का वर्ष 1972-73 तथा 1973-74, 1974-75 का वास्तविक उत्पादन निम्नलिखित है :—

कारखाना	वास्तविक उत्पादन हजार टन	
	इस्पात पिण्ड	बिक्रेय इस्पात
भिलाई :		
1972—73 . . .	2108	1746
1973—74	1894	1682
दुर्गापुर :		
1972—73	723	477
1973—74	776	377
राउरकेला :		
1972—73	1177	765
1973—74	1081	736

(ग) इन दो वर्षों में विभिन्न कारणों से इन कारखानों के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा था। वर्ष 1972-73 की प्रथम तिमाही में अत्यधिक गर्मी के कारण उत्पादन करने वाले कुछ विभागों में मुख्य श्रेणियों के कर्मचारियों के अधिक संख्या में अनुपस्थित होने के कारण भिलाई के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा था। लगभग सितंबर, 1972 तक अच्छी किस्म के स्टौपर स्लवस की अपर्याप्त के उपलब्धि तथा मोल्ड ट्रेनों की कमी, ताप सह ईंटों की क्वालिटी संतोषजनक न होने के परिणामस्वरूप भट्टी की अपर्याप्त उपलब्धि, सितम्बर, 1972 से मध्यम कोककर कोयले की अनियमित सप्लाई तथा कोक ओपन बैटरी की खराब स्थिति के कारण आई बाधाएं अन्य कारण थे।

मालिक मजदूर संबंध अच्छे न होना, दामोदर घाटी निगम से बिजली में कमी तथा मुख्यतया कोक भट्टी क्षेत्रों में उपस्करों की खराबी जिसके कारण गैस की सप्लाई कम हुई, से दुर्गापुर इस्पात कारखाने के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा।

राउरकेला इस्पात कारखाने में वर्ष 1972–73 में कभी कभी बिजली न मिलने तथा प्रायः बिजली की सप्लाई पर लगाए गए प्रतिबन्धों के कारण प्रथम छमाही में कुछ उपस्करों में खराबी प्रथम तिमाही में भारी पूंजीगत मरम्मत कार्य, कुछ मुख्य विभागों में कभी कभी श्रमिक अशान्ति तथा कोक भट्टियों की खराब स्थिति के कारण आई बाधा के कारण उत्पादन कम हुआ।

मुख्यतया निम्नलिखित कारणों से वर्ष 1973-74 में इन कारखानों के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा :—

(1) बिजली की अत्यधिक कटौती तथा बिजली में बाधा (विशेषतया अप्रैल से नवम्बर, 1973 मध्य तक) से भिलाई को छोड़कर सभी कारखानों के उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ा।

(2) इस अवधि में कोयले की अपर्याप्त उपलब्धि से, जिसका कारण भी बिजली की कटौती तथा बिजली की सप्लाई में बाधा थी, झरिया के समस्त कोयला क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा जिसके परिणामस्वरूप कोयला शोधन शालाओं तथा कोयला खनन के कार्य में कमी आई।

(3) इस अवधि में बीच बीच में धीमी गति से काम करने, 1 अगस्त, 1973 तथा उसके पश्चात् नवम्बर, 1973 के अन्त से रेलवे में विशेषतया दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी रेलवे में औद्योगिक अशान्ति के कारण कोयले तथा अन्य कच्चे माल तथा तैयार उत्पादों की ढुलाई पर प्रभाव पड़ा जिससे कच्चे माल की न्यूनतम आवक को देखते हुए उत्पादन में अत्यधिक कटौती करनी पड़ी।

(4) दुर्गापुर में तथा कुछ हद तक राउरकेला में मालिक मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होने।

(घ) अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग कई आन्तरिक तथा बाह्य कारणों पर निर्भर है। इन कारखानों के उत्पादन में क्रमिक वृद्धि लाने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह आशा की जाती है कि वर्ष 1974-75 में इन कारखानों का विक्रय इस्पात का कुल उत्पादन वर्ष 1973-74 के उत्पादन से लगभग 2,40,000 टन अधिक होगा। वर्ष 1975-76 के उत्पादन में वर्ष 1974-75 के उत्पादन से काफी अधिक वृद्धि होने की सम्भावना है। परन्तु सही तौर पर यह बताना कठिन है कि कब तक प्रत्येक कारखाने का उत्पादन क्षमता स्तर तक पहुंच जाएगा।

दुबाई में स्पन्ज आयरन स्टील प्लांट

1530. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'मीकोन' ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में एक स्पंज आयरन स्टील प्लान्ट की स्थापना करने के लिए एक प्रतिवेदन तैयार किया है ;

(ख) यह व्यवहार्य अध्ययन कब आरम्भ किया गया था ;

(ग) इस अध्ययन के लिए 'मीकोन' को कितनी राशि का भुगतान किया गया है ; और

(घ) प्रस्तावित परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) शक्यता अध्ययन तैयार करने का काम जुलाई-दिसम्बर, 1974 की अवधि में आरम्भ किया गया था।

(ग) इस अध्ययन के लिए कम्पनी को दी गई फीस के बारे में बताना वाणिज्यिक प्रथा के विरुद्ध होगा।

(घ) शक्यता प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित प्रायोजना में एक पेलेट बनाने का कारखाना, एक स्पंज लोहे का कारखाना और एक विद्युत इस्पात बनाने का कारखाना शामिल हैं। तैयार उत्पादों के लिए कई विकल्प सुझाए गए हैं। इस परियोजना में आयात किए गए लोहे खनिज तथा स्थानीय प्राकृतिक गैस के उपयोग की परिकल्पना की गई है।

भारत-भूटान संबंधों को बिगाड़ने के बारे में अफवाहें

1531. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 दिसम्बर, 1974 के एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक पत्र में भारता : रही अफ़वाह के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) संबंधों को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) क्या भारत सरकार ने भूटान को लंदन, पैरिस और बोन में राजनयिक मिशन न खोलने के बारे में कहा है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इन खबरों में कोई सार नहीं है। भारत-भूटान के संबंध हार्दिक और परंपरागत मित्रता के हैं और उनका आधार समानता, एक-दूसरे की अखंडता और प्रभुसत्ता के प्रति आदर है। दिसम्बर, 1974 में भूटान के महामहिम नरेश की यात्रा से ये संबंध और सुदृढ हुए जबकि द्विपक्षीय और अंतराष्ट्रीय प्रश्नों पर व्यापक बातचीत सहृदयता, पारस्पारिक आदर और गहरी समझबूझ के वातावरण में हुई और विचारों में पूर्ण समानता रही।

(घ) भारत और भूटान के बीच इस तरह के किसी प्रस्ताव पर बातचीत नहीं हुई।

कोचीन बंदरगाह में बंदरगाह यातायात का लक्ष्य

1532. **श्री वयालार रवि :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कोचीन बन्दरगाह में बंदरगाह यातायात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और

(ख) इस बन्दरगाह में जो कार्य आरम्भ किया जायेगा अथवा पहिले ही आरम्भ किया गया है उसके बारे में संक्षिप्त ब्यौरा क्या है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिय प्रत्येक मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी): (क) यह प्रत्याशा की जाती है कि पांचवीं योजना अवधि के अन्त तक, कोचीन पत्तन को लगभग 65 लाख टन यातायात की धरा उठाई करनी पड़ेगी।

(ख) प्रत्याशित यातायात की धरा उठाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपेक्षित कार्य किए गए हैं। किये जाने का प्रस्ताव है— अर्थात्—

(1) वार्फ 4 क्रेनें जिन के लिए पहले आदेश दिए गए हैं, शीघ्र ही सुपुर्द किए जाने की संभावना है।

(2) खुले घाट का 808 फुट तक विस्तार कार्य पूरा हो चुका है।

(3) की-9 घाट को प्रथमतः कन्टेनर मार्शलिंग यार्ड प्रोटेक्शन, जलद सड़क सुविधाएं, लदान व्यवस्था, ट्रैक्टर तथा ट्रैलर प्रदान करके और फिर बन जाने पर कन्टेनर यातायात की धरा उठाई के लिए अपेक्षित अधिक आधुनिक उपस्कर उपलब्ध कर के, कन्टेनर घाट में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। कन्टेनर जहाजों की धरा उठाई के लिए की-5 घाट पर अस्थायी रूप से सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

(4) उर्वरक घाट के लिए एक योजना पर प्रारम्भिक कार्य किया गया है, दो वार्ज जेटियों का निर्माण कर के की-10 घाट पर अन्तरिम व्यवस्था की जा रही है।

(5) वोलाघाटी जलमार्ग में सुपरटेंकर आइल टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव संबंधित प्राधिकरणों के परामर्श से स्वीकृति के लिए विचार के अन्तिम चरण में है।

शिप बिल्डिग यार्डों की स्थापना

1533. श्री अर्जुन सेठी :
श्री एस० एन० मिश्र :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री 14 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 431 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शिप बिल्डिग यार्डों की स्थापना के लिए चार स्थानों के सम्बन्ध में परामर्शदाताओं ने अपनी प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट सभी परामर्शकों से प्राप्त नहीं हुई है। इनकी फरवरी 1975 के अन्त तक प्राप्त होने की संभावना है।

मैसर्स एल्यूमीनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

1534. श्री अर्जुन सेठी : क्या इस्पात और खान मंत्री 12 दिसम्बर, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 453 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने मसर्स एल्यूमीनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को जारी किये गये लाइसस के शीघ्र कार्यान्वियन के लिये क्या विशिष्ट उपाय किये हैं ; और

(ख) इस असाधारण विलम्ब के लिए कम्पनी ने क्या कारण बताये हैं।

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) तथा (ख) भारतीय एल्यूमिनियम निगम लि० ने उड़ीसा में एक समेकित एल्यनिनियम संयंत्र की स्थापना के लिए जारी लाइसेंस के कार्यन्वयन हेतु "प्रभावी कदम" नहीं उठाए है क्योंकि एल्यूनियम के वर्तमान नियंत्रित मूल्य अलाभकर है तथा उनकी परियोजना बढ़ती हुई लागतो के कारण आर्थिक दृष्टि से उपादेय भी नहीं होगी। कम्पनी ने नए पूंजी निवेश पर पर्याप्त मूल्य की उगाही को सुनिश्चित करने के लिए सरकार से भावी मूल्य नीति के सम्बन्ध में आश्वासन मांगा था। कम्पनी को सूचित किया गया कि वह सभी संगत बातों पर विचार करने तथा परियोजना के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है।

औद्योगिक लाइसेंस के कार्यान्वियन के लिए कम्पनी ने "प्रभावी कदम" नहीं उठाये हैं अतएव उसको लाइसेंस को रद्द करने के सन्दर्भ में एक "कारण बताओ नोटिस" दिया गया। कम्पनी का उत्तर विचाराधिन है।

उड़ीसा में लघु इस्पात संयंत्र

1535. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या इस्पात और खान मंत्री 12 दिसम्बर, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 436 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में किन-किन पार्टियों को किन किन स्थानों में लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिये लाइसेंस-आशयपत्र दिये गये हैं ; और

(ख) ये लघु इस्पात संयंत्र निर्माण की किस विशिष्ट चरण में है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) औद्योगिक विकास निगम आफ उड़ीसा लि० ने, भुवनेश्वर को अक्तूबर 1974 में 2 इकाइयों की स्थापना के लिए एक आशय पत्र दिया गया था। इनमें से एक ईकाई हीराकुड तथा दूसरी धेनकनाल में होगी। इनमें प्रत्येक में 18,000 टन इस्पात पिण्ड/विलेट का उत्पादन होगा।

(ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

उड़ीसा में कैंसर रोग संस्थान की स्थापना

1536. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य में कैंसर रोग संस्थान की स्थापना करने के बारे में कहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य को सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सीमित साधनों और धन के अभाव के कारण राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया गया।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा 1973-74 के दौरान इस्पात कारखानों का दौरा

1537. **श्री दुना उरांव :**
श्री देवेन्द्र नाथ महाता :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के 18 अधिकारियों ने 1973-74 के दौरान विभिन्न इस्पात कारखानों का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस्पात संयंत्रों का दौरा करने वाले अधिकारियों के तिथिवार नाम क्या हैं और प्रत्येक दौरे पर क्या व्यय हुआ ;

(ग) क्या अधिकतर अधिकारी बरास्ता कलकत्ता, गए थे ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के कार्यालय का कलकत्ता स्थानान्तरण करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) स्टील अथा॰ रिटो आफ इन्डिया लि० के 21 अधिकारियों ने 1973-74 के दौरान इस्पात कारखानों का दौरा किया था। उनके नाम, दौरे की अवधि, दौरा किए गए स्थानों के नाम और प्रत्येक दौरे पर हुए खर्च का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-9037/75।]**

(ग) जी, हाँ। जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है अधिकतर मामलों में कलकत्ता में भी शासकीय कार्य था।

(घ) जी, नहीं। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० का मुख्यालय नई दिल्ली में रखने का मुख्य कारण यह है कि लौहा ओर इस्पात तथा सम्बद्ध आदान उद्योगों का समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिए एक संगठन के रूप में इसके कार्यों तथा गतिविधियों के लिए इस्पात और खान मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों/सरकारी अभिकरणों से निकट तथा सतत सम्पर्क रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा 'सेल' के अध्यक्ष इस्पात विभाग के सचिव भी हैं।

गुजरात में श्रमिक अशान्ति

1538. **श्री पी० एम० मेहता :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में श्रमिक अशान्ति बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं और राज्य में बढ़ती हुई श्रमिक अशान्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या बड़ी संख्या में श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

पत्तन तथा गोदी श्रमिकों की हड़ताल के पश्चात् सामान्य कार्यकरण आरम्भ किया जाना

1539. **श्री पी० एम० मेहता :**
डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदी श्रमिकों के साथ समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् माल लादने और उतारने की स्थिति में सुधार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पत्तन तथा गोदी श्रमिकों का सामान्य कार्य कब आरंभ हो जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) चढ़ाने और उतारने के काम में पहले की स्थिति हड़ताल समाप्त होने के तुरन्त बाद आ गई।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय मजूरी आयोग

1540. **श्री पी० एम० मेहता :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मजूरी आयोग (वेज पैनल) की नियुक्ति के बारे में विभिन्न अभिकरणों से बातचीत कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय मजूरी आयोग की स्थापना के बारे में कोई समझौता न हो पाने के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या इस आयोग को स्थापना करने को बहुत अधिक मांग है ; और

(घ) यदी हां, तो अन्तिम निर्णय सरकार द्वारा कब लिया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जो नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

लदाख में इनफ्लूंजा, खसरा और चेचक के कारण हुई मौतें

1541. **श्री कुशोक बाकुला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जनवरी-फरवरी के दौरान लद्दाख की नुबरा घाटो में (जम्मू तथा काश्मीर राज्य) इनफ्लूंजा और खसरे से पचास से भी अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ;

(ख) क्या इस क्षेत्र में समय पर चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध नहीं की जा सकी जहां कि ये बिमारियां महामारी के रूप में फैली थीं ;

(ग) क्या जंस्कर तहसील में चेचक से अनेक व्यक्तियों की मौते हुई हैं ; और

(घ) सरकार का इन बीमारियों को रोकने में स्थानीय प्राधिकारियों को सहायता देने तथा इन सीमावर्ती क्षेत्रों को लिये, जो कि वर्ष के अधिकांश समय में बर्फ से ढ़के रहते है, चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :(क) पिछले एक मास के दौरान नुबरा घाटो में इनफ्लूंजा से 32 लोगों के मरन की सूचना मिली है । खसरे से हुई मौतों के बारे में भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) सैनिक और असैनिक डाक्टरों के दल इन क्षेत्रों में इलाज कर रहे हैं ।

(ग) ऐसो कोई रिपोर्ट नहीं मिली है । 15 अक्तूबर, 1974 के बाद जम्मू और कश्मीर में चेचक की कोई घटना नहीं हुई है ।

(ङ) चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करना सामान्य रूप से राज्य सरकार को जिम्मेदारी है । इस संबंध में केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

नेपाली पुलिस द्वारा लद्दाख से आने वाले तीर्थयात्रियों तथा तिब्बती शरणार्थियों को नेपाल में प्रवेश करने की अनुमति न देना

1542. **श्री कुशोक बाकुला** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाली पुलिस ने इस वर्ष 31 जनवरी को रक्सोल के निकट एक सीमा जांच चौकी पर लद्दाख से आने वाले उन चार तीर्थयात्रियों को पहचान प्रमाणपत्र होने के बावजूद भी प्रवेश करने नहीं दिया गया जो नेपाल में बौद्ध मंदिरों के दर्शनार्थ जाना चाहते थे ;

(ख) क्या हाल ही में तीन तिब्बती शरणार्थियों को भी इसी सीमा जांच चौकी पर नेपाल में प्रवेश नहीं करने दिया गया ;

(ग) यदि हां, तो किन आधारों पर प्रवेश नहीं करने दिया गया ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) 31 जनवरी को रक्सौल के पास सीमा पड़ताल चौकी पर 7 लद्दाखी तीर्थयात्रियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में 3 फरवरी को उन्हें प्रवेश की अनुमति दे दी गई।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार नेपाली सीमा प्राधिकारी इस बात पर जोर देते रहे हैं कि उनके देश में प्रवेश करने वाले तिब्बती शरणार्थियों को नेपाल सरकार से पूर्वानुमति लेनी चाहिए । विदेशी राष्ट्रिकों, जैसे तिब्बती शरणार्थी, के अपने देश में प्रवेश को नियमित करना मुख्यतया नेपाल सरकार का ही काम है ।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के स्थापित होने के बाद से इस्पात संयंत्रों के कार्य में सुधार

1543. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री अनन्तराव पाटिल :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को स्टील अथारिटी आफ इण्डिया की स्थापना के बाद से इस्पात संयंत्रों के कार्य में कितना सुधार दिखाई देता है ; और

(ख) क्या स्टील अथारिटी सरकार की आशा के अनुरूप विभिन्न किस्मों के इस्पात का समान उत्पादन और वितरण में असफल रहा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) 24 जनवरी 1975 को स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० (सेल) की औपचारिक रूप से स्थापना के दो वर्ष पूरे हो गये हैं। अपनी स्थापना के दो वर्षों की अल्पावधि में 'सेल' इस्पात कारखानों के कार्यकरण में सुधार लाने और कई उपायों से इस्पात की उपलब्धि बढ़ाने में सफल हुई है। इसकी मुख्य मुख्य उपलब्धियों का विवरण संक्षेप में नीचे दिया गया है :—

1. स्थापना के तत्काल बाद उत्पादन बढ़ाना :

सेल की स्थापना के पहले तीन महीनों अर्थात् जनवरी, फरवरी और मार्च, 1973 में विक्रेय इस्पात का उत्पादन स्तर बहुत ऊंचा हो गया था। इस अवधि में उत्पादन की वार्षिक दर 54 लाख टन थी, जो वर्ष 1973–74 के लिए निश्चित किया गया लक्ष्य था। मार्च 1973 में विक्रेय इस्पात का उत्पादन और भी अधिक हुआ अर्थात इस महीने में वार्षिक दर 60 लाख टन तक पहुंच गई। सेल की स्थापना के आरम्भिक महिनों में इतनी अधिक दर पर उत्पादन अन्य बातों के साथ-साथ कारखानों में अच्छे समन्वित प्रयासों का परिणाम है (इन परिणामों में 'विशेषतः कोयले, बिजली, नेपथा, इंधन, तेल, लौह अयस्क आदि लादानों की ढुलाई और उपलब्धि शामिल है) जो वर्ष 1973–74, के लिए निश्चित किये गये लक्ष्यों के लिए बहुत आवश्यक थे लेकिन सेल की स्थापना के आरम्भिक वर्षों में प्राप्त किया गया उत्पादन का अत्यधिक स्तर वर्ष 1973–74 में नही बनाये रखा जा सका क्योंकि

अप्रैल 1973 के अन्त से लेकर बिजली के संकट का इस्पात उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और यह स्थिति न्यूनाधिक मात्रा में वर्ष 1973–74 के अधिक भाग में भी बनी रही। बिजली की कमी से न केवल इस्पात कारखानों के उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ा परन्तु इससे कोयले की भी कमी हो गई क्योंकि बिजली की सप्लाई में कटौती के कारण कोयला खानों और कोयला शोधन शालाओं में कम काम हुआ जिससे इस्पात कारखानों के उत्पादन पर और भी प्रभाव पड़ा। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1973–74 में देश को 4.14 लाख टन विक्रेय इस्पात के उत्पादन की हानि हुई है। इस हानि का प्रत्यक्ष कारण बिजली तथा/अथवा कोयल की कमी है जो कोयला खानों और खानों में बिजली की कमी के कारण हुई थी।

2. वर्ष 1974-75 के पहले 10 महीनों में उत्पादन में तेजी से हुई वृद्धि :

सेल ने वर्ष 1974–75 के लिए सभी सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों की उत्पादन योजना बनाने का काम हाथ में लिया और कोयला, बिजली, रेल परिवहन, पी ओ एल, लौह मिश्र धातुओं, तापसह ईंटों और अन्य महत्वपूर्ण आदानों की आवश्यकता का ठीक ठीक अनुमान लगाया है। ऐसा करते समय सेल ने आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धि तथा कच्चे माल का उपयोग करने वाले कारखानों को कच्चे माल के स्रोतों से जोड़ने का काम किया है इससे इस्पात कारखानों के लिए स्थिति काफी स्पष्ट हो गई और उनको इस बात का पता लग गया कि उनको कच्चा माल कहाँ कहाँ से मिलता है।

कारखानों के लिए कच्चे माल के, स्रोत निश्चित करने के पश्चात् सेल ने महत्वपूर्ण अधिकरणों जैसे कोयला उत्पादन करने वाले संघटनों, रेलवे विद्युत प्रदाय उपक्रमों आदि से लगातार सम्पर्क रखने की व्यवस्था की जिससे इस्पात कारखानों की आवश्यक कच्चे माल की सप्लाई योजनाबद्ध ढंग से होती रहे। सेल ने इस्पात कारखानों के परिचालन कार्य को और भी समन्वित ढंग से करना आरम्भ कर दिया जिससे निर्धारित लिंकेज में समय समय पर कमी बेशी का भी ध्यान रखा गया।

मई 1974 में रेल हड़ताल के दौरान सेल ने दिन प्रतिदिन के आधार पर सभी इस्पात कारखानों के परिचालन में समन्वय स्थापित किया जिससे हड़ताल तथा उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई स्थिति का इस ढंग से मुकाबला किया जाए जिससे काम तथा स्ट्रेंग्थ में कम से कम बाधा आई।

बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सेल ने निम्नलिखित उपाय किये—

1. **दुगधा बोकारो कनेक्शन :** बोकारो इस्पात कारखाने से दुगधा शोधनशाला को बिजली पहुंचाने के लिए एक नई लाईन बिछाई गई है।

2. **तलचर-बालीमेला लिंकेज :** तलचर-बालीमेला लिंकेज के लिए उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड को विभिन्न किस्मों का अपेक्षित इस्पात देकर इस काम में सहायता दी गई।

3. **कारखाने में अधिक बिजली पैदा करना :** इस्पात कारखानों के बिजली घरों में काफी मात्रा में बिजली पैदा की गई। जिससे सार्वजनिक स्रोतों से बिजली की माँग में कमी की गई।

4. **दामोदर घाटी निगम से उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड को बिजली देना :** इस बात को देखते हुए कि हाइडल स्टेशन में जलाशय में पानी का स्तर कम होने के कारण उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कम बिजली पैदा की जा रही है। सेल ने दामोदर घाटी निगम से अतिरिक्त बिजली उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड को देने की व्यवस्था की जिसमें राउरकेला इस्पात कारखाने की आवश्यकता पूरी की जा सके।

5. **डीजल से बिजली पैदा करना :** भारत कोकिंग कोल लि० ने बिजली की आपात सप्लाई लिए सेल ने डीजल से बिजली पैदा करने के 13 सेटों की स्थापना के लिए कार्यवाही आरम्भ की जिनकी कुल क्षमता 20 मेगावाट थी।

6. **भारत कोकिंग कोल लि० को प्राथमिकता देना :** चूंकि इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयले का उत्पादन बढ़ाना बहुत आवश्यक है इस लिए बिजली की सप्लाई में भारत कोकिंग कोल लि० को प्राथमिकता दी गई ।

चालू वर्ष अर्थात् अप्रैल 1974 से जनवरी 1975 की अवधि में पाँच मुख्य सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का उत्पादन 39.8 लाख टन था जबकि गत वर्ष की इसी अवधि का उत्पादन 36.3 लाख टन था। इस प्रकार उत्पादन में लगभग 35 लाख टन की वृद्धि हुई। इस तरह उत्पादन में लगभग 10% की वृद्धि हुई है। यद्यपि कारखानों के अच्छे कार्य करण का अनुमान इस्पात पिण्ड के उत्पादन का बजाय विक्रय इस्पात के उत्पादन से लगता है तथापि इस्पात पिण्ड के उत्पादन के रूप में भी चालू वित्त वर्ष के गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक उत्पादन हुआ है । चालू वित्त वर्ष के पहले दस महीनों में सर्वतोमुखी कारखानों का इस्पात पिण्ड का उत्पादन 50 लाख टन हुआ जो गत वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन का लगभग 106% है । इस प्रकार चालू वित्त वर्ष में इस्पात कारखानों का विक्रय इस्पात तथा इस्पात पिण्ड का उत्पादन गत वर्ष के इसी अवधि के उत्पादन से अच्छा है । उत्पादन का यह स्तर इस बात का सूचक है कि वर्ष 1974-75 के पूरे वित्त वर्ष में इस्पात का उत्पादन निश्चित किये गये लक्ष्य के समान हो जाएगा परन्तु ऐसा हो सकता है कि कुछ श्रेणियों का उत्पादन मामूली अधिक हो जाय या कम रह जाय ।

वर्ष 1974-75 में उत्पादन और भी अधिक हो सकता था यदि रेल हड़ताल की धमकी जो वास्तव में मई 1974 में हुई थी, को ध्यान में रखकर रखते हुए इस वर्ष की प्रथम तिमाही में जानबूझ कर योजना बद्धढंग से उत्पादन में क्रमी न की गई होती ।

3. **देश की अर्थव्यवस्था को विक्रेय इस्पात की उपलब्धि में 10 लाख टन से भी अधिक की वृद्धि :**

अप्रैल, 1974 से से जनवरी, 1975 की अवधि में देश को इस्पात की कुल सप्लाई लगभग 55 लाख टन हुई जबकि गत वर्ष की इसी अवधि सप्लाई 44.6 लाख टन हुई थी। इस तरह 10 लाख टन से भी अधिक अथवा 33% अधिक सप्लाई हुई। यह वृद्धि मुख्यतः अधिक उत्पादन, अधिक प्रेषणों और इस्पात के स्टाक के अधिक उपयोग के कारण सम्भव हुई है। वैसे तो हर किस्म के इस्पात में वृद्धि हुई है परन्तु सब से अधिक वृद्धि बिलेट छड़ी और गोल छड़ी में हुई है । देश की अर्थव्यवस्था को इस्पात की सप्लाई के वर्तमान स्तर के आधार पर तथा इस बात को देखते हुए कि इस वर्ष उत्पादन निश्चित किये गये लक्ष्य तक हो जाएगा तथा मालसूचियों के घट जाने आदि से यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1974-75 में अर्थ व्यवस्था को इस्पात की सप्लाई लगभग 67 लाख टन होगी जबकि वर्ष 1973-74 में इस्पात की सप्लाई लगभग 54 लाख टन हुई थी इस तरह सप्लाई में 24% की वृद्धि होगी ।

4. **इपात की सप्लाई आसानी से उपलब्धि :**

अर्थव्यवस्था को इस्पात की अधिक सप्लाई से जो अधिक उत्पादन माल सूचियों के घटने आदि से सम्भव हुई है । इस्पात आसानी से उपलब्ध होने लगा है जबकि पिछले वर्ष इस्पात की कमी अनुभव की की जा रही थी। इस कारण से इस्पात की अधिकांश मदों के खुले बाजार में निश्चित मूल्यों में अधिक मूल्य लेने की बात प्रायः खतम हो गई है । इस्पात की कमी के कारण इस्पात के उपभोक्ताओं की स्टाक इकट्ठा करने की प्रवृत्ति भी लगभग खतम हो गई है । वास्तव में इस्पात के बहुत से उपभोक्ताओं ने इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा किय गये आबंटनों का भी माल नहीं उठाया है क्योंकि अब वे यह महसूस करने लगे हैं कि जब भी उन्हें माल की आवश्यकता होगी वे माल ले सकते हैं ।

5. **इस्पात के वितरण व्यवस्था को सुप्रवाही बनाना :**

इस्पात के वितरण की संशोधित वितअण नोति कौभी कार्यान्वि किया जा रहा है । इस नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है

(1) आधुनिक परिवहन प्रणाली की आवश्यकता तथा रेल डिब्बों की क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए इस्पात कारखानों से बड़ी मात्रा में आवश्यक सामग्री की ढुलाई करना ।

(2) यह सुनिश्चित करना कि उपभोक्ता केन्द्रों के पास हर समय पर्याप्त मात्रा में माल उपलब्ध रहे ।

(3) इस्पात की प्राप्ति के लिए दुष्कर, प्रक्रियाओं को हटाना और इस तरह उपभोक्ताओं की वस्तु सूची में कमी करना ।

(4) सुरक्षा, इंजीनियरी सामान के निर्यात, बिजली, इस्पात तथा कोयला क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर इस्पात का आबंटन करना ।

वर्तमान वितरण नीति की कुछ मुख्य मुख्य विशेषताएं यह है :

इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा इस्पात का आबंटन छमाही आधार पर किया जाता है, इस्पात के लगभग 800 बड़े बड़े उपभोक्ताओं को मुख्य उत्पादकों द्वारा सीधे माल दिया जा रहा है, इस्पात प्राथमिकता समिति शेष आबंटतियों को इस्पात मुख्य उत्पादकों के स्टाकयार्डों के जरिए दिला रही है, संहत उद्योगों का उपयुक्त विस्तार किया जा रहा है और इस्पात सामग्री की बुकिंग के लिए माँग पत्रों के साथ बयाना जमा कराने की शर्त हटा दी गई है । वितरण की वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक है फिर भी इस की सतत् समीक्षा की जाती है और स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि०, मुख्य उत्पादकों और लौहा और इस्पात नियंत्रक से परामर्श करके समय पर उचित परिवर्तन किये जाते हैं ।

6. अनुषंगी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार :

गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1973-74 में स्टील आथारिटी आफ इण्डिया लि० की मुख्य अनुषंगी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ । आशा है कि वर्ष 1974-75 की स्थिति और भी अच्छी होगी ।

1. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड :

हिन्दुस्तान स्टील लि० जो भिलाई इस्पात कारखाने, राउरकेला इस्पात कारखाने, दुर्गापुर इस्पात कारखाने तथा दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात कारखाने का संचालन करती है, वर्ष 1973-74 में 4.7 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है, जबकि गत वर्ष इस कंपनी को 27.8 करोड़ रुपए की हानि हुई थी, भिलाई इस्पात कारखाने तथा राउरकेला इस्पात कारखाने को वर्ष 1973-74 में 17.78 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है । दुर्गापुर में अनिश्चित स्थिति के परिणाम स्वरूप दोनों कारखानों को वर्ष 1973-74 में 23.24 करोड़ रुपए की हानि हुई है । दुर्गापुर इस्पात कारखाने की हानि 18.44 करोड़ रुपए तथा मिश्रित इस्पात कारखाने की हानि 4.80 करोड़ रुपए है । वर्ष 1972-73 में 2.01 करोड़ रुपये की हानि हुई थी ।

2. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड :

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि० को वर्ष 1973-74 में 1.58 करोड़ रुपए का लाभ हुआ जबकि गत वर्ष इस निगम को 1.12 करोड़ रुपये की हानि हुई थी ।

3. मैटालर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटन्ट्स (इंडिया) लि० :

इस नई कम्पनी को, परिचालन के प्रथम वर्ष, अर्थात् 1973-74 में 45 लाख रुपए का लाभ हुआ है ।

4. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंसट्रक्शन लि० :

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि० के गत वर्ष के 101 लाख रुपए की तुलना में वर्ष 1973-74 में 94 लाख रुपए का लाभ हुआ है ।

7. औद्योगिक सम्पर्क :

पहली स्थिति के मुकाबले में अब इस्पात उद्योग में मालिक मजदूर सम्बन्धों में सुधार हुआ है ।

भारतीय वायुसेना के एक विमान का हरियाणा में राई नामक स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाना

1544. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना का एक विमान 25 जनवरी, 1975 को हरियाणा में राई नामक स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस दुर्घटना की जांच की गई है और यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां श्रीमान ।

(ख) दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए एक जांच अदालत के आदेश दे दिये गये हैं और जांच प्रगति पर है ।

सड़क परिवहन और रेल परिवहन के बीच तालमेल

1545. श्री एम० वी० कृष्णापा : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोधित तेल की कीमत में असाधारण वृद्धि और प्रतिस्पर्धा से बचने को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और रेल परिवहन के बीच तालमेल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) रेल-सड़क समन्वय, भारत सरकार की स्वीकृति नीति है । परिवहन के इन दोनों प्रकारों को एक दूसरे के पूरक के रूप में विकसित किया जाना है । परन्तु पैट्रोलियम उत्पादकों के इस्तेमाल को कम करने के लिए विचाराधीन उपायों में से यह एक है कि सड़क परिवहन से माल यातायात को लेकर रेलवे, विशेषकर लम्बी दूरी वाले मार्गों पर अधिक माल यातायात के लिए अपनी सेवाओं को बढ़ाए । उन मार्गों, जिन पर राज्य परिवहन उपक्रमों की यात्री बसें रेलवे के साथ साथ चल रही को चुना जाना है, ताकि रेलवे की मौजूदा क्षमता के अनुसार राज्य सरकारों और संघ प्रशासनों के परामर्श से यदि सेवाओं में कोई दोहरापन हो तो उसे समाप्त किया जा सके ।

गोदी कर्मचारियों की ऋणग्रस्तता

1546. श्री एम० के० कृष्णन : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदी कर्मचारियों की ऋणग्रस्तता और उनकी गरीबी की स्थितियों के बारे में आन्ध्र विश्व-विद्यालय के वाणिज्य विभाग द्वारा किए गए अध्ययन की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) संभवतया उल्लेख श्री सी० एस० वैंकेटारत्नम, वाणिज्य विभाग, आन्ध्र विश्वविद्यालय के "ह्यूमन फैक्टर इन विशाखापत्तनम" के लेखे से है । सरकार का ध्यान इस अध्ययन की ओर नहीं दिलाया गया था, परन्तु अब एक प्रति प्राप्त कर ली गई है ।

(ख) अन्य देशों में गोदी कार्यों के कतिपय मोटे मोटे तथा मुख्य पहलुओं की एक सरसरी रूपरेखा के बाद लेखक ने विशाखापत्तनम पत्तन तथा गोदी में माल धरा उठाई करने वाले कार्मिकों के कुछ एक पहलुओं के बारे में लिखा है जिन में उनकी संख्या शिक्षा, प्रशिक्षण, आयु, प्रवास, परिवार, धर्म, कर्जदारी, कमाई, रोजगार अवसर, जीवन निर्वाह स्थिति, आचार व्यवहार, उत्पादन, संघ आदि शामिल है। इस अध्ययन में उल्लिखित बातों की विशाखापत्तनम तथा गोदी अधिकारियों के परामर्श से जांच की जायगी।

वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप आयुध कारखानों के उजरती कारीगरों को बकाया राशि का भुगतान

1547. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उजरती कार्य दरों के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में निर्णय लेने में विलम्ब के कारण, वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप मिलने वाली बकाया राशि आयुध कारखानों के उजरती कारीगरों को नहीं मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक निर्णय कि जाने कीये सम्भावना है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी नहीं श्रीमन। उजरती कार्य दरों के संशोधन का प्रश्न सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है परन्तु इस परिस्थिति में यह नहीं बताया जा सकता कि किस निश्चित तारीख तक निर्णय ले लिया जाएगा।

भारतीय नौवहन निगम की टन-भार क्षमता

1548. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन निगम की वर्तमान टन-भार क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या सरकार टन-भार क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रयास कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) 1-2-1975 को शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के पास 18.31 लाख जी०आर०टी० के 116 जहाज हैं।

(ख) तथा (ग) मुख्य रूप से यह शिपिंग कारपोरेशन का काम है कि वह अपने बेड़े का विस्तार करने के लिए प्रयत्न करे। इस समय शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया ने कुल 9.82 जी०आर०टी० के विभिन्न प्रकार तथा आकार के जहाजों का आर्डर दिया है। कारपोरेशन, योजना की लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनी टन भार क्षमता को प्राप्त करने के लिए भी हर संभव प्रयत्न कर रहा है।

वर्ष 1975 के दौरान चालू होने वाली बोकारो की यूनिटें

1549. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात कारखाने को बहुत से महत्वपूर्ण यूनिटें वर्ष 1975 में चालू होती हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या इन यूनिटों के चालू हो जाने पर बोकारो को आवश्यक बिजली की सप्लाई उपलब्ध नहीं हो सकेगी ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हाँ ।

(ख) बोकारो इस्पात कारखाने की इस वर्ष चालू होने वाली मुख्य इकाइयों में दूसरी और तीसरी धमन भट्टी, तीसरी और चौथी कोक ओवन बैटरी 100-टन के तीन कन्वर्टर और हाट स्ट्रिप मिल शामिल है ।

(ग) ऊर्जा मंत्रालय ने यह बात मान ली है कि वर्ष 1975 में चालू की जाने वाली इकाइयों के लिए दामोदर घाटी निगम से बिजली दे दी जाएगी ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्द महासागर के बारे में भारत के दौरे पर आने वाले विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों से बातचीत

1550. डा० हरि प्रसाद शर्मा :
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में भारत के दौरे पर आये विदेशी राजनयिकों तथा विशिष्ट व्यक्तियों से हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाये रखने के प्रश्न पर बातचीत की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत की रूपरेखा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां ।

(ख) इन लोगों के साथ हुई बातचीत से यह प्रकट हुआ कि हिन्द महासागर को बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता तथा सैनिक उपस्थिति से मुक्त शांत क्षेत्र बनाये रखने के भारत के सुविदित रवैये को ये लोग समझते हैं ।

भारतीय सेना में राज्यों के नाम पर रेजीमेंटें

1551. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम और संख्या का ब्यौरा क्या है, जिनके नाम पर भारतीय सेना में रेजीमेन्ट हैं ; और

(ख) क्या उन राज्यों के नामों के आधार पर रेजीमेन्टों के नाम रखने की सम्भाव्यता के प्रश्न पर भारत सरकार विचार करेगी, जिनके नाम पर भारतीय सेना में कोई रेजीमेन्ट नहीं है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) निम्मांकित केवल चार राज्य हैं जिनके नाम पर रेजीमेन्टों के नाम रखे गये हैं :—

(1) पंजाब

(2) असम

(3) बिहार

(4) जम्मू और कश्मीर

(ख) जी नहीं श्रीमन् । सरकार की यह नीति है कि किसी नई रेजीमेन्ट को किसी विशेष क्षेत्र अथवा राज्य के नाम पर न खड़ा किया जाए ।

नये मंगलौर बन्दरगाह को गहरा करने के लिए सर्वेक्षण

1552. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कोदरेमुख से लौह अयस्क ले जाने के लिए नये मंगलौर बन्दरगाह को गहरा करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां ।

(ख) सर्वेक्षण से मालूम हुआ है कि गहरा करना व्यवहार्य नहीं है ।

नये मंगलौर बन्दरगाह पर व्यय की गई राशि

1553. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये मगलौर पत्तन के निर्माण पर मदवार कुल कितनी राशि व्यय की गई है ;

(ख) भारतीय जहाजरानी निगम को रेग निकालने के लिए कुल कितनी धन राशि दी गई है तथा निगम द्वारा किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) रेग निकालने के लिए अन्य फर्मों को कुल कितनी धनराशि दी गई है तथा उनके द्वारा किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जनवरी, 1975 तक नव मंगलौर पत्तन के निर्माण पर व्यय हुई कुल राशि मदवार नीचे दिखाई गई है :

	रुपये
(1) प्रारम्भिक व्यय	6686000.00
(2) भूमि अधिग्रहण	27079000.00
(3) गोदी घाट और जेटियों का निर्माण	218214000.00
(4) पत्तन उपस्कर और मशीनें	13235000.00
(5) परिवहन सुविधाएं और बेड़ा	4785000.00
(6) तिरते जलयान	3728000.00
(7) गोदाम सुविधाएं	2005000.00
(8) इमारतें	9943000.00
(9) निलंबित विकलन	83866000.00
(10) अन्य व्यय	4032000.00
निलम्बित जमा सहित	373573000.00
बसूलियाँ	90093000.00
	283480000.00

(ख)	(1) निकर्षण कार्य के लिए शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया को दी गई राशि	355.16 लाख रुपये
	(2) किया गया कार्य	तट के संगठित सामान की प्रारम्भिक कटाई और लगून के लिए कटाव प्रारंभिक तंग जलमार्ग और मोड़ थाले का मार्ग और गोदी बाजू को खोलना ।
(ग)	(1) जनवरी 1975 तक ड्रेजिंग कन्सोरटियम इंडिया बीवी को दी गई राशि	700.37 लाख रुपये
	(2) उक्त के लिए सीमा शुल्क की ओर दी गई राशि	152.35 लाख रुपये
	(3) किया गया कार्य	प्रवेश जलमार्ग और लगून मोड थाले और गोदी बाजू का निकर्षण

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में जहाज

1554. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में यात्री और माल वहन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में जलयान नहीं है ;

(ख) क्या इन द्वीपों में भारतीय नौवहन निगम द्वारा उपलब्ध किये गये जलयान आधुनिक नहीं हैं और वस्तुत: व्यवहार में अनुपयोगी हैं, जिसके परिणामस्वरूप इन जलयानों को घाटा होता है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, नहीं । इस समय मुख्य भूमि/अंडमान सेवाओं के परिचालन में चल रहे जहाज इन क्षेत्रों में यात्री और माल यातायात की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हैं ।

(ख) यद्यपि कुछ जहाज मुख्य भूमि/अंडमान और अन्त: द्वीप सेवाओं में चल रहे कुछ जहाज पुराने हो गए हैं तथापि वे अभी अच्छी हालत में हैं और सामान्यत: सेवा में कोई परेशानी नहीं है । इन सेवाओं के परिचालन में हुई हानियां इस कारण से नहीं हुई है कि इन सेवाओं में इस्तेमाल किये जा रहे जहाज पुराने हैं, बल्कि जहाजों का कम उपयोग, दोनों ओर जहाजों के कम फेरे, अधिक भाड़ा दर और यात्री किराया आदि के कारण हैं ।

(ग) नुकसान को कम करने के लिए शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया ने यह फैसला किया है कि बजाए माल रोकने के अधिक माल उठाने के लिए यात्री-एवं-माल जहाजों के पत्तन पर ठहराने को बढ़ाया जाए और मुख्य भूमि से द्वीप तक माल जहाज-एम०वी० शोमपोन द्वारा अधिक माल उठाने की व्यवस्था भी की जाए । इन जहाजों में माल के शीघ्र लादने और उतारने के लिए अंडमान प्रशासन और बन विभाग से भी अनुरोध किया गया है । सेवाओं के समस्त युक्तिकरण का प्रस्ताव विचाराधीन है, ताकि कम से कम हानि हो ।

ग्रेट निकोबार द्वीप में भूतपूर्व सैनिकों का बसाया जाना

1555. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों को ग्रेट निकोबार द्वीप में बसाया जा रहा है और यदि हां, तो उनके पुनर्वास की शर्तें क्या हैं ;

(ख) क्या भूमि आदि दिये जाने के बारे में बसाये जाने वाले व्यक्तियों को दिये गये आश्वासनों को पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया गया है ; और

(ग) क्या ग्रेट निकोबार द्वीप में भूतपूर्व सैनिकों के अलावा अन्य भारतीय नागरिकों को बसाये जाने की कोई योजना है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां श्रीमन् । भूतपूर्व सैनिकों को बसाये जाने की शर्तें संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

(ख) 1969-70 के दौरान बसाये गये 100 वासियों के बारे में योजना के लिए मंजूर की गई भूमिका पूरा कोटा पहले ही आबंटित कर दिया गया है । 1974 में बसाये गये 138 परिवारों में से अधिकांश परिवारों को भी कृषि प्रयोजनों के लिए भमि का पूरा कोटा पहले ही आबंटित कर दिया गया है, यद्यपि उनमें से हरेक परिवार को वास भूमि नहीं दी जा सकी है । भूमि के साफ करने में विलम्ब के कारण शेष वासियों को उनका हिस्सा चालू मौसम में आबंटित कर दिए जाने की प्रत्याशा है । वासभूमि के लिए प्लाट भी चालू मौसम के दौरान आबंटित कर दिए जाने की प्रत्याशा है ।

(ग) सूचना सहज उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है ।

विवरण

भूतपूर्व सैनिकों को बृहत निकोबार द्वीप में बसायें जानें की शर्तें

क्र० सं०	मद संख्या	प्रति परिवार सहायता
1	रिहाइश से कैम्बल वे, बृहत्त निकोबार तक निःशुल्क परिवहन . .	700 रु०
2	सरकार द्वारा निश्चित दर पर निःशुल्क राशन :	
	(क) प्रथम वर्ष 100 प्रतिशत की दर पर 1800 रु० . . (ख) द्वितीय वर्ष 75 प्रतिशत की दर पर 1350 रु० . . (ग) तृतीय वर्ष 50 प्रतिशत की दर पर 900 रु० .	4050 रु०
3	कृषि औजार, पशु आदि के क्रय के लिए अनुदान . .	3000 रु०
4	घरेलू उपकरण, वर्तन आदि के लिए अनुदान . .	2500 रु०
5	गृह निर्माण के लिए अनुदान	5000 रु०
6	वीज, उर्वरक, कीटनाशी आदि के लिए अनुदान	2500 रु०
7	भूमि	11 एकड़*
8	धान की पौध और भू संरक्षण के लिए सहायता . .	400 धान के लिए आबंटित प्रति एकड़ भूमि ।

उपर्युक्त सहायता में से अनुदान का केवल एक भाग (1) परिवार के ऐसे सदस्यों के लिए जो बाद में पहुंचेंगे परिवहन खर्च, (2) गृह उपकरण तथा बर्तन, (3) कृषि औजार, उपस्कर तथा पशु और गृह निर्माण के लिए निर्धारित पूरा अनुदान, नकद किया जाता है । शेष सहायता का, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के मुख्य विकास-सह-पुनर्वास आयुक्त द्वारा वस्तु के रूप में प्रबंध किया जाएगा ।

*मार्गदर्शी परियोजना के वासियों को प्रतिपरिवार 10 एकड़ साफ की गई भूमि धान के लिए आबंटित की गई थी । तथापि, बाद में जाने वाले दलों को भूमि आबंटन का प्रतिमान, साफ की गई 5 एकड़ धान की भूमि, साफ की गई एक एकड़ वासभूमि और 5 एकड़ भूमि बाग-बगीचे के लिए वासियों द्वारा स्वयं साफ की जानी है ।

चीनी सैनिक अड्डों का नेपाल के साथ सम्पर्क स्थापित करने वाली सड़कों का निर्माण

1556. **श्री नवलकिशोर शर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन योजना जैसे महत्वपूर्ण नगर का महत्वपूर्ण सैनिक अड्डों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये भारत-नेपाल सीमा पर सैनिक सड़कें बना रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और भविष्य में चीन के किसी भी आक्रमण से सीमा को सुरक्षित रखने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ग) क्या नेपाल सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में नेपाल से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) ल्हासा (तिब्बत) को काठमांडू से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कार्य चिनियों ने 1967 में और पोखरा को काठमांडू से जोड़ने वाली सड़क का कार्य मई 1973 में पूरा कर लिया था। पोखरा भारत-नेपाल सीमा पर स्थित नहीं है बल्कि भारत-नेपाल सीमा के उत्तर में करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पोलैण्ड से जहाजों की खरीद

1557. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में पोलैण्ड से जहाज खरीदने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने जहाज खरीदे गये खरीदे जाने हैं और उनका टनभार क्या है तथा उन पर विदेशी मुद्रा सहित कितना व्यय किया जायेगा ; और

(ग) ये जहाज भारत के विदेश व्यापार को बढ़ाने में कहां तक लाभकारी सिद्ध होंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग) पोलैंड ने प्रत्येक 29,000 डी० डब्लू० टी० के दो उत्पादक वाहक तथा एक 1,70,000 डी० डब्लू० टी० का एक ओ० बी० ओ० वाहक देने की रजामंदी व्यक्त की है जिसमें इसी टनभार का एक और ओ० बी० ओ० वाहक प्राप्त करने का विकल्प है। उपयुक्त वाणिज्यिक करार जिसमें मूल्य अदायगी शर्तें विनिर्दिष्ट हों अभी तक की जानी बाकी है वाहकों की प्राप्ति, जब कभी अन्तिम रूप दिया जायेगा रुपये में अदायगी के आधार पर होगी। ऐसी प्राप्तियां भारतीय जहाजों द्वारा ढोये जाने पर भारतीय व्यापार की अधिक प्रतिशतता को सुगम बनायेगी।

ईरान में इस्पात कारखाना स्थापित करने में भारतीय सहायता

1558. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान में इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के कार्य में उस देश की सहायता करने के लिए भारत और ईरान के बीच कोई समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो भारत द्वारा किस प्रकार की सहायता उपलब्ध की जायेगी ; और

(ग) उपलब्ध की जाने वाली सहायता के परिणामस्वरूप भारत को कितना लाभ होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राज्य सड़क परिवहन उपक्रम केरल के लिये पूंजी

1559. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सड़क परिवहन निगम केरल के लिये अपेक्षित धनराशि राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार किये गये अनुपात में दी जानी है ;

(ख) यदि हां, तो केरल सरकार द्वारा अपने सड़क परिवहन निगम को वर्ष 1973-74 और 1974-75 में कितनी धनराशि दी गई है और इस राशि में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत अनुपात कितना है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1973–74 और 1974–75 में स्वीकृत राशि का पूरा भुगतान कर दिया है ; और

(घ) यदि नहीं तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इसके कारण क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी हां।

(ख) केरल सरकार ने केरल राज्य परिवहन निगम की पूंजी में 1973–74 और 1974–75 में से प्रत्येक में 62.5 लाख रुपये का अंशदान किया। इन वर्षों में से प्रत्येक के लिये जिस अनुपात पर सहमति हुई है उसमें केन्द्रीय सरकार (रेलवे) का अंशदान 31.25 लाख रुपये होना चाहिये था।

(ग) और (घ) चौथी योजना अवधि में राज्य सड़क परिवहन निगम की पूंजी में अंशदान के लिये केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध कुल आबंटन केवल 10 करोड़ रुपये था। 1972–73 वर्ष में यह सारी रकम खर्च कर दी गई। 1973–74 के दौरान इस प्रयोजन के लिये योजना आयोग ने कोई धन नियत न किया और इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार 1973–74 के दौरान केरल राज्य सड़क परिवहन निगम को कोई अंशदान न कर सकी।

1974–75 में भी रेलवे के लिये उपलब्ध आबंटन कम था। चूंकि पहले वर्षों के संबंध में विभिन्न राज्य सड़क परिवहन निगमों में काफी पिछला अंशदान पड़ा था अतएव यह फैसला किया गया कि यथानपात आधार पर पात्र निगमों में उपलब्ध धन बांट दिया जाये। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम का 17.49 लाख रुपये का अंश, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पहले ही उसे दिया जा चुका है।

अगले वित्तीय वर्ष के लिये राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशदान हेतु रेलवे के लिये 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था किये जाने की संभावना है। 1974–75 वर्ष तक केरल राज्य सड़क परिवहन निगम सहित राज्य सड़क परिवहन निगमों के लिये केन्द्रीय सरकार के अंशदान के काफी अंश के 1975–76 वर्ष तक स्वीकृत किये जाने की संभावना है।

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस्पात वितरण की नई प्रणाली तैयार करना

1560. **श्री एम० कतामुतु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस्पात वितरण की नई प्रणाली तैयार की जा रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इसका क्या उद्देश्य हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) संशोधित वितरण नीति को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। इस नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(1) आधुनिक परिवहन प्रणाली की आवश्यकता तथा रेल डिब्बों की क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए इस्पात कारखानों से बड़ी मात्रा में आवश्यक सामग्री की ढुलाई करना।

(2) यह सुनिश्चित करना कि उपभोक्ता केन्द्रों के पास हर समय पर्याप्त मात्रा में माल उपलब्ध रहे ।

(3) इस्पात की प्राप्ति के लिए दुष्कर प्रक्रियाओं को हटाना और इस तरह उपभोक्ताओं की वस्तु सूची में कमी करना ।

(4) सुरक्षा, इंजनियरी सामान के निर्यात, बिजली, इस्पात तथा कोयला क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर इस्पात का आबंटन करना ।

वर्तमान वितरण नीति की कुछ मुख्य-मुख्य विशेषता यह है : इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा इस्पात का आबंटन छमाही आधार पर किया जाता है, इस्पात के लगभग 800 बड़े-बड़े उपभोक्ताओं को मुख्य उत्पादकों द्वारा सीधे माल दिया जा रहा है, इस्पात प्राथमिकता समिति शेष आबंटतियों को इस्पात मुख्य उत्पादकों के स्टाकयार्डों के जरिए दिला रही है । संहृत उद्योगों का उपयुक्त विस्तार किया जा रहा है और इस्पात सामग्री की बुकिंग के लिए मांग पत्रों के साथ बयाना जमा कराने की शर्त हटा दी गई है ।

अप्रैल, 1974––जनवरी 1975 की अवधि में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस्पात की उपलब्धी 10 लाख टन बढो है । इसलिये पिछले कुछ महीनों में इस बात की प्रदाय स्थिति में बहुत सुधार हुआ है । वितरण की वर्तमान व्यवस्था सतोषजनक है फिर भी इस की सतत समीक्षा की जाती है और स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि०, मुख्य उत्पादनों और लोहा और इस्पात नियंत्रक से परामर्श करके समय समय पर उचित परिवर्तन किये जाते है ।

गणराज्य दिवस समारोह पर खर्च में कमी

1561. श्री बरके जार्ज : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस वर्ष राजधानी में गणराज्य दिवस समारोह के अवसर पर खर्च में कुछ कमी की गई थी :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) क्या गणराज्य दिवस समारोहों पर खर्च में कमी करने के अनुदेश राज्य सरकारों को दिये गये थे ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) किफायत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संधीय राजधानी में इस वर्ग का गणतंत्र दिवस समारोह कम पैमाने पर मनाया गया था। इस वर्ष के समारोह पर किये गये व्यय के लेखे को अभी अन्तिम रुप नहीं दिया गया है । परन्तु ऐसी आशा की जाती है कि उठाए गये कदमों को परिणामस्वरुप किफायत होने की सम्भावना है ।

(ग) जी हां श्रीमन् ।

कोचीन और उद्योग मण्डल के बीच जल परिवहन

1562. श्री बरके जार्ज : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री 5 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित सख्या 3252 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन और उद्योग मंडल के बीच जल परिवहन के लिये केन्द्रीय सरकार ने मंजूरी दे दी है, और

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) योजना केन्द्रीय सरकार के संबंधित विभागों के परामर्श से अभी भी विचाराधीन है ।

बैंलिगडन द्वीप, कोचीन के चारों ओर जाने वाली लिंक रोड

1563. **श्री बरके जार्ज** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बैंलिगडन द्वीप स्थित कोचीन पत्तन के सम्मुख कुछ विशिष्ट यातायात समस्यायें है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंलिगडन द्वीप कोचीन के चारों और लिंकरोड बनाने का अनुरोध किया है, और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) विलिंगडन द्वीप से कोचीन पहुंच मार्ग तक प्रस्तावित लिंक रोड (अनुमानित लागत 3 करोड़ रुपये) एक राज्य सड़क होगी और इसलिए इसके निर्माण की जिम्मेदारी केरल सरकार की है । परन्तु प्रस्तावित लिंक रोड के निर्माण पर धन लगाने के बारे में राज्य सरकार ने जो कठिनाई व्यक्त की है उसको दृष्टि में रखते हुये फरवरी, 1974 में परिवहन सचिव द्वारा की गई बैठक में है सुझाव दिया गया कि लिंक रोड की लागत राज्य सरकार, कोचीन निगम, कोचीन पत्तन न्यास और भारत सरकार द्वारा समान रूप से वहन की जाये और यदि राज्य सरकार और कोचीन निगम उपर्युक्त सुझाव से सहमत हो जाये तो प्रस्ताव उक्त बाट आधार पर वित्तीय प्रबंध की स्वीकृति के लिये वित्त मंत्रालय को भेज दिया जाए । परन्तु केरल सरकार ने अनुरोध किया कि सड़क पर आने-वाली लागत से केन्द्रीय सरकार और कोचीन पतन न्यास वहन करें राज्य सरकार का यह अनुरोध नहीं माना जा सकता, क्योंकि परिवहन सचिव को उपर्युक्त बैठक के बाद उनके द्वारा दिये गये व्यय वहन न करने के सुझाव पर उन्होने अभी विचार करना है । राज्य सरकार ने मामले के बारे मे रक्षा मंत्रालय से भी संपर्क स्थापित किया है कि प्रस्तावित लिंक रोड को सामरिक महत्व की सड़कों के कार्यक्रम के अंतर्गत लिया जाए । परन्तु उन्हे अभी रक्षा मंत्रालय से कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ है ।

अखिल भारतीय निर्माता एसोसिएशन का नौवहन के बारे में ज्ञापन

1564. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय निर्माता ऐसोसियेशन की ओर से पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिये नौवहन के बारे में उनके मंत्रालय को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो इसमें किन बातों का उल्लेख किया गया है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी):(क) से (ग) अखिल भारतीय विनिर्माता संघ से अगस्त 1973 में एक लेख प्राप्त हुआ जिसमें पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नौवहन के लिये लक्ष्य तथा नौवहन उद्योग के लिये वित्तीय प्रोत्साहन के बारे में सुझाव दिये गये थे । उन्हें सूचित किया गया कि चूंकि भारतीय राष्ट्रीय पोतस्वामी संघ को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये प्रस्तावित नौवहन लक्ष्य पहले ही बता दिया गया है अत: यह सदस्यों के लिये है कि वे विचार करें और उचित सूझ वाली योजना तैयार करें ।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार पटना द्वारा फार्मों की छपाई

1565. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार, पटना समाचारपत्रों के कालमों के जरिये फार्मों तथा लेखन-सामग्री की छपाई के लिए टेंडर आमंत्रण नहीं करता है और इस प्रकार लेखन-सामग्री खरीदने के लिए लेखा परीक्षा पार्टी द्वारा प्रतिकूल टिप्पणियां दिए जाने के बावजूद एक विशेष फर्म को ही आर्डर दिए जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) फार्मों और लेखन सामग्री की वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था अधिकांशतः राज्य सरकार के भण्डारों/प्रेस के जरिये की जाती है। कभी कभी जब उनसे ऐसी सप्लाई उपलब्ध नहीं होती तो अपरिहार्यता को देखते हुए नोटिस बोर्ड पर निविदाएं लगा कर और उन्हें मशहूर फर्मों से आमंत्रित करके लेखन सामग्री की वस्तुओं की खरीद और फार्मों की छपाई की व्यवस्था की जाती है। समाचार-पत्रों के जरिए निविदाएं आमंत्रित करना अनिवार्य नहीं है। गत तीन वर्षों से लेखा परीक्षकों ने इस संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं की है।

(ख) ऊपर (क) को ध्यान में रखते हुए किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत मैसर्स कांटीनेंटल कैमिकल कम्पनी, पटना को शामिल करना

1566. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स कांटीनेंटल कैमिकल कम्पनी, पटना को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अन्तर्गत विलम्ब से शामिल किया गया है हालांकि यह कम्पनी बहुत पहले की तारीख में शामिल कर लेने योग्य थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी को पहले की तारीख से शामिल करने को अन्तिम रूप देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इसको विलम्ब से शामिल करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत देशी शराब की दुकान को शामिल करना

1567. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना बाईपास रोड, पटना के चिरियाटर्ड पुल के निकट स्थित देशी शराब की दुकान को अभी तक कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है हालांकि यह दुकान पहले की तारीख से इस अधिनियम के अन्तर्गत आ सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दुकान को अभी तक क्यों नहीं शामिल किया गया है और इस के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन हैं और उन के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत बिहार में ठेकेदारों के कर्मचारियों को शामिल करना

1568. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत बिहार क्षेत्र में आने वाले कारखानों/प्रतिष्ठानों/खानों से सम्बद्ध अधिकांश ठेकेदारों के कर्मचारियों को अभी तक इस अधिनियम के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है जिससे ये कर्मचारी इस अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध हितों से वंचित हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे ठेकेदार और उनकी मुख्य कर्मचारी कौन-कौन से हैं और इन कर्मचारियों को शामिल न करने के क्या कारण हैं और इस के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन-कौन से हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज़ पर रख दी जाएगी ।

कलकत्ता में सामान्य स्वास्थ्य स्थिति का बिगड़ना

1569. **डा० सरदीश राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में कलकत्ता में सामान्य स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ने के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा व्यक्त किये गये विचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उन के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

भारत की प्रधान मंत्री द्वारा रूस का प्रस्तावित दौरा

1570. **श्री मधु लिमये** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री, 2 दिसम्बर, 1974 अथवा इस वर्ष जनवरी में रूस जाने वाली थीं ;

(ख) क्या यह दौरा स्थगित/रद्द कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो दौरे के स्थगित अथवा रद्द करने के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) से (ग) 1973 में भारत की यात्रा के दौरान सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महा सचिव, श्री एल० आई० ब्रेजनेव ने प्रधान मंत्री को सोवियत संघ की राजकीय मैत्री यात्रा का निमंत्रण दिया था । इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया गया था । यात्रा की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं ।

Arrangement For Teaching Indian Languages Abroad

1572. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **External Affairs** be Pleased to state:

(a) the names of countries where arrangement for teaching Hindi and other Indian languages have been made by India; and

(b) the facilities provided by the Indian Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) Apart from the 03 Universities in foreign countries which have on their own made arrangements for teaching Hindi, we have deputed Professors, Lecturers to the following countries for teaching Hindi and other Indian languages under the scheme of Establishing Chairs/Centres of Indian studies abroad as indicated against each:

1. Bulgaria	Hindi
2. G. D. R.	Hindi/Bengali
3. Mexico	Hindi
4. Rumania	Hindi (Presidently post in abeyance).
5. Yugoslavia	Hindi
6. Iran	Sanskrit
7. Thailand	Sanskrit & Pali
8. Poland	Tamil & Malayalam
9. Guyana	Hindi
10. Senegal	Dravidian languages
11. Surinam	Hindi
12. Trinidad	Hindi
13. Fiji	Hindi.

[b] Correspondence course in Hindi, books, charts, linquaphone records and other teachingaids including help and guidance in preparation of curriculum and in the conduct of examinations are some of the facilities we generally provide. We are also arranging Hindi Lessons and imparting training for the teaching of Hindi to foreigners in India.

विदेशी सहयोग से जहाजों का निर्माण

1573. **श्री बनमाली बाबू :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डाकयार्डों में विदेशी सहयोग से जहाजों के निर्माण की कोई योजना है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) इस समय देश की कुल नौवहन टनभार क्षमता कितनी है और भविष्य में इसमें कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) इस समय केवल दो सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड, अर्थात् कोचीन शिपयार्ड लि० और मजगांव डाक लि० ने जहाज निर्माण के लिये विदेशी शिपयार्डों के साथ सहयोग प्रबंध किये हैं। कोचीन शिपयार्ड लि० ने स्कॉट लिथगो लि० यू० के० के साथ (1) स्काट लिथगो लि० के यार्ड में शिपयार्ड के कार्मिकों के प्रशिक्षण (2) शिपयार्ड में निर्माणार्थ प्रस्तावित 75000 डी० डब्लू० टी० के पेनामेक्स खुले वाहक के लिये डिजाइन, नक्शे और विशिष्टियों से संबंधित तकनीकी कागजात के उपलब्ध करने और (3) जहाजों के डिजाइन और निर्माण के बारे में सलाह के लिये स्थान पर परामर्शकों की नियुक्ति द्वारा पहले जहाज के निर्माण काल के दौरान परामर्श सेवा के लिये समझौता किया है।

मजगांव डाक लि० बंबई ने जहाजों के निर्माणार्थ (1) मैसर्स विकर्स अमिस्ट्रोंग (जहाज निर्माता) लि० लंदन और भारतीय नौसेना के लिये लीएंडर प्रकार के फ्रिगेटों के निर्माणार्थ मैसर्स थेपो (जहाज-निर्माता) लि० ग्लासगो के साथ संयुक्त रूप से और (2) विभिन्न प्रकार के निकर्षकों के निर्माणार्थ मैसर्स आई० एच० सी० हालैण्ड के साथ सहयोग समझौते किये हैं ।

(ख) 1-2-1975 को नौवहन टनभार में 37,11,142 जी० आर० टी० के 295 जहाज हैं । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 86.42 लाख जी० आर० टी० परिचालन टनभार प्राप्त करने का लक्ष्य है ।

Amount allocated for Bihar Family Planning during 1974

1574. **Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the amount allocated for family planning in Bihar States for 1974 and the amount spent out of it; and

(b) the amount utilised in Bhagalpur District in particular and the achievements thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) Allocation of funds for the Family Planning Programme is made for the financial year and not for the calendar year. For the year 1974-75 the Government of Bihar were allocated an amount of Rs. 301.02 lakhs. As per information so far available, an expenditure of Rs. 260.22 lakhs has been incurred for the period April-December, 1974.

(b) An amount of Rs. 17.97 lakhs has been incurred in Bhagalpur District during April December, 1974. Achievements for the period are as follows:

Sterilizations (Nos.)	401
IUD Insertions (Nos.) . . .	181
Conventional Contraceptive users (Nos.)	717

कर्नाटक में बन्दरगाहों का विकास

1575. **श्री के० लकप्पा :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973 और 1974 के वर्षों में कर्नाटक के समुद्र तटवर्ती इलाकों पर बड़े और छोटे बन्दरगाहों के विकास पर कितनी राशि मंजूर की गई और कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ख) चालू वर्ष में कितनी राशि खर्च करने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) कर्नाटक तट पर नव मंगलौर पत्तन को केन्द्र ने एक बड़े पत्तन में विकसित किया है । 1972-73 से 1974-75 के वित्तीय वर्ष के दौरान नव मंगलौर पत्तन पर निर्धारित तथा व्यय की गई राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(रु० लाखों में)

	1972–73	1973–74	1974–75
बजट संबंधी व्यवस्था	356.00	675.00	850.00
व्यय	352.00	675.00	789.00 (जनवरी 1975 तक)

बड़े पत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों के विकास की कार्यकारी जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है परन्तु कारवाड़ के विकास के लिये वित्तीय सहायता चौथी योजना के केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार को सौंप दी गई। योजना की औपचारिक स्वीकृति होने तक 1972-73 तथा 1973-74 में राज्य सरकार को 12.35 लाख रुपये तथा 2 लाख रुपये की ऋण सहायता दी गई।

Rayon Textile Industries, Ujjain (M. P.)

1576. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state the amount of arrears of Provident Fund due to the employees in the Rayon Textile industry, Ujjain, Madhya Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : The Provident Fund Authorities have reported as under:

No establishment by name the Rayon Textile Industry, Ujjain has been covered under the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952. If the question pertains to Rayon Textile Industry generally as such, the position is that Staple Fibre Division and Engineering Division of M/s Gwalior Rayon Silk (Weaving) Company, Nagda, District Ujjain have been covered under the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952. They are up to date in payment of provident fund contributions.

Realisation of Provident Fund Deposits from Ramlal Jawaharlal firm, Ujjain

1577. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) the number of employees of Ramlal Jawaharlal firm of Ujjain, whose services were terminated during the years 1972-73 and 1973-74;

(b) whether they were served with any notice and given the benefit of gratuity etc. fixed by the Labour Welfare Association and if not, the reasons therefor;

(c) whether the said firm had deposited the contributions from the employees on account of Provident Fund and health services during the aforesaid period and, if not, the reasons therefor; and

(d) the nature of punishment awarded by Government to the officers of the said firm and the action being taken by Government to realise the Provident Fund deposits etc. ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Varma) : (a) to (d) The information is being collected. It will be laid on the Table of the Lok Sabha in due course.

Construction of Pali Bridge over Chambal River

1579. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether tenders for the construction of Pali Bridge over the Chambal River which will link Rajasthan and Madhya Pradesh have been accepted;

(b) if so, the party whose tenders have been accepted, the time by which the construction work will commence, is likely to be completed and the Central and State outlays involved in it; and

(c) whether till the completion of this bridge, Government will provide a temporary bridge to help people in crossing the river?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H. M. Trivedi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The river crossing lies on Sheopur-Sawai Madhopur Road, which is a State road. It is, therefore, for the State Govts. concerned to provide a temporary bridge in case they are convinced of the need and economics. However ferry services are available at Palighat except during monsoon.

बर्मा सरकार द्वारा अधिगृहीत भारतीय सम्पत्तियों के लिये क्षतिपूर्ति

1580. **श्री समर गुह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा सरकार द्वारा अधिगृहीत भारतीय सम्पत्तियों के लिये क्षतिपूर्ति के मामले उठाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) बर्मा सरकार के साथ हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) से (ग) भारतीय देश प्रत्यावर्तियों ने बर्मा में जो आस्तियां छोड़ी हैं उन पर भारत और बर्मा की सरकारों के बीच 1964 से पत्र-व्यवहार हो रहा है। 6 दिसम्बर, 1973 को बर्मा की सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके कहा था कि व्यापार राष्ट्रीयकरण कानून, 1963 और समाजवादी आर्थिक पद्धति स्थापना कानून, 1965 के अंतर्गत जिन राष्ट्रीय और विदेशी स्वामित्व के उद्यमों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है उनकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। इस अधिसूचना के जवाब में जिन भारतीय प्रत्यावर्तियों ने आवेदन पत्र दिए हैं उनके आवदनों पर बर्मी प्राधिकारी विचार कर रहे हैं।

अंडमान तथा निकोबार द्वीप-समूह में भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान के विस्थापितों का पुनर्वास

1581. **श्री समर गुह :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंदमान में भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास की समस्याओं का पुनर्विलोकन करने के लिये वहां पर संसद् सदस्यों का प्रस्तावित शिष्टमंडल न भेजने के कारण क्या हैं ;

(ख) अंदमान तथा निकोबार द्वीप-समूह में शिबिर में रह रहे विस्थापितों का फिर से पुनर्वास करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस बारे में किये गये उपायों और जो योजना बनाई गई है, उसका ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) चालू बजट अधिवेशन के पश्चात द्वीप समूह में संसद सदस्यों के एक दल को भेजने की व्यवस्था करने की संभावना है।

(ख) और (ग) अब तैयार किए गए प्रस्तावों के अनुसार, पांचवी योजनावधि के दौरान लिटल अंडमान में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए लगभग 1,000 प्रवासी परिवारों को बसाने का लक्ष्य है। भूमि उद्धार के कार्यक्रम का भूमि उद्धार संक्रियाओं के दौरान गिराई जाने वाली लकड़ी के उपयोग के लिए की गई व्यवस्था के साथ समन्वय करने के कदम उठाए जा रहे हैं। घाटों, सड़कों आदि सहित आवश्यक सुख-सुविधाओं के विकास के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

Uneducated Unemployed

1582. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) the number of uneducated unemployed persons at present State-wise; and

(b) whether there has been considerable increase in their number during the last years?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Bal Govind Verma) : (a) & (b) The available information relating to the number of such job seekers on the Live Register of Employment Exchanges is given in the statement attached.

Statement

No. of uneducated job seekers on the Live Register of Employment Exchanges as on* 30-6-1972, 30-6-1973 & 30-6-1974

(Figures in thousands)

States/Union Territories	Number as on		
	30-6-1972	30-6-1973	30-6-1974
States			
1. Andhra Pradesh	159·4	212·0	285·6
2. Assam	52·9	55·1	66·5
3. Bihar	297·4	531·9	618·8
4. Gujarat	95·9	118·3	136·9
5. Haryana	57·5	65·9	68·2
6. Himachal Pradesh	35·0	37·8	40·6
7. Jammu & Kashmir	21·2	18·1	15·8
8. Karnataka	131·2	140·6	129·3
9. Kerala	159·5	213·0	262·6
10. Madhya Pradesh	197·9	248·8	235·2
11. Maharashtra	245·3	318·2	332·7
12. Manipur	24·1	47·9	9·0
13. Meghalaya	@	3·9	3·5
14. Nagaland**	..	..	..
15. Orissa	148·5	199·9	250·8
16. Punjab	74·4	102·3	117·1
17. Rajasthan	80·2	98·8	85·3
18. Tamilnadu	283·1	300·8	295·6
19. Tripura	16·4	12·6	22·4
20. Uttar Pradesh	336·8	448·9	419·7
21. West Bengal	568·6	786·6	840·1

States/Union Territories	Number as on		
	30-6-1972	30-6-1973	30-6-1974
Union Territories			
1. Andaman & Nicobar Islands**	..	..	..
2. Arunachal Pradesh**	..	..	..
3. Chandigarh	11·4	12·6	11·3
4. Dadra & Nagar Haveli**	..	..	..
5. Delhi	64·5	74·9	49·0
6. Goa, Daman & Diu	5·7	8·1	10·9
7. Lakshadweep	1·0	1·0	1·4
8. Mizoram	@	2·5	1·0
9. Pondicherry	8·1	10·1	12·3
ALL INDIA TOTAL	3076·2	4070·6	4321·6

*Below Matric including illiterates.

@Included in Assam.

NOTE :—1. All the job seekers on the Live Register of Employment Exchanges are not necessarily unemployed.

2. Information relating to educational composition of the job seekers on Live Register is collected at half-yearly intervals ending June and December each year. Data for 31st December, 1974 are not yet available.

**3. No Employment Exchange is functioning in these States/Union Territories.

4. Figures may not necessarily add up to total due to rounding off.

5. Decrease in numbers in some cases was on account of cancellation of registrations due to non-renewal by applicants e.g. in Delhi, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh on transfer of some registrants, to new exchanges e.g. in Chandigarh and Meghalaya.

बरौनी-गरहार क्षेत्र के रेलवे श्रमिकों के साथ करार

1583. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन श्रम मंत्री ने बरौनी-गरहरा क्षेत्र के हड़ताली रेल श्रमिकों की मांगों के संबंध में 25 अप्रैल, 1971 को एक लिखित करार किया था जिससे 33 दिन पुरानी हड़ताल समाप्त हुई ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा कौन-कौन सी मांगें स्वीकार की गई हैं और पूरी नहीं की गई और इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक विवाद

1584. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973 और 1974 के वर्षों में, राज्यवार, कितने औद्योगिक विवाद हुए ;

(ख) 1973 और 1974 के वर्षों में राज्यवार, इन विवादों में कितने श्रमिक सम्बद्ध थे ; और

(ग) 1973 और 1974 के वर्षों में, राज्यवार, इन औद्योगिक विवादों के, इनके कारणों सहित ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

पंजीकरण समाप्त किये गए औद्योगिक एकक

1585. **श्री के० लकप्पा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में गत एक वर्ष के दौरान बहुत से औद्योगिक एककों का पंजीकरण, उन्हें केन्द्रीय स्रोतों से सप्लाई किये गये लोहे और इस्पात के कथित दुरुपयोग के कारण समाप्त कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी, राज्यवार, रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

चीन द्वारा पाकिस्तान को बमवर्षक विमानों की सप्लाई

1586. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

पाकिस्तान को चीन द्वारा बमवर्षक विमानों की सप्लाई करने के समाचार के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : चीन द्वारा पाकिस्तान को बमवर्षक विमानों की सप्लाई करने के समाचार की सरकार को जानकारी है । ऐसी गतिविधियों का हमारी रक्षा तत्परता पर जो प्रभाव पड़ता है उस पर हमारे रक्षा उपायों की योजना बनाते समय पूरी तरह से विचार किया जाता है ।

Number of Engineers and Doctors seeking Jobs

1587. **Shri R. V. Bade :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpeyee :
Shri Madhavarao Scindia :

Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) the number of Engineers, Doctors, Scientists, Technicians, Agronomists and Stenographers seeking employment during each of the last three years as also their present number;

(b) the number of jobs provided by Government each year to these categories during the above period;

(c) the short term as well as long term measures being taken in this regard; and

(d) the name of the State in which the number of persons seeking employment in those categories is the largest?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Bal Govind Verma) : (a) & (b) Information relating to the number of job-seekers on the Live Register and the number placed in employment through the Employment Exchanges is contained in Statement-I (attached).

(c) & (d) Information is given in Statements II & III (attached).

9—10 LSS(ND)/75

STATEMENT I

(a) & (b) (Figures in thousands

Sl. No.	Category of job-seekers	Number of job-seekers on the Leave Register of Employment Exchanges at the end of Calender year				Number of job-seekers placed in employment through the Employment Exchanges during the calender year			
		1971	1972	1973	1974 (June)	1971	1972	1973	1974 (Jan-June)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Engineers—								
	(i) Degree holders	19.1	22.8	23.1	20.6	3.6	1.9	2.4	1.0
	(ii) Diploma holders	54.1	59.8	55.2	47.9	7.7	6.8	7.1	2.8
2.	Doctors (Graduates and Post-graduates in Medicine)	4.0	5.3	5.8	6.5	0.7	0.7	0.5	0.2
3.	Scientists (Graduates and post-graduates in Science)	109.3	174.5	226.8	226.1	12.2	11.9	12.5	5.4
4.	Technicians (Craftsmen & Production Process Workers)	309.1	448.1	575.3	598.8	57.8	56.1	51.8	40.8
5.	Agronomists.	1.7	2.6	2.6	2.6	0.4	0.5	0.5	0.2
6.	Stenographers	16.6	28.8	30.1	33.5	3.7	3.4	2.6	1.8

NOTE :—1. Statistics regarding the number of placements made in Government establishments by different categories are not being collected. The figures shown in columns 6 to 9 include placements made in the private sector also.

2. All the job seekers on the Live Register on Employment Exchanges are not necessarily unemployed.

3. Excludes figures in respect of Univercity Employment Information and Guidance Bureaux except for two in Delhi.

4. Statistical data regarding the break-up of job seekers, according to occupation are collected half-yearly i. e. June and December. The figures for December, 1974 are not yet available.

STATEMENT II

(c) Government have been making every effort to provide increasing number of employment opportunities to the unemployed including Engineers, Doctors, Scientists etc. through various sectoral programmes included in the various Five Year Plans. Besides, Government have also implemented, during recent years, a number of special schemes designed to create employment opportunities for all categories of job seekers.

During 1971-72, a special centrally sponsored scheme for the benefit of educated unemployed persons including Engineers, Doctors, Scientists, etc. was started. In 1972-73, another programme, namely Special Employment Programme for States and Union Territories was formulated with a provision of Rs. 27 crores on the understanding that the States would mobilise additional resources to an equal extent. Further, in 1973-74, the Government formlated Half-a-Million Jobs programme with a view to generating employment and self employment opportunities for the educated unemployed persons.

In the *Fifth Plan* care has been taken to undertake employment intensive schemes, as rationalised and suitably integrated with sectoral development programmes, so that more systematic and sustained work can be done in accordance with an overall strategy.

In 1974-75, an Employment Promotion Programme with a thrust on self-employment has been taken up. The main object of this Programme is to create productive and self-generating employment with minimum investment of Government funds on training and for seed capital/margin money, etc. Upto the end of January, 1975, formal sanctions amounting to Rs. 1499.57 lakhs with an employment potential of 68,159 have been issued against the overall allocation of Rs. 40 crores.

It will thus be seen that all possible steps are being taken by the Government to promote employment/self-employment opportunities for various categories of job-seekers including Engineers, Doctors, Scientists etc. consistent with the availability of resources.

(d) STATEMENT III

Category of job seekers	Name of the State in which the number of job-seekers on the Live Register is the highest
1. Engineers	
(i) Degree Holders	Bihar
(ii) Diploma Holdeis . . .	West Bengal
2. Doctors (Graduates and Post-Graduates in Medicine)	Andhra Pradesh
3. Scientists (Graduates and Post-Graduates in Science)	West Bengal
4. Technicians (Graftsmen and Production Progress Workers)	Bihar
5. Agronomists	Maharashtra
6. Stenographers	Bihar

Licences for Purchase of Mini Buses in Delhi

1588. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether irregularities committed in the grant of licences for the purchase and operation of mini buses in Delhi have been investigated;

(b) if so, the outcome thereof; and

(c) the action proposed to be taken by Government?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H. M. Trivedi : (a) The reference is presumably to the scheme formulated by the Delhi Administration, under the Employment Promotion Programme for the year 1974-75, for allotting fifty mini buses and granting permits for operation of these mini buses in Delhi to educated unemployed graduates, diploma holders in engineering etc. No permit has been granted so far for any mini bus in Delhi under this scheme, as the matter is sub-judice.

(b) & (c) Do not arise.

कच्छ में एक प्रकाश स्तम्भ (लाइट हाउस) की स्थापना के लिये लशिंगटन शोल्ज में खुदाई

1589. **श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलाया-आफ शोर आयल टर्मिनल पर जाने वाले बड़े तेल वाहकों के निर्देशनार्थ कच्छ की खाड़ी के प्रवेश द्वार पर प्रकाशस्तम्भ (लाइट हाउस) का आधार डिजाइन निश्चित करने हेतु लशिंगटन शोल्ज में सरकार ने खुदाई करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की आशा है ;

(ग) कच्छ में प्रकाशस्तम्भ (लाइट हाउस) बनाने से क्या लाभ होगा ; और

(घ) इसमें कुल कितनी लागत होगी और इसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी हां ।

(ख) मार्च, 1975 के अन्तिम सप्ताह में ।

(ग) कच्छ खाड़ी के द्वार पर ओखा पतन से समुद्र में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थिति लूशिंगटन उथला भाग, क्षेत्र में नौगमन के लिये बड़ा खतरा है । कच्छ खाड़ी में पत्तनों पर आने जाने वाले जहाजों के मार्ग दर्शन के लिये इस उथलेपन पर एक दीपघर के निर्माण की आवश्यकता है । खाड़ी में सलाया के स्थान पर प्रस्तावित तटदूर तेल टर्मिनल की ओर तथा से चलने वाले वि० एल० सी० सी० एस० (बड़े तेल पोतों) के लिये भी दीपघर उपयोगी सिद्ध होगा ।

(घ) लूशिंगटन के उथले भाग पर द्वीपघर के निर्माण पर लगभग 175 लाख पये की लागत आएगी । सके निर्माण में 3 से 4 वर्ष लगेंगे ।

अखिल भारतीय निर्माता संघ का जहाज निर्माण उद्योग के लिये प्रस्ताव

1590. **श्री शंकर नारायण सिंह देव : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय निर्माता संघ ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पत्तनों और जहाज-निर्माण उद्योग के विकास के लिये एक प्रस्ताव तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ग) उक्त प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) अखिल भारतीय निर्माता संघ बंबई की विशेषज्ञ उप समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की प्रति अगस्त, 1972 में प्राप्त हुई जिसमें पत्तन सुविधाओं के विकास के लिये कुछ सुझाव दिये गये थे ।

(ग) रिपोर्ट की जांच की गई । रिपोर्ट पर कोई विशेष कार्यवाही नहीं की जानी थी ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में—प्रश्न

RE : QUESTION OF PRIVILEGE—QUERY

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior) : We had given notice of a question breach of privilege.

Mr. Speaker : That is in connection with the statement of the Prime Minister. I exaplained to you in my chamber that it cannot be raised.

Shri Atal Behari Vajpayee : What was said by the Prime Minister on the 4th December was not in respect of question only. Statement is clear and unambiguous she said:

> "No circular has gone from the Prime Minister's secretariat in my time... neither verbally nor orally.

Thereafter the Prime Minister Stated:

> "In my time no such circular has gone. I do not normally look into the question unless a Minister wants to ask my advice or feel that I should know.

निर्माण आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान) हमें उनके प्रस्ताव की प्रति तो प्राप्त हुई थी परन्तु हमें पता नहीं था कि उसपर चर्चा आज ही होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस विशेषाधिकार के प्रश्नों को उठाने की अनुमति नहीं दी है ।

Shri Atal Behari Vajpayee : According to the Statement made yesterday it has been admitted that a circular was issued on the 28th October in which all the Minister were requested to send 4 copies of all the statements and briefs to the Prime Minister Secretariat as soon as these are finalized.

This relates both to a statements and supplementaries.

Mr. Speaker : Last time she said that it was not a new thing. It already existed and was being revived now.

Shri Atal Behari Vajpaee : She did not say that what she actually said was "....in 1964, and perhaps once before, as a suggestion was made that questions pertaining to Pakistan and Kashmir should be shown to the Prime Minister"

But today it is not limited to Kashmir alone. It cannot all the Ministers.

Mr. Speaker : The Prime Minister has the right to ask for anything.

Shri Atal Behari Vajpayee : If the Government want time, give then the time but it is an attempt to deliberately mislead the House to which makes it a question of privilege.

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

एकाधिकारी तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार आयोग के मैसर्स लारसन एण्ड ट्यूबरों लिमिटेड, मैसर्स कारबोरेन्डम यूनिवर्सल लिमिटेड मद्रास, मैसर्स हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई, मैसर्स ल्यूकास टी० वी० एस० लिमिटेड, मद्रास के बारे में प्रतिवेदन

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ;

एकाधिकारी तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत एकाधिकारी तथा निर्बन्धकारी व्यापारिक व्यवहार आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) उक्त अधिनियम की धारा 23 (6) के अन्तर्गत मेसर्स लारसन एण्ड ट्यूबरो लिमिटेड के मामले में प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 11 अक्तूबर, 1972 का आदेश।

(दो) उक्त अधिनियम की धारा 21(3) (ख) के अंतर्गत मैसर्स कारबोरन्डम यूनिवर्सल लिमिटेड, मद्रास के मामले में प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 1 अक्तूबर, 1971 का आदेश।

(तीन) उक्त अधिनियम की धारा 22(3) (ख) के अंतर्गत मेसर्स हिन्दुस्तान अल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के मामले में प्रतिवदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 11 फरवरी, 1974 का आदेश।

(चार) उक्त अधिनियम की धारा 21(3) (ख) के अन्तर्गत मैसर्स ल्यूकस टी वी एस लिमिटेड, मद्रास के मामले में प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 28 मार्च, 1974 का आदेश।

[ग्रंथालय में रख गये। देखिये संख्या एल० टी० 9024/75]

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटड, बंगलौर और भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1973-74 के वार्षिक लेख तथा नौ-सेना (पेंशन) पहला संशोधन विनिमय, 1975

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं श्री जे० बी० पटनाएक की ओर से नम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटड, बंगलौर का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेख और उन पर नियंत्रण तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) भारत डायनमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियतक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय मे रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 9025/75]

(2) नौ-सेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौ-सेना (पेंशन) पहला संशोधन विनियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 15 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० नी० आ० 64 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 9026/75]

कर्मचारी भविष्य निधि (11वां और 12वां संशोधन) स्कीम 1974, कोयला खान बचाव (संशोधन) नियम, 1975, मजदूरी संदाय (हवाई परिवहन सेवाएं) संशोधन नियम, 1974, 10 अगस्त 1974 को प्रकाशित अधिसूचना शा०सा०नि० 871 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 और कोयला खान श्रम कल्याण संगठन धनबाद का वर्ष 1973-74 का प्रतिवेदन

श्री बाल गोविंद वर्मा : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (बारहवां संशोधन) स्कीम, 1974 जो दिनांक 28 दिसम्बर 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1400 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (ग्यारहवां संशोधन) स्कीम, 1974 जो दिनांक 28 दिसम्बर 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1401 में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रंथालय मे रखे गए। देखिये संख्या एल०टी० 9027/75]**

(2) खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उपधारा (7) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कोयला खान बचाव (संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 8 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 198 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कोयला खान बचाव (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 जो दिनांक 8 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 199 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 9028/75]

(3) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 26 की उपधारा (6) के अन्तर्गत मजदूरी संदाय (हवाई परिवहन सेवाएं) संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 4 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 10 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 9029/75]**

(4) कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत दिनांक 28 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1399 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति जिसमें दिनांक 10 अगस्त, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 871 के हिन्दी संस्करण का शुद्धिपत्र दिया हुआ है। **[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 9030/75]**

(5) (एक) कोयला खान श्रम कल्याण संगठन, धनबाद के कार्यकलापों संबंधी वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 9031/75]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ।

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारतीय रिर्जव बैंक मे खराब नोंटो के बदलने में लाखों रुपया के घोटाले का पता लगाना

श्री आर० के० सिन्हा (फैज़ाबाद) : मैं वित्त मंत्री का ध्यान लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं। मै उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें :

"भारतीय रिर्जव बैंक में खराब नोटों के बदलने में लाखों रुपये के घोटाले का पता लगाना"

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : अध्यक्ष महोदय, मैं रिर्जव बैंक आफ इण्डिया में खराब नोटों के बदलने के बारे में पता लगे गोलमाल के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर एक विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं ।

2 यह सूचना संभवत: उस समाचार पर आधारित है जो हिन्दुस्तान टाइम्स के नयी दिल्ली संस्करण में छपी है जिसमें खराब नोटों के तथाकथित गोलमाल से रिजर्व बैंक को भारी नुकशान होने के बात कही गयी है । यद्यपि अनियमितताओं की कुछ छुटपुट घटनाएं रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय के ध्यान में आई हैं, किन्तु इसमें बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात कही गयी है ।

3 जुलाई, 1974 को नोटो की जांच करने वाले एक अनुभाग के कार्यकारी, सहायक कोषाध्यक्ष को कटे हुए/फटे पुराने नोटों को पास करते हुए पाया गया था जो उसकी अधिकार से बाहर को बात थी। उसी महीने यह देखा गया कि सिण्डीकेट बैंक, नई दिल्ली द्वारा 6 लाख रुपये के मूल्य के 10-10 रुपये के नोटो के पैकटों में लगभग 200 नोट कटे हुए तथा फठे-पुराने थे जिन्हें सम्बन्ध सहायक कोषाध्यक्ष के अपने अधिकारों का उल्लघन करते हुए देय नोटों के रुप में प्रमाणित कर दिया था । यह भी पता चला कि सहायक कोषाध्यक्ष ने कुछ कटे हुए तथा फटे पुराने नोट, नोट परीक्षण अनुभाग में पर्यवेक्षकों के दल से लेनेकी बजाय सीधे एक नोट परीक्षक सही प्राप्त कर लिये थे । अगस्त 1974 में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की नागपुर शाखा में एक सहायक कोषाध्यक्ष द्वारा मुंजूर किये गये फटे पुराने नोटों के पास किये जाने तथा अच्छे नोटो के पैकटों में उन्हें रखे जाने के मामले की भी रिपोर्ट मिली थी। ऐस सभी मामलों में सम्बद्ध सहायक कोषाध्यक्ष तथा नोट परीक्षकों के निलम्बित कर दिया गया था और सामान्य रुप से विभागीय जांच की गयी । ऐसे अलग-अलग मामलों में दण्ड, यदि कोई दिया जाना है, तो मामले की जांच के परिणाम के आधार पर दिया जाता है ।

लगभग 70000 लाख नोटों के प्रचलन को ध्यान में रखते हुए जो भी कुछ मामले बैंक के सामने आये हैं उन्हें न तो खराब नोंटों के सम्बन्ध में बड़े पैमाने पर गोलमाल होने का मामला समझा जा सकता है और नही बैंक को गम्भीर हानि पहुंचाने के सम्बन्ध में सामान्य नियमों से हट कर लिया जा सकता है ।

दिसम्बर 1973 में एक घटना हुई थी जबकि एक-एक रुपये के 94 रद्द किये गये एक स्टिच किये हुए पैकट को दिल्ली के काउंटर पर बदलवाने के लिए पेश किया गया था उसके बाद से रद्द किये गये नोटों को फिर से पास कराने की कोई वारदात नहीं हुई है। इस मामले में भी किसी षड़यंत्र के सन्देह होने का कोई भी कारण नहीं है। क्योंकि रद्द किये गये नोटों का पूरा पैकट, जिसमें केवल 6 नोट ही गायब थे, उसी हालत में पेश किये गये जिस हालत में यह मिले थे, इनमें नोटों की किसी प्रकार से भी छेड़ा नहीं गया था जिससे यह पता चल सके कि इन नोटों की अदायगी नहीं हुई है। और उनकी अदायगी देय है। यह मान लिया गया कि नई दिल्ली कार्यालय की भट्ठी जिसमें रद्द किये गये नोटों को नष्ट करने के लिए रखा गया था, खराब थी। इसका कारण यह था कि भट्ठी की सलाखों के बीच में सामान्य अन्तर से अधिक अन्तर था और बिना जले नोटों के टुकड़ों को पाने के लिए प्रयोग में लाये जाने वाली छलनी की मरम्मत नहीं की गयी थी। भट्ठी की मरम्ममत कर दी गयी है। सावधानी के तौर पर, बैंक के सभी कार्यालयों की सभी भट्ठियों और अन्य उपकरणों की नियमित रूप से जांच और मरम्मत की जा रही है ताकि इस प्रकार की कोई दुबारा भूल न हो।

यह सच है कि खराब और गले सड़े नोटों के सम्बन्ध में दावों के शीघ्र निर्णय के लिए पर्याप्त व्यवस्था न होने से इस प्रकार के नोटों की रकम मिलने में साधारण जनता को असुविधा होती है। श्रम और रोजगार भुनाने वाली द्वारा किये जाने वाले नोटों के व्यापार को जो कि भारत रक्षा नियमावली 1971 के नियम 128 के अंतर्गत अपराध है, यदि कोई होता हो तो, उसे समाप्त करने तथा इन कठिनाइयों को दूर करने के विचार से रिजर्व बैंक अपनी नोट वापसी नियमावली में संशोधन के प्रश्न पर सक्रीय रूप से विचार कर रहा है।

अन्त में, माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट में कोई सचाई नहो है कि रिजर्व बैंक आफ इंण्डिया में खराब नोट बदलने में कई लाख रुपये के गोलमाल होने का भण्डाफोड हुआ हैं। इसलिए रिजर्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय के किसी वरिष्ट अधिकारी द्वारा ऐसी अनियमितताओं की जांच पड़ताल कराने का प्रश्न ही नहीं होता जिनका आरोप समाचार में लगाया गया है।

श्री आर० के० सिन्हा : मैंने मंत्री महोदय के वक्तव्य को ध्यान से सुना। हर्ष की बात है कि राब नोटों को बदलने में लाखों रुपयों का घोटाला नहीं है किन्तु वक्तव्य में कुछ ऐसी बाते जो स्पष्ट नहीं है।

कहा गया है कि नई दिल्ली कार्यालय की भट्टी जिसमें रद्द किए गए नोटों को नष्ट करने के लिए रखा गया था, खराब थी। बिना जले नोटों के टुकड़ों को पानें के लिए प्रयोग में लायी जाने वाली छलनी की मरम्मत नहीं की गई थी।

कहा गया है कि बैंक के सभी कार्यालयों की सभी भट्टियों और अन्य उपकरणों की नियमित रूप से जांच की जाती है। यदि ऐसी व्यवस्था है तो फिर ऐसा क्यों हुआ ?

Shri Janeshwar Misra (Allahabad) : These were printed deliberately

Shri R. K. Sinha : I will reply to you also (*interruption*)

सूपरवाइजर, सहायक कोषाध्यक्ष तथा नोट परीक्षण को देखते किया गया है। यदि एक रुपये के नोट को भी इन लोगों ने प्रचालन के लिए भेजा हो तो उन्हें कठोर दंड किया जाना चाहिए।

मैं वहीं समझता कि ऐसे थोड़े से मामले हैं। इस तरह के एक ही मामले से भी सरकार को हजारों लाखों रुपये की हानि हो सकती है।

[Shri R. K. Sinha]

काले धन का पता लगाने और तस्करों को रोकने लिए वित्त मंत्रालय अच्छा कार्य कर रहा है। जब आयकर विभाग ने बीजू पटनायक तथा जयपुर हाउस पर छापा मारा तो उन्हें लाखों रुपये के मूल्य का सोना मिला। यह कारण है कि ये लोग श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलनों को चलाने के लिए धन दे रहे हैं। सरकार को अवश्य मालूम होना चाहिए कि संसदीय लोकतंत्र का मार्ग बड़ा कठिन होता है। सभी प्रकार के विरोधी तत्व देश के लोकतंत्र को समाप्त करने के चक्कर में हैं। यह एक समाज विरोधी कार्य है और इसे रोकने के लिए कठोर दंड दिया जाना चाहिये। इन्हीं बातों से मुद्रा स्फिति बढ़ती है और अप्रिय घटनाएं घटती हैं। **(व्यवधान)**

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : खराब नोटों की सूची बनाई जाती है। यदि सूची नहीं होगी तो फिर इस बात का पता नहीं चलेगा कि नष्ट होने वाले नोटों का प्रचलन हो रहा है। सूची रखने के कारण ही 200 कटे हुए और खराब नोटों का पता चला है।

हमने कुछ अधिकारियों को यह शक्ति दी है कि वे कटे हुए या खराब नोटों को बदलने के लिये आदेश दे सकते हैं। किन्तु यहां उन्होंने उस शक्ति का दुरूपयोग किया है। उन्हे निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है।

नोट जलाने वाली भट्टी की नियमित जांच के लिए नई प्रणाली लागू की गई है किन्तु मशीन में कुछ खराबी आ गयी। फिर भी जब कभी मशीन में कोई त्रुटि आ जाय तो उस तुरन्त दूर करने का प्रयास किया जाता है।

श्री धामनकर (भिवंडी) : काला बाजारियों को पकड़ने के लिए माननीय वित्त मंत्री जो-अथक प्रयास कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं किन्तु साथही सरकार इस अपराध की गंभीरता को कम कर रही है। विवरण में कहा गया है कि नष्ट किए जाने वाले खराब नोटों का प्रचलन 1973 के पश्चात आरम्भ हुआ है। इस मामले में कुछ नोट परीक्षक तथा सहायक कोषाध्यक्ष अधिकारियों का हाथ है। यदि इस तरह की घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया तो वहां काम कर रहे बेईमान कर्मचारी इसका लाभ उठायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : नियम के अनुसार सदस्यों को केवल प्रश्न पुछने की अनुमति होती है। लेकिन सदस्य चर्चा आरम्भ कर देते हैं।

श्री धामनकर : रिजर्व बैंक में पुराने नोटों को बदलने में बहुत समय लगता है। यही कारण कि लोग साहूकारों या एजेन्टों के पास जाते हैं और वे इसका गलत फायदा उठाते हैं।

दूसरे सरकार को फटे नोटों को नष्ट करने की प्रक्रिया त्रुटिहीन बनानी चाहिए। साथ ही इन नोटों को बदलने तथा इनका हिसाब रखने के लिए पूरी सतर्कता बरती जानी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि इस घोटाले में कितने अधिकारियों का हाथ है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : यह सही है कि रिजर्व बैंक के काउंटर पर पुराने नोटों को बदलने में लोगों को समय भी अधिक लगता है और असुविधा भी होती है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में खराब नोट बदले जायेंगे। इससे लोगों की असुविधा कुछ कम हुई है। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के नोट परिवर्तन नियम 1935 में कुछ समुचित संशोधन किए जायेंगे जिससे प्रक्रिया कुछ सरल हो सके। जल्द ही ऐसा कर दिया जाएगा। किन्तु खराब तथा नष्ट हुए नोटों में अंतर है। जो नोट ठीक समझे जायें केवल उन्हे ही बदलने की आज्ञा दी जायेगी। जो नोट पहचाने नहीं जायेंगे उन्हें बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। नोटों को बदलने का आदेश तभी दिया जायेगा जबकि अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जायेगा कि यह सही नोट है।

नए नोटों की मांग और सप्लाई के अंतर को दूर करने के लिए नासिक प्रिंटिग प्रेस तथा रेवा प्रिंटिंग प्रेस में उत्पादन बढ़ाया जा रहा है।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार में काफी अंतर है। मंत्री महोदय का कहना है कि इसमें कोई षड़यंत्र नहीं नहीं है। इसीलिए यह मामला गंभीरता से नहीं लिया गया है। मैं नहीं समझता कि यह सही स्थिति है। लोगों को नोट बदलवाने में बड़ी असुविधा होती है। जन साधारण को अपने खराब नोट ऐजेन्टों या साहूकारों के पास बेचने पड़ते हैं जिससे भ्रष्टाचार समजता है।

सरकार को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए ताकि इस बुराई की जड़ से समाप्त किया जा सके। कहा गया है कि इस तरह के अपराधियों को भारत रक्षा नियमों के नियम 128 के अन्तर्गत दंडीत किया जायेगा। भारत रक्षा नियम 1971 में लागू हुआ था। क्या इससे पहले इस तरह के अपराधियों को दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं थी? इससे पता चलता है कि सरकार इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं देती।

जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार नियमों में कब तक परिवर्तन कर लेगी।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं माननीय सदस्य को इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस मामले में किसी सुगठित गिरोह का हाथ है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस तरह की घटनाएं गत $1\frac{1}{2}$ वर्षों से आरम्भ हुई है। बात यह हुई कि जिन अधिकारियों को नोट बदलने की शक्ति दी गई उसका उपयोग अन्य अधिकारियों ने भी किया।

नियमो को परिवर्तन करने के मामले पर रिजर्व बैंक विचार कर रहा है और शीघ्र ही नियमों में परिवर्तन कर दिया जायेगा। किसी भी नोट के बदले में नया नोट देने से पूर्व यह भलीभांति देख लिया जायेगा कि क्या पुराना नोट वैध और असली है। यदि कारण है कि ये खराब नोट रिजर्व बैंक भेजे जाते हैं जहां उनकी भलीभांति जांच कि जाती है और तत्पश्चात् ही उन्हें बदलने की अनुमति दी जाती है। जनता की कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार नियमों में संशोधन करने जा रही है।

इस तरह का अपराध भारत रक्षा नियम के ही अन्तर्गत नहीं अपितु भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत भी अपराध है।

Shri Sharad Yadav (Jabalpur) : Mr. Speaker the replies given by the ministers are always evasive. The members of the ruling party and the members of opposition parties want to curb corruption. My Suggestion is this that those who want to do away with corruption, should from a committee. In this case the enquiry is being conducted departmentally. This whole racket can not take place without the involvement of high ranking officers.

There are always reports in newspapers about the corruption. So, if the Government want to solve this problem of Corruption Sincerely, they should from a committee comprising members from the ruling party and from all opposition party.

At present soiled notes are in circulation and people have to face lot of difficulties in exchanging those damage notes. The name of Shri Jay Prakash Narayan is being draged in this case. How Shri jai Prakash Narayan is concerned with it ?

Mr. Speaker : What is your question ?

Shri Sharad Yadav : I want to state that a Committee comprising members from all parties should be set up to make inquiry against Corrupt persons.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : श्री जयप्रकाश नारायण और श्री कृपलानी का इन खराब नोटों से कोई संबंध नहीं है। मेरे विचार से इस तरह की समिति बनाने से समस्या हल नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : आप यूं कहिए कि यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है। कृपया यह ध्यान मे रखें। उन्होंने कुछ सुझाव दिए है आप उन्हें ध्यान में रखिये।

कार्य यंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

52 वां प्रतिवेदन

निर्माण तथा आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं निम्न लिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य यंत्रणा समिति के 52 वें प्रतिवेदन से; जो 26 फरवरी 1975 को सभा में प्रस्तुत किया गया था; सहमत हैं"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा कार्य यंत्रणा समिति के 52 वें प्रतिवेदन से; जो 26 फरवरी 1975 को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was Adopted.

राष्ट्रपती के अभिभाषणों पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

श्री के० मनोहरन (मद्रास उत्तर) : सर्व प्रथम मैं प्रधान मंत्री को उनके साहस के लिए बधाई देता हुं। उन्होंने शेख अब्दुल्ला से जो समझौता किया है; वह सराहनीय है। अपने दल की ओर से इस समझौते का स्वागत करता हूं।

आजकल हमारे एक राष्ट्रीय नेता पूर्ण क्रांति की बातें कर रहे हैं। इस सम्पूर्ण क्रांति की बात तो केवल तब समझ में आ सकती है जब इस के लिए समूचे राष्ट्र के संसाधनों को इस के लिए संगठित कर लिया जाय। किन्तु सम्पूर्ण क्रांति के यह नेता तो स्कूलों के छात्रों को कह रहे हैं कि परीक्षा में न बैठो। वकीलों को कहते हैं कि अदालत में मत जाओ। और न्यायाधीशों को अपने निर्णय न देने का अहवान करते हैं। क्या यह उनके दृष्टि कोण की परिपक्वता है? हम तो उनसे आशा कर रहे थे कि वह परिपक्वतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर हमारा मार्गदर्शन करेंगे किन्तु जो कुछ वह कर रहे हैं वह सर्वथा उल्टा है। वह तो प्रक्रियावादी शक्तियों फास्फिटों के ठाणे में कठपुतली बने हुए हैं। इस प्रकार देश में ऐसा वातावरण बना रहे हैं जो कि राष्ट्र के लिए अहितकर होगा।

आश्चर्य की बात है कि यह नेता जो सम्पूर्ण क्रांति की बातें कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के ईछुक हैं, तमिलनाडु सरकार को जो अनैतिक और भ्रष्ट कार्यों के लिए बदनाम हो चुकी है, भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त करना चाहते हैं। तमिलनाडु सरकार के विरुद्ध एक के बाद एक आरोप लगाए गए किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री के० के० शाह आजकल तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। वह एक अच्छे व्यक्ति है, और मेरे मित्र हैं। वह न तो भारत सरकार के गुप्तचर हैं और न ही राज्य सरकार की कठपुतली। परन्तु श्री के० के० शाह श्री करुणानिधि की कठपुतली बन गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मनोहरन्, आपको नियमानुसार राज्यपाल के विरुद्ध ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वह राज्यपाल हैं और उन पर इस पर आक्षेप नहीं लगाना चाहिये।

श्री पी० के० देव : जबकि वह आलोचना का उत्तर देने के लिय यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्री के० मनोहरन : मुझे खेद है। मुझे सन्देह है कि राज्यपाल सही स्थिति की जानकारी भारत सरकार को नहीं दे रहे हैं। तमिलनाडु में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि करुणानिधि सरकार भ्रष्ट है। परन्तु श्री के० के० शाह छात्रों को उनका अनुकरण करने को कहते है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप स्वयं राज्यपाल बन जायें तो क्या ऐसी बात करेंगे?

श्री के० मनोहरन : यह जब मैं आपकी सूचना एवं इस पर प्रधान मंत्री द्वारा विचार किये जाने के लिये कह रहा हूं ताकि राज्यपाल श्री के० के० शाह को वापस बुला लिया जाय। मेरा यह सुझाव है। दल बदल के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। जहां तक मेरे दल का प्रश्न है काफी समय संविधान में एक संशोधन की मांग कर रहें है। वापस बुलाने के अधिकार के उपबन्ध की अवश्य ही हमारे संविधान में व्यवस्था होनी चाहिए। प्रधान मंत्री ने इसे अव्यवहार्य बताया है। बहुत से देशों के संविधानों में ऐसी व्यवस्था है तथा उसका क्रियान्वयन भी सफलतापूर्वक हो रहा है।

मेरा सभा से तथा आपसे विनम्र निवेदन है कि भारत के संविधान में वापस बुलाने की व्यवस्था को सम्मिलित किया जाये। केवल दल बदल विरोधी विधेयक से ही काम नहीं चलेगा।

तमिलनाडु के रामनद, पुडोकोटियाइ, धर्मपुरी सेलम आदि जिले में गम्भीर रूप से सूखाग्रस्त हैं। केन्द्र ने 7.5 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। प्रधान मंत्री ने अपनी हाल की मद्रास यात्रा के दौरान कहा था कि उक्त धन का सदुपयोग नहीं किया गया। ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मुझे सन्देह है कि उक्त धनराशि करुणानिधि की निर्वाचन निधि में चली जायगी। ऐसी हालत में सूखाग्रस्त लोगों को राहत नहीं मिल सकती। मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री को इन तथ्यों का पता है और यदि वह इन सब बातों पर ध्यान देंगी तो स्थिति सुधर सकती है और लोगों को बचाया जा सकता है। मैं प्रधान मंत्री से उदारता पूर्वक धन देने का आग्रह करता हूं। इस समय देश में ठेके की व्यवस्था विद्यमान है इस लिये राहत का धन जनता को उपलब्ध नहीं हो पाता।

अत में मैं अभिभाषण के लिये राष्ट्रपति को एवं सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं समझता हूं कि 70 वर्ष की अवस्था के पश्चात् व्यक्ति ढंग से सोच नहीं पा । जो व्यक्ति 5 मास पूर्व यह कहता था कि वर्तमान स्थिति में केवल प्रधान मंत्री श्रीमती गान्धी ही राष्ट्र का बेड़ा पार करने में समर्थ हैं आज वही यह कह रहे हैं कि यदि देश की बर्बादी के लिये कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो वह श्रीमती इन्दिरा गांधी ही है। प्रधान मंत्री को ऐसे व्यक्तियों से चौकस रहना

[श्री के० मनोहरन]

चाहिए। देश में इस समय दो वर्ग है। एक वर्ग वर्तमान व्यवस्था बनाये रखना चाहता है तथा दूसरा वर्ग इसमें परिवर्तन चाहता है। परिवर्तन चाहने वाले लोग शक्ति प्राप्त करने जा रहे है। मुझे भय है कि इससे राजनीतिक स्थिरता और जनतान्त्रिक ढांचा समाप्त हो जायेगा। ये बातें मैं सभा के एवं प्रधान मंत्री के विचार के लिये रख रहा हूं।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock

---

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassemble after Lunch at fourteen of the clock

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : कल संसद सदस्यों की एक बैठक संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिये हुई थी। जब लोग परस्पर मिलते हैं अथवा विदेशियों से मिलते हैं तब देश में जो कुछ हो रहा है उसकी निन्दा करते हैं। विरोधी पक्ष को सरकार की आलोचना करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। वास्तव में लोकतंत्र ही एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें विरोधी पक्ष को एक भूमिका निभानी होती है। लेकिन विरोधी पक्ष पर भी जिम्मेदारी होती है कि वह उन नीतियों के क्रियान्वयन में बाधा न डाले जिन्हें कि संसद ने स्वीकृति दे दी है। एक बार अगर कोई नीति संसद द्वारा अनुमोदित कर दी जाती है तो वह राष्ट्रीय नीति बन जाती है। विरोधी पक्ष में इस विवेक की कमी है। कुछ व्यक्ति, कुछ राजनीतिक गुट यह स्वीकार करते हैं कि उनकी संसदीय प्रजातन्त्र में आस्था नहीं है लेकिन फिर भी वह प्रणाली को अन्दर से नष्ट करना चाहते हैं। दूसरे लोगों को लोकतंत्र पर अत्यधिक भरोसा है यद्यपि वह इसकी मुख्य धारणाओं को स्वीकार नहीं करते और प्रणाली में सुधार करने के नाम पर और उसे बदलने के नाम पर एक आन्दोलन कर रहे हैं। वह अपने वास्तविक उद्देश्यों के बारे में स्वयं निश्चित नहीं है। कई प्रकार के विचार एक साथ प्रस्तुत किये गये हैं। उदाहरण के लिए अब कहा जा रहा है कि चुनाव वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत बिना धन के लड़े जायेंगे फिर भी अपने प्रदर्शनों के लिये अपार धनराशि व्यय कर रहे हैं। यह सब धन कहां से आता है? वर्तमान आन्दोलन गलत बुनियाद पर आधारित है, इसलिए इसने गलत रुख लिया है। इस आन्दोलन में कुछ बाहर के तत्व बहुत रुचि दिखा रहे है जिससे कि सन्देह उत्पन्न हो रहा है। निर्वाचन सुधार समिति की काफी चर्चा की जाती है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : जनता पर इसका कुछ असर नहीं पड़ा। आपने कहा है कि भारी रकमें व्यय की जा रही है। आपका विश्वास ही कौन करता है।

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : जो लोग धन व्यय होता देखते है वह विश्वास करते है। समय-समय ये बातें समाचार पत्रों में छपती रहती हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : कौनसे समाचार पत्र में छपी हैं? कृपया एक भी उदाहरण दें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : काफी देर है। हल्ला करने के पश्चात निर्वाचन नियमों में सुधार के लिए एक समिति गठित की गई थी। मैंने उसका प्रतिवेदन नहीं देखा है। समाचार पत्रों में उसका सारांश देखा है। मुझे खेद है कि मेरे पास समाचार पत्रों की प्रति नहीं है।

अब चुनाव प्रणाली में परिवर्तन करने की बात भी कही गई है परन्तु यह सुझाव किसी ने नहीं दिया है कि वर्तमान चुनाव प्रणाली में क्या परिवर्तन किये जाये। समिति ने केवल मात्र यही कहा है कि चुनावों के लिए सर्वसम्मति से नई पद्धति तैयार की जाये। क्या हमारी संविधा सभा ने मतैक्य के आधार पर ही संविधान नहीं बनाया था? क्या वर्तमान आन्दोलनकारी उन विशिष्ट व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान है जिन्होंने संविधान की रचना की थी, क्या इन लोगों को अधिक संवैधानिक और राजनीतिक अनुभव प्राप्त है?

जो लोग वर्तमान संविधान का विरोध करने में लगे हुए हैं उनकी मुख्य शिकायत तो केवल यही है, कि वर्तमान संविधान चल क्यों रहा है, सरकार का कार्य क्यों होता जा रहा है और वह भी क्यों सूचारु रूप से चलती जा रही है। वास्तविकता यह है कि यह लोग एक ऐसी पद्धति का समर्थन करने में लगे हुए हैं जहां बिना कारखानों में काम किये उत्पादन अधिक हो, सरकारी कर्मचारी अपने पदों से अनुपस्थित रह कर कर्मचारियों की रेलियों में भाग लेते रहें। वर्तमान सरकार के स्थान पर वह एक इस प्रकार की कार्यपालिका को स्थापित करना चाहते हैं जिसका दिमाग साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) का, दिल कांग्रेस (संगठन) का, जुबान तथा फेफड़े समाजवादी दल के तथा हाथ व पैर जनसंघ दल के हों।

मुझे श्री गोपालन जैसे व्यक्ति से यह बात सुन कर बहुत आश्चर्य हुआ है कि धार्मिक अल्प संख्यकों का दमन किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि जब उन्होंने इस बारे में कहा तो वह वस्तुतः गंभीर नहीं थे। यह ठीक है कि इस संबंध में कुछ गंभीर घटनायें घटी हैं, हम उनकी काफी निंदा करते है। हमने इन घाटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भी प्रशासनिक स्तर पर उपयुक्त कदम उठाये हैं। हमें इस बात का गर्व है कि केवल कुछ एक साम्प्रदायिक तत्वों के अतिरिक्त अन्य सभी लोगों को हमारे लोकतंत्र में समान धार्मिक अधिकार प्राप्त है।

चर्चा के दौरान यह बात स्पष्ट हुई है कि उद्योग मंत्री ने सरकारी उपक्रमों में निजी भागीदारी के मामले में जो सुझाव दिया है, उसके बारे में दोनों पत्रों में काफी मतभेद है। वास्तव में देश में संसाधनों के अभाव तथा राष्ट्रीय परियोजनाओं में लोगों द्वारा भाग लेने की भावना को दृष्टिगत रखते हुए ही यह सुझाव दिया गया था। इस सन्दर्भ में हमारा उद्देश्य यह नहीं था कि सरकार द्वारा उपक्रमों में पूंजीनिवेश नहीं किया जायेगा या सभी सरकारी उपक्रमों में निजी पूंजी निवेश की अनुमति दे दी जायेगी।

कुछ सरकारी उपक्रम ऐसे भी है जहां निजी सम्पत्ति लगी हुई है तथा इसका प्रमुख कारण यही है कि पहले से ही उनमें निजी सम्पत्ति लगी हुई थी जिसके आधार पर उनके गठन समझौते के अन्तर्गत उन्हें और सम्पत्ति लगाने की अनुमति दे दो गई। परन्तु इससे कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि इस मामले में अन्ततः हमें कोई नीति अपनानी ही पड़ती है, तो हम पूर्ण सतर्कता के साथ काम करेंगे। यहां मैं इतना स्पष्ट कर दूं कि सरकारी उपक्रमों के क्षेत्रों को बेचने का तो कोई प्रश्न ही उठता नहीं और उन्हें बड़े बड़े व्यापार गृहों या लोगों के हाथों में जाने दिया जायेगा। अतः हमारे समक्ष स्पष्ट प्रश्न यह है कि बचत करों द्वारा की जाये या क्या लोग सीधे सरकारी क्षेत्र में पूंजीनिवश करके अपना योगदान दे सकें। ऐसे प्रश्नों के बारे में मैं विपक्ष के विचार जानना चाहती हूं।

कुछ सदस्यों द्वारा यह शिकायत की गई है कि गत 25 वर्षों के दौरान सिंचाई के मामले में बहुत कम प्रगति हुई है परन्तु यह सत्य नहीं है। हमारी सिंचाई सम्भव्यता 2 करोड़ 20 लाख हेक्टेर से बढ़कर अब 4 करोड़ 40 लाख हेक्टेर हो गई हैं। इस लिये हमें खराब

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

वर्षों में ही अनाज का आयात करना पड़ा है। हमें इस संबंध में कुछ इस प्रकार से कार्य करना होगा कि हम इसका कुछ रिजर्व स्टाक बना सकें जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर सहायता ली जा सके। आज देश में 75 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं तथा 165 मध्यम दर्जे की परियोजनाओं का कार्य विभिन्न चरणों में चल रहा है। हमें आशा है कि इनमें से अधिकांश अगामी चार-पांच वर्षों में क्रियान्वित हो जायेंगी जिससे कि पर्याप्त जल सिंचाई के लिए उपलब्ध हो जायेगा। वर्तमान सिंचाई संसाधनों का उपयोग करते समय मितव्ययता बरतने के बारे में भी सरकार ने निदेश जारी कर दिये हैं।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा अन्तर्राज्यीय जल-विवादों के निपटाने में तो रहे विलम्ब के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। सभा तथा सदस्यों को अच्छी तरह मालूम है कि इस प्रकार के विवादों का निर्णय राज्य आपस में मिलजुल कर ही कर सकते है। हां केन्द्र सदा ही राज्यों के विवादों को निपटाने का यथासम्भव प्रयास करता आ रहा है। जल को राष्ट्रीय सम्पत्ति बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है परन्तु इसके लिए राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। अधिकांश राज्यों द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध किया गया है; मेरा सभी राजनैतिक दलों से अनुरोध है कि वह इस महत्वपूर्ण प्रश्न को राजनीति से अलग रखते हुए इसके प्रति लचीले रवैये को अपनायें।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि सरकार की नीतियां किसान विरोधी रही है परन्तु ऐसा कहना वास्तविकता से आंखे मोड़ने के समान लगता है। सत्य तो यह है कि इन सभी वर्षों में हमने किसानों को ऋण, जल, बिजली, उर्वरक तथा सुधरे बीज उपलब्ध करवाने का हरसम्भव प्रयत्न किया है ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके तथा किसानों को अपनी फसल के लिए उचित तथा लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके।

मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि जब तमिलनाडु के एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि तमिलनाडु के सूखे की ओर हमारा रवैया बहुत कठोर रहा है और यह भी कहा गया कि मैं ने अपनी वहां की यात्रा के दौरान सूखे के बारे में कुछ नहीं कहा। यह आरोप बहुत विचित्र-सा लगता है। किसी भी राज्य के लिए, सूखे के नाम पर अधिकाधिक अनुदान प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिये। हमारा सदा ही यह प्रयत्न रहना चाहिये कि धन का सदा उचित उपयोग हो और वह जरूरतमंद लोगों तक पहुंचता रहे। राष्ट्रीय सहानुभूति आंकने का आधार धनराशि नहीं अपितु उससे होने वाली राहत से लगाया जाना चाहिये कि वह राहत कितनी प्रभावशाली सिद्ध हुई है।

हिमाचल प्रदेश के लोगों को भूकम्प का सामना करना पड़ा है। उन लोगों के साथ हमारी पूर्ण सहानुभूति है। यद्यपि वहां शीघ्र राहत पहुंचाने के लिए हरसम्भव प्रयत्न किया गया। परन्तु फिर भी राहत पहुंचने से पहले, उन बेलारों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह लोग हमारी सहानुभूति के पात्र है।

आवश्यक वस्तुओं में व्यापार को अपने हाथ में लेने तथा उसका राष्ट्रीयकरण करने के बारे में भी एक संशोधन दिया गया है। माननीय सदस्यों को मालूम है कि हम आवश्यक वस्तुओं के वितरण में सुधार करने तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सदैव ही प्रयत्नशील रहे हैं। यह ठीक है कि निजी व्यापार पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिये ताकि उपभोक्ताओं को शोषण से बचाया जा सके।

राष्ट्रीयकरण के बारे में मैं पहले भी अपने विचार व्यक्त कर चुकी हूं। जब तक हमारे पास अपेक्षित संगठनात्मक तथा प्रबन्धात्मक क्षमता न हो तब तक राष्ट्रीकरण सफल नहीं हो सकता। इसके साथ ही राष्ट्रीयकरण की सफलता के लिए जनसहयोग तथा जनजागृति का होना भी आवश्यक ही है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में ढील कर दी गई है परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं ने संबंध मंत्री से इसके बारे में बातचीत की है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अभियान सूचारू रूप से चल रहा है। परन्तु इसके लिए भी जन सहयोग तथा जन सूचना का उपलब्ध होना आवश्यक ही है।

औद्योगिक संबंध विधेयक को पेश करने में हुए विलम्ब के बारे में शिकायत की गई है। इस विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर मंत्रिमंडल की एक समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। फिर भी हमारा यही प्रयास है कि इसे शीघ्र पेश किया जाये।

एक माननीय सदस्य से यह सुनते हुए मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं आकस्मिक चुनाव का प्रचार कर रही हूं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि मैंने कभी भी आकस्मिक चुनाव की बात हीं की है। अनेक प्रश्नों के उत्तर में मैं स्पष्ट कह चुकी हूं कि आकस्मिक चुनाव नहीं होंगे।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : सरकार चुनाव आयोग को चुनाव सूचियों को शीघ्रता से संशोधित करने के लिए क्यों कह रही है? इससे लाखों मतदाता मताधिकार से वंचित रह जायेंगे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं किया जायेगा। मैं स्वयं ऐसा नह चाहती।

मैं श्री श्याम नन्दन मिश्र के इस सुझाव का स्वागत करती हूं कि सभी मुख्य समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए। हम जानते है कि प्रशासनिक प्रणाली और सम्भवत: चुनाव प्रणाली में कुछ त्रुटियां है। ये कमियां सैद्धान्तिक नहीं है अपितु ये ऐसी है जो इस प्रणली के कार्य कारण के बाधक बनती है। हम इनमें सुधार करने के इच्छुक हैं। वास्तव में हम चुनावों में सुधार करने हेतु एक गोल मेज सम्मेलन बुला सकते हैं।

अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जातियों का उल्लेख किया गया है। इस बारे में लोगों ने बड़ी बड़ी आशाएं की हैं। बेरोजगारी की समस्या हमारी सामान्य आर्थिक विपदाओं का एक भाग है इन समस्याओं का सर्वाधिक प्रभाव अनुसूचित जातियों तथा अनुसचित जनजातियों और अल्पसंख्या कों पर पड़ता है। एक दूसरी को दोषी ठहराने की बजाय हमें समाज विरोधी रवैया बदलना चाहिए और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करना चाहिए।

युवक इस बात से चिंतित है कि आसूका का प्रयोग छात्रों के लिए किया जा रहा है। मै स्वयं ऐसा नहीं चाहती किन्तु मैं यह बता दूं कि अन्य देशों में छात्रों के उपद्रवों को किस तरह निपटाया जाता है? कोई भी देश उपद्रवों और आन्दोलनों के प्रति नम्रता नहीं बरत सकता। जब आवश्यकता महसूस होती है तो इसका प्रयोग करना ही पड़ता है।

जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा कि लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक सभा के समक्ष है। कई राज्यों ने यह विधेयक पारित कर लिया है या इसके लिये कोई और व्यवस्था कर ली है। मुझे आशा है कि यह विधेयक यहां भी शीघ्र ही पारित कर लिया जायेगा।

हम भी भ्रष्टाचार समाप्त करने के इच्छुक हैं। लेकिन इसके लिए जो अभियान चल रहा है उससे भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। इसके लिए बड़ी सतर्कता की आवश्यकता है और हर कदम पर ईमानदारी से कदम बढ़ाना होगा। इसके लिए प्रत्येक स्त्री–पुरुष का सहयोग अपेक्षित है।

श्री जनेश्वर मिश्र (इलाहाबाद) : मारुति का क्या हुआ?

10—10 LSS (ND)/75

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मारुति में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। इस बारे में जो भी प्रश्न पूछा गया है, उसका स्पष्ट उत्तर दिया गया है। मारुति के साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया है।

दो दिन पहले मैंने कश्मीर के बारे में एक वक्तव्य दिया था और इस मामले पर हम शीघ्र ही सभा में चर्चा करेंगें। मैं आश्वासन देना चाहती हूं कि इस बारे में कुछ भी नहीं छिपाया गया है। सभी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध किए गए हैं। हम शेख साहब का हमारी और आने और राष्ट्र की मुख्य धाराएं में मिलने का स्वागत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अतीत में जो कटुता उत्पन्न हो गई थी वह अब दूर हो गई है। मुझे विश्वास है कि पारस्परिक विश्वास, जिससे यह समझौता सम्भव हो सका है, अटूट रहेगा।

खेद की बात है कि हमारा पड़ोसी देश हमारे आंतरिक मामलो में हस्तक्षेप कर रहा है। हम जो कुछ करें लेकिन ऐसे लगता है कि हमें धमकाया गया है। प्रधान मंत्री भूट्टो ने इसी सप्ताह सिक्किम के बारे में आलोचना की है। न तो किसी विदेशी प्रेस ने और न ही अपने देश के प्रेस ने इस और कोई ध्यान दिया है। यदि हम बलोचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त की दुखद घटनाओं और वहां के लोगों के कष्टों के बारे में कुछ कहते तो सारी दुनिया के कान खड़े हो जाते। क्योंकि इसके अंत होने की अभी कोई संभावना नहीं है।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई किए जाने के बारे में भारत में दो राय नहीं हैं। यह स्वाभाविक ही है कि हमें इस पर चिन्ता हो क्योंकि पाकिस्तान के आक्रमण के प्राय हम ही शिकार होते रहे हैं। हिन्द महासागर सैनिक अड्डा बनाने तथा समूचे क्षेत्र में सैनिक गतिविधि बढ़ने से तनाव बढ़ेगा।

यह वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है। हम देखना चाहते हैं कि इस वर्ष महिलाएं समाज में अपनी भूमिका किस ढंग से निभाती हैं तथा महिलाएं जो सारी जनसंख्या का आधा भाग हैं किस तरह समाज सुधार करती हैं।

अनुशासनहीनता कहीं भी अच्छा नहीं होती। केवल अनुशासन तथा कठिन परिश्रम से सफलता मिल सकती है। यदि हमारे नवयुवक तथा पुराने लोग रचनात्मक रवैये अपनाएं तो भारत एक नहरे युग की आशा कर सकता है।

हमें असंभव को संभव बनाने के प्रयास करना चाहिए और उसके लिए सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। उसी में देश का हित है।

उपाध्यक्ष महोदय : कई संशोधन पेश किए गए हैं। जब तक कोई सदस्य किसी विशेष संशोधन को सभा में मतदान के लिये पेश नहीं करना चाहता...

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरा संशोधन मतदान के लिये रखा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यही तो मैं पूछ रहा हूं। कौन सा संशोधन ?

श्री पी० जी० मावलंकर : संशोधन संख्या 494 तथा 495। प्रधान मंत्री ने गुजरात का कोई उल्लेख नहीं किया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : श्रीमान् मेरे संशोधन संख्या 1, 2, 4 तथा 5 सभा के समक्ष मतदान के लिए रख जायें।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : उपाध्यक्षहोदय... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आदेश का पालन करें। मैं किसी को नहीं सुन पा रहा हूं। आप मुझे सुनने क्यों नहीं देते? एक समय पर एक ही संशोधन लिया जाये। आपका कौन सा संशोधन है ?

श्री मानसिंह भौरा (भटिंडा) : श्रीमान्, संशोधन संख्या 67 पर मतदान कराया जाये।

श्री नुरूल हुडा (कछार) : मेरे संशोधन संख्या 583 को मतदान के लिये रखने की कृपा करें ।

श्री एन० ई० होरो (खुन्टी) : संशोधन संख्या 523 को मतदान के लिये रखी जाये।

श्री के० एस० चावड़ा : मैं संशोधन संख्या 227 तथा 99 पर मतदान करना चाहता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मेरे संशोधन संख्या 121 पर मतदान कराया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप किसी संशोधन को मतदान के लिए पेश करना चाहते हैं तो आप केवल एक संशोधन पेश करें। मैं इन संशोधनों को एक एक करके मतदान के लिए रखूंगा ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं संशोधन संख्या 494 पर मतदान चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सर्व प्रथम मैं श्री पी० जी० मावलंकर द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 494 को मतदान के लिए रखूंगा।

श्री पी० जी० मावलंकर : कृपया इसे पढ़ दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह गुजरात में जल्दी से चुनाव कराने के बारे में है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये; अर्थात्

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नए चुनाव कराने की तिथि के बारे में स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया है"।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ : पक्ष में—37; विपक्ष में—158

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इन सब संशोधनों को, जो माननीय सदस्यों ने पेश किए हैं, एक एक करके सभा के समक्ष मतदान के लिए रखूंगा।

अब मैं संशोधन संख्या 495 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

495 संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 1 सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

1 संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है :

" कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में आपात स्थिति समाप्त करने का उल्लेख नहीं है"।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ : पक्ष में—41; विपक्ष में—158

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रामावतार शास्त्री द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 106 तथा 107 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखे गए और अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 267 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् —

"कि अभिभाषण में सरकारी कर्मचारियों की पुलिस द्वारा जांच करने के विरुद्ध आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख नहीं है।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ : पक्ष—में 30; विपक्ष में—157

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : श्रीमान्, वास्तव में मैं अपने संशोधन संख्या 268 पर मत विभाजन चाहता था न कि संशोधन संख्या 267 पर।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चीनी, कपड़ा तथा औषधि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का उल्लेख नहीं है।" (123)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ : पक्ष में—23; विपक्ष में—161

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री भानसिंह भौरा : संशोधन संख्या 67 पृथक से पेश किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आदेश का पालन करें। श्री भौरा अपना सहयोग दीजिए।

अब मैं सभी संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिय गए और अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 17 फरवरी, 1975 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : श्री स्टीफन ने कहा है ?

यह एक व्यर्थ का प्रस्ताव है। जब वह यहां नहीं है तो क्या आप उनके प्रस्ताव पर मतदान करा सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें।

श्री पीलू मोदी : क्या वह अनुपस्थित रहकर अपना प्रस्ताव पारित करवा सकते हैं ? पूरी चर्चा ही निरर्थक हो गयी है।

गुजरात के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा के बारे में सांविधिक सकल्प

STATUTORY RESOLUTION REGARDING CONTINUANCE OF PROCLAMATION ISSUED IN RESPECT OF GUJARAT

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :—

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत गुजरात के संबंध में 9 फरवरी, 1974 को जारी की गई उद्घोषणा को 11 मार्च, 1975 से 6 मास की ओर अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हुं कि गृह मंत्री ने यह संकल्प अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत पेश किया है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या उक्त अनुच्छेद तथा अन्य अनुच्छेदों और हमारी संवैधानिक परम्परा के अनुसार उन्होंने गुजरात के राज्यपाल से इस बारे में रिपोर्ट मांग ली थी। दुसरे क्या निर्वाचन आयोग ने भारत सरकार को सलाह दी है, कि इस समय संविधान की कतिपय आवश्यकताओं के आभास में गुजरात में चुनाव करना न तो संभव है और न हीं उचित है। यदि राज्यपाल की ओर से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं है तो मंत्री महोदय को ऐसा संकल्प पेश करने का क्या अधिकार है ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : हमें इसके लिये राज्य सरकार के परामर्श की आवश्यकता नहीं है और न ही निर्वाचन आयोग से इस बारे में सलाह लेनी आवश्यक है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राज्यपाल से राज्य में संविधान के उल्लंघन होने की रिपोर्ट मिलनी आवश्यक है । क्या मंत्री महोदय यह कहना चाहते हैं कि यह तय करना भारत सरकार का ही काम है कि क्या राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये या नहीं। चर्चा आरम्भ करने से पहले इस बात पर विचार करना चाहिये।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : किसी भी राज्य में तब तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि संबंधित राज्य द्वारा ऐसे आवश्यकता की मांग न की जाये। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकती।

जिस प्रकार गृह मंत्री बिना संवैधानिक प्रक्रिया अपनाए यह प्रस्ताव पास करना चाहते हैं उससे सरकार की तानाशाही प्रवृत्तियों, स्पष्ट दिखाई देने लगी हैं। सरकार के इस कार्य से लोकतंत्र की सभी परिस्थितियों का उल्लंघन हुआ है और संधीय संविधान मजाक बनकर रह गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : राज्यपाल का प्रतिवेदन प्राप्त हुए बिना केन्द्रीय सरकार स्वयं इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं ला सकती संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यही प्रक्रिया 6 मास बाद राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने समय की लागू होती है। अतः इस समय अपनाई गई प्रक्रिया संविधान के विरुद्ध है।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी—खड़े हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : संविधान संबंधी व्यवस्था का प्रश्न कोई मजाक नहीं है। पूरी बात सुने बिना इसपर निर्णय नहीं दिया जा सकता।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : सरकार ने वास्तव में संविधान की अपेक्षा की है अतः मुझे खुशी है कि श्री मावलंकर ने यह प्रश्न उठाया है । सरकार द्वारा गुजरात में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव का राज्य की संसदीय सलाहकार समिति में भी निशेध हुआ था, अतः यदि सरकार को राज्यपाल से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है तो वह क्या है ? सरकार अपने इस कदम का औचित्य सिद्ध करें ।

Shri Jameshwar Mishra (Allahabad) : The way the hon. Home Minister has stated that there is no need to consult the Governer in this regard is quite alarming. Will he in future consult his party President Shri Barooha before he decids to ask for termination of Presidents rulet State ? We cannot be silent spectators to such a situation. We, therefore, call upon you to protect the constitution and democracy.

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट या **अन्यथा** राज्य की स्थिति . . .निर्गम कर सकता है । इसी अनुच्छेद के **उप खण्ड** (4) के अनुसार भी उन्हें राज्य प्रशासन या राज्यपाल की रिपोर्ट पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ता.।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में अपनाई गई कुछ परम्पराएं कानूनी रूप से चुकी हैं और यद्यपि गृह मंत्री के अनुसार राज्यपाल की रिपोर्ट आवश्यक नहीं है, फिर भी पहले इसी रिपोर्ट पर ही यह कार्यवाही की जाती रही है ।

मेरे विचार में यद्यपि राज्यपाल के लिखित रूप में ऐसी रिपोर्ट न भी दी हो, फिर भी गृह मंत्री उनसे सम्पर्क बनाए हुए होंगे ।

तीसरे, यदि सलाहकार समिति ने एक मत से कोई निर्णय किया हो तो, सरकार को मानना पड़ता है परन्तु इस मामले में शायद ऐसा नहीं है अतः व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : सरकार संविधान के विरुद्ध कैसे कार्य कर सकती है? **(व्यवधान)** यह प्रस्ताव वे किस आधार पर लाये हैं ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है ?

आशा है गृह मंत्री अपने भाषण में इस कार्यवाही के कारण बताएंगे ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या वे इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि राज्यपाल से उन्हों ने बातचीत कर ली हैं ? **(व्यवधान)**

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : मै एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्या आपके निर्णय का यह अर्थ है कि आप सरकार के इस तरीके से संतुष्ट हैं कि उन्होंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा तो नहीं कहा है ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : गत सितम्बर में जब सभा में इस मामले पर विचार हुआ था तब गुजरात में सुखा पड़ा हुआ था । तब से अब तक वहां वर्षा नहीं हुई है और 19 में से 16 जिले कमी के शिकार हैं । इस समय लगभग $6\frac{1}{2}$ लाख लोग 4000 से अधिक राहत कार्यों पर लगाएं गए हैं और पूरा राज्य प्रशासन इस कार्य पर लगा हुआ है । इस प्रयासों में मैं स्वयंसेवी संस्थाओं को बधाई देता हूं । राज्य के बजट में 37.9 करोड़ रुपय राहत कार्यों के लिए और केन्द्र की ओर से 10 करोड़ रुपये कृषि उपकरणों के लिए दिए गए हैं । भारत सरकार ने 14.4 करोड़ रुपये की सहायता की अग्रिम रूप से व्यवस्था कर दी है ।

जुलाई, 1974 में केन्द्रीय पूल से 51,000 टन अन्न की सप्लाई के मुकाबले फरवरी और मार्च, 1975 के लिए 92,000 टन सप्लाई की गई । इसके अलावा गुजरात ने अन्य राज्यों से गत 12 मास में 1,15,000 टन अनाज भी खरीदा है ।

साथ ही जमाखोरी और काला-बाजार विरोधि कदम भी उठाए गए है, । उपलब्धता में वृद्धि और प्रवर्तन-उपायो के फलस्वरुप राज्य में कीमतें स्थिर हुई हैं और कहीं-कहीं कम भी हो गई हैं।

इसके अलावा अनुसूचित जातियों । जनजातियों के लिए राजपत्रित पदों की संख्या में 5 से 7 और 10 से 14 प्रतिशत की वृद्धो की गई है । एक हरिजन सरकारी अधिकारी को राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया गया है । एक हरिजन विकास निगम भी बनाई जा रही है . . .

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या राष्ट्रपति शासन जारी रखने के लिए यह सब आवश्यक है ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : राज्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां चुनाव कराना संभव नहो है अतः राष्ट्रपति शासन जारी रखना आवश्यक है । इसलिए मैं इस सकल्प को सभा द्वारा पास किए जाने की सिफारिश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत गुजरात के सम्बन्ध में 9 फरवरी, 1974 को जारी की गई उद्घोषणा को 11 मार्च, 1975 से 6 मास की और अवधि के लिये लागू रखने का अनुमोदन करती है ।"

श्री मोरारजी देसाई (सुरत) : पता नहीं सरकार ने गुजरात में फरवरी में ही चुनाव क्यों नहीं कराये यद्यपि निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमन दिसम्बर में ही पूरा हो गया था। वहां चुनाव न कराने का एक ही कारण दिखाई देता है और वह है लोक सभा के अचानक चूनाव कराना और जिस शीघ्रता का परिचय देश भर में चुनाव सूचियां तयार करने आदि में दिया गया उससे लगभग सभी ओर यही विचार व्यक्त किया गया कि लोक सभा के चुनाव शीघ्र होने वाले हैं और शायद इसलिए गुजरात के चुनाव अलग से नहीं कराये जा रहे। यदि ऐसा किया जाता तो उचित ही था परन्तु दोनों में से कोई बात नहीं हुई है, और यदि वहां अभी चुनाव नहीं कराये गए तो वर्षा के बाद चुनाव अगले वर्ष ही संभव होंगे, अर्थात इस वृद्धि के बाद 6 मास की और वृद्धि करने की अनुमति सभा से मांगी जाएगी, इससे तो यही लगता है कि सरकार गुजरात को उसकी सरकार के विरुद्ध क्रान्ति लाने के लिए दण्ड दे रही है परन्तु मेरा विश्वास है कि गुजरात राज्य इसे कदापि सहन नहीं करेगा क्योंकि यह कदम सांविधानिक और न्याय संगत नहीं है।

चुनाव न कराने का कारण सूखे और अकाल बताना बेइमानी पूर्ण है क्योंकि इससे भी गंभीर स्थिति में गुजरात में चुनाव कराये जाते रहे हैं।

जिन निगमों में चुनाव नहीं कराये गये की उन्हें भंग कर दिया गया है। कई जिला पंचायतों को भी चुनाव न करवाये जाने के कारण भंग कर दिया गया है। इन सभी कार्यवाहियों से एक ही बात स्पष्ट होती है और वह यह कि सरकार गुजरात राज्य को सबक सिखाना चाहती है। परन्तु देखना केवल यह है कि क्या सरकार इससे सबक सीखती है या गुजरात राज्य। मैं समझता हूं कि सरकार को इस मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिये तथा इसके लिए असंवैधानिकता का मार्ग नहीं अपनाना चाहिये। यही कारण है कि गुजरात राज्य में राष्ट्रपति के शासन की अवधि बढाने का मैंने विरोध किया है।

गृहमंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा कि राज्य में सूखे की स्थिति में राहत पहुंचानेका कार्य चल रहा है। मैं समझता हूं कि जब तक राज्य में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधी नही होगें तब तक यह कार्य सुचारु रूप से नही चल सकता। सरकार द्वारा स्वंय यह बात कही गई है कि 18,000 गांवों में से 13,000 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। शेष गांवों का क्या हुआ? उन्होनें स्वंय कहा था कि 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जायेगा परन्तु केवल 6 लाख व्यक्तियों को ही रोजगार उपलब्ध करवाया गया। इतना ही नहीं गृह मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि केवल कुछ हजार पशु ही दक्षिण गुजरात भेजे गये है। गुजरात में 89 लाख पशु है परन्तु सूखे की अवधी के लिए केवल कुछ हजार पशु ही सूरत तथा बलसार जिले में भेजे गये है; ऐसा कहने क्या तात्पर्य है आज स्थिति यह है कि चारे तथा पीने के पानी के अभाव के कारण पशु भूखे मर रहे है। अगामी कुछ महीनों में यह स्थिति और भी बिकट रूप धारण कर लेगी। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि उसे गुजरात के लोगों के साथ अन्याय न कर के कुछ बुद्धिमत्ता के कार्य करने चाहियें। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो उसे इसके परिणाम भुगतने के लिए भी तयार रहना चाहिये।

डा० महिपतराय मेंहता (कच्छ) : मैनें श्री मोरारजी भाई देसाई के भाषण को बहुत ध्यान पूर्वक सुना है। श्री देसाई ने स्वंय अपने भाषण में यह बात कही है कि अगामी कुछ महीनों तथा मई-जून में गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों की स्थिति ओर अधिक दयनीय हो जायेगी। परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि इतना कुछ कहने के बावजूद भी वह वहां शीघ्र चुनाव करवाने की बात कर रहे है। सम्पूर्ण स्थिति का अवलोकन यदि मानवीय पहलू के आधार पर किया जाये तो चुनावों की अपेक्षा आज वहां के जान माल की सुरक्षा का कार्य अधिक महत्वपूर्ण है।

सूखे की स्थिति कभी एक सी नहीं बनी रहती, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। आरम्भ में सरकार ने कच्छ के 639 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया अब सम्पूर्ण कच्छ को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। पहले 9,000 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था, अब 13000 ग्रामों

को सूखाग्रस्त घोषित किया जा रहा है जब कि सम्पूर्ण गुजरात में गांवों की कुल संख्या 18,000 ग्राम है। मैं चुनावों के विरुद्ध नही हूं परन्तु मुख्य बात केवल यही है कि समस्या के मानवीय पहलूओं पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये। सरकार द्वारा हमारे क्षेत्र में से 20,000 पशुओं को सूखाग्रस्त क्षेत्रों से निकालने की बात कही गई है। पशुओं की संख्या वहां 10 लाख से भी अधिक है अत: वहां से और अधिक पशुओं को निकलवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

कच्छ क्षेत्र के समक्ष एक अन्य समस्या है। वहां फसल की रक्षा के लिए बिजली की अत्याधिक आवश्यकता है। गुजरात प्रशासन का कहना है कि उनके पास "कंडक्टर" उपलब्ध नही है। यदि इस क्षेत्र की बिजली की सप्लाई नही की गई तो वहां फसल का बचाना असम्भव हो जायेगा अत: सरकार को इस ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिये। पानी की भी इस क्षेत्र में काफी कमी है। यहां के लोग भूख से मर रहे हैं क्योंकि वहां प्रत्येक व्यक्ति को केवल आठ ग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। इस क्षेत्र का दौरा करने वाले एक दल ने बताया कि यहां के लोग वृक्षों की जड़े उबाल कर खाते है। अत: इन परिस्थितियों में सरकार से मेरा अनुरोध है कि जो 22,000 मीटरी टन गेंहू इस राज्य को सप्लाई किया जाना था, वह अन्य किसी स्थान पर नही भेजा जाना चाहिये।

आजकल उस क्षेत्र में शिक्षकों ने अपना आन्दोलन आरम्भ कर रखा है। सेन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है।

[**श्री इसहाक सम्भली** पिठासीन हुये
SHRI ISHAQUE SAMBHLIA *in the Chair*,]

मेरा सरकार से अनुरोध है कि सेन समिति की सभी सिफारिशों को लागू किया जाये। इससे शिक्षित नवयुवकों में व्याप्त असंतोष को दूर करने में काफी सहायता मिलेगी।

मैं सरकार का ध्यान कांडला जल-समस्या की ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं। जल के अभाव में बहुत उद्योग ठप्प हुये पड़े है और जल के अभाव में सोडा ऐश का निर्माण भी नही हो पा रहा है। जल के अभाव के कारण ही वहां 60 करोड़ रुपये की लागत के गंधक के तेजाब का कारखाना लगाने वाले प्रस्ताव को स्थगित किया जा रहा है। अत: सरकार को इस ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिये। वहां मच्छू बांध का निर्माण करके, जल की व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिये।

इस क्षेत्र की एक अन्य समस्या है और वह है 'रुई' की समस्या। सरकार ने कहा है कि वह कपास उत्पादकों की सुरक्षा करना चाहती है परन्तु इसके बावजूद भी सरकार के विभिन्न कृत्यों से यह स्पष्ट है कि वह मिल मालिकों को सहायता कर रही है। यही कारण है कि सूती कपड़ा उद्योग ने काफी मुनाफा कमाया है।

मेरा अन्तिम निवेदन यह है कि गुजरात में अकाल के कारण लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है। वहां क्षयरोग की प्रतिशतता में वृद्धि हो रही है। चिकित्सा से सम्बद्ध व्यक्ति होने के नाते मैं यह कह सकता हूं कि वहां 10 रोगियों में से 1 रोगी क्षयरोग से पीड़ीत है। सरकार को इस ओर शीघ्र ध्यान देना चाहिए।

हम चुनाव लड़ते आये हैं और अब भी हम चुनाओं के पक्ष में हैं, चुनाव लोकतन्त्र की बुनियाद को सुदृढ़ बनाते हैं। हमारे देश में विपक्ष यदि सरकार बनाने की स्थिति में होता तो हमारे अनेक अभावों की पूर्ति हो जाती परन्तु दुर्भाग्य यह है कि वह इस स्थिति में नहीं है। आज विपक्ष केवल विरोध के लिए ही विरोध कर रहा है। वास्तविकता तो यह है कि सरकार ने जो कुछ भी किया है लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए ही किया है। इन शब्दों के साथ ही मैं राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने तक और बढ़ाने सम्बन्धी संकल्प का समर्थन करता हूं।

***श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** (औसग्राम) : मैं गृह मंत्री द्वारा गुजरात में राष्ट्रपति के शासन की अवधि बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव का दृढ़ता पूर्वक विरोध करता हूं ।

कुछ समय पूर्व डा० मेहता ने तथा प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने वक्तव्यों को विरोधी दलों की सीधी निन्दा से आरम्भ किया था ।

दोनों ने ही जनता के आन्दोलनों को प्रजातन्त्र के लिए खतरा बताया । हमारे संविधान में निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की व्यवस्था नहीं है । इस कमी के कारण गुजरात के लोगों ने आन्दोलन किया । ऐसे आन्दोलनों को केवल इसी लिए प्रजातन्त्र विरोधी नहीं कहा जा सकता कि यह कांग्रेस सरकार के पक्ष में नहीं है । इस आन्दोलन के विरुद्ध गलत प्रचार करना बहुत गलत बात है ।

वाद-विवाद प्रारम्भ होने से पूर्व श्री मावलंकर तथा अन्य माननीय सदस्यों ने, जिस ढंग से गृह मंत्री ने प्रस्ताव रखा है, उसे संविधान की आत्मा के विरुद्ध बताया है । मैं उक्त विचारों से पूरी तरह सहमत हूं । प्रधान मंत्री एवं गृह मंत्री देश में व्याप्त सभी बुराइयों के लिए विरोधी दलों को उत्तरदायी ठहराना चाहते हैं । मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं जब 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार थी, वर्तमान प्रधान मंत्री उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थीं । उन्हों ने उस समय आन्दोलन द्वारा केरल की संयुक्त सरकार को गिराने का सफल प्रयत्न किया था । उनकी उक्त कार्यवाही तो जन तान्त्रिक थी परन्तु बिहार और गुजरात के लोगों के भ्रष्ट सरकारों को हटाने के आन्दोलनों को उसी प्रधान मंत्री द्वारा प्रजातन्त्र विरोधी बताया जा रहा है । डा० मेहता तथा गृह मंत्री ने बताया है गुजरात में अकाल और सुखे के कारण चुनाव नहीं कराये जा सकते । यदि सरकार वास्तव में जनता की सेवा करना चाहती है तो उसे राज्यको जनता की प्रतिनिधि सरकार देनी चाहिए । जिन प्रदेशों में प्रनितिधि सरकारें हैं वह पिछले वर्ष अपनी खाद्य सम्बन्धी मांगों का जैसे मध्य प्रदेश को 73 प्रतिशत भाग ,बिहार को 62 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश को 68 प्रतिशत दिया गया जबकि गुजरात को अपनी मांग का केवल 35 प्रतिशत भाग ही प्राप्त हुआ । कांग्रेसी नेता डा० जीवराज मेहता संसद सदस्य तथा श्री घनःश्याम ओझा दोनों भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों ने केन्द्र द्वारा दी जा रही सहायता की अपर्याप्तता की पुष्टि की है । उन्हों ने यह भी कहा है कि केन्द्रीय मशीनरी के हस्तक्षेप के कारण वे राहत कार्यो को उचित रूप से नहीं कर पाये ।

डा० जीवराज मेहता (अमरेली) : यह बात गलत है और यह आरोप सर्वथा असंगत है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : उनके उक्त आशा को व्यक्त करते हुए समाचार 17-1-75 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपा था ।

डा० महिपतराय मेहता (कच्छ) : समाचार पत्रों में बहुत सी बातें छपती हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : उन्हों ने इसका पहले खण्डन क्यों नहीं किया ?

श्री पी० जी० मावलंकर : वे गुजरात की अभाव समिति के सदस्य थे तथा उन्हों ने प्रशासन की कई बार अलोचना की है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं यह कहने की चेष्टा कर रहा था कि सरकार गुजरात मे निर्वाचन कराने सम्बन्धी अपने वचनों से पीछे हट गई है । दिल्ली, जबलपुर, हरयाणा तथा अन्य स्थानों पर हुए उपर-चुनावों के परिणामों से राज्य सरकार भयभीत हो गई है । जनता ने अपना समर्थन कॉग्रेस विरोधियों को दिया है । गुजरात में कांग्रेस के पास निर्वाचन का सामना

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English Translation of speech delivered in Bengali.

करने का उत्साह नहीं रहा। वहां पर जनता का महान आन्दोलन चल रहा है। बिहार म दुःखद घटनाएं हुई हैं। श्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या कर दी गई है। श्री जगन्नाथ मिश्र तथा अन्य लोग श्री गफ्फूर को हटाना चाहते हैं। कांग्रेस दल के आन्तरिक झगड़ों के कारण जनता को कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

कांग्रेस सरकार विशेष रूप से प्रधान मंत्री अंतराष्ट्रीय स्तर पर सहअस्तित्व को बहुत बल देती है। परन्तु वह देश के भीतर उसी सिद्धान्त को लागू करने के पक्ष में नहीं हैं। दो बार बंगाल में संयुक्त सरकारें बनी थी परन्तु दोनों बार ही केन्द्र के षडयन्त्र से उन सरकारों को समाप्त किया गया। जब भी विरोधी दल मिल जाते है तब उनका उपहास किया जाता है। मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी को बताना चाहता हूं कि सभी सम्भव अत्याचारों के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में साम्यवादी पार्टी के 1000 श्रमीको को हत्या के बावजूद हम जनता की सेवा के कार्य को जारी रख सकें हैं।

गुजरात की जनता शीघ्र निर्वाचित के लिए अत्यधिक उत्सुक है अतएव उनमें विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। अणु शक्ति केन्द्र, भावनगर में मेडीकल कालेज, और तारापूर–भावनगर रेल-सम्पर्क संबंधी राज्य की मांगे स्वीकार की नहीं गई है फिर भी केन्द्रीय सरकार जनता को बता रही है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की बहुत प्रगति हूई है। हजारों मिल मजदूरों के बेकार होने के बावजूद सरकार की तीसरी पारी चालू नहीं की है। शिक्षा नीति में शिक्षा विदों के साथ विचार-विनिमय किये बिना ही परिवर्तन किया जा रहा है। इसके विरुद्ध आन्दोलन हुआ है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का कड़ा विरोध करता हूं तथा गुजरात में बिना विलम्ब चुनाव कराने की मांग करता हूं। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो गुजरात की जनता अपने जनतांत्रिक अधिकारों के लिए मिलकर लड़ेगी और सबके समर्थन से अन्ततोगत्वा अपने लक्ष्य में सफल ोगी।
ह

श्री नटवरलाल पटेल (मेहसाना): मैं गुजरात में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाये जाने के संकल्प का समर्थन करता हूं क्योंकि राज्य की **वर्तमान** स्थिति को देखते हुए भारत सरकार का यह एक बुद्धीमत्ता पूर्ण निर्णय है।

तीन मास पूर्व सरकार मार्च में चुनाव कराने पर गम्भीरता से सोच रही थी। इस समय गुजरात, में बहुत से गांव आकालग्रस्त हैं।

कुछ विरोधी सदस्यों ने आरोप लगाया है कि यह निर्णय राजनीतिक उद्देश्यों से किया गया है। परन्तु वास्तविकता ऐसी नहीं है। प्रजातंत्र के समर्थक होने के नाते निर्वाचन का स्वागत करते है। कुछ विरोधी सदस्यों ने गुजरात की सरकार को गिराया था भले ही वह सरकार लोकप्रिय थी। गुजरात में जनता की सरकार के लिये अब वे आंसू बहा रहें हैं। **(व्यव ान)**

Mr. Chairman : It is not good to interrupt like this. You can put a question later.

श्री नटवरलाल पटेल : मैं यह अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि और अपने राज्य के एक उत्तरदायी सदस्य के नाते ही कह रहा हूं।

उनका कथन है कि हम लोग गुजरात में निर्वाचन के लिये तैयार नहीं हैं इसीलिए राष्ट्रपति के शासन की अवधि जान बूझकर बढ़ा रहें हैं।

[नटवरलाल पटेल]

हमारे पास राज्य में अथवा केन्द्र में सत्ता हो अथवा न हो हमने जनता की सेवा करनी है। हम निर्वाचन से भयभीत नहीं है। कल के स्थान पर उन्हें आज भी कराया जाये और आज के स्थान पर अभी कराया जाय । गुजरात राज्य को सूखे की स्थिति इतनी गम्भीर है कि कई गावों में तो पीने के पानी की भी व्यवस्था करनी है। एक मास पश्चात क्या स्थिति होगी कहा नहीं जा सकता।

विरोधी पक्ष को तो मात्र निर्वाचन पर ही ध्यान देना होता है। उन्हें बाढ एवं सूखा पीड़ित जनता को कोई चिंता नहीं है।

गुजरात केलोग चुनाव के लिए चिन्तित नहीं है। वे तो अपने अस्तित्व के लिए चिंतित है वास्तव म गुजरात का 90 प्रतिशत भाग आकाल पीडीत है। माननीय सदस्य यदि गुजरात जा कर देखें तो उन्हें पता चलेगा कि वह कैसे अपना जीवन यापन कर रहे है। वे लोग पीने का पानी और पशुओं के लिए चारा आदि चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि राष्टपति के शासन की अवधि बढ़ाये जाने में कुछ भी बुराई नहीं है।

गुजरात के प्रोफेसरों ने कुछ आन्दोलन चलाया है। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि गुजरात सरकार सेन आयोग के प्रतिवेदन को स्वीकार करे इससे उन्हें न लाभ पहुँचेगा। हमें सुखे का मुकाबला करने के लिए दलगत राजनीति से उपर उठकर एक हो जाना चाहिए क्योंकि केन्द्र और राज्य सरकारें ही इस संकट को दूर नहीं कर पाएंगी।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं सरकार द्वारा लाए गए इस संकल्प की निन्दा करता हूं और मैं गृह मंत्री द्वारा किए गए तर्कों से तनिक भी प्रभावित नहीं हुआ हूं क्योंकि इसे लानेसे पूर्व विधिवत संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हैं।

एक ओर तो यहां हमें गुजरात में सूखे की स्थिति पर चर्चा करने का अवसर नहीं दिया गया है और दूसरी ओर राष्ट्रपति शासन लागू रखने के पक्ष में गृह मंत्री ने सब से बड़ा कारण राज्य में सूखे की स्थिति को बताया है। इन दोनों में क्या संबंध है? जबकी उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि गुजरात में सूखे की स्थिति लगभग स्थायी है और इससे भी गंभीर स्थितियों में वहां चुनाव होते रहेहै। क्या सरकार यह समझती है कि लोकप्रिय सरकार की अपेक्षा राष्ट्रपति शासन में सूखे का अधिक अच्छे ढंग से मुकाबला किया जा सकता है? क्या सरकार समझती है कि किए गए राहत कार्यों और हरिजनों को दी गई तथाकथित सहायता का ढोंल पीट कर सरकार वोट लेलेगी। कदापि नहीं। क्योंकि यह मात्र प्रचार ही है। क्या गृह मंत्री उन क्षेत्रों में गए हैं ? क्या उन्होंने हरिजनों की दशा देखी है ?

जितनी ओर जिस प्रकार की वित्तिय सहायता का दावा किया गया है, वह तो पहले ही नियत की हुई थी, और सच तो यहहै कि मैं ने जिन-जिन कार्यों की मांग की थी उनमें से एक भी वहां पर पूरा नहो किया गया है। फिर भी दावा किया जाता है कि सभी संभव सहायता दी जा रही है।

राष्ट्रपति शासन की अपनी सीमाए होतीं हैं—जैसे इसमें नीतियां नहीं बनाई / बदली जा सकतीं। उसमें उन बातों पर निर्णय नहो किया जा सकता जिनकी जनता मांग करे। ऐसे निर्णय एक लोकप्रीय सरकार ही ले सकतीहै और इस संकल्प का अर्थ है कि 6 मास तक ऐसे निर्णय नहीं लिय जाएंगे। वहां चुनाव इसीलिए नहीं कराए जा रहे क्योंकि वहां कांग्रेस को भय है कि वह पिट जाएगी परन्तु 6 मास बाद वह अपने को और दुर्बल पाएगी और एक वर्ष बाद स्थिति उसके लिए और भी विपरित होगी— यह मेरा दावा है।

सरकारने मजूरी और राशन संबंधी जो दावे किए हैं वे भी वास्तविकता से कोसों दूर है। य सभी दावे वहां के कुछ वोट प्राप्त करने के लिए किए गए है।

यदि सरकार इस संकल्प की भाषा बदलकर यह कहे कि 'हम गुजरात में राष्ट्रपति शासन इस लिए चाहते हैं क्योंकि वहां हम मतदाताओं के सामने नहीं जा सकते और यदि बाद में भी यही स्थिति रहीं तो हम इसे और बढा देगे' तो मैं उसके पक्ष में वोट दे सकता हूं।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : गुजरात में वास्तविक कठिनाइयां और सूखे की स्थिति के बावजूद चुनाव कराये जा सकते हैं। इसके लिये मास और तिथियों के बारे में विपक्ष के साथ बातचीत करके निर्णय किया जा सकता है । जो वर्षा ऋतु से पहले किसी भी तारीख को कराये जा सकते है।

लोगों के कठिनाई का एक कारण उनके पास कपास का स्टाक जमा होता है जो ऋण संबंधी रोक और सरकारी एजेंसीयों की वित्तीय कठिनाई के कारण उठाया नहीं जा रहा है। मंत्रालय को समें सहायता करनी चाहिये क्योंकि अगले 6 मास के लिए जिम्मेदारी उसी की है।

जल, चारे और अन्य चीजों की कठिनाईयों का हल केन्द्रीय सरकार द्वारा सहानुभूतिपूर्वक और समय पर कार्यवाही ही है। जितनी मात्रा में इस समय सहायता दी जा रही है उससे तो लोगों में काफी असंतोष है क्योंकि वहां स्थिति बहुत बिकट है।

मैं समझता हूं कि इस समय गुजरात में चुनाव कराना कांग्रेस और विपक्ष दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। हमें यह भी मानना होगा कि वहां पहले जनता द्वारा चुनी हुई सरकार थी, परन्तु उसे विरोधी दलों और कुछ नगरीय जनता के आंदोलन पर हटना पडा यद्यपि कथित भ्रष्ट मंत्रियों ने जांच की पेशकश भी की थी। जिस जनता ने उस समय राज्य सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की थी आज गुजरात की वही जनता चुनाव कराने की मांग कर रहीं है। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि कम से कम पंचायतों के चुनाव शीघ्र कराये जायें।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता– उत्तरपूर्व) : मुझे सरकार द्वारा यह संकल्प लाए जानेपर दुख हुआ है। आश्चर्य है कि सरकार ने निष्क्रियता, आत्मविश्वास के अभाव और ग्लानी का परिचय दिया है और इसीलिए वह चुनाव कराने में आनाकानी कर रही है। राष्ट्रपति शासन को कितना ही अच्छा क्यों न कहा जाये, यह मुख्यत: नौकरशाही प्रशासनही कहलाता है और इसकी असफलताओं के कारण ही सरकार वहां चुनाव न कराने के लिए सूखे और अभाव के बहाने बना रही है। कोई भी सरकार स्वशासन से अच्छी नहीं हो सकती और मैं नहीं समझता कि गुजरात को स्वशासन से क्यों और कैसे वंचित रखा जा सकता है। यद्यपि मैं और मेरा दल सरकार का सभी मामलों पर विरोध नहीं करते, तथापि, हमें उनकी त्रुटियों और भूलों के बारे मे तो बताना ही है। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल के अधिकांश जिले भुखमरी से पीडित है। देश में 70 प्रतिशत लोग निर्धनता के स्तर से नीचें का जीवन जी रहे हैं। बजट आने के बाद यह संख्या बढ़कर 75 प्रतिशत हो जाएगी। क्या ऐसी स्थिति में यह कहना संगत है कि चुनाव के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है? चुनाव का अर्थ क्या है? चुनाव किसलिए करवाए जाते हैं? चुनाव करवाने का उद्देश्य जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। चुनाव का अर्थ केवल पैसे व्यय करना नहीं है और न ही इसका अर्थ भ्रष्टाचार पैदा करना है।

चुनाव को स्थगित करने से कोई लाभ नहीं। चुनाव लोगों की समस्याओं का समाधान करने का एक साधन है। मैं चुनावों को स्थगित करने का विरोध करता हूं। स्वयं दीक्षित जी ने सदन में यह स्वीकार किया है कि राष्ट्रपति शासन को अनावश्यक रूप से जारी रखने को कोई औचित्य नहीं है। गृह मंत्री ने चुनाव को स्थगित करने के पक्ष में जो आधारहीन तर्क दिया है मैं उनका विरोध करता हूं।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : Almost all the hon. Members have stated that Presidents Rule is being extended for the purpose of postponement of election. But nobody has expressed, his opinion about the working of Administration there. There are no two opinions about it that elections should be held in time. But the real question is whether the situation prevailing there allows us to hold elections? Thousands of people and cattles are dying due to starvation. Therefore, priority should be given to the relief work over

[Shri Darbara Singh]
elections. Elections should take place only after the situation becomes normal. At present a labourer is getting 3 rupees daily. It is not sufficient. They do not get medical facilities also. The Government should provide more and more facilities to this class and increase their wages also. Relief works should be given top most priority.

Our friends are giving contradictory statement. On the one hand they are afraid of mid-term poll and snap poll, although our Prime Minister has reiterated several times that there will be no snap poll and elections would be held intime, and on the other hand they are insisting for immediate elections in Gujarat.

We ourselves want that Presidents Rule should be lifted at the earliest. But at present situation is not normal there. We should improve economic conditions of the people of that area. President's Rules has been extended reluctently. There are some reasons behind it. I want that relief work should be accelerated so that situation becomes normal there. With these words I support the Motion.

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapure): I oppose the Motion seeking extension of President's Rule in Gujarat by six months. It is not that there is no provision in the Constitution for Extension of period. But Article 356 is to be made use of only when situation assumes abnormal proportions. President's Rule is applied in a state when it becomes difficult for the Government to work according to Constitution or when there is threat to internal security due to foreign aggression. But the hon. Home Minister has not given any such reason for extension of President's Rule by six months. He has simply stated that famine situation prevails in that part of the Country.

I went to Gujarat in January-February last and met a number of press correspondents there. None of them said that elections would not be held on account of drought. But they said that the ruling Congress was not getting a good leader. Had they succeeded in getting a leader, elections would have been held.

The plea that elections are being postponed because of drought conditions is not at all Convincing. May I ask whether elections are postponed in a democracy on account of drought ? Can bureaucrats or elected representatives help the people more? As a matter of fact the present time does not suit the ruling party for holding elections. The former Ministry in Gujarat had to go because it had lost the Confidence of the people of the sate. It does not mean that the people do not want a popular rule. If we want to respect democratic norms, popular Government, which enjoys the confidence of the people, should be set up as early as possible. The style of your functioning is not at all democratic. Strange things are happening in the Ruling party itself. In Maharashtra there was no demand of the people for removal of Shri V. P. Naik but he has been replaced by another person. Similarly, in Bihar, there is a demand for the ouster of Shri Abdul Ghafoor Khan from Chief Minister ship but he is still continuing.

Same is the case in regard to Kashmir. Mir Kasim has been replaced by Sheikh Abdullah who is neither a Member of the Congress party nor a member of the State Legislature. How far it is justified to make him chief Minister ? Had he been elected through election, we would not have opposed it. But the way he has been given Chief Minister ship is not at all democratic.

The provision relating to imposition of President's rule is an emergency provision. Extension of President's Rule in Gujarat amounts to misuse of this provision. It will no help strengthening democracy. Therefore, I oppose the Motion seeking extension of Preident's Rule in Gujarat by six months more.

Dr. Kailas (Bombay South) : Sir, I have great respect for Shri Jagannathrao joshi. But today he is no much displeased with sheikh Abdullah that he has been very much appearing Shri Morarji Desai. I too have served in the political field of the country due to the kindness of Shri Desai, but today I find that he too has not shown that level of maturity.

I expected that Shri Morarji Desai would undertake fast for getting the relief grant enhanced from 76 crores rupees to 176 crores rupees. He shoud have asked foi work for 13 lakh persons in stead of 6 lakh persons and 1 lakh cattle herds should have been demanded to be sent in stead of 20 thousand. Now that the situation in Gujarat is grave and the entire administration is engaged in relief operations, I would not have expected such action from Shri Morarji Desai.

The Prime Minister has said that democracy is in our blood and we want to retain Lok Sabha and Legislative Assemblies.

When it was demanded that the Ministry of Shri Chiman Bhai be dismissed the Central Government was in favour of suspended Assembly. Shri Desai and Shri Mavlankar should have said that if elections cannot be held in April/May on account of drought it may be Lead in November/Decembei. Shri D. D. Desai has coriectly stated that election cannot be held as the whole Government machinery is engaged in Relief operations. This is a humanitarian question ana not a Political issue. The Government is spending crores of rupees on relief operations there. They want to stop that. The demand for election is anti people.

I fully understand the reasons advanced by the Minister of Home Affairs. But I feel that these problems should be solved.

Elections must be held in November or December there if not in september, as popular Government is always preferrable.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं इस अन्यायपूर्ण अनुचित तथा अनावश्यक संकल्प का विरोध करता हूं। इसके उद्देश्यों और इसके आधार से सरकार की बेईमानी तथा राजनीतिक स्वार्थता स्पष्ट प्रकट होती है। हो सकता है कि तकनीकी दृष्टि से मंत्री जी सही हों, किन्तु लोकतंत्र केवल तकनीकियों और कानूनी पहलुओं से नहीं चल सकता लोकतंत्र केवल तभी सार्थक होता है जब कथनी और करनी में अंतर न हो। अतः संवैधानिक औचित्य तथा राजनीतिक नैतिकता को यदि ध्यान में रखा जाये तो गृह मंत्री तथा भारत सरकार इस प्रकार के संकल्प को पेश करने में बहुत बडी गलती कर रही है।

राष्ट्रपति शासन को जारी रखने का क्या औचित्य है? गृह मंत्री ने कोई ऐसी ठोस दलील नहीं दी कि वे गुजरात में राष्ट्रपति शासन क्यों बढ़ाना चाहते हैं। वहां चुनाव कराने में क्या कठिनाइयां हैं? क्या चुनाव आयोग ने सरकार को वहां अभी चुनाव न कराने के लिए कहा है? क्या गुजरात प्रशासन नहीं चाहता कि वहां चुनाव हों?

यह सारी चाल सरकार की अपनी ही है। सत्तारूढ़ दल संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के लिए ही वहां राष्ट्रपति शासन जारी रखना चाहता है। सत्तारूढ़ दल का मुख्य ध्येय यह है कि किसी भी तरह से वह सत्ता में रहा आये। इन सब अनुचित तरीकों को अपनाने के बावजूद भी सरकार हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाती है।

अतः मेरा कहना तो यह है कि यह संकल्प पूर्णतया आधारहीन तथा निरर्थक है क्योंकि इसका सीधा प्रहार हमारी उन लोकतंत्रीय भावनाओं तथा प्रणालियों पर पडता जिन्हें हमारे संविधान में स्थान दिया गया है।

गुजरात में रहने वाले लोग गुजराती भाषी गुजराती नहीं अपितु गुजराती भाषी भारतीय हैं। किन्तु गुजरात में चल रही अनेक परियोजनाओं को पूरा करने में अनावश्यक विलम्ब किया गया है। गुजरात के प्रति केन्द्र का रवैया सदैव उदासीन रहा है।

[श्री पी० जी० मावलंकर]

गुजरात के लोग जब यह कहते हैं कि वहां भ्रष्ट सरकार की आवश्यकता नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि लोग वहां राष्ट्रपति शासन जारी रखना चाहते हैं। वे वहां लोकप्रिय सरकार चाहते है। वे चाहते है कि वहां भ्रष्ट सरकार न हो। हमारे जैसे लोकतांत्रिक देशमें जनता को स्वयं को संसदोय परंपरा तथा कार्य करण से अवगत रखना पडता है और चुनाव उन्हे लोकतांत्रिक कार्यकरण तथा तरोके सिखाते है, आप यह क्यो नहो करते? सरकार किस आधारपर वहां के लोगों कों इस अधिकार से वंचित रखना चाहतो है।

प्रधान मंत्री निरंतर यही कहती आ रही है कि उनके मन में गुजरात के प्रति कोई बूरी भावना नहीं है। फिर भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में गुजरात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यहां तक कि प्रधान मंत्री ने आज अपने उत्तर में यह बताना भो आवश्यक नहो समझा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में गुजरात का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? क्या गुजरात के लोगों के प्रति उनकी कोई सहानुभूति है? क्या प्रधान मंत्री गुजरात की यहो देखभाल कर रही है?

गुजरात में राष्ट्रपति शासन पहली बार ही लागू नहीं किया गया है। मैं आपको बता दू कि हमारे संविधान के आरम्भ से अर्थात् 1953 से अब तक विभिन्न राज्यों में 36 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। गुजरात में यह दूसरा अवसर है जब को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। क्या भारत सरकार यह चाहती है कि गुजरात भी केरल और उडीसा के मार्ग पर चले? क्या सरकार लोगों को सबक सिखाने के उद्देश्य से ही बारबार राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहतो है?

राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत नौकरशाही का बोलबाला होता है। समूचा प्रशासन सभी जिम्मेदारियों से स्वयं को बरी मानता है। हम चाहते है कि वहां लोकप्रिय सरकार रहे जो कि प्रशासन का कार्यकरण सुचारू रूप से चलाये। नौकरशाही को अधिक दिन तक नहीं चलने दिया जा सकती। यदि आप सूखा तथा कमी को राष्ट्रपति शासन को जारी रखने का कारण बताते हैं तो फिर आप अधिक धन क्यों नहो देते?

हम गुजरात के लोग इस चुनौती का सामना करेंगे और सरकार को शीघ्रातिशीघ्र निष्पक्ष चुनाव करानें के लिए बाध्य करेंगे जिससे गुजरात में पुन: लोकप्रिय सरकार की स्थापना हो सके।

श्री के० ब्रम्हानंद रेड्डी : सदस्यों को भली भांति ज्ञात होगा कि जब अनुच्छेद 356(1) के अन्तर्गत कोई निर्णय लेनाहोता है तो इस पर मंत्री मंडल पूरी गंभीरता से विचार करता है और भलीभांति विचार करने के पश्चात जब वह इस निर्णय पर पहुंचता है कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वहां संविधान के अनुसार राज्य सरकार शासन नहीं चला सकतो तभी उद्घोषणा जारी की जाती है। यह कोई राजनितिक निर्णय लेने के समान नहीं है। गृह मंत्रालय राष्ट्रपति को सुझाव देता है और तत्पश्चात हो जनता के हित में ऐसा किया जाता है। यदि कोई यह समझता है कि ये निर्णय किसो अन्य कारणों से लिए गए है तो वह पूर्णतयां गलतो पर है।

प्राय: कहा जाता है कि सरकार चुनावों से डरती है। मेरे विचार से यह व्यर्थ का तर्क है। लोकतंत्र में प्राय: चुनाव होते हो रहते हैं फिर चुनावों से डर कैसा? यह कहना कि कांग्रेस जनता का सामना करने से डर रहो है, नितान्त गलत है। कांग्रेस आज तक चुनाव लडती आई है और भविष्य में भी लडेगी। श्री मुरारजी का यह कहना गलत है कि हम वहां के लोगों को दंड दे रहे हैं। इस बात का मैं पूरा खंडन करता हूं। इसके विपरीत, हम उनकी तन मन धन से पूरी सहायता करना चाहते हैं। हमारा यह इरादा कदापि नहीं है कि गुजरात की जनता को तंग किया जाये। हम तो इस कठिनाई के अवसर पर उनकी अधिकाधिक सहायता करना चाहते हैं। गुजरात में 19 जिलों में से 16 जिले सूखाग्रस्त हैं। यह कोई साधारण सो बात नहीं है। गुजरात में अभूतपूर्व सूखा है। कुछ क्षेत्रों में पिछले तोन वर्षों से लगातार सूखा पड रहा है। एक प्रकार से सारा ही राज्य सूखाग्रस्त है।

अतः प्रश्न यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में, जबकि समूचा प्रशासन सूखा संकट से लड रहा हो, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं तथा प्रत्येक व्यक्ति को गुजरात की जनता को राहत देने के लिए अपना योगदान करना चाहिए। लोगों को चुनाव में लगाना तथा राहत कार्यों में बाधा डालना उचित नहीं है। इस स्थिति को ध्यान में रखकर ही हमने चुनाव स्थगित करना उचित समझा। चुनावों का क्या है, बाद में भी हो सकते हैं। व्यावहारिक रूप से वहां का सारा तंत्र इस समय राहत कार्यों में लीन है और उसको यह कार्य अबाध रुप से करने दिया जाना चाहिए (**व्यवधान**)।

यह कहना नहीं कि वर्तमान प्रशासन नीति सम्बन्धी निर्णय नहीं ले सकता। ऐसी बात भी नहीं कि यह महज प्रभारी सरकार हो। प्रशासन ने सूखा स्थिति को देखते हुए कुछ महत्व-पूर्ण निर्णय लिए हैं। मार्च से राशन की मात्रा 8 किलोग्राम से बढ़ाकर 10 किलोग्राम करनेका भी निर्णय लिया गया है।

गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतनमान आदि की जांच करने हेतु एक समिति की नियुक्ति की थी। किन्तु इस समिति में शिक्षकों का मामला सम्मिलित नहीं है। श्री सेन ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है जो गुजरात सरकार के विचाराधीन है। सरकार ने सेन समिति की सिफारिशें मानने की घोषणा करने का निर्णय ले लिया है और सम्भवतः एक या दो दिन में आदेश जारी हो जायेंगे।

अतः मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि समस्या को इसके वास्तविक रूप में देखा जाये और इसे राजनीति का रंग न दिया जाय।

सभापती महोदय : प्रश्न यह है : "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत गुजरात के सम्बन्ध में 9 फरवरी, 1974 को जारी की गई उद्घोषण को 11 मार्च 1975 से 6 मास की और अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन करती है"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 28 फरवरी, 1975/9 फाल्गुन, 1896 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Friday, the 28th February, 1975/ Phalguna 9, 1896 (Saka).

भा०स०मु०ना०—वि० 2—10 एल०एस०एस० (एन०डी०)/75—4-7-75—200.